1 फ्रांसीसी क्रांति

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **फ्रांस में क्रान्तिकारी विरोध के भड़कने की परिस्थिति का वर्णन करें।**

उत्तर— सन् 1789 ई. में हुई फ्रांस की क्रान्ति इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। इस क्रान्ति के समय फ्रांस में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दशा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। अन्तत: फ्रांस में निरंकुश राजतन्त्र का अन्त करके लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस क्रान्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(i) **राजनीतिक कारण—** फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धान्त में विश्वास करते थे। अत: वे प्रजा के सुख-दु:ख, हित-अहित की कोई चिन्ता न करके अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। वे जनता पर नए 'कर' लगाते रहते थे और 'कर' के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विलासिता के कार्यों पर व्यय करते थे। सम्पूर्ण देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार फ्रांस की जनता शासकों की निरंकुशता से बहुत परेशान थी।

(ii) **आर्थिक कारण—** फ्रांस द्वारा अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी आर्थिक दशा अत्यन्त खराब हो चुकी थी। राजदरबार की शान-शौकत एवं कुलीन वर्ग के व्यक्तियों की विलासप्रियता के कारण साधारण जनता पर अनेक प्रकार के 'कर' लगाये जाते थे और उनकी वसूली निर्दयतापूर्वक की जाती थी। फ्रांस में कुलीन वर्ग और पादरी करों का भार वहन करने में समर्थ थे, परन्तु उन्हें करों से मुक्त रखा गया। इस प्रकार दयनीय आर्थिक दशा भी फ्रांस की क्रान्ति का एक बड़ा कारण बनी।

(iii) **सामाजिक कारण—** फ्रांस में क्रान्ति से पूर्व बहुत बड़ी सामाजिक असमानता थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों का जीवन बहुत विलासी था तथा उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत किसानों तथा मजदूरों का जीवन नारकीय था। वे विभिन्न प्रकार के करों एवं बेगार के बोझ के नीचे पिस रहे थे। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात् वकील, डॉक्टर, अध्यापक एवं व्यापारी आदि का सम्मान नहीं था। अत: फ्रांस की मध्यम वर्गीय धनी एवं शिक्षित जनता; कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च अधिकारियों से सदैव द्वेष रखती थी। अत: क्रान्ति प्रारम्भ होते ही तृतीय वर्ग की सम्पूर्ण जनता ने इसका पूर्ण समर्थन किया।

(iv) **दार्शनिकों एवं लेखकों के विचारों का प्रभाव—** फ्रांस जैसी दशा यूरोप के लगभग अन्य सभी देशों में थी। फ्रांस के दार्शनिकों और लेखकों के क्रान्तिकारी विचारों के परिणामस्वरूप फ्रांस में ही सबसे पहले क्रान्ति हुई। फ्रांस के लेखकों एवं दार्शनिकों के विचारों ने राज्य के खिलाफ क्रान्ति की भावना का बीजारोपण किया। इनमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो आदि दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रान्ति को जन्म देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(v) **तात्कालिक कारण—** 5 मई, सन् 1789 ई. को लुई सोलहवें द्वारा नये कर लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन की तिथि निर्धारित की गई। इस बैठक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। एस्टेट्स जनरल के नियम के अनुसार, प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परन्तु तृतीय एस्टेट वर्ग के प्रतिनिधि इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि इस बार सम्पूर्ण सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। इस बात से सम्राट लुई सोलहवाँ सहमत नहीं हुआ। अन्तत: तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप सभा से बाहर चले गए, इस बात ने फ्रांसीसी क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार की।

2. **फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को क्रान्ति से लाभ हुआ? किन समूहों को अपनी सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्रान्ति के परिणाम से समाज के कौन से वर्ग निराश हुए होंगे?**

उत्तर— (i) सन् 1789 ई. में हुई फ्रांस की क्रान्ति से समाज के निम्न वर्ग; जैसे—मजदूर, किसान एवं शिक्षित वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ। इस वर्ग के लोगों में फ्रांस की जनसंख्या के लगभग 90 प्रतिशत किसान सम्मिलित थे।

(ii) इस क्रान्ति के द्वारा उच्च वर्ग के लोगों, राज-परिवार, पादरियों तथा सामन्तों को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया गया।

(iii) फ्रांस की क्रान्ति से कुलीन वर्ग के लोगों को अत्यधिक निराशा हुई। इस वर्ग के लोगों की जमीनें जब्त कर ली गईं एवं उनके सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।

3. **उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के दौरान दुनिया के लोगों के लिए फ्रांसीसी क्रान्ति के महत्त्व का वर्णन करें।**

उत्तर— सन् 1789 ई. में हुई फ्रांस की क्रान्ति के उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी की दुनिया पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े—

(i) फ्रांस की क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूरोप के अन्य देशों; जैस—जर्मनी, इटली आदि में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ जिससे स्वेच्छाचारी शासन की समाप्ति हुई तथा सभी देशों में मनुष्यों की समानता पर बल दिया जाने लगा।

(ii) इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप विश्व के लोगों में सामन्तवाद के विरुद्ध आन्दोलन को एक नई दिशा मिली और सामन्तवाद का स्थान प्रजातन्त्र ने लेना प्रारम्भ कर दिया।

(iii) इस क्रान्ति ने प्रचलित कानूनों का रूप बदल दिया, सामाजिक मान्यताएँ बदल डालीं और आर्थिक ढाँचे में आश्चर्यजनक परिवर्तन किए।

(iv) इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप अन्य देशों के शासक वर्ग ने सजगता दिखाते हुए अपनी जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने का प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया।

(v) इस क्रान्ति से भारत सहित अनेक अफ्रीकी एवं एशियाई देशों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों को प्रेरणा मिली।

4. **उन लोकतान्त्रिक अधिकारों की सूची बनाएँ जिनका हम आज आनंद लेते हैं और जिनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रान्ति से हुई है।**

उत्तर— फ्रांसीसी क्रान्ति ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी जनवादी अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत है। स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व फ्रांसीसी क्रान्ति के मार्गदर्शन के सिद्धान्त हैं। हमारे देश में संविधान ने स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(i) समानता का अधिकार,

(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार,

(iii) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार,

(iv) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार,

(v) शोषण के विरुद्ध अधिकार,

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

5. **क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा हुआ है? व्याख्या करें।**

उत्तर— हाँ, मैं इस तर्क से सहमत हूँ कि सार्वभौमिक अधिकारों के सन्देश में विभिन्न प्रकार के निम्नांकित अन्तर्विरोध थे—

(i) सार्वभौमिक अधिकारों के अन्तर्गत सभी को समान अधिकारों की बात तो की गयी लेकिन महिलाओं एवं अन्य शोषित वर्ग के विकास एवं संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(ii) सार्वभौमिक अधिकारों के सन्देश में शोषण के प्रतिरोध का अधिकार तो दिया लेकिन दास प्रथा, जाति प्रथा, रंगभेद आदि को समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किये गये।

(iii) सार्वभौमिक अधिकारों के अन्तर्गत कानून सम्मत अधिकार प्रदान किये गये हैं लेकिन कानून बनाने का अधिकार कुछ ही चुने हुए लोगों को है जिससे शोषित एवं दमित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना आसान नहीं है। क्योंकि उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

(iv) इसमें सार्वजनिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया था।

(v) इसमें व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं दिया गया था।

(vi) सभी देशों में एक निश्चित आयु के पूर्व लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया। फ्रांस में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन्हीं पुरुषों को मताधिकार मिला, जो सरकार को कम-से-कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर की राशि 'कर' के रूप में भुगतान करते थे।

(vii) इन अधिकारों का सबसे बड़ा दोष यह था कि इनके साथ मानव के कर्तव्य निश्चित नहीं किए गए थे। अत: कर्तव्य के बिना अधिकार महत्त्वहीन ही थे। अन्त में यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार न होना तथा व्यवसाय की स्वतन्त्रता का अधिकार न होना एवं एक निश्चित आयु के बाद सभी को मताधिकार प्राप्त न होना इन अधिकारों के अन्तर्विरोध को प्रकट करता है।

6. **आप नेपोलियन के उदय की व्याख्या कैसे करेंगे?**

उत्तर— जैकोबिन सरकार के पतन के बाद एक नया संविधान बना। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने पाँच सदस्यों वाली एक कार्यपालिका 'डिरेक्ट्री' को नियुक्त किया। डिरेक्ट्री के सदस्य अक्सर विधान परिषदों में झगड़ते रहते थे। डिरेक्ट्री की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर नेपोलियन सेना की मदद से तानाशाह बन गया और सन् 1804 ई. में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसका शासन असीम एवं निरंकुश था, वह सम्पूर्ण यूरोप का शासक बनना चाहता था। शासक के रूप में उसने फ्रांस में एक कुशल एवं सक्षम शासन की स्थापना की और फ्रांसीसी जनता को क्रान्ति से उत्पन्न अराजकता से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और व्यापार एवं उद्योग को सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाये। उसने निजी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाये और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप-तौल की एक समान प्रणाली चलाई।

प्रारम्भ में तो जनता को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतन्त्रता मिलने की उम्मीद थी, परन्तु शीघ्र ही

उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार सन् 1815 ई. में वॉटर लू के युद्ध में उसकी हार हुई। नेपोलियन के क्रान्तिकारी विचारों, जैसे—स्वतन्त्रता एवं आधुनिक कानूनों की धारणा ने यूरोप के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **फ्रांसीसी समाज के प्रमुख वर्ग विभाजन को समझाइए।**

उत्तर— सन् 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति से पूर्व फ्रांस का समाज निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित था—

(i) **पादरी वर्ग—** इस वर्ग में चर्च के उच्च श्रेणी के पादरी थे। उन्हें कई विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा कोई 'कर' नहीं देना पड़ता था। इस वर्ग में सम्मिलित लोग धनी थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।

(ii) **कुलीन वर्ग—** इस वर्ग में उच्च सरकारी अधिकारी एवं बड़े-बड़े जमींदार होते थे। उन्हें भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे कृषकों से सामन्ती 'कर' वसूल करते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों के पास अपनी-अपनी जागीरें होती थीं।

(iii) **साधारण वर्ग—** इस वर्ग में किसान, कारीगर, छोटे कर्मचारी, मजदूर, वकील तथा डॉक्टर आदि शामिल थे। इन लोगों पर करों का अत्यधिक बोझ था, इसके अतिरिक्त इनसे बेगार भी ली जाती थी। यह फ्रांस का सबसे असन्तुष्ट वर्ग था। इस वर्ग में सबसे बड़ा भाग किसानों का था, यह वर्ग अधिकारों से विहीन था। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के विस्फोट में इस वर्ग ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

7. **आतंक के काल रूपी समयावधि का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— सन् 1793 ई. से सन् 1794 ई. तक का काल 'आतंक का राज' के नाम से जाना जाता है। इस काल की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(i) इस काल के दौरान रोबेस्प्येर ने कठोर नियन्त्रण तथा दण्ड की सख्त नीति को अपनाया।

(ii) उन सभी को, जिन्हें वह गणतन्त्र के शत्रु के रूप में देखता था अर्थात् कुलीन तथा पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, अपने ही दल के सदस्य, जो उसकी नीतियों से सहमत न थे, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया तथा क्रान्तिकारी अदालत द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि अदालत द्वारा दोषी पाया जाता तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया जाता था।

(iii) गोश्त तथा पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपने अनाज को शहरों में ले जाने तथा सरकार द्वारा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। अधिक महँगे सफेद आटे के उपभोग को वर्जित कर दिया गया, सभी नागरिकों को साबुत गेहूँ से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली 'समता रोटी' खाना अनिवार्य कर दिया गया।

8. **फ्रांस की क्रान्ति में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें।**

उत्तर— अधिकांश इतिहासकार इस तथ्य को मानते हैं कि सन् 1789 ई. की क्रांति के आरम्भ से ही वहाँ की महिलाएँ समाज में अहम् परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों से जुड़ी हुई थीं। उनकी सक्रिय रुचि तथा भूमिका के कारण ही फ्रांसीसी समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कर बढ़ाने के प्रस्ताव का तृतीय एस्टेट ने विरोध किया और नेशनल असेंबली का गठन किया।

क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका

(1) **मार्च ऑन वर्साय—** 5 मार्च 1789 को पेरिस की लगभग 7,000 महिलाओं ने ब्रेड (रोटी) की बढ़ती कीमतों के विरोध में वर्साय की ओर मार्च किया। उन्होंने राजा लुई सोलहवें से मिलने की माँग की और अंततः उसे और उसकी पत्नी, मैरी एंटोनेट, को पेरिस वापस लौटने को मजबूर किया।

(2) **महिला क्लबों का गठन—** महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई के लिए क्लबों का गठन किया। इनमें सबसे प्रमुख 'सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमन क्लब' था, जो 1793 में स्थापित किया गया था।

(3) **लैंगिक समानता की माँग—** ओलंप दी गूज जैसी महिला कार्यकर्ता ने महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की माँग की। उनके विचारों ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया।

(4) **सार्वजनिक प्रदर्शन और प्रदर्शनियाँ—** महिलाओं ने सरकार पर दबाव डाला कि वह गरीबों और भुखमरी से जूझ रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करे।

(5) **प्रचार और साहित्य—** महिलाओं ने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए पेम्पप्लेट्स लेखन और साहित्य का सहारा लेकर जागरूकता फैलाई।

हालाँकि, क्रांति के बाद महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ और नेपोलियन के अधीन उन्हें फिर से कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फिर भी फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं में एक नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर महिला अधिकारों के लिए प्रेरणा का काम किया।

निबंधात्मक प्रश्न

1. **फ्रांस की क्रांति के प्रारम्भ को समझाइए।**

उत्तर— फ्रांस की क्रांति (1789–1799) की शुरुआत मुख्य रूप से सामाजिक असमानता, गंभीर आर्थिक संकट और निरंकुश राजशाही के खिलाफ आम जनता (तृतीय एस्टेट) के

गहरे असंतोष से हुआ, जो 14 जुलाई, 1789 को बास्तील किले पर हमले के साथ शुरू हुई, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को जन्म दिया और आधुनिक दुनिया की दिशा बदल दी।

फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण

(1) **सामाजिक असमानता—** फ्रांस के समाज में तीन वर्ग थे—(i) प्रथम एस्टेट (पादरी वर्ग)–यह विशेषाधिकार प्राप्त और कर-मुक्त वर्ग था। (ii) द्वितीय एस्टेट (कुलीन वर्ग)–यह भी विशेषाधिकार प्राप्त और कर-मुक्त वर्ग था। (iii) तृतीय एस्टेट (आम जनता)–इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी और बुद्धिजीवी शामिल थे। सभी करों का बोझ इन्हीं पर था, जिससे भारी असंतोष था।

(2) **आर्थिक संकट—** राजशाही की फिजूलखर्ची से (जैसे-अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद) देश कर्ज में डूबा था। फसल खराब होने से महँगाई और अकाल की स्थिति बन गई, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया।

(3) **राजनीतिक संकट और निरंकुशता—** राजा लुई सोलहवें की अयोग्यता और निरंकुश शासन से जनता त्रस्त थी। आम जनता को कोई अधिकार नहीं थे और वे अपने अधिकारों की माँग कर रहे थे।

फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक प्रारम्भ (1789)—(i) जब राजा को और धन की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें कर बढ़ाने का प्रस्ताव था। कर बढ़ाने के प्रस्ताव का तृतीय एस्टेट ने विरोध किया और 'नेशनल असेंबली' का गठन किया।

(ii) 14 जुलाई, 1789 को, पेरिस की गुस्साई भीड़ ने बास्तील किले (जो शाही अत्याचार का प्रतीक था) पर धावा बोल दिया और उसे तोड़ दिया। इस घटना ने क्रांति की शुरुआत की और इसे फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

संक्षेप में, फ्रांस की क्रांति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों के खिलाफ आम जनता के विद्रोह का परिणाम थी, जो 1789 में बास्तील पर हमले के साथ शुरू हुई और इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया।

2. **पुरुष व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में शामिल तथ्यों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— फ्रांस की 'पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा' (1789) में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के अधिकार, कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, शक्तियों के पृथक्करण और लोकप्रिय संप्रभुता जैसे मौलिक सिद्धांतों को स्थापित किया गया, जिसने राजशाही की मनमानी का अंत किया और नैसर्गिक अधिकारों (जीवन, स्वतंत्रता) को परिभाषित किया, हालाँकि उस समय ये अधिकार केवल पुरुषों के लिए थे, जिससे महिलाओं को बाहर रखा गया था।

मुख्य तथ्य और सिद्धांत—

(1) **प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार—** जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और उत्पीड़न के प्रतिरोध के अधिकारों को जन्मजात और अविच्छेद्य (अहरणीय) माना गया, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता था।

(2) **कानून के समक्ष समानता—** सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं और योग्यता के आधार पर सभी सार्वजनिक पदों के लिए पात्र हैं, बिना किसी अन्य भेदभाव के।

(3) **लोकप्रिय संप्रभुता—** शक्ति का स्रोत राजा नहीं, बल्कि राष्ट्र (लोग) है, कानून सामान्य इच्छा (जनता की इच्छा) की अभिव्यक्ति है।

(4) **अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता—** विचार, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया, साथ ही धर्म की स्वतंत्रता को भी मान्यता दी गई।

(5) **शक्तियों का पृथक्करण—** एक ऐसी सरकार के लिए शक्तियों के पृथक्करण (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के सिद्धांत पर जोर दिया गया जो अधिकारों की गारंटी दे सके।

(6) **कानून का शासन—** किसी को भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के बिना गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता था; सार्वजनिक बल (सेना, पुलिस) सभी के लाभ के लिए है, व्यक्तिगत नहीं।

(7) **सार्वजनिक कर—** करों का निर्धारण सभी नागरिकों की सहमति से होना चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

(8) **प्रेरणा स्रोत—** यह दस्तावेज प्रबुद्धता के दार्शनिकों (जैसे—रूसो, मोंटेस्क्यू) और अमेरिकी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था और इसे फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है।

सीमाएँ— यह घोषणा मुख्य रूप से पुरुषों के अधिकारों पर केंद्रित थी और इसमें महिलाओं, दासता या उपनिवेशों के लोगों के अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था।

यह घोषणा फ्रांसीसी संविधान (1791) की प्रस्तावना बनी और इसने भविष्य के मानवाधिकार आंदोलनों और विश्व के कई संविधानों को प्रेरित किया।

3. **फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को समझाइए।**

उत्तर— सन् 1789 ई. की फ्रांस की क्रान्ति विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित थे—

(i) इस क्रान्ति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अन्त कर दिया।

(ii) इस क्रान्ति ने फ्रांस में लम्बे समय से चली आ रही सामन्ती व्यवस्था का अन्त कर दिया।

(iii) फ्रांस के क्रान्तिकारियों द्वारा की गई 'मानव अधिकारों की घोषणा' (27 अगस्त, सन् 1789 ई.), मानव जाति की स्वतन्त्रता के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी।

(iv) इस क्रान्ति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणामस्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रान्तियों का सूत्रपात हुआ।

(v) इस क्रान्ति ने लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

(vi) फ्रांस की क्रान्ति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया।

(vii) इस क्रान्ति ने इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया।

(viii) फ्रांसीसी क्रान्ति ने मानव जाति को स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का नारा प्रदान किया।

(ix) इस क्रान्ति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की।

(x) कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रान्ति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया था।

(xi) इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

(xii) दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी क्रान्ति का परिणाम था।

4. **फ्रांस की क्रांति से पूर्व व पश्चात् की दशाओं की तुलना करें।**

उत्तर— क्रान्ति से पूर्व तथा पश्चात् में फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की तुलना निम्न प्रकार से है—

क्रान्ति से पूर्व	क्रान्ति के पश्चात
राजनीतिक परिस्थितियाँ :	
(i) फ्रांस सम्राट लुई सोलहवें के शासन के अधीन था।	(i) फ्रांस गणतन्त्र बन गया।
(ii) सभी राजनीतिक शक्तियाँ पहली दो एस्टेट्स के हाथ में थीं।	(ii) राजनीतिक शक्तियाँ तीसरे एस्टेट्स को दे दी गईं।
सामाजिक परिस्थितियाँ :	
(i) तीसरे एस्टेट्स के लोगों से भेदभाव किया जाता था।	(i) सभी को समान अधिकार दिए गए थे।
(ii) सभी लिखित सामग्री अथवा सांस्कृतिक गतिविधियाँ केवल राजा की सहमति के बाद ही प्रकाशित अथवा प्रस्तुत की जा सकती थीं।	(ii) लिखित सामग्री अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों पर से सेंसरशिप को हटा लिया गया था। अब सभी को बोलने अथवा लिखने का अधिकार था।
(iii) महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी तथा दास प्रथा प्रचलित थी।	(iii) महिलाओं को समान अधिकार दिये गये तथा दास प्रथा का उन्मूलन हो गया।
आर्थिक परिस्थितियाँ :	
(i) तीसरे एस्टेट्स के लोगों द्वारा ही सभी 'कर' दिए जाते थे। पहली दो एस्टेट्स के सदस्य सभी करों से मुक्त थे।	(i) कर, आय तथा सम्पत्ति के आधार पर लगाए जाते थे। मत देने का अधिकार करों से सम्बन्धित था।
(ii) सरकार भारी ऋण तले दबी हुई थी।	(ii) सरकार की आर्थिक दशा सुधर गई थी।

5. **फ्रांसीसी क्रान्ति में प्रयुक्त विविध राजनीतिक चिह्नों का उल्लेख करें।**

उत्तर— फ्रांसीसी क्रान्ति के प्रमुख राजनीतिक चिह्नों में मारियान (स्वतन्त्रता और गणतन्त्र का प्रतीक, लाल टोपी और तिरंगा लिए हुए), लाल टोपी (स्वतन्त्रता का प्रतीक), तिरंगा झंडा (नीला, सफेद, लाल रंग, राष्ट्रवाद का प्रतीक), फासेज (एक साथ बँधी लकड़ियों का बंडल, एकता का प्रतीक) और गिलोटिन (पुरानी व्यवस्था के अंत और नए युग का प्रतीक) शामिल थे, जो स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को दर्शाते थे।

प्रमुख प्रतीक और उनके अर्थ—

1. **मारियाना—** यह एक महिला आकृति थी जो स्वतन्त्रता, समानता और गणतन्त्र का प्रतीक थी, जो अक्सर लाल टोपी पहने और तिरंगा लिए हुए चित्रित की जाती थी।
2. **लाल टोपी—** यह एक लाल, गोल टोपी थी जिसे प्राचीन काल में मुक्त दासों द्वारा पहना जाता था, जो स्वतन्त्रता का प्रतीक बन गई।
3. **तिरंगा झंडा—** नीला, सफेद और लाल रंग की पट्टियों वाला यह झंडा फ्रांसीसी राष्ट्रवाद और क्रांति के आदर्शों का प्रतीक बन गया।

4. **फासेज—** कुल्हाड़ी के ब्लेड से बँधी लकड़ियों का यह बंडल एकता और शक्ति का प्रतीक था।

5. **गिलोटिन—** हालाँकि यह एक भयानक हथियार था, लेकिन इसने पुरानी व्यवस्था के अंत और न्याय के एक नए युग के जन्म का प्रतीक भी दर्शाया, क्योंकि इसका उपयोग राजा सहित कई लोगों को मौत की सजा देने के लिए किया गया था।

6. **टूटी हुई जंजीरें—** यह गुलामी से मुक्ति और स्वतन्त्रता का प्रतीक थीं, जो पुराने शासन के तहत लोगों की जंजीरों को दर्शाती थीं।

7. **मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र—** यह घोषणा पत्र स्वयं एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक था, जो व्यक्ति के अधिकारों और लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें रूसो जैसे विचारकों का प्रभाव था।

8. **आँख वाला त्रिकोण—** ज्ञान और विवेक का प्रतीक, जिसे अक्सर 'ज्ञानोदय' से जोड़ा जाता था, जो पुरानी व्यवस्था के अंधकार को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता था।

ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों; जैसे—स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व को जनता तक पहुँचाने और क्रांति को मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ○○

2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे?

उत्तर— सन् 1905 ई. की रूस की क्रान्ति से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा अत्यन्त खराब थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है—

(i) **रूस की सामाजिक दशा—** सन् 1861 ई. से पूर्व रूस में सामन्तवाद का बोलबाला था। सामन्त लोग किसानों से बेगार लेकर अपनी जमीनों पर खेती करवाते थे। इन किसानों को सामन्तों के अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था।

रूस में कुछ छोटे किसान भी थे, जिनकी आर्थिक दशा दयनीय थी। सन् 1905 ई. की रूसी क्रान्ति से पूर्व समाज में तीन वर्ग थे—पहला वर्ग सामन्तों एवं कुलीनों का था, जिसमें बड़े-बड़े सामन्त, जारशाही के सदस्य, उच्च पदाधिकारी आदि सम्मिलित थे। मध्यम वर्ग का उदय औद्योगीकरण के फलस्वरूप हुआ था, जिसमें लेखक, विचारक, डॉक्टर, वकील तथा व्यापारी आदि लोग शामिल थे। तीसरा वर्ग किसानों तथा मजदूरों का था, इस वर्ग के सदस्यों की दशा अत्यन्त खराब थी। कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग इन्हें हीन और घृणा की दृष्टि से देखते थे। पादरी वर्ग भी अनेक प्रकार से जन-साधारण वर्ग के लोगों का शोषण करता था।

(ii) **रूस की आर्थिक दशा—** औद्योगीकरण से पूर्व रूसी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। रूस में किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे-छोटे थे और उन्हें कृषि की नवीन तकनीकों का ज्ञान नहीं था। धन के अभाव के कारण वे आधुनिक कृषि-यन्त्रों को खरीद पाने में असमर्थ थे। उन्हें कठोर परिश्रम करने पर भी भर-पेट भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी उपज का अधिकांश भाग सामन्त हड़प जाते थे। जार की निरंकुश सरकार ने श्रमिकों, मजदूरों तथा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। अत: सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और सैनिकों के अत्याचारों ने स्थिति को दिन-प्रतिदिन गम्भीर बनाना आरम्भ कर दिया।

(iii) **राजनीतिक दशा—** रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा निरंकुश और राजा के दैवी अधिकारों का समर्थक था। उसने रूसी जनता की उदारवादी भावनाओं को कुचलने के लिए बड़ी कठोर नीति अपनाई। उसने सम्पूर्ण देश में पुलिस तथा गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था। गैर-रूसियों को रूसी बनाने की प्रक्रिया भी जारी थी। रूस में भाषण, लेखन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रूस की जारशाही की निरंकुशता के कारण सर्वत्र असन्तोष व्याप्त था। इसी समय रूस-जापान युद्ध में रूसी सेनाओं को भारी पराजय उठानी पड़ी। इस पराजय ने रूसी जनता के असन्तोष को चरम सीमा पर पहुँचा दिया और वह देश से जारशाही को मिटाने के लिए तत्पर हो गई।

2. 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन-किन स्तरों पर भिन्न थी?

उत्तर— सन् 1917 ई. से पूर्व रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले निम्नलिखित स्तरों पर भिन्न थी—

(i) रूस की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका की पूर्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों से करती थी, जनसंख्या का यह प्रतिशत यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था।

(ii) रूसी किसानों की जोतें अन्य देशों के यूरोपीय किसानों की तुलना में छोटी थीं।

(iii) रूसी किसान नवाबों एवं सामन्तों का कोई आदर नहीं करते थे वे प्राय: लगान देने से इन्कार कर देते थे। जमींदारों के अत्याचारी स्वभाव के कारण उनसे घृणा करते थे। इसके

विपरीत फ्रांस में किसान अपने सामन्तों के प्रति वफादार थे। सन् 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति के समय वे अपने सामन्तों के लिए लड़े थे।

(iv) रूस में पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त बच्चों से भी 10 से 15 घण्टों तक काम लिया जाता था।

(v) रूस का किसान वर्ग, यूरोप के किसान वर्ग से भिन्न था। वे एक समय-अवधि के लिए अपनी जोतों को एकत्र कर लेते थे। उनके परिवारों की आवश्यकतानुसार उनकी 'कम्यून' इसका बँटवारा करती थी।

(vi) यूरोप के अनेक प्रमुख देशों में औद्योगिक क्रान्ति आ चुकी थी, वहाँ कारखाने स्थानीय लोगों के हाथ में होने से श्रमिकों का अधिक शोषण नहीं होता था। परन्तु रूस में अधिकांश कारखाने विदेशी पूँजी से स्थापित हुए थे, जो रूसी श्रमिकों का शोषण करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे।

3. **1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया?**

उत्तर— सन् 1917 ई. में रूस से जारशाही को समाप्त करने के लिए निम्न परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं—

(i) रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा निरंकुश और राजा के दैवी अधिकारों का समर्थक था। उसने रूसी जनता की उदारवादी भावनाओं को कुचलने के लिए कठोर नीति अपनाई। जारशाही की दमनकारी नीति के कारण रूस की जनता में भीषण असन्तोष व्याप्त हो गया था।

(ii) रूस का ऑर्थोडॉक्स चर्च जार की निरंकुशता का पोषक था। चर्च का पादरी जार की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारी सत्ता का समर्थक था। चर्च का अनुचित प्रभाव जनता के कष्टों का एक मुख्य कारण था।

(iii) सन् 1905 ई. की क्रान्ति का रूसी जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। जबकि जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के निर्माण की घोषणा की, परन्तु उसने उसे कार्य करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। उसने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि जार किसी भी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था।

(iv) जार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। सन् 1917 ई. तक लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। युद्ध के समय उत्पादन में कमी हो गई, जिसने रूस में आर्थिक संकट को जन्म दिया।

(v) बड़ी मात्रा में सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति बनाये रखने के कारण रूस में मजदूरों के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गयी जो क्रान्ति का तात्कालिक कारण बन गयी।

(vi) जार ने प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों तथा श्रमिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जिससे लोगों में असन्तोष की भावना बढ़ी। 27 फरवरी, सन् 1917 ई. को मजदूर वर्ग रोटी, वेतन, काम के घण्टों में कमी की माँग करते हुए तथा लोकतान्त्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हो गये। हड़ताली मजदूरों के साथ सैनिक एवं अन्य लोग भी मिल गये। राजधानी पेत्रोग्राद पर भी क्रान्तिकारियों का अधिकार हो गया।

4. **दो सूचियाँ बनाएँ—एक सूची में फरवरी क्रान्ति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रान्ति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए।**

उत्तर— फरवरी क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ एवं प्रभाव निम्नलिखित हैं—

फरवरी क्रान्ति की मुख्य घटनाएँ— (i) सन् 1917 ई. के शीतकाल में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत अत्यन्त खराब थी। फरवरी माह में मजदूरों ने खाद्य पदार्थों के अभाव को बुरी तरह महसूस किया।

(ii) संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार निकोलस द्वितीय द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का विरोध कर रहे थे।

(iii) 22 फरवरी, सन् 1917 ई. को नेवा नदी के दाएँ तट पर स्थित एक कारखाने में तालाबन्दी घोषित कर दी गई।

(iv) 23 फरवरी, सन् 1917 ई. को नेवा नदी के दाएँ तट पर स्थित एक कारखाने के मजदूरों के समर्थन में पचास फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी।

(v) 25 फरवरी, सन् 1917 ई. को सरकार द्वारा ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया।

(vi) 26 फरवरी, सन् 1917 ई. को श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में बाएँ तट के क्षेत्र में एकत्र हो गए।

(vii) 27 फरवरी, सन् 1917 ई. को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया।

(viii) 2 मार्च, सन् 1917 ई. को जार ने राजगद्दी छोड़ दी। इस प्रकार राजवंश का अन्त हो गया।

फरवरी क्रान्ति के प्रभाव—

(i) फरवरी, सन् 1917 ई. की क्रान्ति के बाद राजवंश का अन्त हो गया। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए अन्तरिम सरकार का गठन किया।

(ii) अन्तरिम सरकार ने देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का चुनाव करवाने का निर्णय लिया।

(iii) अप्रैल, सन् 1917 ई. में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सन् 1914 ई. से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेनिन ने कहा कि युद्ध समाप्त किया जाए, सभी जमीन किसानों को दे दी जाए एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

(iv) गर्मियों में मजदूर आन्दोलन तीव्र हो गया, श्रम संगठनों की संख्या बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समितियाँ गठित कर दी गईं।

(v) अन्तरिम सरकार की शक्ति कमजोर होने लगी तथा बोल्शेविकों का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ने लगा जिससे सरकार ने असन्तोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने प्रारम्भ कर दिए।

अक्टूबर क्रान्ति की मुख्य घटनाएँ—

(i) जैसे-जैसे अन्तरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, लेनिन को अन्तरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितम्बर सन् 1917 ई. में लेनिन ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह हेतु चर्चा शुरू कर दी।

(ii) 16 अक्टूबर, सन् 1917 ई. को लेनिन ने पेत्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को समाजवादी सिद्धान्तों के आधार पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार कर लिया।

(iii) सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैन्य क्रान्तिकारी समिति का गठन किया गया। योजना को लागू करने के लिए दिन की कोई जानकारी नहीं दी गई।

(iv) 24 अक्टूबर सन् 1917 ई. को विद्रोह की शुरुआत हुई। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमन्त्री केरेन्स्की ने शहर छोड़ दिया और सेना को बुला लिया। प्रातःकाल में ही सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर कब्जा कर लिया।

(v) सरकारी सेना और बोल्शेविक सैनिकों के बीच भीषण युद्ध हुआ। माह दिसम्बर, सन् 1917 ई. तक बोल्शेविकों ने मास्को के पेत्रोग्राद क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

अक्टूबर क्रान्ति के प्रभाव—

(i) बोल्शेविक निजी सम्पत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए नवम्बर, सन् 1917 ई. तक समस्त उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

(ii) भूमि को सामाजिक सम्पत्ति घोषित कर दिया गया तथा किसानों को सामन्तों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई।

(iii) शहरों में बोल्शेविकों ने मकान-मालिकों के लिए उनके परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त जगह छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे-छोटे हिस्से कर दिए जिससे बेघरबार या जरूरतमन्द लोगों को रहने की जगह दी जा सके।

(iv) बोल्शेविकों ने कुलीन वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी।

(v) बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी 'बोल्शेविक' रख दिया गया।

5. **बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन–कौन से प्रमुख परिवर्तन किये?**

उत्तर— बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रान्ति के बाद निम्नलिखित परिवर्तन किए—

(i) **निजी सम्पत्ति का अधिकार समाप्त—** बोल्शेविकों ने निजी सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया इसके परिणामस्वरूप भूमि को सामाजिक सम्पत्ति घोषित कर दिया गया। सामन्तों की बड़ी-बड़ी जमीनों को किसानों में बाँट दिया गया इससे जोत छोटे-छोटे हिस्सों में बँट गयीं। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े मकानों के मालिकों के पास आवश्यकतानुसार मकान छोड़कर शेष मकान एवं खाली स्थान को बेघर एवं जरूरतमन्द लोगों को दे दिया गया।

(ii) **राष्ट्रीयकरण—** बोल्शेविकों ने अधिकांश उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों के शोषण में कमी आयी तथा वे पूरी लगन से मेहनत करने लगे।

(iii) **उद्योगों का नियन्त्रण—** उद्योगों का नियन्त्रण निजी हाथों से छीनकर राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् मजदूर, सोवियतों और श्रमिक संघों को दे दिया गया।

(iv) **पार्टी का नाम बदलना—** बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) रख दिया।

(v) **पदवियों की समाप्ति—** पूर्व में कुलीन वर्ग को दी गयी पदवियों के प्रयोग एवं प्रभाव को समाप्त कर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

(vi) **वर्दी बदलना—** बदलाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बोल्शेविकों ने सेना और अफसरों की वर्दियों को बदल दिया।

6. निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए—

- कुलक
- 1900 और 1930 के बीच महिला श्रमिक
- स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम।
- ड्यूमा
- उदारवादी

उत्तर— (i) **कुलक—** रूस में सम्पन्न किसानों को 'कुलक' कहा जाता था। स्टालिन के समय में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि सम्पूर्ण रूस में 'कुलकों' को समाप्त कर दिया जाए।

(ii) **ड्यूमा—** ड्यूमा रूस की निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी। इसका गठन सन् 1905 ई. की क्रान्ति के बाद जार द्वारा हुआ। परन्तु इसे जार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि जार अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश तथा किसी तरह की जवाबदेही नहीं चाहता था।

(iii) **सन् 1900 ई. से सन् 1930 ई. के बीच महिला कामगार—** रूस के कारखानों में महिला कामगारों की संख्या भी पर्याप्त थी, उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती थी। उन्होंने सन् 1905 ई. एवं सन् 1917 ई. की क्रान्ति एवं उसमें होने वाली हड़तालों में सक्रिय भाग लिया। 22 फरवरी सन् 1917 ई. को

उन्होंने श्रमिकों की सबसे बड़ी हड़ताल का नेतृत्व किया। रूस के इतिहास में महिला श्रमिक अपने साथी पुरुष श्रमिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं।

(iv) **उदारवादी—** उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को सहजता से स्वीकार कर सके। उन्होंने अनियन्त्रित वंशानुगत शासकों का विरोध किया। वे सरकार के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, उन्होंने समूह प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र का पक्ष लिया। वे निर्वाचित संसदीय सरकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका के पक्ष में थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में उनका विश्वास नहीं था। उनका विचार था कि सम्पत्ति प्राप्त लोगों को मुख्यत: मत देने का अधिकार होना चाहिए।

(v) **स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम—** सन् 1927–1928 ई. के आस-पास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट उत्पन्न हो गया, उस समय किसानों के पास छोटे खेत थे। आधुनिक खेत विकसित करने एवं खेती का आधुनिकीकरण करने के लिए स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ हुआ। सन् 1929 ई. से स्टालिन की पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों 'कोलखोज' में काम करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकांश जमीन और साजो-सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहलाया।

अभ्यास प्रश्न

निबंधात्मक प्रश्न–

1. **उदारवादी, कट्टरपंथी व रूढ़िवादियों की तुलना कीजिए।**

उत्तर— उदारवादी, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी विचारधाराएँ परिवर्तन, स्थिरता और समाज के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण रखती हैं। उदारवादी मौजूदा व्यवस्था में क्रमिक सुधार चाहते हैं, कट्टरपंथी तुरंत और मौलिक बदलाव के लिए क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन करते हैं, जबकि रूढ़िवादी पारंपरिक संस्थाओं और यथास्थिति बनाए रखने पर जोर देते हैं और तीव्र परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जिससे वे स्थिरता, पदानुक्रम और परंपरा को प्राथमिकता देते हैं।

उदारवादी	कट्टरपंथी	रूढ़िवादी
1. परिवर्तन— मौजूदा प्रणालियों के भीतर धीरे-धीरे और व्यवस्थित सुधारों के पक्षधर।	**परिवर्तन—** तत्काल और मौलिक बदलाव चाहते हैं, अक्सर क्रांति के लिए तैयार रहते हैं।	**परिवर्तन—** परिवर्तन के प्रति संशय रखते हैं, यथास्थिति और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं।
2. अधिकार— व्यक्तिगत अधिकारों, संवैधानिक शासन, और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।	**अधिकार—** सार्वभौमिक मताधिकार और सामाजिकता के लिए तत्काल समाधान चाहते हैं।	**अधिकार—** पारंपरिक संस्थाओं (जैसे-राजशाही, चर्च) और पदानुक्रम का समर्थन करते हैं।
2. दृष्टिकोण— धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और नए विचारों के प्रति खुले।	**दृष्टिकोण—** कठोर, एकतरफा और मौजूदा ढाँचे को पूरी तरह बदलने पर केंद्रित।	**दृष्टिकोण—** परंपरा, व्यवस्था और समूह केंद्रित नैतिकता (वफादारी, सम्मान) पर जोर देते हैं।

एक स्वस्थ समाज के लिए इन तीनों विचारधाराओं के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदारवादी नए विचार लाते हैं, रूढ़िवादी उन्हें स्थिर करते हैं और कट्टरपंथी आवश्यक बदलावों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अतिवाद से बचना चाहिए।

2. **1905 से 1917 तक की विभिन्न घटनाओं का वर्णन करें।**

उत्तर— 1905 से 1917 के बीच रूस में 1905 की क्रांति (ब्लडी संडे, ड्यूमा का गठन और असफल संवैधानिक सुधार), प्रथम विश्व युद्ध (सैन्य हार, आर्थिक संकट, अनाज की कमी) और 1917 की फरवरी क्रांति (विरोध, जार का पतन और बोल्शेविकों का उदय) जैसी प्रमुख घटनाएँ हुईं, जिसने निरंकुश, जारशाही को खत्म कर समाजवादी राज्य की नींव रखी, जिसमें श्रमिकों, किसानों और सैनिकों के असंतोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1905 की रूसी क्रांति (महान पूर्वाभ्यास)— (i) क्रांति की पृष्ठभूमि— जार निकोलस की तानाशाही, रूस-जापान युद्ध में हार और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं (कम वेतन, भूमि की कमी, भेदभाव) ने असंतोष बढ़ाया।

(ii) **खूनी रविवार (ब्लडी संडे, 9 जनवरी, 1905)**— शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, जिससे देशव्यापी हड़ताल और विद्रोह शुरू हुए और सोवियत (श्रमिक परिषदों) का गठन हुआ।

(iii) **अक्टूबर घोषणा (1905)—** जार को एक निर्वाचित संसद (ड्यूमा) बनाने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन बाद में उसने वादे तोड़े और शक्तियों को कम कर दिया।

(iv) **परिणाम—** 1905 की क्रांति असफल रही, लेकिन उसने 1917 की क्रांति के लिए जमीन तैयार की और जार की कमजोरियों को उजागर किया।

1906–1914 अर्ध-संवैधानिक काल और स्टोलिपिन सुधार— (i) **ड्यूमा का युग**—कई ड्यूमा (संसदों) चुनी गईं, लेकिन वे जार के साथ सहयोग करती रहीं या संघर्ष करती रहीं।

(ii) **स्टोलिपिन के सुधार—** प्रधानमंत्री स्टोलिपिन ने कृषि और अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया, लेकिन 1911 में उनकी हत्या हो गई।

1914 से 1917— प्रथम विश्व युद्ध और क्रांति की ओर— (i) **युद्ध की शुरुआत—**जर्मनी के खिलाफ रूस युद्ध में शामिल हुआ, जिससे भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ। (ii) **1915–1916–** गंभीर हार, महँगाई, भोजन और ईंधन की कमी और सैनिकों व नागरिकों में भारी निराशा हो गई। (iii) **1917 की फरवरी क्रांति—** युद्ध की विफलताओं और आंतरिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर हड़तालें, विद्रोह और प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप जार निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और राजशाही का अन्त हो गया।

1917 के बाद— अस्थिरता के बीच, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता हासिल की और सोवियत संघ की नींव रखी।

3. **प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति का कारण कैसे बना? समझाइए।**

उत्तर— प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति का कारण निम्न कारणों से बना—

(i) **युद्ध की लम्बी अवधि—**प्रथम विश्व युद्ध सन् 1914–1918 ई. तक लड़ा गया। युद्ध के आरम्भिक चरण में जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण युद्ध लोकप्रिय था। धीरे-धीरे युद्ध के प्रति जन-समर्थन कम होने लगा।

(ii) **रूस की असफलता—** रूस सभी क्षेत्रों में युद्ध में नुकसान उठा रहा था। सन् 1914 ई. से सन् 1916 ई. के बीच जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी।

(iii) **भारी जान-माल का नुकसान—** रूस में सन् 1917 ई. तक 70 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे। सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए किसानों और मजदूरों को बलपूर्वक सेना में भर्ती किया गया।

(iv) **फसलों तथा घरों की तबाही—** जैसे-जैसे रूस की सेना पीछे हट रही थी, तो उसने फसलों तथा भवनों को नष्ट कर दिया ताकि शत्रु उसकी धरती पर न रह सकें। फसलों तथा भवनों की तबाही के कारण रूस में 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। इस परिस्थिति ने सरकार तथा जार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई। सैनिक भी युद्ध से तंग आ चुके थे अब वे युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे।

(v) **उद्योगों पर प्रभाव—** युद्ध का उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योगों की संख्या बहुत कम थी तथा अब बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बन्द हो गई थी। रूस के औद्योगिक उपकरण, यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा, बहुत तेजी से बेकार होने लगे। सन् 1916 ई. तक रेलवे लाइनें टूटनी आरम्भ हो गईं। स्वस्थ लोगों को युद्ध में बुला लिया गया। परिणामस्वरूप, मजदूरों की कमी हो गई तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले छोटे-छोटे कारखाने बन्द हो गये। खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा सेना के लिए भेजी जाती थी। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पाव रोटी तथा आटे की कमी हो गई। सन् 1916 ई. की शीत ऋतु तक पाव रोटी की दुकानों पर दंगे होना सामान्य बात हो गई।

4. **रूसी क्रांति के अन्तर्राष्ट्रीय परिणामों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— सन् 1917 ई. में रूस में जो क्रान्ति हुई, उसका प्रभाव न केवल रूस पर ही पड़ा बल्कि विश्व के अनेक देशों पर भी उसके प्रभाव पड़े। इन प्रभावों का विवरण निम्नलिखित है—

(i) **पूरे विश्व में समाजवादी आन्दोलन का प्रचार-प्रसार—** रूसी क्रान्ति की सफलता से प्रेरित होकर विश्व के अधिकांश देशों में समाजवादी आन्दोलन जोर पकड़ने लगे। रूस इन आन्दोलनों के लिए उस प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रहा था, जो समुद्र में भटकते हुए जहाजों को मार्ग दिखाता है। (ii) **किसानों एवं मजदूरों का स्वाभिमान—** रूस में जब किसानों और मजदूरों की सरकार बन गई तब सम्पूर्ण विश्व में यह वर्ग गर्व से सिर उठाकर चलने लगा। विभिन्न देशों में मजदूरों के मजबूत संगठनों का उदय हुआ। (iii) **आर्थिक नियोजन—** आर्थिक नियोजन के कारण ही रूस की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था पुन: जीवित हो गई थी। विश्व के अन्य देशों ने भी आर्थिक नियोजन पद्धति अपने देश में लागू करके अपनी आर्थिक दशा को सुदृढ़ किया। (iv) **दो गुटों का विकास—** रूस की क्रान्ति से प्रभावित होकर विश्व में दो गुट उभरकर सामने आये। वे थे—एक पूँजीवादी और दूसरा समाजवादी। पूँजीवादी समर्थक देशों ने समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने का यथासम्भव प्रयास किया। (v) **लोकतन्त्र की नई परिभाषा—** पूँजीवादी समर्थक देशों ने समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लोकतन्त्र की परिभाषा ही बदल दी। उनके अनुसार सच्चा लोकतन्त्र केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से स्थायी नहीं बनता, जब तक कि उसमें लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से न बचाया जाए। (vi) **वर्ग-संघर्ष का उदय—** रूसी क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण विश्व में पूँजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में संघर्ष छिड़ गया। मजदूर अपने अधिकारों के लिए और अधिक सजग हो गए तथा संगठित होकर संघर्ष करने लगे। दूसरी तरफ पूँजीपति और अधिक लाभ कमाने हेतु प्रयास करने लगे। (vii) **साम्यवादी सरकारों का उदय—** सन् 1917 ई. की रूसी क्रान्ति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों; जैसे-चीन, वियतनाम इत्यादि देशों में भी साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गईं। (viii) **मानव अधिकारों का सिद्धान्त—** सर्वप्रथम रूस ने इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए अपने अधीन उपनिवेशों को

मुक्त कर दिया तथा विश्व में चल रहे स्वतन्त्रता आन्दोलनों को नैतिक समर्थन दिया। (ix) **लोक-कल्याणकारी भावनाओं का उदय—** रूसी सरकार की देखा-देखी विश्व की अन्य देशों की सरकारों ने भी लोक-कल्याणकारी योजनाएँ लागू कीं। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी कल्याणकारी योजनाओं का विकास हुआ।

5. **रूसी क्रांति व समाजवाद से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— रूसी क्रांति (1917) जारशाही के अंत और बोल्शेविकों के सत्ता में आने का कारण बनी, जिससे रूस में समाजवाद की स्थापना हुई, यह क्रांति मजदूरों और किसानों के असंतोष, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों और समाजवादी विचारों के प्रसार के कारण हुई, जिसमें लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और सोवियत संघ की नींव रखी, जो विश्वभर में मजदूर आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी।

रूसी क्रांति के मुख्य तथ्य— (i) **कारण—** जारशाही का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, मजदूर और किसानों की दयनीय स्थिति और समाजवादी विचारधारा का प्रसार। (ii) **घटनाएँ— फरवरी क्रांति (मार्च 1917)—** सम्राट निकोलस द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा और एक अंतरिम सरकार बनी। **अक्टूबर क्रांति (नवंबर 1917)—** लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। गृहयुद्ध— बोल्शेविक (लाल सेना) और उनके विरोधियों (श्वेत सेना) के बीच लड़ा गया, जिसमें लाल सेना विजयी हुई।

(iii) **परिणाम—** राजशाही का अंत, सोवियत संघ का गठन और विश्व की पहली सफल समाजवादी क्रांति की स्थापना।

समाजवाद और रूसी क्रांति के तथ्य— (i) **समाजवादी विचारधारा—** समाज के स्वामित्व और नियंत्रण पर जोर देती है, विशेषकर उत्पादन के साधनों पर। (ii) **समाजवादी क्रांतिकारी दल—** किसानों के अधिकारों के लिए लड़ा और भूमि के पुनर्वितरण की माँग की। (iii) **सोशल डेमोक्रेट्स—** मजदूरों के अधिकारों पर केन्द्रित थे और किसानों के मुद्दे पर असहमत थे। (iv) **लेनिन का दृष्टिकोण (बोल्शेविक)—** रूस जैसे दमनकार समाज में एक अनुशासित, छोटी पार्टी के माध्यम से क्रांति लाना चाहते थे, जिसमें पार्टी का सदस्यों पर पूरा नियंत्रण हो। (v) **वैश्विक प्रभाव—** रूसी क्रांति ने दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों को बढ़ावा दिया और साम्यवाद को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

संक्षेप में, रूसी क्रांति एक ऐतिहासिक मोड़ थी जिसने जारशाही को समाप्त कर समाजवाद को व्यवहार में लाया और दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ❍❍

3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएँ थीं?**

उत्तर— वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएँ थीं—

(i) प्रथम विश्वयुद्ध में पराजय के पश्चात् जर्मनी पर विजयी देशों ने बहुत कठोर शर्तें थोप दी थीं।

(ii) इसे वर्साय की अपमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े।

(iii) इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धन-राशि देनी पड़ी।

(iv) देश में मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। वाइमर सरकार मूल्य-वृद्धि को रोकने में पूर्णत: असफल रही।

(v) देश में बेरोजगारी बढ़ गई थी तथा उद्योग एवं व्यापार पिछड़ गए थे।

(vi) मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना को भंग कर दिया।

(vii) युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ-साथ मित्र-राष्ट्रों को हुए नुकसान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया।

(viii) वाइमर गणराज्य की स्थापना के साथ ही स्पार्टकिस्ट लीग अपनी क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी।

2. **चर्चा करें कि 1930 तक जर्मनी में नात्सीवाद लोकप्रिय क्यों हो गया?**

उत्तर— प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त पराजित होने पर विजयी देशों ने बहुत कठोर शर्तें थोप दी थीं। जर्मनी के लिए वर्साय की सन्धि बड़ी अपमानजनक थी। इसकी कठोर शर्तों के कारण जर्मनी में नात्सीवाद का उत्थान हुआ। इसके नेता हिटलर ने वर्साय सन्धि-पत्र की अपमानजनक शर्तों की धीरे-धीरे अवहेलना करनी प्रारम्भ कर दी। वह उप निवेशवाद, सैन्यवाद

एवं विस्तारवाद में विश्वास करता था। जर्मनी में निम्न कारकों ने नात्सीवाद की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया—

(i) **जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता—** हिटलर के उत्थान से पूर्व जर्मनी पर वाइमर गणराज्य का शासन था। इसके शासन काल में देश में बेरोजगारी एवं कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई, इससे सेना में भी असन्तोष फैल गया। हिटलर ने ऐसी स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया। उसने जर्मनी की जनता को विश्वास दिलाया कि वह राष्ट्र का खोया हुआ सम्मान पुन: वापस लाएगा। जर्मनी की सभी समस्याओं का समाधान करके वह उसे विश्व की नई महाशक्ति बनाएगा।

(ii) **जर्मन जनता का प्रजातन्त्र में अविश्वास—** जर्मनी के लोगों का स्वभाव से ही प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं था। प्रजातन्त्र उनकी सभ्यता एवं परम्पराओं के विरुद्ध था। वे पार्लियामेंट्री संस्थाओं एवं उसके क्रियाकलापों को समझने में असमर्थ थे। अत: जर्मनी में वाइमर संविधान बड़े प्रतिकूल वातावरण में लागू हुआ, जिसका सफल होना भी सम्भव नहीं था। अत: वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति नात्सी दल के विकास और हिटलर के अधिनायक बनने में सहायक सिद्ध हुई।

(iii) **आर्थिक संकट—**प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी को गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जर्मनी को अपार जन एवं धन की हानि उठानी पड़ी। इसके शहर एवं कस्बे, व्यापार एवं वाणिज्य, कारखानों एवं उद्योगों को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया था। सन् 1929 ई. की आर्थिक मन्दी ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति पर और भी बुरा प्रभाव डाला। जर्मनी की गणतन्त्रीय सरकार देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में पूर्ण रूप से असफल रही।

(iv) **हिटलर के व्यक्तित्व का प्रभाव—** हिटलर एक असाधारण एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। वह उच्चकोटि का ओजस्वी वक्ता एवं साम्यवाद का कटु आलोचक था। उसने अपने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि यदि वह सत्ता में आता है तो वह अपने राष्ट्र को स्वाभिमान तथा सम्मान दिलाएगा। परिणामस्वरूप, नात्सी दल अधिक लोकप्रिय होता गया और उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई।

(v) **साम्यवाद का खतरा—** जर्मनी में साम्यवाद का प्रचार-प्रसार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा था। जर्मनी में साम्यवादियों ने सन् 1917 ई. की रूसी क्रान्ति के अनुरूप क्रान्ति करने का प्रयास किया। साम्यवादी विचारधारा जर्मनी की राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। इस कारण से जर्मन पूँजीवादियों ने हिटलर की नात्सी पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया। परिणामस्वरूप, एक विशाल जनसमूह श्रमिक-साम्यवाद के खतरों से बचने के लिए नात्सी दल में सम्मिलित हो गया।

(vi) **दलीय संघर्ष से नात्सीवाद को लाभ—** जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल थे जिनमें साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी और समाजवादी प्रमुख थे। प्रत्येक राजनीतिक दल ने शक्ति-प्राप्ति का प्रयास किया। सन् 1919 ई. से सन् 1933 ई. तक जर्मनी में गणतन्त्र का इतिहास विभिन्न दलों का सत्तारूढ़ होने के लिए दलीय संघर्ष का इतिहास है। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की वाइमर गणतन्त्रीय सरकार अत्यधिक कमजोर हो गई और नात्सीवाद को शासन पर अधिकार करने का अच्छा अवसर मिल गया।

3. नात्सी सोच के खास पहलू कौन-से थे?

उत्तर— नात्सी सोच (विचारधारा) के खास पहलू निम्नलिखित थे—

(i) नात्सीवाद जातीय श्रेष्ठता से प्रेरित था। हिटलर का मानना था कि जर्मनी के लोग आर्य वंश से हैं एवं उनका वंश ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सम्पूर्ण विश्व पर शासन करने का नैतिक अधिकार केवल जर्मन लोगों को ही प्राप्त है।

(ii) नात्सी सोच एक निरंकुश एवं बर्बर तानाशाही विचारधारा थी जो सभी प्रकार की प्रजातान्त्रिक पद्धति की विरोधी थी।

(iii) नात्सीवाद जर्मनी के साथ वर्साय सन्धि में हुए अपमान का बदला लेना चाहता था तथा वह जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करना चाहता था।

(iv) नात्सीवाद अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहता था।

(v) नात्सीवाद उदारवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद का विरोधी था।

(vi) नात्सीवाद जर्मन यहूदियों को घृणा की दृष्टि से देखता था क्योंकि हिटलर का मानना था कि यहूदियों के मन में जर्मनी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उन्हीं के कारण जर्मनी को प्रथम विश्वयुद्ध में हार का मुँह देखना पड़ा इसलिए हिटलर यहूदियों का नाश कर देना चाहता था।

4. नात्सियों का प्रोपेगैंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा?

उत्तर— जर्मन समाज जातीय आधार पर विभाजित था। नात्सीवादी स्वयं को शुद्ध रक्त के आर्य मानते थे अत: उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध सम्पूर्ण जर्मनी में घृणा का वातावरण बना दिया। उनका यहूदियों के विरुद्ध प्रचार निम्नलिखित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ—

(i) नात्सियों ने यहूदियों के प्रति उस घृणा को अपनी कार्यवाही का आधार बनाया जो ईसाई लोग उनके विरुद्ध रखते थे। ईसाई लोग यहूदियों को 'ईसा मसीह' का हत्यारा मानते हैं। मध्य युग तक यहूदियों पर जमीन खरीदने पर पूर्णत: रोक थी। सन् 1933 ई. से सन् 1938 ई. तक नात्सियों ने यहूदियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। उन्हें देश से भगा दिया गया एवं कंसंट्रेशन कैम्पों एवं गैस चैम्बरों में बन्द करके बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी गई।

(ii) नात्सियों द्वारा इस बात का प्रचार किया गया कि यहूदी घटिया शारीरिक संरचना वाले लोग हैं अत: उन्हें समाज के अवांछित वर्ग का दर्जा दिया जाना ही उचित है।

(iii) एडोल्फ हिटलर जर्मन यहूदियों से अत्यधिक घृणा करता था। वह प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय का कारण यहूदियों को ही मानता था।

(iv) नात्सियों द्वारा यह व्यक्त किया गया कि यहूदी धन के लोभी हैं। वे लोगों को पैसा उधार देकर अत्यधिक ब्याज वसूल करते हैं।

(v) नात्सियों ने यहूदियों के प्रति घृणा-भावना का प्रचार स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों से ही करना प्रारम्भ कर दिया। पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया गया। स्कूलों से यहूदी शिक्षकों को निकाल दिया गया अत: जर्मनी की नई पीढ़ी में यहूदियों के प्रति घृणा एवं द्वेष के भाव पहले से ही भर दिए गए।

5. नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, यह बताएँ। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति पर वापस जाएँ। दोनों अवधियों में महिलाओं की भूमिका की तुलना और अंतर बताते हुए एक गद्यांश लिखें।

उत्तर— नात्सी समाज में औरतों की भूमिका— नात्सी समाज में महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें आर्य संस्कृति का संवाहक माना जाता था। दुनिया के सभी प्रजातान्त्रिक देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नात्सी जर्मनी में महिला का महत्व सिर्फ आर्य सन्तान की माँ के रूप में था। महिलाओं को आर्य नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और दबाव बनाया जाता था कि वह यहूदी पुरुष के साथ किसी प्रकार का प्रेम सम्बन्ध स्थापित न करे। अनेक सन्तानों को जन्म देने वाली माँ को विशेष पुरस्कार दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली 'आर्य' औरतों की सार्वजनिक रूप से निन्दा की जाती थी और उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था।

फ्रांसीसी क्रान्ति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच तुलना— (i) नात्सी समाज में औरतों को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता था, जबकि फ्रांसीसी समाज में स्त्री-पुरुष को समान समझा जाता था। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।

(ii) नात्सी समाज में महिलाएँ स्वतन्त्र नहीं थीं उनका काम केवल घर-परिवार की देखभाल और बच्चों को जन्म देना था। इसके विपरीत फ्रांसीसी समाज में महिलाओं को बराबर का साझीदार माना जाता था। वे कई प्रगतिशील गतिविधियों; जैसे—राजनीतिक क्लबों की सदस्यता, वोटिंग, अखबार, नौकरी आदि में भाग ले सकती थीं।

(iii) नात्सी महिलाओं को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता था। उन्हें न केवल जेल की सजा दी जाती थी अपितु अनेक तरह के नागरिक सम्मान एवं उनके पति एवं परिवार भी छीन लिए जाते थे। इसके विपरीत फ्रांसीसी महिलाएँ अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतन्त्र थीं। महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाएँ व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं।

6. नात्सी ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन–कौन से तरीके अपनाए?

उत्तर— नात्सी सरकार ने जनता पर सम्पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए—

(i) **स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन—** नात्सी सरकार ने अपनी विचारधारा पर आधारित नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें तैयार करवाईं। नस्ल विज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। उनसे कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा करें तथा हिटलर की पूजा करें।

(ii) **युवाओं का विचार परिवर्तन—** बाल्यावस्था से ही नात्सी सरकार ने बच्चों के मन-मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। जैसे-जैसे वे बड़े होते गये उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नात्सीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

(iii) **लड़कियों का विचार परिवर्तन—** लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छी माँ बनना था तथा शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देकर उनका लालन-पालन करना था।

(iv) **खेल गतिविधियाँ—** उन सभी खेल गतिविधियों विशेषकर मुक्केबाजी को प्रोत्साहित किया गया जो बच्चों में हिंसा तथा आक्रामकता की भावना उत्पन्न करती थीं।

(v) **आर्यों के आर्थिक हितों की रक्षा—** आर्य प्रजाति के लोगों के लिए आर्थिक अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता थी। उन्हें रोजगार दिया जाता था, उनके व्यापार को सुरक्षा दी जाती थी तथा सरकार की तरफ से उन्हें हर सम्भव सहायता दी जाती थी।

(vi) **महिलाओं के बीच भेदभाव—** महिलाओं के बीच उनके बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक अनुपयुक्त बच्चे की माँ होने पर महिलाओं को दण्डित किया जाता था तथा जेल में कैद कर दिया जाता था, किन्तु बच्चे के शुद्ध आर्य प्रजाति का होने पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता था।

(vii) **नात्सी विचारधारा का प्रचार—** जनता पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने में नात्सियों द्वारा विशेष पूर्व नियोजित प्रचार का सर्वाधिक योगदान था। नाजियों ने शासन के लिए समर्थन पाने तथा अपनी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए दृश्य चित्रों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, नारों तथा इश्तहारी पर्चों द्वारा प्रचार किया। पोस्टरों में समाजवादियों एवं उदारवादियों को कमजोर तथा पथ-भ्रष्ट कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था।

(viii) नात्सियों ने जनसंख्या के विभिन्न हिस्से को अपील करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने इस आधार पर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया कि केवल नात्सी ही उनकी हर समस्या का हल ढूँढ़ सकते थे।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. **जर्मनी में राजनीतिक कट्टरपंथ का उदय कैसे हुआ?**

उत्तर— जर्मनी में राजनीतिक कट्टरपंथ (खासकर नाजीवादी) का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद की सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल, जैसे-वर्साय संधि के अपमान, आर्थिक महामंदी और राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा था, जिससे नाजी पार्टी को समर्थन मिला और 1932 तक संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया और उसने यहूदी-विरोधी, राष्ट्रवाद और फासीवाद विचारधारा का प्रचार किया, जिससे सत्ता हासिल कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।

मुख्य कारण और घटनाएँ—

(1) **प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की स्थिति (1918–1920)** (i) **वर्साय संधि का अपमान—** जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे राष्ट्रीय अपमान और आक्रोश की भावना पैदा हुई।

(ii) **आर्थिक अस्थिरता—** युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयों और अत्यधिक मुद्रास्फीति ने लोगों को अस्थिर बना दिया, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई।

(2) **नाजी पार्टी का उदय (1920–1930) (i) एडोल्फ हिटलर का नेतृत्व—** युद्ध के अनुभवी हिटलर ने नाजी पार्टी का नेतृत्व संभाला और अपनी भाषण कला और यहूदी विरोधी, नस्लीय श्रेष्ठता और जर्मन राष्ट्रवाद की विचारधारा से जनता को प्रभावित किया।

(ii) **'स्टैब-इन-द-बैक' मिथक—** यह झूठा दावा फैलाया गया कि जर्मनी की हार युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि देश के 'गद्दारों' (यहूदियों, कम्युनिस्टों) के कारण हुई थी, जिससे समाज में विभाजन बढ़ा।

(3) **महामंदी (1929–1930)–** 1929 की वैश्विक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बेरोजगारी बढ़ी और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी, जिससे नाजियों को समर्थन मिला। इन परिस्थितियों में नाजी पार्टी तेजी से बढ़ी और 1932 के चुनावों में जर्मन संसद (राइखस्टाग) में सबसे बड़ी पार्टी बन गई।

(4) **सत्ता पर कब्जा (1933)–** राजनीतिक साजिशों और दबाव के चलते, एडोल्फ हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया, जिससे नाजी सत्ता में आ गए।

संक्षेप में, जर्मनी में राजनीतिक कट्टरपंथ (नाजीवाद) का उदय प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के आघात, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिटलर के नेतृत्व वाली एक चरमपंथी पार्टी द्वारा राष्ट्रवाद और यहूदी-विरोधी भावनाओं का फायदा उठाने से हुआ, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन हुआ और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. **प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के क्या परिणाम निकले?**

उत्तर— प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार के परिणामस्वरूप वर्साय की संधि लागू हुई, जिससे जर्मनी को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, उसकी सेना सीमित कर दी गई, महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसे-एल्सेस-लोरेन) फ्रांस को वापस कर दिए गए, उपनिवेश छीन लिए गए और उसे युद्ध का एकमात्र दोषी ठहराया गया, जिससे भारी आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति और हिटलर के सत्ता में आने की नींव पड़ी।

जर्मनी की हार का मुख्य परिणाम—

1. **वर्साय की संधि—** जर्मनी पर युद्ध शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी डाली गई, जिससे जर्मन लोगों में भारी गुस्सा और अपमान की भावना पैदा हुई। जर्मनी को मित्रराष्ट्रों को भारी युद्ध हर्जाना चुकाना पड़ा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अत्यधिक मुद्रास्फीति बढ़ी। जर्मनी ने 13 प्रतिशत भू-भाग, 10 प्रतिशत जनसंख्या, 75 प्रतिशत लौह और 26 प्रतिशत कोयला उत्पादन के क्षेत्रों को खो दिया, जो फ्रांस, पोलैंड और अन्य देशों को दे दिए गए। सेना को एक लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया, नौसेना को कमजोर कर दिया गया और हवाई सेना को भंग कर दिया गया।

2. **राजनीतिक परिवर्तन—** युद्ध के अन्त में हुई क्रांति से जर्मन साम्राज्य का पतन हो गया और वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। नवगठित वाइमर गणराज्य को आर्थिक संकट और संधि के अपमान के कारण लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा।

3. **आर्थिक और सामाजिक प्रभाव—** भारी हर्जाने और संसाधनों के नुकसान के कारण जर्मनी में बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक मंदी छा गई। आम जनता में निराशा और गुस्से ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया, जिसने एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के उदय के लिए जमीन तैयार की।

संक्षेप में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार ने न केवल देश को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर किया, बल्कि

भविष्य के संघर्षों, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बो दिए।

2. **हिटलर सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुँचा तथा इसने जर्मन लोकतंत्र को किस प्रकार नष्ट किया?**

उत्तर— 30 जनवरी, सन् 1933 ई. को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को चांसलर का पद सँभालने का न्यौता दिया जो मन्त्रिमण्डल का सबसे शक्तिशाली पद था। अब तक नात्सी रूढ़िवादियों को अपने उद्देश्य के लिए अपने पक्ष में लाने तथा एक बहुत बड़ी रैली करने में हिटलर सफल हो चुका था। सत्ता पाने के बाद हिटलर ने जर्मनी में लोकतन्त्र के ढाँचे को पूर्णतया समाप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। लोकतन्त्र के विनाश हेतु हिटलर द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित थे—

(i) **आम उद्घोषणा एवं नागरिक अधिकारों का स्थगन—** फरवरी सन् 1933 ई. में जर्मनी की संसद की इमारत में रहस्यात्मक रूप से आग लग गई। इसका दोषारोपण साम्यवादियों पर कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यह कार्य हिटलर के समर्थकों का ही था। 28 फरवरी, सन् 1933 ई. की इस अग्नि सम्बन्धी दुर्घटना ने नागरिक अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, भाषण, प्रेस एवं सभा आयोजन जिनकी गारंटी वाइमर संविधान ने दी थी, को स्थगित कर दिया।

(ii) इसके बाद एडोल्फ हिटलर अपने शत्रु नम्बर एक अर्थात् जर्मनी के साम्यवादियों की ओर मुड़ा। अधिकतर साम्यवादियों को बन्दी बनाकर यातना शिविरों में भेज दिया गया।

(iii) साम्यवादियों को भारी यातनाएँ दी गईं। उनकी संख्या हजारों में थी लेकिन नात्सियों द्वारा न सिर्फ साम्यवादियों का सफाया किया वरन् 52 किस्म के अन्य लोगों को भी अपने दमन का शिकार बनाया।

(iv) 3 मार्च, सन् 1933 ई. को प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की थी। इस अधिनियम ने सभी तरह की राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ 'एडोल्फ हिटलर' को सौंप दीं। उसे संसद की अवहेलना करने तथा सभी तरह के अध्यादेश जारी करने के अधिकार दे दिए गए।

(v) सभी तरह की पार्टियों पर सिवाय नात्सी पार्टी को छोड़कर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जर्मनी में सभी श्रम संघों को भी अवैध घोषित कर दिया गया। केवल वे ही श्रम संगठन काम कर सकते थे जो नात्सी पार्टी से जुड़े हुए थे।

(vi) राज्य या देश की अर्थव्यवस्था, मीडिया (जनसंचार माध्यमों), सेना एवं न्यायपालिका पर नात्सियों का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया। जिस तरह से नात्सी लोग चाहते थे, उसी ढंग से समाज पर नियन्त्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए गुप्त सेनाओं का गठन किया गया।

3. **नाजी (नात्सी) विचारधारा का बच्चों व युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा?**

उत्तर— नात्सी विचारधारा का बच्चों एवं युवाओं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा—

(i) **स्कूलों पर पूर्ण नियन्त्रण—** हिटलर की देश के युवाओं के प्रति रुचि जुनून के हद तक थी। उसका विचार था कि युवाओं को नात्सी के सिद्धान्तों की शिक्षा देकर ही एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना हो सकती है। इसके लिए बच्चों पर स्कूल के अन्दर तथा बाहर दोनों स्थानों पर नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी।

(ii) **स्कूलों का शुद्धीकरण**— सभी स्कूलों को शुद्ध तथा साफ किया गया। इसका अर्थ था कि जो अध्यापक यहूदी थे अथवा जो राजनीतिक तौर पर अविश्वसनीय लगते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बच्चों को पहले अलग किया जाता था—जर्मन तथा यहूदी एक साथ बैठ नहीं सकते थे अथवा एक साथ खेल नहीं सकते थे। यहूदियों, शारीरिक रूप से अपंगों, जिप्सियों आदि अवांछनीय बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया और सन् 1940 ई. के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया।

(iii) **जीवन का विभाजन—** युवाओं के जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया। प्रत्येक चरण में उसे विभिन्न प्रशिक्षणों तथा शिक्षण कार्यक्रमों से गुजरना होता था।

(iv) **हिटलर यूथ का गठन—** नात्सियों के युवा संघ की स्थापना सन् 1922 ई. में हुई। चार वर्ष बाद इसे हिटलर यूथ नया नाम दिया गया। नात्सी नियन्त्रण के अधीन युवा आन्दोलन को संयुक्त करने के लिए अन्य सभी युवा संस्थाओं को भंग कर दिया गया तथा उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

(v) **नई शिक्षा नीति—** अपनी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए हिटलर ने एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकों को फिर से लिखा गया। नात्सी के नस्ली विचारों को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए नस्ल विज्ञान नामक विषय का प्रारम्भ कर दिया गया। बच्चों को वफादारी तथा विनम्रता, यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करने की शिक्षा दी।

5. **महिलाओं के प्रति हिटलर की नीति का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— महिलाओं के प्रति हिटलर की नीति निम्नलिखित थी—

(i) **पुरुषों की श्रेष्ठता—** नात्सी जर्मनी में बच्चों को अक्सर यह बताया जाता था कि महिलाएँ, पुरुषों से काफी भिन्न हैं। नात्सी, महिलाओं के लोकतान्त्रिक अधिकारों के विरुद्ध थे। लड़कों को सिखाया जाता था कि वे कठोर, आक्रामक तथा ताकतवर बनें। लड़कियों को बताया जाता था कि उन्हें अच्छी आर्य माताएँ

बनना है तथा ऐसी सन्तानें पैदा करनी हैं, जिनकी रगों में शुद्ध आर्यों का रक्त प्रवाहित हो। लड़कियों को नस्ल की शुद्धता बनाए रखनी है, यहूदियों से दूरी बनाए रखनी है, घर की देखभाल करनी है तथा अपने बच्चों को नात्सी सिद्धान्तों की शिक्षा देनी है। उन्हें आर्य संस्कृति तथा नस्ल का ध्वज वाहक बनना है।

(ii) **महिलाओं के लिए आचार संहिता—** सभी आर्य महिलाओं के लिए हिटलर के शासन में एक आचार संहिता थी। जो महिलाएँ निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करती थीं उनकी सार्वजनिक रूप से निन्दा की जाती थी और उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाता था। बहुत बड़ी संख्या में औरतों को गंजा करके, मुँह पर कालिख पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में तख्ती लटका दी जाती थी जिस पर लिखा होता था— 'मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है।' इस आपराधिक कृत्य के लिए अनेक महिलाओं को जेल की सजा के साथ-साथ उनके नागरिक अधिकार, उनके पति एवं उनके परिवार भी छीन लिए गए।

(iii) **पुरस्कार एवं दण्ड—** जो महिलाएँ नस्ली तौर पर अवांछित बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें दण्डित किया जाता था जो महिलाएँ नस्ली रूप से वांछित बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। अस्पतालों में उन्हें विशेष सुविधाएँ दी जाती थीं। दुकानों में उन्हें अधिक छूट मिलती, थियेटर एवं रेलगाड़ी के टिकट सस्ते मिलते थे। अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को पदक दिये जाते थे। चार बच्चे पैदा करने वाली माँ को काँसे का, छः बच्चे पैदा करने वाली माँ को चाँदी का एवं आठ या उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का पदक दिया जाता था। ❍❍

4 वन्य-समाज और उपनिवेशवाद

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **चर्चा करें कि औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आये परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया—**

- झूम खेती करने वालों को
- घुमंतू और चरवाहा समुदायों को
- लकड़ी और वन-उत्पादों का व्यापार करने वाली कम्पनियों को
- बागान मालिकों को
- शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को

उत्तर— औपनिवेशिक काल के वन प्रबन्धन में आये परिवर्तनों ने विभिन्न समूहों को निम्नलिखित प्रकार प्रभावित किया—

(i) **झूम खेती करने वालों पर प्रभाव—** औपनिवेशिक काल के वन प्रबन्धन की नीति में परिवर्तन का झूम खेती करने वालों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। खेती की इस पद्धति पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण उन्हें कोई दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ा तथा उनके स्वतन्त्र जीवनयापन की प्राचीन व्यवस्था चरमरा गई। विभिन्न क्षेत्रों में उनका शोषण होने लगा। साथ ही नई नीति ने एक तरह से उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया।

(ii) **घुमंतू और चरवाहा समुदायों पर प्रभाव—** वन प्रबन्धन की नई नीति के तहत घुमंतू और चरवाहा समुदायों को सुरक्षित वनों में अपनी गतिविधियाँ चलाने से रोक दिया गया। फलतः उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हुई। वनोत्पादों के व्यापार को रोके जाने से इन समुदायों के लिए आय के स्रोत बन्द हो गये तथा इनका जीवनयापन कठिन हो गया।

(iii) **लकड़ी और वन-उत्पादों का व्यापार करने वाली कम्पनियों पर प्रभाव—** वन प्रबन्धन की नीति के तहत इन कम्पनियों को लकड़ी एवं वनोत्पाद का व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। इस समूह के लोगों को इस नीति का सर्वाधिक लाभ पहुँचा। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने तथा सरकार के लिए विशाल मात्रा में वनों के दोहन एवं आदिवासियों के शोषण द्वारा धन एकत्र किया।

(iv) **बागान मालिकों पर प्रभाव—** वन प्रबन्धन की नई नीति से बागान मालिकों को अपने व्यवसाय से बहुत अधिक लाभ हुआ। अवनीकरण के पश्चात् चाय, कॉफी, रबर आदि के नये-नये बागानों का विकास किया गया। इन बागानों में भूमिहीन आदिवासियों से मुफ्त काम करवाया जाता था। चूँकि इन उत्पादों का निर्यात होता था अतः सरकार एवं कम्पनियों दोनों को बहुत अधिक लाभ हुआ।

(v) **शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों पर प्रभाव—** हालाँकि वन प्रबन्धन की नई नीति में जंगलों में शिकार करना प्रतिबन्धित कर दिया गया था किन्तु इसमें भेदभाव बरता गया। राजा-महाराजा एवं ब्रिटिश अधिकारी इन नियमों के निर्माण के बावजूद शिकार करते रहे। उनके साथ सरकार की मौन सहमति थी। चूँकि बड़े जंगली जानवरों को वे आदिम, असभ्य तथा बर्बर समुदाय का सूचक मानते थे अतः

भारत को सभ्य बनाने के नाम पर इन जानवरों का शिकार चलता रहा।

2. **बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएँ हैं?**

उत्तर— भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित बस्तर एक जिला है, जबकि जावा, इण्डोनेशिया देश में स्थित एक द्वीप है। भारत अंग्रेजों का एवं इण्डोनेशिया डचों का उपनिवेश रहा है। औपनिवेशिक काल में बस्तर तथा जावा दोनों में वन प्रबन्धन में निम्नलिखित समानताएँ थीं—

(i) रेलवे तथा जहाज निर्माण के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ों की कटाई की गई।

(ii) दोनों ही स्थानों पर शिकार को प्रतिबन्धित कर दिया गया।

(iii) घुमंतू तथा चरवाहे समुदायों को वनों में प्रवेश करने से रोका गया।

(iv) वनवासी समुदायों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया।

(v) वनोत्पाद से सम्बन्धित स्थानीय लोगों द्वारा किये जाने वाले व्यापार को रोका गया।

(vi) वन भूमि को ग्रामीण, सुरक्षित तथा संरक्षित वनों में वर्गीकरण कर दिया गया।

(vii) वनवासी समुदायों को जंगल में स्थित अपने घरों में रहने के लिए या तो किराया देने के लिए अथवा बेगारी के लिए मजबूर किया गया।

(viii) वनों की कटाई तथा बगीचों के विकास के लिए यूरोपीय फर्मों को लाइसेंस प्रदान किये गये।

(ix) दोनों ही स्थानों पर औपनिवेशिक वन प्रबन्धन का उद्देश्य सरकारी सत्ता को लाभ पहुँचाना तथा स्थानीय वनों में या आस-पास रहने वालों का शोषण करना था।

(x) इन नीतियों के निर्माण में दोनों ही स्थानों पर स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि यूरोपीय विशेषज्ञों ने इन नीतियों का अपने हितों के लिए निर्माण किया।

3. **1880 और 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आयी। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएँ—**

- रेलवे
- चाय/कॉफी बागान
- जहाज निर्माण
- व्यावसायिक खेती
- कृषि विस्तार
- आदिवासी और किसान

उत्तर— भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र की गिरावट में विभिन्न कारकों की भूमिका निम्नलिखित थी—

(i) **रेलवे—** औपनिवेशिक शासकों को रेलवे के विस्तार के लिए स्लीपरों की आवश्यकता थी जो कठोर लकड़ी के बनाए जाते थे। एक मील रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1,760 से लेकर 2,000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। सन् 1946 ई. तक लगभग 7,65,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें भारत के विभिन्न भागों में बिछाई गई हैं जिससे लाखों की संख्या में वृक्ष, रेलवे की भेंट चढ़ गए। रेल-इंजनों में भी लकड़ी का कोयला जलने से वनों को भारी क्षति हुई।

(ii) **जहाज निर्माण—** ब्रिटेन में 19वीं सदी की शुरुआत तक बलूत (ओक) के वन समाप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना हेतु बनाये जाने वाले जहाजों के लिए मजबूत लकड़ी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अत: भारत में मजबूत लकड़ी प्राप्त करने के लिए टीक (सागौन) और साल के वृक्ष लगाये जाने लगे। अन्य सभी प्रकार के वृक्षों को साफ कर दिया गया। भारत से बड़े पैमाने पर लकड़ी इंग्लैण्ड भेजी जाने लगी अत: भारतीय उप महाद्वीप के वनों से आच्छादित भू-भाग में तेजी से कमी आ गई।

(iii) **कृषि-विस्तार—** सन् 1600 ई. में भारत का लगभग 1/6 भू-भाग कृषि के अधीन था, परन्तु जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्नों की माँग बढ़ने लगी अत: किसान कृषि-क्षेत्र का विस्तार करने लगे। इसके लिए वनों को साफ करके नए खेत बनाए जाने लगे इसके अतिरिक्त खानाबदोशों और चरवाहों के क्रियाकलापों पर प्रतिबन्धों ने भी इन लोगों को कृषि अपनाने के लिए विवश किया। अत: सन् 1880–1920 ई. के मध्य कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 97 लाख हेक्टेयर का विस्तार हुआ अत: वन तीव्रता से समाप्त होने लगे।

(iv) **व्यावसायिक खेती—** व्यावसायिक खेती भी वन क्षेत्रों की कमी के लिए उत्तरदायी थी। किसानों ने कृषि के व्यवसायीकरण के पश्चात् बाजार में बेचने के लिए फसलों का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया जिससे उन्हें अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त हो सके। देश के विस्तृत वन क्षेत्रों से वनों को साफ किया गया और वहाँ चाय एवं कॉफी की खेती की गई।

(v) **चाय-कॉफी के बागान—** यूरोप में चाय-कॉफी की बहुत अधिक माँग थी। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर नियन्त्रण स्थापित करके बड़ी सस्ती दरों पर यूरोपीय लोगों को बड़े क्षेत्र दे दिए। इन क्षेत्रों से वनों को साफ किया गया तथा चाय एवं कॉफी के बागान स्थापित कर दिए गए।

(vi) **आदिवासी और किसान—** आदिवासी एवं स्थानीय किसान भी वन क्षेत्रों में कमी के लिए उत्तरदायी हैं। व्यावसायिक कृषि के लिए वनों को साफ किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईंधन के लिए पेड़ों को काटा जिससे वनों का अत्यधिक विनाश हुआ।

4. **युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं?**

उत्तर— युद्धों से जंगल (वन) प्रभावित होते हैं क्योंकि—

(i) विरोधी सेना सबसे पहले भोजन संसाधन और छिपने की जगहों को नष्ट करना चाहती है। इन दोनों की आपूर्ति में वन काफी सहायक होते हैं।

(ii) थल सेना एवं वायु सेना की दृश्यता स्पष्ट करने के लिए भी जंगलों को जला दिया जाता है, क्योंकि वे एक अवरोध के रूप में काम करते हैं।

(iii) युद्धरत सेना को तुरन्त रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए वनों को काटकर रास्ता सुगम किया जाता है।

(iv) युद्ध के समय विभिन्न सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारों एवं आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती हैं जिससे ये संसाधन शत्रु के हाथ न लग पाएँ।

(v) आधुनिक समय में आक्रमण से बचने के लिए सेनाएँ तथा युद्ध सामग्री को घने वनों में छिपा देती हैं ताकि उन पर कोई हमला न कर सके। शत्रु विरोधी सैनिकों एवं उनकी युद्ध सामग्री पर कब्जा करने के लिए वनों को निशाना बनाते हैं।

(vi) युद्ध में व्यस्त हो जाने पर बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है और परिणामस्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **वन विनाश के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।**

उत्तर— वन विनाश के मुख्य कारणों में कृषि विस्तार, अवैध कटाई, शहरीकरण, खनन, जंगल की आग और अत्यधिक चराई शामिल हैं, जो वनों को भूमि, लकड़ी या बुनियादी ढाँचे के लिए साफ करते हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और जैव विविधता को खतरा होता है।

वन विनाश के प्रमुख कारण—

(i) **कृषि विस्तार—** खाद्य पदार्थों (जैसे-सोया, ताड़ का तेल) और पशुपालन के लिए बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके खेती की जाती है। (ii) **अवैध कटाई—** लकड़ी की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए वनों की गैर कानूनी कटाई करना, जिससे वन क्षेत्र घटता है। (iii) **शहरीकरण और औद्योगिकीकरण—** शहरों, सड़कों, इमारतों और उद्योगों के विस्तार के लिए वनभूमि का उपयोग किया जाता है। (iv) **खनन—** खनिज निकालने के लिए वनों को हटाया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। (v) **जंगल की आग—** प्राकृतिक या मानव निर्मित आग से वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है, जिससे वनस्पति और वन्यजीव प्रभावित होते हैं। (vi) **अत्यधिक चराई—** पशुओं द्वारा वनों और चारागाहों की अत्यधिक चराई वनस्पति को नुकसान पहुँचाती है और भू-क्षरण करती है। (vii) **जलवायु परिवर्तन—** सूखे और चरम मौसमी घटनाओं से वनों को नुकसान पहुँचता है और वे कमजोर पड़ जाते हैं। (viii) **बहुउद्देशीय परियोजनाएँ—** बाँधों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है। (ix) **कीट और रोग—** पेड़ों में लगने वाले कीट और बीमारियाँ भी वन विनाश का कारण बनती हैं।

इन सभी कारणों से वनस्पति और जीव-जन्तुओं का आवास छिन जाता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।

2. **विश्व युद्ध का वनों पर क्या प्रभाव पड़ा?**

उत्तर— विश्व युद्धों (प्रथम और द्वितीय) ने वनों पर विनाशकारी प्रभाव डाला, क्योंकि ब्रिटिश युद्ध जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई, जिससे वन विभाग की कार्य योजनाएँ बाधित हुईं, जापानियों ने अपने उद्योगों के लिए जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया और 'डचों ने' जली हुई धरती की नीति अपनाई, जिससे आरा मशीनें और लकड़ी के ढेर जला दिए गए, साथ ही, वनों में आग लगने, बमबारी और लोगों द्वारा खेती के विस्तार के लिए वनों की कटाई से वनों का भारी नुकसान हुआ, जिससे भू-क्षरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़े।

प्रभावों का विस्तृत विवरण—

(i) **बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई—** ब्रिटिश युद्ध की जरूरतों (जहाज निर्माण, रेलमार्ग आदि) को पूरा करने के लिए भारत सहित कई देशों में पेड़ों की कटाई की गई। जापानियों ने अपने युद्ध उद्योगों के लिए वनों का निर्मम दोहन किया।

(ii) **'जली हुई धरती' की नीति—** जापानियों के कब्जे से पहले, डचों ने आरा मिलों और सागौन के लट्ठों के ढेर जला दिए ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगें, जिससे भारी नुकसान हुआ।

(iii) **सैन्य गतिविधियों से विनाश—** विस्फोट, भारी तोपखाने और बमबारी से जंगल जल गए और नष्ट हो गए। वियतनाम युद्ध में 'एजेंट ऑरेंज' जैसे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जंगल साफ कर दिए गए।

(iv) **कृषि भूमि का विस्तार और वनभूमि पर अतिक्रमण—** कई ग्रामीणों ने युद्ध के दौरान अवसर का लाभ उठाकर वनभूमि पर खेती का विस्तार किया। इससे वन विभाग के लिए भूमि पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो गया। यूरोप के जंगल विविध पारिस्थितिक तंत्रों से एकल-प्रजाति के वनों में बदल गए और मिट्टी भारी धातुओं से दूषित हो गई। वनों की कटाई से वर्षा चक्र बाधित हुआ और जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों में वृद्धि हुई।

(v) **सामुदायिक विस्थापन और संसाधनों पर दबाव**—युद्धों के कारण विस्थापित हुए लोगों ने आश्रय और ईंधन के लिए आसपास के जंगलों को काटा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव पड़ा।

संक्षेप में, विश्व युद्धों ने प्रत्यक्ष कटाई, सैन्य विनाश, 'जली हुई धरती' की नीति और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि विस्तार के माध्यम से वनों को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाई, जिससे पर्यावरण पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़े।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. **वनोन्मूलन के प्रमुख कारणों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।**

उत्तर— वनोन्मूलन (वनों की कटाई) का अर्थ है कृषि, शहरीकरण, औद्योगिक विकास और ईंधन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट करना। प्रमुख कारणों में बढ़ती जनसंख्या हेतु भूमि की माँग, अवैध कटाई, खनन, दावानल और बुनियादी ढाँचे (सड़क, बाँध) का विकास शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और मृदा अपरदन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

वनोन्मूलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(1) **कृषि विस्तार**— बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटकर खेती के लिए भूमि बनाई जा रही है, जो वनोन्मूलन का सबसे बड़ा कारण है। इसमें पारंपरिक खेती और नकदी फसलों (जैसे-पाम ऑयल) के लिए वनों का सफाया शामिल है।

(2) **औद्योगिकीकरण और शहरीकरण**— शहरों के विस्तार, नई बस्तियों, आवास निर्माण और कारखानों की स्थापना के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है।

(3) **खनन गतिविधियाँ**— खनिजों की खोज और उत्खनन के लिए वनों को भारी मात्रा में हटाया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं।

(4) **इमारती लकड़ी और ईंधन की माँग**— फर्नीचर, निर्माण सामग्री और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी की भारी माँग के कारण वनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है।

(5) **बुनियादी ढाँचे का विकास**— सड़क निर्माण, बाँध परियोजनाओं और परिवहन सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है।

(6) **प्राकृतिक कारण और दावानल**— दावानल (जंगल की आग), बाढ़ और लंबे समय तक सूखा वनों के विनाश का कारण बनते हैं।

(7) **अतिचारण**— वनों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वन सम्पदा नष्ट होती है और मृदा भी उखड़ जाती है।

वनोन्मूलन के गंभीर परिणाम—

(1) **जलवायु परिवर्तन**— कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

(2) **पर्यावरण असंतुलन**— वर्षा में कमी, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

(3) **जैव विविधता ह्रास**— वन में रहने वाले पशु-पक्षियों के आवास नष्ट हो जाते हैं या उनका विस्थापन होता है।

(4) **मरुस्थलीकरण**— उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है।

2. **'वन राष्ट्र की सम्पदा हैं' कैसे? समझाइए।**

उत्तर— वन राष्ट्र की अमूल्य प्राकृतिक संपदा 'राष्ट्रीय निधि' हैं क्योंकि ये पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता, आर्थिक विकास और जीवन रक्षक संसाधनों का प्रमुख स्रोत हैं। वन न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वर्षा लाने, मृदा अपरदन रोकने और औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल प्रदान कर देश की समृद्धि में सीधे योगदान देते हैं।

वन राष्ट्र की संपत्ति कैसे हैं? इसके कारण निम्नलिखित हैं—

(1) **पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण सुरक्षा**— वन हानिकारक कार्बन डाई-ऑक्साइड को सोखकर 'ऑक्सीजन' छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल शुद्ध रहता है। ये वर्षा के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं और देश के कुल मीठे पानी के 75 प्रतिशत से अधिक स्रोत का प्रबंधन करते हैं।

(2) **आर्थिक और औद्योगिक महत्व**— वन उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे-लकड़ी (इमारती और जलावन), कागज, लाख, गोंद और रेजिन प्रदान करते हैं। यह देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं।

(3) **जैव विविधता संरक्षण**— भारत में पौधों की 46,000 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें कई दुर्लभ और औषधीय हैं। वन वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास हैं, जो इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं।

(4) **मृदा और जल संरक्षण**— वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति में मिट्टी का कटाव (मृदा अपरदन) रुकता है और भूमि उर्वरता बनी रहती है।

(5) **आजीविका का साधन**— वनों से जनजातीय समुदायों और स्थानीय लोगों को भोजन, फल, जड़ी-बूटियाँ और रोजगार मिलता है, जो सीधे राष्ट्र के ग्रामीण विकास से जुड़ा है।

निष्कर्ष— वन न केवल हमारी विरासत हैं, बल्कि जीवन और विकास के लिए अपरिहार्य हैं। वनों का ह्रास पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा है, इसलिए इनका संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

3. वन नियमों ने स्थानांतरित कृषि को कैसे प्रभावित किया है?

उत्तर— औपनिवेशिक वन नियमों ने स्थानांतरित (झूम) खेती को बुरी तरह प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि अंग्रेज इसे वनों के लिए हानिकारक और राजस्व में बाधक मानते थे। इसके परिणामस्वरूप, वनवासियों को अपनी पारंपरिक खेती छोड़ने, विस्थापित होने या वन ग्रामों में बसकर स्थायी खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी आजीविका संकट में पड़ गई।

(1) **प्रतिबंध और दमन—** औपनिवेशिक सरकार ने झूम खेती को 'अवैज्ञानिक' बताकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वनवासियों की सदियों पुरानी कृषि पद्धति रुक गई।

(2) **आजीविका संकट—** जंगल में घूमने और खेती करने की स्वतंत्रता छिनने के कारण, बहुत से किसानों को अपनी पारंपरिक आजीविका छोड़कर वन विभाग के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने या नए क्षेत्रों में पलायन करने मजबूर होना पड़ा।

(3) **स्थायी खेती के लिए दबाव—** सरकार ने वनवासियों को जंगलों से दूर बसाने का प्रयास किया ताकि वे एक जगह स्थिर होकर खेती करें, जिससे राजस्व वसूलना आसान हो।

(4) **उत्पीड़न—** वन नियमों के लागू होने के बाद, वन विभाग और वन रक्षकों ने ग्रामीणों को डराना-धमकाना और उनसे मुफ्त भोजन, रिश्वत की माँग करना शुरू कर दिया, जो उनकी दैनिक जिंदगी को प्रभावित करता था। इस प्रकार, वन नियमों ने वनवासियों की आत्मनिर्भरता को खत्म कर उन्हें औपनिवेशिक शासन पर निर्भर बना दिया।

4. बस्तर के लोगों की बगावत के कारणों, कार्य प्रणाली, दमन व परिणामों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बस्तर के लोगों की बगावत की व्याख्या निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत की जा सकती है—

1. **बगावत के कारण—** (i) सन् 1905 ई. में, ब्रिटिश सरकार ने वनों का दो-तिहाई आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा।
(ii) स्थानान्तरित कृषि पर प्रतिबन्ध लगाया।
(iii) शिकार करने तथा वन उत्पादों को एकत्र करने पर प्रतिबन्ध लगाया। इन समस्त कदमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए स्थानीय लोगों को मजबूर किया।

2. **बगावत की कार्य-प्रणाली—** (i) लोगों ने अपनी ग्राम पंचायतों, बाजारों तथा त्योहारों के मौके पर इन सब विषयों पर चर्चा करनी आरम्भ कर दी। कांगेर वन के धुरवा समुदाय द्वारा इस सम्बन्ध में पहल की गई, जहाँ सबसे पहले आरक्षण लागू हुआ। इस विद्रोह का मुख्य नेता नेथानार गाँव का गुंडा धूर था।
(ii) सन् 1910 ई. में गाँवों में आम की शाखाओं, मिट्टी के ढेले, मिर्चों तथा तीरों को घुमाना आरम्भ हुआ वास्तव में, ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बगावत करने के लिए, ग्रामीणों को आमन्त्रित करने के संदेश थे। प्रत्येक गाँव ने बगावत के खर्चों के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया।
(iii) बाजारों को लूटा गया, अधिकारियों तथा व्यापारियों के घरों, स्कूलों तथा पुलिस स्टेशनों को लूटा एवं जलाया गया और अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर आक्रमण किया गया, उनमें से अधिकतर औपनिवेशिक शासन तथा दमन के कानूनों से सम्बन्ध रखते थे।

3. **विद्रोह का दमन—** ब्रिटिश सरकार ने बगावत को दबाने के लिए सेना भेजी। आदिवासी नेताओं ने समझौता करने का प्रयास किया, परन्तु अंग्रेजों ने उनके शिविरों को घेरकर उन पर गोली चलाई। इसके बाद उन्होंने गाँव की ओर मार्च किया तथा बगावत में भाग लेने वालों को सजा दी। अधिकतर गाँव खाली हो गए क्योंकि लोग जंगलों में भाग गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियन्त्रण पाने में तीन महीने लग गए, परन्तु वे गुंडा धूर को कभी पकड़ न पाए।

4. **बगावत के परिणाम—** बागियों की बहुत बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण पर कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया तथा आरक्षित क्षेत्र को भी सन् 1910 ई. से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया।

5. सरकार द्वारा वन संरक्षण हेतु किये जा रहे नवीन प्रयासों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— भारत सरकार वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई नवीन प्रयास कर रही है। प्रमुख प्रयासों में हरित भारत मिशन, MISHTHI योजना के तहत मैंग्रोव पुनर्वास, वन्यजीव गलियारों का सुदृढ़ीकरण तथा संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से जन भागीदारी शामिल है। इसका लक्ष्य कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत वन आवरण प्राप्त करना है।

सरकार द्वारा किए जा रहे नवीन और प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(1) **हरित भारत मिशन—** इस मिशन के तहत लाखों हेक्टेयर वन भूमि का पुनर्स्थापन किया जा रहा है और शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण बढ़ाया जा रहा है।

(2) **मिश्ती (MISHTHI) योजना—** तटीय भूमि पर मैंग्रोव (सुंदरी वन) के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए यह विशेष पहल की गई है।

(3) **वन्यजीव गलियारे—** काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग और राजाजी-कार्बेट जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों को मजबूत किया जा रहा है ताकि जैव विविधता बनी रहे।

(4) **तकनीकी और सामुदायिक सहयोग—** 'संयुक्त वन प्रबंधन' के तहत स्थानीय समुदायों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही, वन अग्निशमन और अवैध कटाई रोकने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

(5) **राष्ट्रीय वन नीति और कानून—** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनों के गैर-वन उपयोग को सख्ती से नियंत्रित किया गया है।

(6) **कार्बन सिंक में वृद्धि—** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वनों के माध्यम से कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये प्रयास न केवल जैव विविधता की रक्षा करते हैं, बल्कि सतत् विकास को भी बढ़ावा देते हैं।

OO

5 आधुनिक विश्व में चरवाहे

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार-बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ हैं?**

उत्तर— सूखे से चरवाही समूहों का जीवन प्राय: प्रभावित होता है। जब वर्षा नहीं होती है, चरागाह सूख जाते हैं तो पशुओं के लिए भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। यही कारण है कि घुमंतू जनजातियों को, जो चरवाही से अपनी जीविका प्राप्त करते हैं पशुओं के लिए चरागाहों एवं पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहने की आवश्यकता पड़ती है। घुमंतू समुदायों को कई बार अपने पशुओं को कठोर जलवायु से बचाने के लिए भी स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। इस घुमंतू जीवन के कारण उन्हें जीवित रहने तथा संकट से बचने का अवसर प्राप्त होता है।

घुमंतू समुदायों के निरन्तर आवागमन से पर्यावरण को लाभ—(i) घुमंतू समुदायों की निरन्तर गतिशीलता के कारण प्राकृतिक वनस्पति को फिर से वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होता है। फलस्वरूप, वनस्पति संरक्षण के कारण पर्यावरण सन्तुलन बना रहता है।

(ii) उनके मवेशियों को हरा-भरा नया चारा प्राप्त होता है।

(iii) घुमंतू समुदायों के लगातार स्थान-परिवर्तन से भूमि की उर्वरा-शक्ति बनी रहती है क्योंकि उनके पशु जिन खेतों में चरते हैं, उन खेतों को उनसे गोबर के रूप में खाद भी मिलती है।

(iv) घुमंतू समुदायों के लगातार स्थान-परिवर्तन से क्षेत्र विशेष का अधिक दोहन नहीं होता है।

2. **चर्चा करें कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए? यह भी, बताएँ कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा—**

- परती भूमि नियमावली
- वन अधिनियम
- आपराधिक जनजाति अधिनियम
- चराई कर

उत्तर—(क) परती भूमि नियमावली—औपनिवेशिक सरकार चरागाह भूमि क्षेत्र को 'बेकार' भूमि मानती थी। उनके अनुसार चरागाह भूमि से न तो लगान मिलता था और न ही उत्पादन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक सरकार ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में 'परती भूमि के विकास' के लिए नियम बनाए। इस नियम के द्वारा बहुत-सी चरागाह भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया गया। औपनिवेशिक सरकार ने ऐसी भूमियों को गाँव के मुखियाओं को सौंप दिया जिससे वे उनमें खेती का कार्य करायें जिसके परिणामस्वरूप चरागाह क्षेत्र कम हो गए और चरवाहों के लिए अपने पशुओं को चराने की समस्या उत्पन्न हो गई।

(ख) वन अधिनियम—औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1878 ई. में वन अधिनियम लागू किया गया। इसके द्वारा सरकार ने ऐसे कई जंगलों को 'आरक्षित' वन घोषित कर दिया जहाँ देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। चरवाहे इन वनों का प्रयोग अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं कर सकते थे। उनकी किसी भी गतिविधि के लिए इन वनों में पाबन्दी लगा दी गयी। जिन वनों में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति थी, उन वनों में भी उनकी गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा जाता था। उन्हें उन वनों में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी तथा वह जंगल में बहुत ही कम दिन बिता सकते थे। यदि वे निश्चित दिनों से अधिक समय तक वन में रहते थे, तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। इस प्रकार इन वन अधिनियमों ने चरवाहों के लिए आजीविका की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई उत्पन्न कर दी। अब उन्हें अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी।

(ग) अपराधी जनजाति अधिनियम— औपनिवेशिक सरकार घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखती थी। औपनिवेशिक शासकों का मानना था कि जो लोग गाँव-गाँव

जाकर वस्तुएँ बेचते हैं तथा वे चरवाहे जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, वे अपराधी हैं। इसलिए 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने 'अपराधी जनजाति अधिनियम' पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों एवं चरवाहों के अनेक समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रखा गया। उन्हें कुदरती एवं जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। इस कानून के द्वारा ऐसे सभी समुदायों (दस्तकारों, व्यापारियों एवं चरवाहों) को एक निश्चित गाँव में ही रहना पड़ता था। वे बिना अनुमति पत्र (परमिट) के अपना स्थान नहीं बदल सकते थे। ग्रामीण पुलिस उन पर लगातार निगरानी रखती थी।

(घ) चराई कर—औपनिवेशिक सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में देश के अधिकांश चरवाही क्षेत्रों में 'चराई कर' लागू कर दिया, यह कर प्रति पशु पर लिया जाता था। प्रति पशु कर की दर तेजी से बढ़ती चली गई एवं कर वसूली की व्यवस्था दिन-प्रतिदिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के मध्य कर वसूली का काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता था परन्तु बाद में सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। प्रत्येक चरवाहे को एक 'पास' जारी किया जाता था। किसी भी चरागाह में प्रवेश करने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले कर जमा कराना पड़ता था। इस प्रकार चरवाहों का शोषण होने लगा जिससे बाध्य होकर उन्हें अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी। परिणामस्वरूप, चरवाहों को अपनी आजीविका की पूर्ति करना मुश्किल हो गया।

3. **मासाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छिन गए? कारण बताएँ।**

उत्तर— मासाई समुदाय को निम्नलिखित कारणों से अपने चरागाह छोड़ने पड़े—

(1) **साम्राज्यवादी प्रसार**—औपनिवेशिक काल से पहले मासाई समुदाय के पास उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के स्टेपीज तक का क्षेत्र था, परन्तु साम्राज्यवादी प्रसार के कारण सन् 1885 में मासाईलैंड को ब्रिटिश कीनिया एवं जर्मन तंजानिया के बीच विभाजित कर दिया गया। इसके बाद श्वेत बस्तियों ने उत्तम चरागाह भूमि पर अधिकार कर लिया और मासाइयों को दक्षिण कीनिया एवं उत्तरी तंजानिया के छोटे क्षेत्रों की ओर खदेड़ दिया गया। इस प्रकार मासाइयों की लगभग 60 प्रतिशत भूमि ले ली गई। वे एक शुष्क प्रदेश तक ही सीमित रह गए, जहाँ निम्न श्रेणी के घटिया चरागाह थे।

(2) **कृषि का विस्तार—** 19वीं शताब्दी के अन्त में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने पूर्वी अफ्रीका के स्थानीय किसानों को खेती का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही कृषि आरम्भ हुई, चरागाह कृषि भूमि में बदलते गए। मासाई लोगों के चरागाहों पर स्थानीय किसानों ने अपना अधिकार कर लिया और वे असहाय हो गए।

(3) **शिकार हेतु आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना—** चरागाहों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र शिकार के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इनमें कीनिया के मासाई मारा, साम्बुरू नेशनल पार्क एवं तंजानिया का सेरेंगेटी पार्क प्रमुख थे। मासाई लोग इन पार्कों में न तो पशु चरा सकते थे और न ही शिकार कर सकते थे। परिणामस्वरूप, चराई क्षेत्रों के छिन जाने से पशुओं के लिए चारा जुटाने की समस्या गम्भीर हो गई।

(4) **चरागाहों की गुणवत्ता में कमी—** मासाई लोगों को आरक्षित वनों में घुसने की मनाही कर दी गई। अब ऐसे आरक्षित चरागाहों से मासाई न लकड़ी काट सकते थे और न ही अपने पशुओं को चरा सकते थे। अत: मासाई लोगों के पास छोटा क्षेत्र होने से उसमें निरन्तर चराई से चरागाह की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

4. **आधुनिक दुनिया ने भारत और पूर्वी अफ्रीका के चरवाहों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएँ हैं। भारतीय चरवाहों और मासाई चरवाहों के लिए समान बदलावों के किन्हीं दो उदाहरणों के बारे में लिखिए।**

उत्तर— भारतीय चरवाहों और मासाई गडरियों, दोनों में निम्नलिखित दो परिवर्तन समान रूप से मौजूद थे—

1. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की विभिन्न नीतियों ने भारतीय चरवाहों तथा मासाई गडरियों दोनों को अपने-अपने चरागाहों से बेदखल कर दिया। फलस्वरूप मासाई तथा भारतीय चरवाहों की चरागाह भूमि निरन्तर कम होती गई।
2. दोनों ही देशों में सरकारों ने विभिन्न वन अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों के द्वारा कुछ वन क्षेत्रों में चरवाहों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और कुछ में उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **खानाबदोश चरवाहे क्या हैं?**

उत्तर— खानाबदोश चरवाहे— वे पशुपालक समुदाय हैं, जो चारे और पानी की तलाश में मौसमी बदलावों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनका कोई स्थायी घर नहीं होता है, ये भेड़, बकरी, ऊँट या मवेशियों के साथ यात्रा करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर अपनी आजीविका चलाते हैं।

खानाबदोश चरवाहों की मुख्य विशेषताएँ— (i) **घुमंतू जीवन-शैली—** ये लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं बसते, बल्कि चरागाहों की उपलब्धता के आधार पर बदलते मौसम में प्रवास करते हैं।

(ii) **आजीविका के साधन—** ये अपने पशुओं (भेड़, बकरी, ऊँट) से दूध, माँस, ऊन, खाल आदि प्राप्त करते हैं और इन्हें बेचकर गुजर-बसर करते हैं।

(iii) **भारत के प्रमुख समुदाय—** भारत में राइका राजस्थान, धनगर (महाराष्ट्र), बकरवाल और गद्दी (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश) प्रमुख खानाबदोश चरवाहे हैं।

(iv) **पर्यावरण से तालमेल—** ये चरवाहे पर्यावरण के अनुसार चलते हैं, जिससे प्राकृतिक वनस्पति का सीमित उपयोग होता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।

(v) **औपनिवेशिक प्रभाव—** ब्रिटिश काल में चरागाह कम होने और मवेशी टैक्स लगाए जाने से इनके जीवन पर गहरा असर पड़ा, जिससे इन्हें रेवड़ (पशुओं का झुण्ड) छोटा करने पर मजबूर होना पड़ा।

संक्षेप में, ये कबीले प्राचीन काल से ही चरागाहों की तलाश में लगातार सक्रिय रहे हैं, जो आज भी अपने अनूठे जीवन जीने के तरीके के साथ अस्तित्व में हैं।

3. **गद्दी चरवाहों का विवरण लिखिए।**

उत्तर— गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घुमंतू भेड़-बकरी पालक हैं, जो मौसमी प्रवास के लिए जाने जाते हैं। ये सर्दियों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में और गर्मियों में लाहौल-स्पीति के ऊँचे घास के मैदानों में निवास करते हैं। यह समुदाय मुख्य रूप से ऊन, दूध और माँस उत्पादन पर निर्भर है।

गद्दी चरवाहों का विवरण— (i) **निवास और प्रवास—** गद्दी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा और भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं, जो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत शृंखलाओं के बीच रहते हैं। (ii) **मौसमी चक्र—सर्दियों में—** वे ठंड से बचने के लिए शिवालिक पहाड़ियों के निचले इलाकों (कांगड़ा, चंबा) में उतर आते हैं, जहाँ भेड़ें झाड़ियों को चरती हैं। **गर्मियों में—** अप्रैल में बर्फ पिघलते ही, वे उत्तर की ओर बढ़कर लाहौल और स्पीति के ऊँचे चरागाहों में चलते जाते हैं, जहाँ पशुओं को ताजी घास मिलती है। (iii) **आजीविका और अर्थव्यवस्था—** ये भेड़-बकरियों के झुंड पालते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय ऊन, भेड़-बकरी का माँस और दूध-घी बेचना है। (iv) **कृषि और जीवन-शैली—** गद्दी लोग कृषि भी करते हैं। प्रवास के दौरान, वे फसलों की कटाई और बुवाई के लिए निश्चित स्थानों पर रुकते हैं। (v) **सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू—** गद्दी समाज शिव का अनन्य भक्त है और पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतों व नृत्यों का पालन करता है। (vi) **औपनिवेशिक प्रभाव—** औपनिवेशिक काल में वन कानूनों ने इनके चरने के क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इनकी जीवनशैली और आजीविका प्रभावित हुई। गद्दी समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान के बल पर कठिन पहाड़ी रास्तों और मौसम के साथ सामंजस्य बैठाकर सदियों से जीविकोपार्जन कर रहा है।

4. **भोटिया, शेरपा के विचरण क्षेत्र का वर्णन करें।**

उत्तर— भोटिया और शेरपा मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र के खानाबदोश व अर्ध-खानाबदोश चरवाहे हैं। भोटिया भारत (उत्तराखण्ड, तिब्बत सीमा) और शेरपा नेपाल के ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाहों की तलाश में मौसमी प्रवास (बुग्याल) करते हैं।

भोटिया और शेरपा का विचरण क्षेत्र (हिमालयी क्षेत्र)

1. **भोटिया—** ये मुख्य रूप से भारत में उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों (पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी) और तिब्बत से सटी सीमा पर निवास करते हैं। ये गर्मी में ऊँचे पहाड़ी चरागाहों (बुग्यालों) की ओर जाते हैं और सर्दियों में नीचे की घाटियों में लौट आते हैं। ये ऐतिहासिक रूप से तिब्बत और भारत के बीच नमक, ऊन और अनाज के व्यापारी रहे हैं।

2. **शेरपा—** ये मुख्य रूप से नेपाल के उत्तर-पूर्वी उच्च हिमालयी सोलु-खुंबू क्षेत्र में रहते हैं। शेरपा तिब्बती मूल के पर्वतीय लोग हैं जो नेपाल के अलावा सिक्किम (भारत) और तिब्बत के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पशुपालन (विशेषकर याक) और खेती के लिए विचरण करते हैं। ये अपनी उच्च शारीरिक सहनशक्ति के लिए जाने जाते हैं और पर्वतारोहण (माउंट एवरेस्ट क्षेत्र) में मार्गदर्शक (गाइड) के रूप में काम करते हैं। ये दोनों ही समुदाय चरागाहों के लिए मौसमी प्रवास करते हैं, जो हिमालय के ऊपरी घास के मैदान में स्थित हैं। भोटिया और शेरपा दोनों की संस्कृति तिब्बती संस्कृति से काफी हद तक प्रभावित है।

9. **आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 क्या था?**

उत्तर— 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था, जिसने कई खानाबदोश समुदायों, शिल्पकारों और व्यापारियों को 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया था। इस अधिनियम ने उन समुदायों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें निश्चित स्थानों पर बसने के लिए मजबूर किया और पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा।

अधिनियम 1871 के मुख्य बिंदु— (i) **उद्देश्य—** ब्रिटिश शासक खानाबदोशों और जनजातियों की जीवन-शैली को संदेह की नजर से देखते थे और नियंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने अहीर, गुर्जर, चमार, पासी जैसे समूहों को जन्मजात अपराधी मानकर उन पर अत्याचार किए। (ii) **अधिनियम के प्रावधान—** प्रभावित समुदायों को पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी देनी

पड़ती थी। वे बिना अनुमति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। उन्हें गाँव और बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया गया। (iii) **सामाजिक और आर्थिक प्रभाव—** इस कानून ने लाखों लोगों को जीविका के साधनों से वंचित कर दिया, उन्हें 'अपराधी' का सामाजिक कलंक दिया और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। (iv) **अंत—** इस अधिनियम को 1949 में निरस्त किया गया और 1952 में इन जनजातियों को विमुक्त किया गया। यह कानून औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय समाज के पारंपरिक खानाबदोश और आदिवासी समुदायों पर नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें मुख्यधारा से अलग करने की एक दमनकारी नीति थी।

10. **चरवाहों पर औपनिवेशिक नियमों का क्या प्रभाव पड़ा है?**

उत्तर— औपनिवेशिक शासन ने भारत में चरवाहों के जीवन को नकारात्मक रूप से बदल कर रख दिया। ब्रिटिश नीतियों (जैसे-वन कानून, चराई कर, अपराधी जनजाति अधिनियम) के कारण उनके चरागाह सिमट गए, आवाजाही पर प्रतिबंध लग गए, करों का बोझ बढ़ गया और उनकी पारंपरिक आजीविका (जैसे-ऊन, दूध का व्यापार) गंभीर रूप से प्रभावित हुई।

चरवाहों पर औपनिवेशिक नियमों के प्रमुख प्रभाव— (i) **चरागाहों में कमी—** अंग्रेज सरकार ने 'परती भूमि' को खेतों में बदलने की नीति अपनाई, जिससे चरवाहों के चरागाह सिमट गए। (ii) **वन अधिनियम—** वनों को आरक्षित और संरक्षित घोषित कर दिया गया, जिससे चरवाहों का अपनी ही जमीन पर प्रवेश प्रतिबंधित हो गया। वे अब वनों से लकड़ी या चरागाह का उपयोग नहीं कर सकते थे। (iii) **कराधान में वृद्धि—** औपनिवेशिक सरकार ने आय बढ़ाने के लिए चराई कर लगाया। प्रति पशु कर देना अनिवार्य हो गया। (iv) **आवाजाही पर रोक—** 1871 का अपराधी जनजाति अधिनियम लगाकर कई चरवाहा समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी आजादी खत्म हो गई और उन्हें निश्चित स्थानों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। (v) **व्यापार में गिरावट—** चरागाह कम होने और प्रतिबंधों के कारण उनके पशुधन की गुणवत्ता गिरी और उनका व्यापार (ऊन, दूध, खाल) काफी कम हो गया। इन प्रतिबंधों के कारण चरवाहों को अपने रेवड़ छोटे करने पड़े, खेती शुरू करनी पड़ी या शहरों में मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा।

11. **मासाई समुदाय की जीवनी का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— मासाई समुदाय पूर्वी अफ्रीका (मुख्यत: दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया) का प्रमुख अर्ध-खानाबदोश और पशुपालक समुदाय है। वे अपनी विशिष्ट संस्कृति और मवेशियों पर आधारित जीवन-शैली के लिए जाने जाते हैं। औपनिवेशिक काल में इन्होंने अपनी अधिकांश भूमि खो दी।

मासाई समुदाय की जीवनी के मुख्य बिन्दु— (i) **निवास और जीवन शैली—** मासाई लोग मुख्य रूप से सवाना घास के मैदानों में रहते हैं, जहाँ वे मवेशी, भेड़ और बकरियाँ चराते हैं। वे पशुओं को ईश्वर का उपहार मानते हैं, और मवेशी ही उनकी संपत्ति व धन हैं। (ii) **सामाजिक संरचना—** मासाई समाज दो मुख्य श्रेणियों में बँटा होता है— बुजुर्ग (जो शासन चलाते हैं) और योद्धा (जो कबीले की रक्षा करते हैं और छापे मारते हैं।) (iii) **औपनिवेशिक प्रभाव (19वीं शताब्दी)—** ब्रिटिश और जर्मन उपनिवेशवादियों ने मासाई भूमि को दो भागों में बाँट दिया। सबसे अच्छी चरागाह भूमि को गोरों के लिए ले लिया गया और मासाई समुदाय को शुष्क क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया। (iv) **भूमि और चरागाहों की कमी—** चरागाहों को वन्यजीव अभ्यारण्यों में बदलने के कारण उनकी चरागाह भूमि सिकुड़ गई। (v) **आजीविका और बदलाव—** लगातार सूखे और औपनिवेशिक नीतियों के कारण इनकी जीवन शैली पर गहरा असर पड़ा है। वे अब पारंपरिक चरागाहों से कम जगहों में जीवन जीने और कृषि की ओर बढ़ने के लिए मजबूर हुए हैं। मासाई समुदाय का इतिहास औपनिवेशिक शोषण और अपनी परंपराओं को बचाने के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कहानी है।

12. **प्राकृतिक आपदाएँ पशुचारकों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? समझाइए।**

उत्तर— प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे— सूखा, बाढ़ और चक्रवात पशुचारकों के जीवन को अत्यंत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। सूखा चारे और पानी की कमी पैदा करता है, जिससे पशु मरने लगते हैं, और मजबूरन पलायन होता है। बाढ़ से पशुधन की क्षति और त्वचा-खुर के संक्रमण होते हैं। यह आय का एकमात्र स्रोत नष्ट कर, पशुपालकों को आर्थिक रूप से पंगु बना देता है।

प्राकृतिक आपदाओं का पशुचारकों पर प्रभाव— 1. **चारा और जल का अभाव (सूखा, अकाल)—** सूखा पड़ने पर चरागाह सूख जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, जिससे पशु भूख और प्यास से मरने लगते हैं, जो पशुचारकों की संपत्ति का बड़ा नुकसान है। 2. **पशुधन की मृत्यु और बीमारी (बाढ़)—** अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण पशु पानी में डूब जाते हैं या बह जाते हैं, इससे हजारों पशु मर जाते हैं जो पशुपालकों की एकमात्र संपत्ति होते हैं। 3. **बीमारियों का प्रकोप—** बाढ़ के पानी में संक्रमण, संक्रमणजन्य बीमारियाँ (जैसे-खुरपका-मुँहपका) और परजीवी रोग पशुओं को मार डालते हैं। 4. **आर्थिक तबाही और पलायन—** पशुओं की मृत्यु से पशुचारक दिवालिया हो जाते हैं। चारे की तलाश में उन्हें अपनी पारंपरिक जगह छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है, जिससे उनकी संस्कृति और जीवन-शैली पर असर पड़ता है। 5. **आश्रय का नुकसान—** चक्रवात और भारी बारिश में पशुओं के

रहने के स्थान (छप्पर, बाड़े) नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 1999 के ओडिशा महाचक्रवात के दौरान बड़े पैमाने पर पशुधन की मृत्यु हुई, जिससे पशुपालकों की आजीविका प्रभावित हुई।

निष्कर्ष— आपदाएँ पशुपालकों के लिए भयावह स्थिति लाती हैं, जो चारे, पानी और रहने की जगह को छीनकर उन्हें जीवनभर की बचत से वंचित कर देती हैं, जिससे उन्हें दोबारा उभरने में सालों लग जाते हैं।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. भारत के प्रमुख पशुचारक समुदायों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर— भारत के प्रमुख पशुपालक समुदाय (खानाबदोश चरवाहे) अपनी आजीविका के लिए पशुओं (भेड़, बकरी, ऊँट, भैंस) के साथ चरागाहों की तलाश में मौसमी प्रवास करते हैं। हिमालय के गुज्जर-बकरवाल, राजस्थान के राइका और महाराष्ट्र के धनगर प्रमुख हैं, जो बदलते मौसम के अनुसार पहाड़ों और मैदानों के बीच घूमते हैं।

भारत के प्रमुख पशुपालक—

(1) **गुज्जर-बकरवाल (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश)—** ये समुदाय मुख्य रूप से भेड़-बकरियाँ पालते हैं। गर्मियों में ऊँचे चरागाहों (बुग्याल) और सर्दियों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों (भाबर) के बीच प्रवास करते हैं।

(2) **गद्दी (हिमालय प्रदेश)—** गद्दी समुदाय भेड़-बकरियाँ पालते हैं और ये भी सर्दियों में निचली पहाड़ियों और गर्मियों में लाहौल-स्पीति के ऊँचे मैदानों में प्रवास करते हैं।

(3) **राइका (राजस्थान)—** राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले ये लोग ऊँट और भेड़-बकरियाँ पालते हैं। ये लोग मानसूनी मौसम में अपने गाँव में रहते हैं और चारे की तलाश में अक्टूबर में पलायन करते हैं।

(4) **मालधारी (गुजरात-कच्छ क्षेत्र)—** गिर और कच्छ क्षेत्र के ये चरवाहे गाय, भैंस और ऊँट पालते हैं। वे चरागाह की उपलब्धता के अनुसार घूमते हैं।

(5) **धनगर (महाराष्ट्र और पठारी क्षेत्र)—** धनगर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पठारी इलाकों में भेड़-बकरी और गाय पालते हैं। इनका जीवन अर्ध-घुमंतू होता है, जो शुष्क क्षेत्रों में चरागाह तलाशते हैं।

(6) **कुरुबा और कुरुमा (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश)—** ये भी दक्षिण भारत के प्रमुख भेड़-बकरी पालक समुदाय हैं।

(7) **मारू-राइका (गुजरात)—** गुजरात में मारू-राइका समुदाय मुख्य रूप से मवेशी (भैंस, भेड़, बकरी) पालते हैं और तटीय इलाकों व सूखे क्षेत्र में रहते हैं।

(8) **गोल्ला (दक्षिण भारतीय क्षेत्र)—** आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में गोल्ला समुदाय मवेशी चराता है।

चरवाहे समुदायों के लिए औपनिवेशिक काल में 'वन कानून' और 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' (1871) जैसे कानूनों के कारण इनके जीवन में चरागाहों की कमी और आवागमन पर प्रतिबंध जैसी गंभीर चुनौतियाँ आई थीं।

2. औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आये थे?

उत्तर— औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया, जिसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(i) **कृषि योग्य जमीन का विस्तार—** औपनिवेशिक सरकार ने गैर-कृषि भूमि को कृषि-योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया क्योंकि सरकार इसे अनुत्पादक एवं बेकार मानती थी। इससे न तो लगान में वृद्धि होती थी न ही कृषि उपज प्राप्त होती थी। कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए ''परती भूमि विकास'' के लिए नियम बनाये गये। अन्ततः प्रभाव यह हुआ कि चरागाहों की कमी हो गई।

(ii) **घुमंतू समुदायों पर नियंत्रण—** सरकार घुमंतू चरवाहों को शक की नजर से देखती थी। क्योंकि एक स्थान विशेष पर निवास करने वाले व्यक्तियों की तुलना में इन पर शासन करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन्हें नियन्त्रित करने के लिए सन् 1871 में 'अपराधी जनजाति अधिनियम' बनाकर कई समुदायों को अपराधी जनजाति घोषित करके कई इलाकों में उनकी आवाजाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जिससे इनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(iii) **वन अधिनियम लागू करना—** वन अधिनियम पारित करके वनों को 'आरक्षित' एवं 'संरक्षित' वन घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप, पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबन्ध लग गया, जिससे चरागाहों का क्षेत्र भी सीमित होता चला गया। इससे चरवाहों की जिन्दगी बुरी तरह प्रभावित हुई। अब उन्हें नए चरागाह तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(iv) **सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि के प्रयास—** सरकार ने अपनी राजस्व वृद्धि करने के लिए 19वीं सदी के मध्य में 'चरवाही टैक्स' लगा दिया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक क्रय-विक्रय एवं पशुओं पर भी टैक्स आरोपित कर दिए। 1850–80 के बीच टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को दिया जाने लगा। अधिकाधिक कमाई के चक्कर में ठेकेदार खूब टैक्स वसूली करने लगे, जिससे चरवाहों की स्थिति दयनीय होने लगी।

3. मासाई समुदाय को औपनिवेशिक नियमों ने किस प्रकार प्रभावित किया है?

उत्तर— औपनिवेशिक नियमों ने मासाई समुदाय के पारंपरिक

पशुचारण जीवन को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने 1904–11 के बीच उपजाऊ भूमि छीनकर उन्हें छोटे आरक्षित क्षेत्रों में सीमित कर दिया, जिससे चरागाह कम हो गए। पशुओं की चराई पर प्रतिबंध, पानी की कमी और सामाजिक संरचना (बुजुर्ग-योद्धा) में बदलाव के कारण उन्हें गरीबी और संघर्ष झेलना पड़ा।

मासाई समुदाय पर औपनिवेशिक प्रभाव के प्रमुख बिंदु—(1) **भूमि का नुकसान**— सर्वोत्तम चरागाहों को यूरोपीय खेती के लिए ले लिया गया और उन्हें केन्या में छोटे क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया।

(2) **आवाजाही पर प्रतिबंध**— चरागाहों की तलाश में घूमने (खानाबदोश) पर रोक लगा दी गई, जिससे उनके पशुपालन और व्यापार प्रभावित हुए।

(3) **सामाजिक संरचना में बदलाव**— औपनिवेशिक सरकार ने पारंपरिक प्रमुखों की शक्ति कम कर दी और नए नियम लागू किए, जिससे समुदाय की सामाजिक एकता कमजोर हुई।

(4) **आर्थिक संकट**— चरागाह कम होने और अकाल के कारण, कई मासाई लोग दिहाड़ी मजदूरी या खेती करने के लिए मजबूर हुए।

(5) **राष्ट्रीय उद्यान**— राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना के कारण भी मासाई समुदाय को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। इन नीतियों ने मासाई समुदाय को आत्मनिर्भर चरवाहों से बदलकर गरीबी के कगार पर ला खड़ा किया, जिससे उनके सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

4. **घुमंतू चरवाहा समुदायों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— चरवाहा समुदायों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **प्रमुख व्यवसाय**— घुमंतू चरवाहे मुख्यत: पशुपालन पर निर्भर थे। इनके द्वारा पाले गये प्रमुख पशु-बकरियाँ, भेड़ें, ऊँट तथा भैंसें थीं। कुछ घुमंतू चरवाहे फसलें भी उगाते थे।

2. **गतिक्रियाएँ**— घुमंतू चरवाहे किसी भी क्षेत्र में निरुद्देश्य नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें सही भू-क्षेत्रों की अच्छी पहचान थी। वे अपनी गतिक्रियाओं के क्षेत्रों की भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति जागरूक थे।

3. **भोजन**— चरवाहा कबीले माँस की अपेक्षा अनाज ही खाते थे। वे गेहूँ, चावल, बाजरा तथा मक्का खाते थे। कुछ खाद्यान्न वे स्वयं उगाते थे और कुछ अपनी गतिक्रियाओं के मार्ग से व्यवस्थित करते थे।

4. **पशुओं का चुनाव**— घुमंतू चरवाहे स्थानीय सांस्कृतिक तथा भौतिक लक्षणों के अनुसार झुंडों के लिए पशुओं का प्रकार तथा संख्या का चुनाव करते थे। पशुओं का चुनाव विशेष जलवायु, वनस्पति के अनुकूल प्रजातियों की योग्यता तथा पशुओं की प्रतिष्ठा पर आधारित होती थी। उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में अधिकतर ऊँट पाले जाते थे। इसके अतिरिक्त भेड़ तथा बकरियाँ पाली जाती थीं।

5. **आर्थिक जीवन**— अधिकतर घुमंतू चरवाहे वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे, जबकि कुछ धन का भी प्रयोग करते थे। वे भोजन अथवा अनाज के लिए पशुओं का आदान-प्रदान करते थे।

6. **परिवर्तनशील जीवन**— 19वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशों के विस्तार ने घुमंतू चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया था। यूरोपियों ने अपने प्रयोग के लिए भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। इसी कारण, स्थानीय लोगों के जीने के पारंपरिक ढंग में हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया। यूरोपियों ने मूल निवासियों को उनकी भूमि अथवा क्षेत्रों से निकाल दिया था।

5. **चरवाहों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— चरवाहों की प्रमुख समस्याओं में चरागाहों की कमी, औपनिवेशिक वन कानून, ऊँचा कर और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। आधुनिक युग में भूमि के बँटवारे और कृषि के विस्तार ने उनकी पारंपरिक घुमंतू जीवनशैली पर भारी दबाव डाला है।

चरवाहों की मुख्य समस्याएँ—

(1) **चरागाहों में कमी**— औपनिवेशिक शासनकाल में, चरागाहों को 'बंजर भूमि' मानकर कृषि के लिए परिवर्तित कर दिया गया। इससे चरवाहों के लिए अपने पशुओं को चराने की जगह कम पड़ गई।

(2) **वन अधिनियम और प्रतिबंध**— वन कानूनों के तहत चरवाहों का जंगलों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया या सीमित कर दिया गया। इससे उनके पशुओं के लिए चारे और पानी के स्रोत समाप्त हो गये।

(3) **ऊँचा कर या टैक्स**— सरकार द्वारा चराई कर लगाया गया। यह टैक्स अक्सर बहुत अधिक होता था, जिससे चरवाहों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

(4) **सीमाओं का निर्धारण**— भारत-पाकिस्तान बँटवारे या देशों की सीमाओं ने चरवाहों के पारंपरिक मौसमी प्रवास को रोक दिया, जिससे वे अपनी चरागाहों तक नहीं पहुँच पाए।

(5) **आजीविका के लिए संघर्ष**— सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने भी उनकी समस्याएँ बढ़ाईं। चरागाहों की कमी से उनके पशुओं की संख्या कम होने लगी और उन्हें मजबूरन चरवाही छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी।

इन समस्याओं के कारण, भारत के राइका, धनगर जैसे चरवाहा समुदाय और अफ्रीका के मासाई जैसे समुदाय अपने जीवन यापन के लिए भारी चुनौतियों का सामना करने को विवश हुए।

OO

1 भारत आकार और स्थिति

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **निम्नलिखित चार उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए—**

(i) **कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?**

(अ) राजस्थान (ब) उड़ीसा

(स) छत्तीसगढ़ (द) त्रिपुरा

उत्तर— उड़ीसा।

(ii) **भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन-सा है?**

(अ) 97°25' पूर्व (ब) 77°6' पूर्व

(स) 68°7' पूर्व (द) 82°32' पूर्व

उत्तर— (क) 97°25' पू.।

(iii) **उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएँ किस देश को छूती हैं?**

(अ) चीन (ब) भूटान

(स) नेपाल (द) म्यांमार

उत्तर— (स) नेपाल।

(iv) **ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएँगे?**

(अ) पुडुचेरी (ब) लक्षद्वीप

(स) अंडमान और निकोबार (द) दीव और दमन

उत्तर— (ब) लक्षद्वीप

(v) **मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए, वह कौन-सा देश है?**

(अ) भूटान (ब) ताजिकिस्तान

(स) बांग्लादेश (द) नेपाल

उत्तर— (ब) ताजिकिस्तान

2. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए—**

(i) **अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन-कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं?**

उत्तर— अरब सागर में लक्षद्वीप समूह एवं बंगाल की खाड़ी में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव हैं।

(ii) **उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं।**

उत्तर— क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश—1. रूस, 2. कनाडा, 3. संयुक्त राज्य अमेरिका, 4. चीन, 5. ब्राजील, 6. ऑस्ट्रेलिया हैं।

(iii) **हमारे उत्तर-पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए।**

उत्तर— हमारे उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी देश-पाकिस्तान, अफगानिस्तान।

उत्तरी पड़ोसी देश-चीन, नेपाल, भूटान।

उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश-बांग्लादेश, म्यांमार।

(iv) **भारत में किन-किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए।**

उत्तर— भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है—

1. गुजरात, 2. राजस्थान, 3. मध्य प्रदेश, 4. छत्तीसगढ़, 5. झारखण्ड, 6. पश्चिमी बंगाल, 7. त्रिपुरा, 8. मिजोरम।

3. **सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घण्टे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— भारत का देशान्तरीय विस्तार 68°7' पूर्व से लेकर 97°25' पूर्व तक है अर्थात् सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी बिन्दुओं का अन्तर लगभग 30° का है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में (360°) 24 घण्टे का समय लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी से 1° देशान्तर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है अतः 30° देशान्तरों को पार करने में कुल $30 \times 4 = 120$ मिनट अर्थात् 2 घण्टे लगते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो कि 97°25' पूर्व पर स्थित है, सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में, जो कि 68°7' पूर्व पर स्थित है, सूर्य दो घण्टे बाद दिखता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती हैं क्योंकि भारतीय मानक समय 82°30' पूर्वी देशान्तर रेखा से निर्धारित किया जाता है। इस देशान्तर का स्थानीय समय सम्पूर्ण भारत का मानक समय माना जाता है जिससे सम्पूर्ण भारत का समय एक समान रहता है।

4. **हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है?**

उत्तर— हिन्द महासागर में भारत की केन्द्रीय स्थिति से इसे निम्नलिखित रूप में लाभ प्राप्त हुआ है—

(i) हिन्द महासागर में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अतिरिक्त संसार के किसी भी देश की इतनी लम्बी तट रेखा इस समुद्र के साथ नहीं है। इससे पश्चिम एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप आदि के साथ समुद्री व्यापार सम्भव हुआ है।

(ii) स्वेज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिन्द महासागर से जोड़ दिया गया है। इससे दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका भी हिन्द महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गये हैं।

(iii) भारत ने अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन समय में अपने पड़ोसी देशों से मधुर व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **भारत की भौगोलिक स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारत, दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है, जो पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। यह 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' से 97°25' पूर्वी देशान्तर के बीच फैला है। 32.87 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ यह दुनिया का सातवाँ बड़ा देश है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किमी और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किमी है। स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है।

2. **आकार की दृष्टि से एक विशाल देश है। स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— भारत विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लम्बाई 15,200 किमी है तथा इसकी समुद्र तटरेखा की लम्बाई 7,516.6 किमी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत आकार की दृष्टि से एक विशाल देश है।

3. **भारतीय मानक समय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**

उत्तर— भारतीय मानक समय (IST) पूरे भारत में मान्य है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (नैनी)के पास से गुजरने वाली 82°30' पूर्वी देशान्तर रेखा पर आधारित है। यह ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। गुजरात (पश्चिम) और अरुणाचल प्रदेश (पूर्व) के बीच लगभग 2 घंटे का स्थानीय समय अंतर है, जिसे एक समान करने के लिए इस मानक रेखा को चुना गया है। यह पूरे देश में रेल, हवाई और प्रशासनिक कार्यों में समय की एकरूपता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

4. **भारत तथा हिन्द महासागर के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भू-भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिन्द महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है इसलिए भारत को केन्द्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिन्द महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसका नाम हिन्द महासागर रखा गया है।

5. **भारत तथा उसके पड़ोसी देशों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**

उत्तर— भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी स्थलीय सीमाएँ उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती हैं। दक्षिण में समुद्र पार श्रीलंका और मालदीव इसके पड़ोसी देश हैं। ये देश भारत के रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के मुख्य केन्द्र हैं।

भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध और स्थिति—

(i) **स्थलीय सीमाएँ—** उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है।

(ii) **उत्तर-पूर्व—** चीन (तिब्बत के माध्यम से), नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित हैं। ये हिमालयी सीमाएँ हैं।

(iii) **दक्षिण में समुद्री सीमा—** श्रीलंका और मालदीव भारत के समुद्री पड़ोसी हैं। श्रीलंका पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारत से अलग होता है।

(iv) **दक्षिण-पूर्व—** म्यांमार (बर्मा) भारत के साथ सीमा साझा करता है। इन पड़ोसी देशों के साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध रहे हैं। यह विविधतापूर्ण संबंध भारत की भू-राजनीति को प्रभावित करते हैं। भारत क्षेत्र में शांतिपूर्ण संबंधों की नीति का पालन करता है।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है, जो 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' से 97°25' पूर्वी देशान्तर के बीच फैला है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख

वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल भू-भाग का 2.4 प्रतिशत है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवाँ सबसे बड़ा देश है।

भारत की अवस्थिति— (i) **गोलार्ध—** भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।

(ii) **महाद्वीप—** यह एशियाई महाद्वीप के दक्षिण-मध्य में स्थित है।

(iii) **सीमाएँ—** इसके उत्तर-पश्चिम, उत्तर और उत्तर-पूर्व में हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है।

(iv) **कर्क रेखा—** 23°30' उत्तरी अक्षांश (कर्क रेखा) देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है।

भारत का विस्तार— (i) **अक्षांशीय विस्तार—** 8°4' उत्तरी (कन्याकुमारी) से 37°6' उत्तरी (इंदिरा कॉल, जम्मू-कश्मीर) तक अक्षांशीय विस्तार है।

(ii) **देशांतरीय विस्तार—** 68°7' पूर्व (गुजरात) से 97°25' पूर्व (अरुणाचल प्रदेश) तक देशांतरीय विस्तार है।

(iii) **उत्तर-दक्षिण लंबाई—** कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3214 किमी की दूरी है।

(iv) **पूर्व-पश्चिम चौड़ाई—** गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2933 किमी की दूरी है।

(v) **तटरेखा—** द्वीपों सहित कुल तटरेखा 7,516.6 किमी है।

(vi) **मानक समय—** 82°30' (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है, जो भारतीय मानक समय (IST) निर्धारित करती है।

भौगोलिक महत्व— भारत की हिंद महासागर में केन्द्रीय स्थिति इसके सामरिक और व्यापारिक महत्व को बढ़ाती है, जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया को जोड़ती है।

2. भारत की स्थिति के सन्दर्भ में प्राचीन काल से भारत के विश्व के देशों के साथ सम्पर्कों का वर्णन कीजिए।

उत्तर— भारत का विश्व के साथ संपर्क बहुत प्राचीन है और यह मुख्य रूप से भू-मार्गों (पर्वतीय दर्रों) और समुद्री मार्गों के माध्यम से जुड़ा था। सिल्क रूट, व्यापार, धर्म और शिक्षा के आदान-प्रदान से भारत ने पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, ग्रीस, मिस्र और चीन के साथ सांस्कृतिक व वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए, जिससे उपनिषदों के विचार, रामायण और दशमलव प्रणाली दुनिया तक पहुँची।

प्राचीन काल से भारत के वैश्विक संपर्क—

(i) **भू-मार्ग—** हिमालय के दर्रों ने प्राचीन यात्रियों के लिए मार्ग प्रदान किया, जबकि महासागरों ने इस संपर्क में बाधा उत्पन्न की थी। प्राचीन यात्री इन्हीं मार्गों से भारत आए।

(ii) **व्यापारिक संबंध—** भारत का पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था। सिल्क रूट के द्वारा भारत मसाले, रेशम, मलमल और कीमती पत्थर जैसे सामान विभिन्न देशों को भेजता था।

(iii) **सांस्कृतिक और वैचारिक आदान-प्रदान—** प्राचीन भारत के विचार, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ और दशमलव प्रणाली दुनिया के अन्य भागों में पहुँचीं।

(iv) **धार्मिक प्रसार—** भारतीय धर्म और संस्कृति (बौद्ध और हिंदू धर्म) श्रीलंका, बर्मा (म्यांमार), जावा, सुमात्रा, बाली और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैले।

(v) **रणनीतिक स्थिति—** हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण, भारत ने पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले एक अद्भुत केन्द्र के रूप में काम किया, जो भारत को एक खास रणनीतिक लाभ देता है। (vi) **यूनानी और इस्लामिक प्रभाव—** भारत पर यूनानी मूर्तिकला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला (गुंबद और मीनार) का प्रभाव भी पड़ा, जो व्यापारिक संबंधों से आया।

प्राचीन काल से ही भारत ने विचारों और संस्कृतियों के आदान-प्रदान में सक्रिय भूमिका निभाई है।

3. भारत के पड़ोसी देशों और उनसे लगने वाले राज्यों का वर्णन करें।

उत्तर— भारत के उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार पड़ोसी देश हैं। समुद्री सीमा के दक्षिण में श्रीलंका (पाक जल संधि द्वारा अलग) और मालदीव स्थित हैं। नौ पड़ोसी देशों में सात से स्थलीय सीमा लगती है, जो कुल 15,106.7 किमी है।

भारत के प्रमुख पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्य—

1. **बांग्लादेश (सबसे लम्बी सीमा)—** भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से सीमा लगती है।

2. **चीन—** लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से सीमा लगती है।

3. **पाकिस्तान—** लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश), जम्मू—कश्मीर (केन्द्र शासित प्रदेश), पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य से सीमा लगती है।

4. **नेपाल—** भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से इसकी सीमा लगती है।

5. **म्यांमार—** भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से सीमा लगती है।

6. **भूटान—** सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से सीमा लगती है।

7. **अफगानिस्तान (सबसे छोटी सीमा)—** भारत के लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश और पाक अधिकृत कश्मीर) से सीमा लगती है।

इन तथ्यों के अलावा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश (4,096.7 किमी) के साथ है। भारतीय तट रेखा 7,516.6 किमी है। जिसमें अंडमान-निकोबार और लक्षदीव शामिल हैं। भारत के दक्षिण में समुद्र पार दो पड़ोसी द्वीप समूह हैं-श्रीलंका और मालदीव। ❍❍

2 भारत का भौतिक स्वरूप

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।**

(i) **एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो—**

(अ) तट　　(ब) प्रायद्वीप
(स) द्वीप　　(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर— (ब) प्रायद्वीप।

(ii) **भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम—**

(अ) हिमाचल　　(ब) पूर्वांचल
(स) उत्तराखण्ड　　(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर— (ब) पूर्वांचल।

(iii) **गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी—**

(अ) कोरोमण्डल　　(ब) कन्नड़
(स) कोंकण　　(द) उत्तरी सरकार

उत्तर— (स) कोंकण।

(iv) **पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर—**

(अ) अनाईमुडी　　(ब) महेन्द्रगिरि
(स) कंचनजुंगा　　(द) खासी

उत्तर— (ब) महेन्द्रगिरि।

2. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए—**

(i) **'भाबर' क्या है?**

उत्तर— नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किमी. की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है।

(ii) **हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए।**

उत्तर— (i) हिमाद्रि, (ii) हिमाचल, (iii) शिवालिक।

(iii) अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन-सा पठार स्थित है?

उत्तर— मालवा का पठार।

(iv) **भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं।**

उत्तर— लकादीव, मिनीकाय एवं एमीनदीव। इन्हें आजकल लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है।

3. **निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए—**

(i) **बांगर और खादर**

उत्तर—		**बांगर**		**खादर**
	1.	उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं।	1.	बाढ़ के मैदानों के नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं।
	2.	ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है।	2.	इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी सम्पूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नयी जलोढ़ की परत जम जाती है।
	3.	इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है।	3.	इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है।
	4.	यह कम उपजाऊ होते हैं।	4.	यह अधिक उपजाऊ होते हैं।

(ii) **पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट**

उत्तर—		**पूर्वी घाट**		**पश्चिमी घाट**
	1.	दक्षिणी पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है।		दक्षिणी पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है।
	2.	ये शृंग पर्वतमाला है जो पूर्वी तट के समान्तर फैली हुई है।		यह सतत् पर्वतमाला है जो पश्चिमी तट के समानान्तर स्थित है।

	3.	पूर्वी घाट कम ऊँचे हैं। इन घाटों की औसत ऊँचाई 600 मीटर है।	3.	पश्चिमी घाट अधिक ऊँचे हैं। इन घाटों की औसत ऊँचाई 900 से 1600 मीटर है।
	4.	पूर्वी घाट को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है।	4.	पश्चिमी घाट निरन्तरता लिए हुए हैं और इन्हें दर्रों से होकर ही पार किया जा सकता है।
	5.	महेन्द्रगिरि (1,500 मी.) पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है।	5.	अनाईमुडी (2,695 मी.) पश्चिमी घाट का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है।

4. **भारत के प्रमुख भू–आकृतिक विभाग कौन–से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अन्तर है?**

उत्तर— भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं— (i) हिमालय पर्वत श्रृंखला, (ii) उत्तरी मैदान, (iii) प्रायद्वीपीय पठार, (iv) भारतीय मरुस्थल, (v) तटीय मैदान, (vi) द्वीप समूह।

हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में अन्तर निम्न प्रकार से हैं—

उत्तर—		हिमालय क्षेत्र		प्रायद्वीपीय पठार
	1.	यह नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है।	1.	यह पठारी क्षेत्र अति प्राचीन भूखण्ड है।
	2.	हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की तीन वलित श्रेणियाँ हैं— (i) हिमाद्रि, (ii) निम्न हिमालय, (iii) शिवालिक।	2.	प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हैं— (i) मध्यवर्ती भूमि, (ii) दक्कन (दक्षिण) का पठार।
	3.	हिमालय क्षेत्र में ऊँचे पर्वत शिखर एवं गहरी घाटियाँ हैं।	3.	इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं।
	4.	हिमालय क्षेत्र में अधिक हिमनद एवं दर्रे पाये जाते हैं।	4.	पठारी भूमि होने के कारण हिमनद नहीं पाये जाते हैं। केवल सीमित मात्रा में दर्रे पाये जाते हैं।
	5.	इस पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संपीडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है।	5.	इस पठारी क्षेत्र का निर्माण पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपान्तरित शैलों से हुआ है।

5. **भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन निम्न प्रकार से है— 1. उत्तरी मैदान हिमालय पर्वतीय प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। 2. इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार 7 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किमी. लम्बा एवं 240 से 320 किमी. चौड़ा है। 3. यह मैदान उत्तर में हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाये गये महीन जलोढ़कों द्वारा निर्मित है। 4. उच्चावच में बहुत कम विषमताओं वाला यह लगभग समतल भू-भाग है। 5. यह मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों—सिन्धु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से निर्मित हुआ है। 6. इस मैदानी क्षेत्र की उपजाऊ मृदा, पर्याप्त जलापूर्ति एवं अनुकूल जलवायु इसे कृषि के लिए आदर्श बनाती है। 7. आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है— (i) भाबर, (ii) तराई, (iii) बांगर (बांगर), (iv) खादर।

6. **निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—**

(i) मध्य हिमालय (ii) मध्य उच्च भूमि

(iii) भारत के द्वीप समूह

उत्तर— (i) **मध्य हिमालय—** 1. मध्य हिमालय पर्वत शृंखला हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्रि के दक्षिण में समानान्तर रूप में फैली हुई है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 2. इसकी औसत ऊँचाई 3700 से 4500 मीटर है तथा औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। 3. यह हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है। 4. इसका सर्वाधिक भाग असम राज्य में है। 5. इसमें पीरपंजाल शृंखला सबसे लम्बी एवं सबसे महत्त्वपूर्ण शृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत् शृंखलाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। 6. इसी पर्वत शृंखला में कश्मीर की घाटी एवं हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। 7. धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल एवं दार्जिलिंग यहाँ के प्रमुख स्वास्थ्यवर्द्धक पर्वतीय स्थल हैं।

(ii) **मध्य उच्च भूमि—** 1. नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। 2. इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ— चम्बल, सिंध, बेतवा एवं केन दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। 3. मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी एवं पूर्व में सँकरी है। 4. इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुन्देलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। 5. सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर

का पठार स्थित है। यह पठारी भाग लावा के निक्षेपों की परतों से बना है।

(iii) **भारत के द्वीप समूह—** भारत के द्वीप समूह को दो वर्गों में बाँटा जाता है—

लक्षद्वीप द्वीप समूह— (i) केरल के मालाबार तट के समीप स्थित छोटे-छोटे द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। (ii) द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। (iii) इन द्वीपों को पहले लकादीव, मिनीकाय एवं एमीनदीव के नाम से जाना जाता था। (iv) यह द्वीप समूह 32 किमी. के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। (v) कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। (vi) इस द्वीप समूह पर वनस्पति एवं जन्तुओं के अनेक प्रकार पाये जाते हैं। (vii) पिटली द्वीप पर मनुष्यों का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य स्थित है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह— (i) ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। (ii) ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुल एवं बिखरे हुए हैं। (iii) इन द्वीप समूहों को मुख्यत: दो भागों में बाँटा गया है—उत्तर में अण्डमान तथा दक्षिण में निकोबार। (iv) यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के ऊपर उठे हुए भाग हैं। (v) यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस द्वीप समूह का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। (vi) इन द्वीप समूह में पाये जाने वाले पादप और जन्तुओं में बहुत अधिक विविधता पायी जाती है। (vii) ये द्वीप विषुवत् वृत्त के समीप स्थित हैं। (viii) इन द्वीपों की जलवायु विषुवतीय है। (ix) ये द्वीप घने वनों से आच्छादित हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. भारत के भौतिक विभागों के नाम लिखिए।

उत्तर— भारत के प्रमुख भौतिक/भौगोलिक विभाग छह हैं, जो देश की विविधता को दर्शाते हैं—

(1) **हिमालय पर्वत शृंखला—** उत्तर में स्थित ऊँची और नवीन पर्वतमालाएँ शामिल हैं। यह वलित पर्वत शृंखला है।

(2) **उत्तरी मैदान—** सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान उत्तरी मैदान कहलाता है। यह बहुत उपजाऊ है।

(3) **प्रायद्वीपीय पठार—** मेज की आकृति वाला पुराना कठोर चट्टानी भू-भाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है।

(4) **भारतीय मरुस्थल—** अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित रेतीला क्षेत्र थार का मरुस्थल अथवा भारतीय मरुस्थल कहलाता है। यहाँ जलवायु शुष्क और वनस्पति कम होती है।

(5) **तटीय मैदान—** प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, जिन्हें पश्चिम में 'पश्चिमी तट' और पूर्व में 'पूर्वी तट' कहा जाता है।

(6) **द्वीप समूह—** भारत के मुख्य स्थल भाग के अतिरिक्त दो द्वीपों का समूह है—लक्षद्वीप (अरब सागर में) और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (बंगाल की खाड़ी में)।

2. हिमालय की समानान्तर श्रेणियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर— (i) महान हिमालय या आन्तरिक हिमालय अथवा हिमाद्रि।

(ii) निम्न हिमालय (हिमाचल हिमालय)।

(iii) शिवालिक (बाह्य हिमालय)।

(i) **महान हिमालय—** हिमालय की यह सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है।

(ii) **निम्न हिमालय—** हिमालय की यह मध्यवर्ती श्रेणी पहाड़ी नगरों के लिए जानी जाती है।

(iii) **शिवालिक—** यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है जो जलोढ़ अवसादों से निर्मित है।

3. हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— हिमालय का प्रादेशिक (क्षेत्रीय) विभाजन मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित नदी घाटियों के आधार पर किया गया है, जिसके अंतर्गत कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय प्रमुख हैं।

हिमालय का प्रादेशिक विभाजन— (i) **पंजाब-कश्मीर हिमालय—** सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित, यह जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में फैला हुआ है। (ii) **कुमाऊँ हिमालय—** सतलुज और काली नदियों के बीच का भाग, जो उत्तराखंड में स्थित है। (iii) **नेपाल हिमालय—** काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित, इसका मुख्य भाग नेपाल में है। (iv) **असम हिमालय—** तीस्ता और दिहांग (ब्रह्मपुत्र) नदियों के बीच का भाग, जो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में है।

4. उत्तरी मैदान की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— भारत का उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों—सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन (द्रोणी) में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिसके फलस्वरूप इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ।

5. उत्तरी मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं—

(i) **भाबर—** इसका निर्माण पर्वतों से उतरने के बाद नदियों द्वारा कंकड़ियों को एक चौड़ी पट्टी में जमा किये जाने के कारण हुआ है। सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं।

(ii) **तराई—** यह भाबर के दक्षिण में स्थित है। यह नम, दलदली तथा घना वन्य प्रदेश है। भाबर में जबकि समस्त सरिताएँ लुप्त हो जाती हैं, वे इस क्षेत्र में पुन: प्रकट होती हैं।

(iii) **भांगर—** उत्तरी मैदान के सबसे पुराने जलोढ़क को भांगर कहते हैं। जलोढ़कों के लगातार जमाव से वेदिका जैसी आकृति बन जाती है जो बाढ़ प्रभावी मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है। इस क्षेत्र में चूनेदार मिट्टी मिलती है।

(iv) **खादर—** बाढ़ वाले मैदानों के नवीन तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, यह मैदान उपजाऊ होते हैं।

6. **प्रायद्वीपीय पठार की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए।**

उत्तर— प्रायद्वीपीय पठार की निर्माण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(i) प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं कायान्तरित शैलों वाली कम ऊँची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है।

(ii) यह पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं खिसकने के कारण निर्मित हुआ था।

(iii) इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं—मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार।

7. **दक्षिण के पठार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— दक्षिण के पठार की प्रमुख लाक्षणिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) दक्षिण का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार भूभाग है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत शृंखला है। कैमूर, महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ इसके पूर्वी विस्तार हैं।

(ii) पश्चिम में इसकी ऊँचाई अधिक है जो पूर्व में धीरे-धीरे कम होती जाती है। मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ियाँ इसके उत्तरी-पूर्वी विस्तार हैं।

(iii) यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग है। पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं।

8. **पश्चिमी घाट के बारे में बताएँ।**

उत्तर— (i) पश्चिमी घाट द्वारा दक्षिण के पठार के पश्चिमी किनारे का निर्माण किया जाता है। इसकी औसत ऊँचाई 900 से 1,600 मीटर है।

(ii) पश्चिमी घाट सतत् रूप में फैले हुए हैं। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है।

(iii) पश्चिमी घाट की ऊँचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अनाईमुडी (2,695 मी.) एवं डोडा बेट्टा (2,633 मी.) इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं।

(iv) पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है।

9. **भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारतीय मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) यह बालू के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है।

(ii) इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिमी. से भी कम वर्षा होती है। (iii) इस क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में ही नदियाँ दिखती हैं जो आगे चलकर बालू में विलीन हो जाती हैं। इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। (iv) इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क है। (v) यहाँ बहुत कम वनस्पति पायी जाती है।

10. **पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना कीजिए।**

उत्तर— पूर्वी तटीय मैदानों एवं पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना निम्न प्रकार से है—

	पूर्वी तटीय मैदान		पश्चिमी तटीय मैदान
1.	ये मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित हैं।	1.	ये मैदान पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के तट के बीच स्थित हैं।
2.	ये मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं।	2.	ये मैदान अपेक्षाकृत सँकरे हैं।
3.	पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बाँटा गया है—(i) उत्तरी सरकार तट, (ii) कोरोमंडल तट।	3.	पश्चिमी तटीय मैदान को तीन भागों में बाँटा गया है—(i) कोंकण तट, (ii) कन्नड़ मैदान, (iii) मालाबार तट।
4.	इस तट की नदियाँ विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं।	4.	इस तट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं।

निबन्धात्मक प्रश्न—

1. **भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारत में महान हिमालय, उपजाऊ उत्तरी मैदान, प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, तटीय मैदान और दो द्वीप समूह (लक्षद्वीप व अंडमान-निकोबार) जैसे विविधतापूर्ण भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ये क्षेत्र उत्तर में पर्वतीय जल स्रोत से लेकर दक्षिण में खनिज और कृषि के प्रमुख केन्द्र हैं।

भारत के भौतिक (प्रदेशों) विभाजनों का विवरण निम्नलिखित है—

1. **हिमालय पर्वत शृंखला—** (i) यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, जो एक युवा और वलित पर्वत शृंखला है। (ii) यह सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली है और अपनी ऊँची चोटियों (एवरेस्ट, कंचनजंगा) के लिए प्रसिद्ध है। (iii) इसके तीन मुख्य भाग हैं—हिमाद्रि (महान हिमालय), हिमाचल (निम्न हिमालय) और शिवालिक।

2. **उत्तरी मैदान—** (i) यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। (ii) यह विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जो कृषि और सघन आबादी का आधार है। (iii) इसे मुख्य रूप से पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाँटा जाता है।

3. **प्रायद्वीपीय पठार—** (i) यह भारत का सबसे प्राचीनतम भू-भाग है, जो त्रिकोणीय आकार में है। (ii) यह लावा की चट्टानों से बना है और मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार शामिल हैं।

4. **भारतीय मरुस्थल (थार का मरुस्थल)—** (i) अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित, यह रेतीला मैदान है। (ii) यहाँ जलवायु शुष्क और वनस्पति बहुत कम है।

5. **तटीय मैदान—** (i) प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियाँ हैं। (ii) पश्चिमी घाट— अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। (iii) पूर्वीघाट— बंगाल की खाड़ी के साथ फैला हुआ है।

6. **द्वीप समूह—** (i) **लक्षद्वीप समूह—** अरब सागर में स्थित, यह मूँगे से बने छोटे द्वीप हैं। (ii) **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह—** बंगाल की खाड़ी में स्थित, यह बड़े, अधिक विविधता वाले और ज्वालामुखी मूल के द्वीप हैं।

ये भौतिक प्रदेश एक- दूसरे के पूरक हैं। जहाँ हिमालय जल और वन संपदा देता है, वहीं उत्तरी मैदान अन्न का भंडार है, पठार खनिजों का केन्द्र है और तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत (बंदरगाह) गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं।

2. **हिमालय पर्वतीय प्रदेश का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— हिमालय पर्वत शृंखला

हिमालय पर्वत की स्थिति एवं विस्तार— भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है जो पश्चिम-पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी 2,400 किमी. की लम्बाई में एक अर्द्धवृत्त के रूप में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी. एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी. है।

हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण— हिमालय पर्वत शृंखला को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

1. **महान हिमालय—** (i) इसे हिमाद्रि, वृहत् एवं आन्तरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।

(ii) हिमालय की इस श्रेणी का क्रोड ग्रेनाइट का बना है।

(iii) यह सबसे अधिक सतत् पर्वत शृंखला है।

(iv) इसकी औसत ऊँचाई लगभग 6,000 मीटर है।

(v) यह पर्वत शृंखला सदैव हिम से ढकी रहती है तथा इससे बहुत-सी हिमानियों का प्रवाह होता है।

(vi) माउन्ट एवरेस्ट (8,848 मी.), कंचनजंघा (8,598 मी.), मकालु (8,481 मी.), धौलागिरी (8,172 मी.), नंगा पर्वत (8,126 मी.), अन्नपूर्णा (8,078 मी.), नंदादेवी (7,817 मी.), कामेत (7,756 मी.), आदि प्रमुख पर्वत शिखर हैं।

(vii) महान हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे— जोजीला (जम्मू-कश्मीर), शिपकी-ला, बारालाचा-ला (हिमाचल प्रदेश), बोमडी-ला (अरुणाचल प्रदेश) आदि हैं।

(viii) महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंघा (8598 मी.) स्थित है। यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है।

2. **निम्न हिमालय—** (i) इसे हिमाचल एवं मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।

(ii) यह पर्वत शृंखला हिमाद्रि के दक्षिण में स्थित है।

(iii) इस पर्वत शृंखला का निर्माण मुख्यत: अत्यधिक संपीडित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है।

(iv) इसकी ऊँचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है।

(v) इसकी औसत चौड़ाई 50 किमी. है।

(vi) पीरपंजाल इसकी सबसे लम्बी श्रेणी है। अन्य श्रेणियों में धौलाधार एवं महाभारत प्रमुख हैं।

(vi) इसी पर्वत शृंखला में कश्मीर घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ (हिमाचल प्रदेश) स्थित हैं।

(vii) मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जीलिंग आदि पर्वतीय स्थल निम्न हिमालय में स्थित हैं।

3. **शिवालिक हिमालय—** (i) इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहते हैं।

(ii) इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी. एवं ऊँचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है।

(iii) इस पर्वत शृंखला का निर्माण महान हिमालय एवं निम्न हिमालय से नदियों द्वारा लाये गए असंपीडित अवसादों से हुआ है।

(iv) निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लम्बवत् घाटी पायी जाती है जिन्हें दून कहते हैं; जैसे—देहरादून, कोटलीदून आदि।

हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण— 1. पंजाब हिमालय— यह सिंधु और सतलज नदी के बीच फैला हुआ है।

2. **कुमाऊँ हिमालय—** यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है।

3. **नेपाल हिमालय—** इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है।

4. **असम हिमालय—** यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक फैला हुआ है।

3. **उत्तर के विशाल मैदानी भाग का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— उत्तर का विशाल मैदान भारत की तीन प्रमुख नदी प्रणालियों—सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित 7 लाख वर्ग किमी में फैला, 2400 किमी लंबा और 240–320 किमी चौड़ा अत्यंत उपजाऊ और सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसे भारत का 'अन्न भंडार' भी कहा जाता है।

उत्तर के विशाल मैदान की मुख्य विशेषताएँ—

(i) **निर्माण और मृदा—** यह विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ निक्षेपों से बना मैदान है। नदियाँ हिमालय से मलबा लाती हैं, जिससे यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र बना है, जो कृषि (गेहूँ, चावल, गन्ना) के लिए उपयुक्त है।

(ii) **भौगोलिक विस्तार—** यह पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से लेकर असम तक फैला है।

(iii) **आकृतिक विविधता (उत्तर से दक्षिण)—**

(अ) भाबर— हिमालय से नीचे उतरते समय नदियाँ शिवालिक के तल में 8–16 किमी चौड़ी पट्टी में कंकड़ जमा करती हैं।

(ब) तराई— भाबर के दक्षिण में स्थित यह दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र है।

(स) भांगर— पुराने जलोढ़ (कंकड़दार) से बना ऊँचा क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता।

(द) खादर— नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के नए जलोढ़ के निक्षेप, जो बहुत उपजाऊ होते हैं।

(iv) **क्षेत्रीय विभाजन— (क) पंजाब का मैदान—** सिंधु और उसकी नदियाँ (झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज) द्वारा निर्मित है।

(ख) गंगा का मैदान— उत्तर भारत के मुख्य क्षेत्र (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार) में फैला है।

(स) ब्रह्मपुत्र का मैदान— यह क्षेत्र मुख्य रूप से असम में स्थित है। उत्तर का विशाल मैदानी भाग उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और समतल के कारण यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला कृषि प्रधान क्षेत्र है।

4. **प्रायद्वीपीय पठारी भाग का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना एक त्रिभुजाकार भू-भाग है। यह भारत का सबसे पुराना भू-भाग है, जो मुख्य रूप से मध्य उच्चभूमि (उत्तर) और दक्कन पठार (दक्षिण) में विभाजित है, जिसके पश्चिम में ऊँचे पश्चिमी घाट और पूर्व में कटे-फटे पूर्वी घाट स्थित हैं।

प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग

1. **मध्य उच्च भूमि—** नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के आसपास का क्षेत्र। यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में सँकरा है। उत्तर पश्चिम में अरावली, दक्षिण में विंध्य श्रृंखला की पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस भूमि का पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटानागपुर का पठार तक है।

2. **दक्कन का पठार—** नर्मदा के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जिसकी सीमाएँ उत्तर में सतपुड़ा, महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ियों तक हैं। यह पश्चिम में ऊँचा और पूर्व की ओर धीरे-धीरे ढलान वाला है।

3. **उत्तर-पूर्वी विस्तार—** मेघालय, कार्बी-एंगलोंग पठार, जिसे छोटा नागपुर का ही हिस्सा माना जाता है।

पश्चिम घाट और पूर्वी घाट

1. **पश्चिमी घाट—** पश्चिमी तट के समानांतर, अरब सागर के साथ स्थित है। ये निरंतर हैं और केवल दर्रों के माध्यम से पार किए जा सकते हैं। इसकी ऊँचाई औसतन 900–1600 मीटर है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ अनाईमुडी और डोडाबेट्टा हैं।

2. **पूर्वी घाट—** पूर्वी तट के समानांतर, बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। ये असंतत हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों द्वारा कटे-फटे हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में इनकी ऊँचाई कम है। इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ महेंद्रगिरि, नल्लामाला, पालकोंडा, जावड़ी और शेवराय हैं।

पहाड़ियाँ (प्रमुख श्रेणियाँ)— (i) **अरावली—** सबसे पुरानी अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। (ii) विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल मध्य भारत की प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं। (iii) नीलगिरि— जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं।

प्रायद्वीपीय पठार अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, और इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण अधिकांश नदियाँ (नर्मदा-ताप्ती को छोड़कर) बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

5. **पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र (थार मरुस्थल) अरावली के पश्चिम में स्थित भारत का सबसे बड़ा शुष्क मैदान है, जो मुख्य रूप से राजस्थान (61 प्रतिशत से अधिक) सहित 12 जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि) में फैला है। यह लगभग 200000 वर्ग किमी क्षेत्र में व्याप्त है, जहाँ 150 मिमी औसत वर्षा, अत्यधिक तापमान, कंटीली वनस्पति, रेत के टीले

(बरखान) और विरल जनबसाव पाया जाता है।

पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएँ—

1. **विस्तार व स्थिति—** यह उत्तर-पश्चिमी भारत में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, पाकिस्तान सीमा तक, दक्षिण में कच्छ के रण और उत्तर में पंजाब-हरियाणा तक विस्तृत हैं।

2. **क्षेत्रफल व धरातल—** थार मरुस्थल का लगभग 85 प्रतिशत भाग भारत में है। यह रेतीला मैदान है, जो बालुका स्तूपों और छोटे टीलों से ढका है। यहाँ बरखान (अर्द्धचंद्राकार टीले) पाए जाते हैं।

3. **जलवायु (शुष्क व अर्द्ध-शुष्क)—** यहाँ जलवायु अत्यंत शुष्क है। 25 सेमी वर्षा रेखा इसे दो भागों में बाँटती है— (i) पश्चिमी भाग अत्यधिक शुष्क है, (ii) पूर्वी भाग, जहाँ वर्षा थोड़ी अधिक होती है। इसे अर्द्ध-शुष्क मरुस्थल या बाँगर भी कहते हैं। गर्मियों में दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी होती हैं।

4. **वनस्पति—** यहाँ वनस्पति बहुत कम है। मुख्य रूप से कंटीली झाड़ियाँ, बबूल और शुष्क घास पाई जाती है।

5. **जनबसाव—** यह क्षेत्र विरल आबादी वाला है। पानी की कमी के कारण जीवन कठिन है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि संभव हुई है।

6. **नदियाँ—** लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र प्रमुख नदी है। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट शुष्क जलवायु और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है।

6. भारतीय द्वीपों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए।

उत्तर— भारतीय द्वीपों में बंगाल की खाड़ी के 'अंडमान और निकोबार' (ज्वालामुखी व बड़े) और अरब सागर के 'लक्षद्वीप' (प्रवाल व छोटे) द्वीप समूह प्रमुख हैं। ये भारत के रणनीतिक व पारिस्थितिक केन्द्र हैं। अंडमान-निकोबार घने जंगलों से आच्छादित हैं और ये पानी में डूबी शृंखलाओं के शिखर हैं, जबकि लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं।

मुख्य अंतर और महत्व— 1. **रणनीतिक महत्व—** अंडमान-निकोबार भारत को दक्षिण-पूर्वी एशिया के करीब लाता है और यहाँ भारतीय नौ सेना का अड्डा है। (मलक्का, जलडमरू-मध्य के पास) 2. **भौगोलिक बनावट—** अंडमान-निकोबार में ऊँची चोटियाँ (सैंडल पीक 738 मीटर) हैं, जबकि लक्षद्वीप के द्वीप समतल हैं। 3. **विविधता—** अंडमान में वन्यजीवों की जैव विविधता अधिक है, वहीं लक्षद्वीप अपनी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 4. **आर्थिक गतिविधियाँ—** लक्षद्वीप मुख्य रूप से पर्यटन, मत्स्य पालन और नारियल के लिए जाना जाता है, जबकि अंडमान में भी ये गतिविधियाँ हैं।

दोनों ही द्वीप समूह भारत के भौतिक स्वरूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और देश के रक्षा व पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करते हैं।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह का तुलनात्मक अध्ययन		
विशेषता	**अंडमान-निकोबार द्वीप समूह**	**लक्षद्वीप द्वीप समूह**
स्थान	बंगाल की खाड़ी (दक्षिण-पूर्व)	अरब सागर (दक्षिण-पश्चिम)
प्रकार	बड़े, ऊँचे और संख्या में अधिक (572 द्वीप)	छोटे, प्रवाल द्वीप (36 द्वीप)
उत्पत्ति	पानी में डूबी पर्वत शृंखला	प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित
जलवायु	भूमध्य रेखीय गर्म और नम	उष्ण कटिबंधीय
वनस्पति	घने वर्षा वन	नारियल और झाड़ीदार वनस्पति
जनजाति/निवासी	आदि जनजातियाँ (जैसे-सेंटिनलीज)	मल्याली (केरल से समानता)
प्रशासन	राजधानी-पोर्ट ब्लेयर	राजधानी-कवरत्ती

○○

3 अपवाह

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए।

(i) **वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?**

(अ) राजस्थान (ब) पंजाब

(स) उत्तर प्रदेश (द) जम्मू और कश्मीर

उत्तर— (द) जम्मू और कश्मीर

(ii) **नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है—**

(अ) सतपुड़ा (ब) अमरकंटक
(स) ब्रह्मांगिरी (द) पश्चिमी घाट की ढाल

उत्तर— (ब) अमरकंटक

(iii) **निम्नलिखित में से कौन-सी लवणीय जलवाली झील है?**

(अ) सांभर (ब) वूलर
(स) डल (द) गोबिंद सागर

उत्तर— (अ) सांभर

(iv) **निम्नलिखित में से कौन-सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लम्बी नदी है?**

(अ) नर्मदा (ब) गोदावरी
(स) कृष्णा (द) महानदी

उत्तर— (ब) गोदावरी

(v) **निम्नलिखित नदियों में से कौन-सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है?**

(अ) महानदी (ब) कृष्णा
(स) तुंगभद्रा (द) तापी

उत्तर— (द) तापी

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए—

(i) **जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए।**

उत्तर— जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है जो दो अपवाह द्रोणियों को एक-दूसरे से पृथक् करता है। उदाहरण के लिए; अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है।

(ii) **भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन-सी है?**

उत्तर— गंगा द्रोणी।

(iii) **सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं?**

उत्तर— सिंधु नदी मानसरोवर झील (तिब्बत) के निकट से एवं गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी (उत्तराखंड) से निकलती है।

(iv) **गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक-दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं?**

उत्तर— गंगा की दो मुख्य धाराएँ भागीरथी एवं अलकनंदा हैं। ये दोनों धाराएँ एक-दूसरे से उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग (जनपद टिहरी) नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं।

(v) **लम्बी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद (सिल्ट) क्यों है?**

उत्तर— लम्बी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद (सिल्ट) है क्योंकि यह एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है अत: यहाँ इस नदी में जल की मात्रा कम है जिसके फलस्वरूप अपरदन कम होता है।

(vi) **कौन-सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं?**

उत्तर— नर्मदा एवं तापी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं।

(vii) **नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएँ।**

उत्तर— नदियों का आर्थिक महत्व— (i) नदियाँ घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं।

(ii) नदियाँ गाद और तलछट को बहाकर लाती हैं जो बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं तथा देश को उपजाऊ कृषि भूमि प्रदान करती हैं।

(iii) नदियाँ जल विद्युत के उत्पादन में सहायक हैं।

(iv) नदियाँ नौ-संचालन में प्रयोग होती हैं।

झीलों का आर्थिक महत्व— (i) झीलें प्राकृतिक सुन्दरता एवं पर्यटन को बढ़ावा देती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं।

(ii) झीलें नदी के बहाव को सुचारु बनाये रखती हैं।

(iii) झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है।

(iv) अत्यधिक वर्षा के समय झीलें बाढ़ के पानी को रोकती हैं।

(v) झीलों का प्रयोग नौका संचालन में भी किया जाता है।

(vi) सूखे के मौसम में झीलें पानी के बहाव को सन्तुलित करने में सहायता करती हैं।

(vii) झीलें आस-पास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं।

(viii) झीलें जलीय पारितन्त्र को सन्तुलित रखती हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न—

3. नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बाँटिए।

(क) वूलर (ख) डल
(ग) नैनीताल (घ) भीमताल
(ङ) गोबिंद सागर (च) लोकटक
(छ) बारापानी (ज) चिल्का
(झ) सांभर (ञ) राणा प्रताप सागर
(ट) निजाम सागर (ठ) पुलिकट
(ड) नागार्जुन सागर (ढ) हीराकुंड

उत्तर— प्राकृतिक झीलें— (क) वूलर, (ख) डल, (ग) नैनीताल, (घ) भीमताल, (च) लोकटक, (छ) बारापानी, (ज) चिल्का, (झ) सांभर, (ठ) पुलिकट।

मानव निर्मित झीलें— (ङ) गोबिंद सागर, (ज) राणाप्रताप सागर, (ट) निजाम सागर, (ड) नागार्जुन सागर, (ढ) हीराकुण्ड

4. हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अन्तर

निम्नलिखित हैं—

	हिमालयी नदियाँ		प्रायद्वीपीय नदियाँ
1.	हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र लम्बा है।	1.	प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्षेत्र छोटा है।
2.	हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं। इनमें पूरे वर्ष भर पानी बना रहता है।	2.	प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है।
3.	हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जन्म हिमानियों से हुआ है।	3.	प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वर्षा जल पर निर्भर हैं। यहाँ कोई हिमानी नहीं है।
4.	अपने ऊपरी मार्ग में ये नदियाँ तीव्र गति से अपरदन कार्य करती हैं फलस्वरूप ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद एवं तलछट लाती हैं।	4.	धीमे ढलानों के कारण ये नदियाँ अपेक्षाकृत धीमी गति से अपरदन कार्य करती हैं।
5.	समतल भूभाग में होकर बहने के कारण ये नदियाँ नौकायन करने योग्य हैं।	5.	ये नदियाँ मार्ग में जल प्रपात बनाती हैं अत: तटीय मैदानों को छोड़कर ये नदियाँ नौकायन योग्य नहीं हैं।
6.	ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं।	6.	ये नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं।

5. **प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए।**

उत्तर— प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना निम्न प्रकार से है—

	पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ		पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ
1.	ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।	1.	ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं।
2.	ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं।	2.	ये नदियाँ ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं।
3.	ये नदियाँ अधिक लम्बी दूरी को पार करती हैं तथा अपनी घाटी का स्वयं निर्माण करती हैं।	3.	नर्मदा एवं तापी को छोड़कर सभी नदियाँ अत्यन्त छोटी हैं तथा तेजी से तीव्र ढाल पर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं।
4.	पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं।	4.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा एवं तापी आदि प्रमुख हैं।

6. **किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं?**

उत्तर— किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि—

(i) नदियाँ घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती हैं विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ फसल मानसून पर निर्भर होती है।

(ii) नदियाँ परिवहन के साधन एवं अन्तर्देशीय जल मार्ग उपलब्ध करवाती हैं।

(iii) नदियों के किनारे नगर, मनोरंजन केन्द्र, पर्यटन एवं मत्स्य संग्रहण केन्द्र भी विकसित होते हैं।

(iv) नदियाँ गाद और तलछट बहाकर लाती हैं जो बाढ़ के मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं।

(v) नदियाँ अवशिष्ट को जमने नहीं देतीं, उसे गलाकर नष्ट कर देती हैं।

(vi) नदियों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव सभ्यता की जीवन रेखाएँ यह नदियाँ ही हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **हिमालय अपवाह तन्त्र की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।**

उत्तर— हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं। इनमें वर्षभर पानी रहता है।

(ii) हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लम्बे रास्ते को तय करती हैं।

(iii) ये नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं।

(iv) ये नदियाँ अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट एवं बालू का परिवहन करती हैं।

(v) ये नदियाँ मध्य एवं निचले भागों में अनेक निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ, जैसे-विसर्प, गोखुर झील एवं बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं।

(vi) ये नदियाँ पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं।

2. **सिंधु नदी प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं?**

उत्तर— (i) सिंधु नदी इस तन्त्र की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्‌गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है।

(ii) सिंधु नदी की कुल लम्बाई 2900 किमी. है।

(iii) सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जास्कर, नूबरा, श्योक, हुंजा, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम आदि हैं।

(iv) सिंधु नदी द्वारा एक मन्द ढाल वाले मैदान का निर्माण किया जाता है। इसका एक-तिहाई से थोड़ा अधिक हिस्सा भारत में है, जबकि शेष हिस्सा पाकिस्तान में है।

3. **गंगा नद प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।**

उत्तर— गंगा नदी तंत्र के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं—

(i) गंगा नदी की दो शीर्ष धाराएँ हैं—अलकनंदा एवं भागीरथी। ये दोनों उत्तराखंड के देव प्रयाग में मिलती हैं।

(ii) गंगा हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, जैसे—यमुना, घाघरा, गंडक एवं कोसी आदि हैं।

(iii) प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा एवं सोन आदि भी इसमें मिलती हैं।

(iv) गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किमी. है।

4. **ब्रह्मपुत्र की प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं?**

उत्तर— (i) ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यह एक गार्ज के माध्यम से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।

(ii) तिब्बत में इसका नाम सांगपो एवं अरुणाचल में प्रवेश करने के स्थान पर इसे दिहाँग के नाम से जाना जाता है।

(iii) असम में जब इसमें दिबांग, लोहित, केनुला आदि सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।

(iv) इसके द्वारा असम एवं बांग्लादेश में बाढ़ से भयंकर विनाश होता है।

(v) तिब्बत के भागों में इसे बहुत कम जल मिलता है और इसमें सिल्ट (गाद) भी कम होती है परन्तु भारत में इसमें विशाल मात्रा में जल एवं सिल्ट भी बहकर आती है।

(vi) इस नदी को लगातार अपने बहाव में परिवर्तन के लिए जाना जाता है।

(vii) असम में यह नदी अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। इसकी धारा के मध्य में कई बड़े-बड़े नदी द्वीप भी हैं।

5. **प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।**

उत्तर- प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(i) अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं। इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है।

(ii) हिमालयी नदियों की तुलना में इन नदियों की लम्बाई कम एवं छिछली है।

(iii) अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं।

(iv) शुष्क मौसम में बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों का जल भी घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है।

6. **नर्मदा बेसिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**

उत्तर— नर्मदा नदी बेसिन मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम प्रवाही नदी श्रेणी है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश (87 प्रतिशत) और गुजरात के हिस्सों को कवर करती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर यह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम-प्रवाही नदी है, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है और अपनी सुंदर घाटियों के लिए जानी जाती है।

नर्मदा नदी बेसिन की विशेषताएँ—1. **उद्‌गम और प्रवाह—** नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से निकलती है। यह पश्चिम की ओर दरार घाटी में बहती है। 2. **भौगोलिक विस्तार—** यह 98, 796 वर्ग किमी का विशाल क्षेत्र कवर करती है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फैला है। 3. **सहायक नदियाँ—** नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, जिनमें से अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। 4. **दर्शनीय स्थल—**यह नदी जबलपुर के पास 'संगमरमर की चट्टानें (मार्बल रॉक्स) और धुआँधार जलप्रपात जैसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बनाती है। 5. **जल परियोजनाएँ—** बेसिन में इंदिरा सागर (मध्य प्रदेश) और सरदार सरोवर (गुजरात) जैसी बड़ी जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाएँ स्थित हैं। 6. **महत्व—** यह नदी अपनी जल निकासी व्यवस्था में 'ज्वारनदमुख' बनाती है, न कि डेल्टा। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा बनाती है।

7. **गोदावरी नदी तन्त्र की विशेषता बताइए।**

उत्तर— गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है।

(ii) बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे 'दक्षिण गंगा' के नाम से भी जाना जाता है।

(iii) इसकी लम्बाई लगभग 1500 किमी. है।

(iv) प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है।

(v) इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है।

(vi) इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, मांजरा, वर्धा, वेनगंगा एवं पेनगंगा, प्रान्हिता आदि हैं।

8. **कावेरी बेसिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**

उत्तर- (i) कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि शृंखला से निकलती है।

(ii) इसकी लम्बाई 760 किमी. है।

(iii) इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ—अमरावती, हेमावती, भवानी एवं काबिनि हैं।

(iv) इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है।

(v) यह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

निबन्धात्मक प्रश्न–

1. **हिमालय अपवाह तन्त्र का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तन्त्र कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हैं। इनका विस्तार से वर्णन निम्न प्रकार है—

सिंधु नदी तंत्र— सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से हुआ है। यह भारत के केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र की सहायक नदियाँ जास्कर, नूबरा, श्योक तथा हुंजा इसमें मिलती हैं। आगे यह बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई करांची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लम्बाई 2900 किमी है। भारत में इसके जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए होता है।

गंगा नदी तंत्र— गंगा की मुख्यधारा भागीरथी तथा अलकनंदा है। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलकर उत्तराखण्ड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। हरिद्वार से गंगा पर्वत को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी आगे चलकर गंगा में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली चंबल, बेतवा, सोन नदी भी गंगा में ही मिल जाती हैं। अन्त में गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलती है। दोनों मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की लम्बाई 2500 किमी से अधिक है।

ब्रह्मपुत्र नदी तन्त्र— ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिन्धु एवं सतलुज के स्रोतों के पास से निकलती है। इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। इस नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा के साथ मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती है।

2. **प्रायद्वीपीय अपवाह तन्त्र का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी-पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। ये अधिकांशतः वर्षा-पोषित, मौसमी और पुरानी नदियाँ हैं। गोदावरी सबसे बड़ी (1440 किमी), महानदी (860 किमी) और कावेरी (760 किमी) हैं, जो दक्षिण भारत के कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रायद्वीपीय अपवाह तन्त्र का विवरण निम्नलिखित है—

1. **गोदावरी नदी (दक्षिण की गंगा अथवा बूढ़ी गंगा)**— यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लगभग 1440 किमी की लम्बाई में प्रवाहित होती है। राजमुंदरी के पास बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाती है।

2. **कृष्णा नदी**— यह नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। इस नदी का प्रवाहन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 1400 किमी लम्बा है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा (सबसे बड़ी), भीम, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा और मूसी प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

3. **कावेरी नदी**— यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके प्रवाहन क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का 760 किमी लम्बा क्षेत्र शामिल है। इसकी सहायक नदियों में काबिनि, भवानी, हेमावती और अमरावती प्रमुख हैं। यह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

4. **महानदी**— यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। इसके प्रवाहन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और ओडिशा का लगभग 860 किमी लंबा क्षेत्र शामिल है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड प्रमुख हैं। यह ओडिशा में पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

प्रायद्वीपीय तंत्र की प्रमुख विशेषताएँ— (i) **पूर्वी बहाव**— अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। (ii) **डेल्टा निर्माण**— गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपने मुहाने पर डेल्टा (जैसे कृष्णा-गोदावरी डेल्टा) बनाती हैं। (iii) **वृद्धावस्था**— ये नदियाँ भूवैज्ञानिक रूप से पुरानी हैं और ढाल कम होने के कारण मैदानी भागों में विसर्प बनाती हैं। (iv) **मौसमी**— ग्रीष्मकाल में जल स्तर कम हो जाता है क्योंकि ये केवल मानसून (जून-सितंबर) पर निर्भर हैं।

3. **हिमालय व प्रायद्वीपीय अपवाह तन्त्र की तुलना कीजिए।**

उत्तर— हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र भारत की दो मुख्य नदी प्रणालियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ (गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र) बारहमासी हैं और नवीन वलित पर्वतों से निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ (गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा) मौसमी हैं और प्राचीन पठारों से निकलती हैं। हिमालयी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और पूर्ववर्ती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मुहाना बनाती हैं।

हिमालय व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तुलना

1. **उत्पत्ति व प्रकृति—** हिमालयी नदियाँ बर्फ और वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं, इसलिए बारहमासी हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा पर निर्भर हैं, इसलिए मौसमी हैं।

2. **उद्‌गम—** हिमालयी नदियों का उद्‌गम हिमालय पर्वतमाला है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती हैं।

3. **भू-वैज्ञानिक अवस्था—** हिमालयी नदियाँ युवावस्था में हैं और गहन कटाव (V-आकार की घाटियाँ) करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं और उनकी घाटियाँ कम गहरी हैं।

4. **अपवाह प्रतिरूप—** हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का अनुसरण करती हैं (पर्वत कटने के पहले की नदियाँ), जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती हैं।

5. **बेसिन क्षेत्र—** हिमालयी नदियों (जैसे-गंगा, ब्रह्मपुत्र) के जलग्रहण क्षेत्र अत्यंत विशाल हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बेसिन तुलनात्मक रूप से छोटे हैं।

6. **डेल्टा व मुहाना—** हिमालय की नदियाँ मुहाने पर विशाल डेल्टा बनाती हैं (जैसे-सुंदरबन)।

प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ (नर्मदा, तापी) ज्वारनदमुख बनाती हैं।

7. **अपवाह की दिशा—** अधिकांश हिमालयी नदियाँ पूर्व या पश्चिम की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ (नर्मदा, तापी को छोड़कर) ढलान का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

4. **नदियों व झीलों के आर्थिक महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— नदियों और झीलों का आर्थिक महत्व— जल आपूर्ति (पीने, सिंचाई, उद्योग), जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और बाढ़ व सूखे के प्रभाव को कम करके प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

नदियों और झीलों से आर्थिक लाभ—

1. **सिंचाई—** ये कृषि के लिए पानी का मुख्य स्रोत हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
2. **पेयजल और उद्योग—** घरेलू उपयोग और कारखानों के लिए ताजे पानी की आपूर्ति करती हैं।
3. **जल विद्युत—** नदियों पर बाँध बनाकर सस्ती और नवीकरणीय ऊर्जा (बिजली) का उत्पादन किया जाता है।
4. **परिवहन—** नदियाँ वस्तुओं और लोगों के लिए प्राकृतिक जलमार्ग के रूप में काम करती हैं, जिससे परिवहन लागत कम आती है।
5. **मत्स्य पालन—** मछली पकड़ना कई समुदायों की आजीविका और भोजन का स्रोत है।
6. **पर्यटन और मनोरंजन—** प्राकृतिक सुंदरता के कारण नौका विहार, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
7. **बाढ़ और सूखा नियंत्रण—** बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी जमा करके और सूखे के समय उसे छोड़कर बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करती हैं।

5. **भारत में झीलों का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारत में झीलें मीठे और खारे पानी के विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय हैं, जो जल संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वुलर (जम्मू-कश्मीर) मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि चिल्का (ओडिशा) सबसे बड़ी खारी, तटीय झील है, जो पर्यटन और मत्स्य पालन का मुख्य केन्द्र हैं।

झीलों के प्रकार और उत्पत्ति—

1. **प्राकृतिक झीलें—** ये हिमनदों द्वारा बनाई गई द्रोणियों, भू-गर्भीय हलचल या नदियों के विसर्प के कटने से बनती हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमानी झीलें अधिक है।
2. **कृत्रिम झीलें—** जल विद्युत उत्पादन या सिंचाई के लिए नदियों पर बाँध बनाकर बनाई जाती हैं, जैसे- गुरु गोविंद सागर (भाखड़ा नांगला परियोजना)।

भारत की झीलों का विवरण—(1) **प्राकृतिक झीलें—** ये झीलें हिमालयी क्षेत्रों (हिमनदों द्वारा निर्मित) और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

(i) **वुलर झील (जम्मू-कश्मीर)—** भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।

(ii) **डल झील (श्रीनगर)—** यह अपनी सुंदरता, हाउसबोट और शिकारे के लिए प्रसिद्ध है।

(iii) **चिल्का झील (ओडिशा)—** भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, जो समुद्र का पानी जमीनी भाग में आने से बनी है।

(iv) **सांभर झील (राजस्थान)**— खारे पानी की झील, जिससे नमक उत्पादन होता है।

(v) **लोकटक झील (मणिपुर)**— पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ तैरते हुए द्वीप (फुमदी) पाए जाते हैं।

(vi) **अन्य झीलें**— नैनीताल, भीमताल (उत्तराखंड), पुलिकट (आंध्र-तमिलनाडु), राजस्थान में पिछोला, नक्की झीलें प्रसिद्ध हैं।

झीलों का महत्व—

(i) **आर्थिक उपयोग**— सिंचाई, मत्स्य पालन और नमक उत्पादन (सांभर झील) से आय प्राप्त की जाती है।

(ii) **जल विद्युत**— बाँध निर्मित झीलें जैसे गोविंद सागर जल विद्युत के लिए जल प्रदान करती हैं।

(iii) **पर्यटन**— डल झील (श्रीनगर) और नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटन केन्द्र हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

(iv) **पारिस्थितिक संतुलन**— ये नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं, बाढ़ रोकती हैं और भू-जल स्तर को बनाए रखती हैं। राजस्थान के उदयपुर को 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है, जहाँ पिछोला और फतेह सागर जैसी कृत्रिम झीलें प्रसिद्ध हैं। ❍❍

4 जलवायु

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

(i) नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है?

(क) सिलचर (ख) चेरापूँजी

(ग) मासिनराम (घ) गुवाहाटी।

उत्तर— (ग) मासिनराम

(ii) ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?

(क) काल वैसाखी (ख) व्यापारिक पवनें

(ग) लू (घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर— (ग) लू

(iii) भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है—

(क) मई के प्रारम्भ में (ख) जून के प्रारम्भ में

(ग) जुलाई के प्रारम्भ में (घ) अगस्त के प्रारम्भ में

उत्तर— (ख) जून के प्रारम्भ में

(iv) निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है?

(क) गर्म दिन एवं गर्म रातें (ख) गर्म दिन एवं ठंडी रातें

(ग) ठंडे दिन एवं ठंडी रातें (घ) ठंडे दिन एवं गर्म रातें।

उत्तर— (ग) ठंडे दिन एवं ठंडी रातें

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें—

(i) भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं?

उत्तर— भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं—अक्षांश, ऊँचाई, वायुदाब, पवनें, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ एवं उच्चावचीय लक्षण।

(ii) भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है?

उत्तर— धरातल पर मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5° से 30° अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वास्तव में ये प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आते हैं, जिनमें ऋतुवत् उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है जिस कारण मानसूनी प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति होती है जिसमें 6 महीने तक हवाएँ सागर से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। चूँकि भारत का अधिकांश अक्षांशीय विस्तार इन्हीं अक्षांशों के मध्य है। मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हेतु आवश्यक समस्त परिस्थितियाँ भारत में मौजूद हैं। इस कारण भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है।

(iii) भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों?

उत्तर— भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं—

(अ) माह मई, जून में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब का केन्द्र विकसित हो जाता है।

(ब) इन भागों में गर्म पवनें जिन्हें 'लू' के नाम से जाना जाता है, चलने लगती हैं। ये धूल भरी गर्म हवाएँ होती हैं जो तापमान को बढ़ा देती हैं।

(iv) किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है?

उत्तर— दक्षिण-पश्चिमी मानसून पवनों की अरब सागरीय शाखा द्वारा मालाबार तट पर वर्षा होती है।

(v) मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं?

उत्तर— मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मौसम' शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है—मौसम। मानसून का अर्थ, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है।

मानसून में विराम— मानसून से सम्बन्धित एक परिघटना है, इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इसमें वर्षारहित अंतराल भी होते हैं, इसे ही मानसून में विराम के नाम से जाना जाता है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से सम्बन्धित होते हैं।

(vi) **मानसून को एक सूत्र में बाँधने वाला क्यों समझा जाता है?**

उत्तर— भारत एक विशाल देश है। यहाँ उच्चावच, जलवायु एवं वनस्पति में ही नहीं वरन् जनजीवन में भी विभिन्नताएँ मिलती हैं किन्तु मानसून एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो देश की इन विविधताओं को एक सूत्र में बाँधकर एकता स्थापित करता है। मानसून के आगमन पर समस्त देश में वर्षा होती है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। समस्त भारतीय भू-परिदृश्य, इसका वन्य एवं वनस्पति जीवन, सम्पूर्ण कृषि कार्यक्रम, लोगों की जीवन-शैली और उनके त्यौहार सभी कुछ मानसून के इर्द-गिर्द घूमते हैं। मानसून के कारण ही प्रतिवर्ष ऋतुओं के चक्र की एक लय बनी रहती है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बाँधने वाला समझा जाता है।

3. **उत्तरी–भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है?**

उत्तर— प्रायद्वीपीय भारत की त्रिभुजाकार आकृति के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून दो भागों में बँट जाता है— (i) अरब सागरीय शाखा, (ii) बंगाल की खाड़ी की शाखा। आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी की शाखा तीव्र गति से उत्तरी-पूर्वी राज्यों की ओर प्रवेश करती है और वहाँ पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ से ये पवनें हिमालय के सहारे-सहारे पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। जैसे ही ये पवनें पश्चिम की ओर बहती हैं, धीरे-धीरे इनकी आर्द्रता घटती जाती है जिस कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है।

4. **कारण बताएँ—**

(i) **भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है?**

उत्तर— भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं—

(अ) ग्रीष्मकाल में सम्पूर्ण उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप अत्यधिक गर्म रहता है। इससे यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ निम्न वायुदाब का केन्द्र बन जाता है जबकि जलीय क्षेत्रों में जहाँ इस समय उच्च वायुदाब होता है और पवनें निम्न दाब की ओर चलती हैं। अत: इस समय पवनों की दिशा जल से स्थल की ओर होती है।

(ब) शीत ऋतु सम्पूर्ण उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च वायुदाब का केन्द्र बन जाता है। इसके विपरीत जलीय भाग पर इस समय निम्न वायुदाब रहता है। अत: पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं।

(ii) **भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है।**

उत्तर— भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चमी मानसून से होती है जो भारत में केवल जून से सितम्बर के मध्य सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा इन्हीं महीनों में होती है।

(iii) **तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है।**

उत्तर— तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने के निम्नलिखित कारण हैं—

(अ) तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिमी मानसून के वृष्टिछाया प्रदेश में पड़ने के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त नहीं करता है।

(ब) शीत ऋतु में तमिलनाडु तट भारत में चलने वाली उत्तरी-पूर्वी पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में पड़ता है। ये पवनें शुष्क होती हैं।

(स) जब ये उत्तरी-पूर्वी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो काफी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु के तट से टकराकर खूब वर्षा करती हैं।

(iv) **पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय: चक्रवात आते हैं।**

उत्तर— पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्राय: चक्रवात आने के निम्नलिखित कारण हैं—

(अ) नवम्बर माह के प्रारम्भ में अण्डमान सागर में उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये उत्तरी-पूर्वी पवनों के प्रभाव में आकर दक्षिण-पश्चिम की ओर चलते हैं।

(ब) इसके कारण उत्तर-पश्चिम भारत का निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानान्तरित हो जाता है। इनकी दिशा पूर्वी तट की ओर होती है।

(स) जो चक्रवात सामान्यत: पूर्वी तट को पार करते हैं वे बहुत तीव्र गति वाले होते हैं, ये भारी वर्षा करते हैं। पूर्वी तट पर गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा हैं जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। अत: इन चक्रवातों के प्रभाव से यहाँ जन-धन की भारी हानि होती है।

(v) **राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है।**

उत्तर— राजस्थान एवं गुजरात राज्य के कुछ भाग, जो पश्चिमी छोर पर स्थित हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में जब मानसूनी पवनें इन क्षेत्रों में पहुँचती हैं तो उनकी आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है और ये बहुत कम वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट

का वृष्टि छाया क्षेत्र पवनाविमुख ढाल पर स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है।

5. **भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएँ।**

उत्तर— भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट समझा जा सकता है—

(i) **तापमान—** ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50° सेण्टीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि इसी समय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20° सेण्टीग्रेड तक होता है।

शीत ऋतु में जम्मू-कश्मीर के द्रास का तापमान -45° सेण्टीग्रेड तक गिर जाता है जबकि तिरुवनन्तपुरम् में तापमान 22° सेण्टीग्रेड तक बना रहता है। सामान्य रूप से देश के तटीय क्षेत्रों के तापमान में अन्तर कम होता है। देश के आन्तरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अन्तर अधिक होता है।

(ii) **वर्षा—** देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितम्बर के मध्य होती है लेकिन तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा शरद ऋतु में अक्टूबर एवं नवम्बर के महीने में होती है। वार्षिक वर्षा में भी भिन्नता देखने को मिलती है जहाँ मेघालय में यह वर्षा 400 सेमी. से अधिक वहीं लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह वर्षा 10 सेमी. से भी कम होती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यत: पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है।

(iii) **वर्षण का रूप—** हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है, जबकि देश के अन्य भागों में यह वर्षा के रूप में होती है।

(iv) **पवनों की दिशा—** ग्रीष्म ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जबकि शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं।

6. **शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएँ बताएँ।**

उत्तर— शीत ऋतु में मौसमी अवस्थाएँ निम्नलिखित होती हैं—

(i) **शीत ऋतु की अवधि—** यह ऋतु मध्य नवम्बर से आरम्भ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसम्बर एवं जनवरी सबसे ठण्डे महीने होते हैं।

(ii) **तापमान—** इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। दक्षिणी भारत में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई में औसत तापमान 24° से 25° सेण्टीग्रेड के मध्य होता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह 10° से 15° सेण्टीग्रेड के मध्य होता है। इस ऋतु में दिन गर्म होते हैं एवं रातें ठण्डी होती हैं। उत्तर में तुषारापात सामान्य होता है एवं हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता है।

(iii) **पवनें—** इस ऋतु के दौरान देश में उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। अत: देश के अधिकांश भागों में यह शुष्क मौसम होता है।

(iv) **वर्षा—** इस ऋतु में उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवनों से तमिलनाडु तट पर अल्प मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ वर्षा होने का प्रमुख कारण पवनों का समुद्र से स्थल की ओर चलना है।

(v) **वायुदाब—** देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं।

(vi) शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह न्यून दाब प्रणाली भूमध्यसागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीत ऋतु में मैदानों में वर्षा होती है एवं पर्वतों पर हिमपात। इस ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट के नाम से जाना जाता है जो रबी की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है।

(vii) प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु सम्बद्ध नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण इस ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में बहुत कम परिवर्तन होता है।

शीत ऋतु की विशेषताएँ— (i) इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है।

(ii) इस ऋतु में आसमान साफ, तापमान एवं आर्द्रता कम एवं पवनें धीरे-धीरे चलती हैं।

(iii) इस ऋतु में दिन की अवधि छोटी एवं रातें लम्बी होती हैं।

7. **भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएँ बताएँ।**

उत्तर— भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) **मानसूनी वर्षा—** भारत में अधिकांश वर्षा (लगभग 98%) दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है। शीतकालीन मानसूनों से यहाँ वर्षा मात्र 5 प्रतिशत होती है।

(ii) **अनिश्चितता—** मानसूनी वर्षा में निश्चितता नहीं पाई जाती है। इनका आगमन एवं वापसी बहुत ही अनिश्चित होती है। कभी भारी वर्षा होती है और कभी सूखा ही पड़ जाता है।

(iii) **असमान वितरण—** मानसूनी वर्षा का वितरण असमान होता है, कहीं पर मानसूनी वर्षा बहुत अधिक होती है, जैसे—उत्तरी-पूर्वी राज्य जबकि कहीं वर्षा बहुत कम होती है, जैसे—राजस्थान का मरुस्थल।

(iv) **अवधि में अन्तर—** मानसून (ग्रीष्मकालीन मानसून) की अवधि में भी अन्तर पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दो महीने से कम तथा केरल एवं अण्डमान और निकोबार क्षेत्र समूह में लगभग 6 महीने की अवधि का होता है।

(v) **क्रमभंगता की प्रवृत्ति—** मानसून वर्षा के क्रम में निरन्तरता नहीं होती बल्कि वर्षा रुक-रुक कर होती है। भारी वर्षा होने के

पश्चात् बीच-बीच में शुष्क मौसम आता रहता है। कभी-कभी यह अन्तराल अधिक हो जाता है जिससे फसलें सूख जाती हैं।

(vi) **मूसलाधार वर्षा—** मानसूनी वर्षा मूसलाधार होती है। एक बार आने पर यह लगातार कई दिनों तक जारी रहती है इसे मानसून का फटना कहते हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **भारत में जलवायु के नियंत्रक कारक कौन-कौन से हैं?**

उत्तर— भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले छः प्रमुख कारक हैं—अक्षांश, ऊँचाई (तुंगता), वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ और उच्चावच लक्षण। ये कारक भारत की विविधतापूर्ण मौसम स्थितियों और मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु को निर्धारित करते हैं।

भारत में जलवायु के प्रमुख नियंत्रक कारक— (i) **अक्षांश—** कर्क रेखा (23°30' उत्तरी) देश के मध्य से गुजरती है, जिससे दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है।

(ii) **ऊँचाई (तुंगता)—** हिमालय उत्तर में ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी होती है। ऊँचे स्थानों पर तापमान कम होता है।

(iii) **वायु दाब और पवनें—** भारत पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में है, जो कोरियोलिस बल के कारण मुड़कर भूमध्य रेखा के पास निम्न-दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं, जो मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती हैं।

(iv) **समुद्र से दूरी—** तटीय क्षेत्रों में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण मौसम में कम अंतर होता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में अत्यधिक जलवायु में अंतर पाया जाता है।

(v) **महासागरीय धाराएँ—** तटीय क्षेत्रों के गर्म या ठंडे पानी के बहाव भी स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं।

(vi) **उच्चावच (राहत) लक्षण—** ऊँचे पर्वत, जैसे पश्चिमी घाट, मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराते हैं, जबकि उनका अनुवात पक्ष शुष्क रह जाता है।

ये सभी कारक मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी विविधता और मानसून की वर्षा को निर्धारित करते हैं।

2. **भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?**

उत्तर— (i) **अक्षांश—** कर्क वृत्त, भारत को दो भागों में बाँटता है। कर्क वृत्त के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में है तथा उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबन्ध में है। अतः भारत की जलवायु में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धीय जलवायु दोनों की विशेषताएँ पायी जाती हैं।

(ii) **ऊँचाई—** भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो मध्य एशिया से आने वाली ठण्डी हवाओं को रोककर हमारे देश की जलवायु को शीत मरुस्थल बनने से रोकता है।

3. **वायुदाब और हवाएँ किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? बताइए।**

उत्तर— भारत की जलवायु मुख्य रूप से वायुदाब और हवाओं के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है। जल और स्थल के असमान तापन के कारण, गर्मियों में भारत के भूभाग पर निम्न दाब और समुद्र पर उच्च दाब तथा सर्दियों में इसका उल्टा होता है। यही वायुदाब का अंतर मानसूनी हवाओं को उत्पन्न करता है।

वायुदाब और हवाओं का प्रभाव— (i) **दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ (ग्रीष्म ऋतु)—** गर्मियों में भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में अत्यधिक कम वायुदाब उत्पन्न होता है, जिससे हिंद महासागर से नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ भारत की ओर आती हैं, जो जून से सितंबर तक भारी वर्षा लाती हैं।

(ii) **उत्तर-पूर्वी मानसूनी हवाएँ—** सर्दियों में स्थल पर उच्च वायुदाब और समुद्र में कम वायुदाब के कारण, शुष्क उत्तर-पूर्वी हवाएँ भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। ये हवाएँ आमतौर पर शुष्क होती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं।

(iii) **जेट स्ट्रीम और वायु परिसंचरण—** हिमालय के दक्षिण में पश्चिमी जेट स्ट्रीम और भारतीय प्रायद्वीप पर पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी मानसून की गति और वर्षा के वितरण को नियंत्रित करता है।

(iv) **आईटीसीजेड का प्रभाव—** ग्रीष्म ऋतु में 'अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र' का उत्तर की ओर खिसकना मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है।

संक्षेप में, भारत में हवाओं की दिशा में मौसमी बदलाव के कारण वर्षा होती है, जो भारतीय जलवायु को मानसूनी बनाती है।

4. **दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।**

उत्तर— दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

(i) दक्षिण-पश्चिम में मानसून की अवधि जून से सितम्बर तक होती है।

(ii) इन महीनों में उत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बढ़ जाता है।

(iii) मानसूनी पवनें निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं और इनकी दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व होती है।

(iv) इस ऋतु में सम्पूर्ण भारत में मानसून पवनें फैलकर वर्षा करती हैं।

(v) भारत में अधिकांश वर्षा (98%) इन्हीं मानसूनी पवनों से होती है।

(vi) दक्षिण-पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएँ हैं—(v) अरब सागरीय शाखा, (ब) बंगाल की खाड़ी की शाखा।

5. **भारत में वर्षा के वितरण को संक्षेप में बताइए।**

उत्तर— भारत में वर्षा का वितरण निम्नलिखित है—

(i) पश्चिमी तट एवं उत्तरी पूर्वी भारत में वार्षिक वर्षा 400 सेमी. से भी अधिक होती है।

(ii) पश्चिमी राजस्थान एवं उससे लगे गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब में वार्षिक वर्षा 60 सेमी. से भी कम होती है।

(iii) दक्षिण के पठार, सह्याद्रि के पूर्वी भाग में 60 सेमी. से भी कम वार्षिक वर्षा होती है।

(iv) जम्मू-कश्मीर के लेह क्षेत्र में 20 सेमी. से भी कम वर्षा होती है।

निबन्धात्मक प्रश्न—

1. **भारतीय जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— किसी भी क्षेत्र की जलवायु को विभाजित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं—

(i) **अक्षांश—** पृथ्वी की गोल आकृति के कारण अक्षांश के अनुरूप प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग होती है। फलस्वरूप तापमान विषुवत् रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है जिससे किसी स्थान की जलवायु निर्धारित होती है।

(ii) **ऊँचाई—** जैसे-जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊँचाई की ओर जाते हैं तो वायुमण्डल की सघनता कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है जिससे किसी स्थान की जलवायु निर्धारित होती है।

(iii) **वायुदाब एवं पवन तन्त्र—** किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तन्त्र उस स्थान के अक्षांश एवं ऊँचाई पर निर्भर करता है। वायुदाब एवं पवन तन्त्र किसी स्थान की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं क्योंकि इनके द्वारा वर्षा का प्रारूप एवं तापमान नियन्त्रित होते हैं।

(iv) **समुद्र से दूरी—** समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे-जैसे किसी स्थान की समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव कम होता जाता है।

(v) **महासागरीय धाराएँ—** महासागरीय धारा एवं अपतटीय हवाओं द्वारा किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है, जैसे-कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म एवं ठण्डी जलधाराएँ बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठण्डा हो जायेगा।

(vi) **उच्चावच—** यह किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। ऊँचे पर्वत, ठण्डी या गर्म हवाओं से रक्षा करते हैं। अधिक ऊँचे पर्वत वर्षा लाने वाली पवनों को रास्ते में रोककर वर्षा कराने में सहायक होते हैं।

2. **भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून प्रणाली का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारत में ग्रीष्मकालीन (दक्षिण-पश्चिम) मानसून (जून-सितंबर) की उत्पत्ति अत्यधिक ताप, निम्न वायुदाब, हिंद महासागर से नमी युक्त हवाओं के आने से होती है। यह अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से दो शाखाओं में आकर, प्रायद्वीप के पश्चिमी घाट व हिमालय से टकराकर जून में केरल में प्रवेश करती है और जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा करती है।

ग्रीष्मकालीन मानसून प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ—

1. **उत्पत्ति के कारण (तापमान व वायुदाब)—** (i) **अत्यधिक तापन—** गर्मी के महीनों में भारतीय भूभाग, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी मैदान, अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है।

(ii) **महासागरीय उच्च दाब—** हिंद महासागर की तुलना में भूमि तेजी से गर्म होती है, इसलिए ठंडे महासागरों (अरब सागर, बंगाल की खाड़ी) पर उच्च वायुदाब रहता है।

(iii) **वायु परिसंचरण—** गोलार्द्ध की व्यापारिक हवाएँ भूमध्य रेखा को पार कर, फेरेल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़कर दक्षिण-पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं।

(iv) **आईटीसीजेड का खिसकना—** 'अंत: उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र' गर्मी में उत्तर की ओर (गंगा के मैदानों की ओर) खिसक जाता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है।

(v) **जेट स्ट्रीम—** पश्चिमी जेट स्ट्रीम का हिमालय के उत्तर में, और पूर्वी जेट स्ट्रीम का भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर स्थापित होना मानसून को मजबूत करता है।

2. **मानसून का आगमन—** मानसूनी हवाएँ नमी लेकर भारत पहुँचती हैं। सबसे पहले जून के पहले सप्ताह में मानसून केरल तट से टकराता है और यह लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाता है।

3. **मानसून की विविध शाखाएँ—** (i) **अरब सागर शाखा—** यह पश्चिम घाट (सह्याद्री) से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदानों में भारी वर्षा (250–400 सेमी से अधिक) करती है। इसके बाद यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत की ओर बढ़ती है।

(ii) **वर्षा छाया क्षेत्र—** पश्चिमी घाट के पार (जैसे महाराष्ट्र के आंतरिक भाग) हवाएँ उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं, जिससे वहाँ कम वर्षा (वर्षा छायाक्षेत्र) होती है।

(iii) **बंगाल की खाड़ी शाखा—** यह म्यांमार और उत्तर-पूर्वी भारत की ओर बढ़ती है। हिमालय व उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों (मेघालय-मासिनराम) में भीषण वर्षा करती है। यह शाखा गंगा के मैदानों की ओर मुड़कर उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है।

वर्षा की प्रक्रिया व वितरण— (i) **पर्वतीय वर्षा—** मानसून हवाएँ जब पर्वतों (पश्चिमी घाट, हिमालय) से टकराती हैं, तो ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और बारिश करती हैं।

(ii) **वितरण—** वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम (जैसे कोलकाता से दिल्ली) और दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है क्योंकि हवाओं की आर्द्रता घटती है।

(iii) **विराम (ब्रेक)—** मानसून के दौरान कुछ समय के लिए वर्षा रुक जाती है, जिसे मानसून का विराम (ब्रेक) कहते हैं।

शीतकालीन मानसून (उत्तर-पूर्वी मानसून)— सितंबर के बाद जब हवाएँ वापस लौटती हैं, तो वे तमिलनाडु तट (कोरोमंडल तट) पर वर्षा करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं। यह हवाएँ भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं।

3. मानसून क्या है? मानसून प्रस्फोट को समझाते हुए मानसून विराम का वर्णन करें।

उत्तर— मानसून ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में मौसमी बदलाव है। यह दक्षिण-पश्चिम दिशा से नमी लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में जून से सितंबर तक वर्षा कराता है। मानसून प्रस्फोट में अचानक तीव्र वर्षा होती है, जबकि विराम में कुछ दिनों की बारिश रुक जाती है।

1. **मानसून की परिभाषा—** मानसून शब्द अरबी शब्द 'मौसिम' से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ 'ऋतु' है। मानसून ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। यह दक्षिण-पश्चिम से समुद्र से जमीन की ओर चलने वाली मानसूनी पवनें हैं, जो भारी बारिश लाती हैं।

2. **मानसून प्रस्फोट या प्रस्फुटन—** जून के पहले सप्ताह में, मानसूनी हवाओं के अचानक और तीव्र रूप से सक्रिय होने तथा गरज के साथ भारी वर्षा शुरू होने को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। यह सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि है, जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है।

3. **मानसून के कारण—** (i) **स्थल और जल का तापमान—** गर्मियों में भूमि (एशियाई महाद्वीप) समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है, जिससे भूमि पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और समुद्र से हवाएँ जमीन की ओर चलती हैं। (ii) **आईटीसीजेड का खिसकना—** गर्मियों में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन होने से भी वर्षा होती है। (iv) **तिब्बत का पठार—** ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का तीव्र गर्म होना।

4. **मानसून के प्रभाव—** (i) **कृषि—** भारतीय कृषि, जो 64 प्रतिशत आजीविका के लिए मानसून पर निर्भर है, इसे 'भाग्य का जुआ' भी कहा जाता है। (ii) **जल भण्डारण—** नदियों, तालाबों, झीलों और बाँधों को रिचार्ज करता है, जिससे जल उत्पादन होता है। (iii) **आपदा और रोग—** भारी वर्षा से बाढ़, भूस्खलन और हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं।

5. **मानसून के क्षेत्र—** मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश, दक्षिण-पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत में पश्चिमी तट, उत्तर-पूर्व भारत और हिमालय के मैदानी इलाके सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं।

6. **मानसून विराम—** मानसून के दौरान होने वाली बारिश में कुछ समय का अंतर या सूखा पड़ना 'मानसून विराम' कहलाता है। यह मानसून गर्त के उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकने से संबंधित है। जब गर्त हिमालय की ओर जाता है, तो मैदानी इलाकों में बारिश रुक जाती है, जिससे लंबा सूखा काल आ सकता है।

4. भारतीय मानसून देश को एकता के सूत्र में किस प्रकार बाँधता है? समझाइए।

उत्तर— भारतीय मानसून को भारत 'एकता परिचायक' या 'एकता का सूत्र' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरे देश के कृषि चक्र, जनजीवन और संस्कृति को एक साथ प्रभावित करता है। भारत की भौगोलिक विविधता के बावजूद, मानसून उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सबको एक समान पानी और जीवन प्रदान करता है।

मानसून के एकता के सूत्र में पिरोने के मुख्य कारण—

1. **कृषि पर साझा निर्भरता—** भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, और कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। एक अच्छी फसल का मतलब है, देशभर में खुशी और समृद्धि, जबकि मानसून की विफलता पूरे देश को अकाल के जोखिम में डाल देती है।

2. **सांस्कृतिक एकता—** भारत में मानसून के आगमन पर विभिन्न उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं, जो सभी राज्यों को एक साझा अनुभव प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर में तीज, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू का सीधा संबंध अच्छी वर्षा और कृषि चक्र से है।

3. **जल का मुख्य स्रोत—** पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नदियों, तालाबों और भूजल को रिचार्ज करने का प्रमुख साधन मानसून ही है, जो उत्तर से दक्षिण तक की जल जरूरतों को पूरा करता है।

4. **जीवन का इंतजार—** हिमालय के दक्षिण में, पूरे भारत के लोग भीषण गर्मी के बाद जून में मानसून के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं।

5. **भौगोलिक भिन्नता में एकता—** यद्यपि वर्षा का वितरण असमान है, फिर भी मानसूनी पवनों का पूरे देश से होकर गुजरना, पूरे भारत की वनस्पति और जीवन चक्र को एक साथ बाँधता है।

संक्षेप में, मानसून न केवल भारतीय भूमि को जल प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को एक ही धागे में पिरोकर एक समान जीवन शैली (कृषि, उत्सव और खान-पान) सुनिश्चित करता है। ○○

5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही चुनें—

(i) **रबर का सम्बन्ध किस प्रकार की वनस्पति से है?**

(क) टुंड्रा (ख) हिमालय

(ग) मैंग्रोव

(घ)उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन

उत्तर— (घ) उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन

(ii) **सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं?**

(क) 100 सेमी. (ख) 70 सेमी.

(ग) 50 सेमी. (घ) 50 सेमी. से कम

उत्तर— (क) 100 सेमी.

(iii) **सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन-से राज्य में स्थित है?**

(क) पंजाब (ख) दिल्ली

(ग) ओडिशा (घ) पश्चिम बंगाल

उत्तर— (ग) ओडिशा

(iv) **भारत के कौन-से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं?**

(क) मानस (ख) मन्नार की खाड़ी

(ग) नीलगिरी (घ) पन्ना

उत्तर— (ख) मन्नार की खाड़ी

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए—

(i) **भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है?**

उत्तर— भारत में पादपों और जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है—

(क) भू-आधारित (ख) मृदा

(ग) तापमान (घ) सूर्य का प्रकाश

(ङ) वर्षण

(ii) **जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दो।**

उत्तर— जीवमंडल निचय एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजातियों के प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है।

उदाहरण— (क) मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु), (ख) नंदादेवी (उत्तराखण्ड)।

(iii) **कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं।**

उत्तर— 1. **वनस्पति** **वन्य प्राणी द्य**

1. उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन — हाथी, लंगूर

2. पर्वतीय वन — याक, हिम तेंदुआ

3. अंतर स्पष्ट करें—

(i) **वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत।**

उत्तर— (i) वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत—

वनस्पति जगत	प्राणी जगत
1. वनस्पति शब्द किसी विशेष क्षेत्र के पादपों का बोध कराता है।	1. प्राणी जगत शब्द किसी क्षेत्र के जीव-जन्तुओं की प्रजातियों का बोध कराता है।
2. प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में वन, झाड़ियों एवं घास भूमियों को सम्मिलित किया जाता है।	2. प्राणी जगत को तीन वर्गों—(अ) थलचर, (ब) जलचर, (स) नभचर में बाँटा गया है।
3. भारत में लगभग 47,000 प्रकार की विभिन्न जातियों के पौधे पाये जाते हैं।	3. भारत में लगभग 90,000 प्रकार के विभिन्न जातियों के प्राणी पाये जाते हैं।
4. हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पायी जाती है।	4. हमारे देश में कुछ वन्य प्राणी विलुप्त होने की स्थिति में हैं। इनके संरक्षण के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
5. वनस्पति स्थैतिक पदार्थ हैं।	5. प्राणी गतिशील होते हैं।
6. वनस्पति का पृथ्वी पर सर्वप्रथम आगमन हुआ।	6. परपोषी होने के कारण ये पृथ्वी पर वनस्पतियों के विकसित होने के बाद उत्पन्न हुए।

(ii) **सदाबहार और पर्णपाती वन।**

उत्तर—

सदाबहार वन	पर्णपाती वन
1. सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी. या उससे अधिक होती है।	1. पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेमी. के मध्य होती है।
2. ये वन सदैव हरे-भरे रहते हैं। इन वनों के वृक्ष किसी ऋतु विशेष में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं।	2. इन वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।
3. इन वनों के वृक्षों की ऊँचाई बहुत अधिक होती है। ये सामान्यतया 60 मीटर ऊँचे होते हैं।	3. इन वनों के वृक्षों की ऊँचाई अधिकतम 30 मीटर तक होती है।
4. ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तरी-पूर्वी राज्यों, हिमालय लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों एवं तमिलनाडु के तट पर मिलते हैं।	4. ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी-पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा एवं पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर मिलते हैं।
5. इन वनों के प्रमुख वृक्षों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना आदि हैं।	5. इन वनों के प्रमुख वृक्षों में सागौन, बाँस, शीशम, चंदन, साल, खैर, कुसुम, अर्जुन एवं शहतूत आदि हैं।
6. इन वनों में हाथी, बन्दर, लंगूर, हिरण, चमगादड़ एवं एक सींग वाले गैंडे आदि मिलते हैं।	6. इन वनों में सिंह, शेर, सूअर, हिरण, छिपकली, साँप और कछुए आदि मिलते हैं।

4. **भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएँ और अधिक ऊँचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए।**

उत्तर— भारत में निम्नलिखित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती हैं—(i) उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन, (ii) उष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन, (iii) उष्ण कटिबन्धीय कँटीले वन एवं झाड़ियाँ, (iv) पर्वतीय वन, (v) मैंग्रोव वन (ज्वारीय वन)।

अधिक ऊँचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति—

अधिक ऊँचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को पर्वतीय वन या पर्वतीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी एवं ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अन्तर दिखाई देता है। अत: ऊँचाई के आधार पर पर्वतीय भाग में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है—

(i) 1000 से 2000 मीटर की ऊँचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबन्धीय वन मिलते हैं। इन वनों में ओक एवं चेस्टनट आदि वृक्ष मिलते हैं।

(ii) 1500 से 3000 मीटर की ऊँचाई वाले भागों में शंकुधारी वृक्ष; जैसे—चीड़, देवदार, सिल्वर-फर, स्प्रूस एवं सीडर आदि मिलते हैं।

(iii) 3600 मीटर से अधिक ऊँचाई पर शीतोष्ण कटिबन्धीय वनों एवं घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर-फर, जूनिपर, पाइन एवं बर्च इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे-जैसे हम हिम रेखा के नजदीक पहुँचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है। अंतत: ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में बदलकर अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अधिक ऊँचाई वाले भागों में मॉस, लिचन, घास, जैसी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है।

5. **भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं— उदाहरण सहित कारण दीजिए।**

उत्तर— भारत में बहुत बड़ी संख्या में जीव-जन्तुओं की प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के निम्नलिखित कारण हैं—

जीव-जन्तु—(i) **आवास का विनाश—** वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा संकट उनके प्राकृतिक आवास का विनाश है। वनोन्मूलन के कारण उनके आवास नष्ट हो गये हैं। वन नष्ट होने से पादप प्रजातियाँ भी संकट में आ गई हैं।

(ii) **शिकार—** वन्य जीवों के विलुप्त होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण शिकार भी है। पशु-पक्षियों को अनेक कारणों से मारा जाता है।

(iii) **औद्योगिकीकरण—** रासायनिक एवं औद्योगिक अपशिष्टों ने जलीय जीवन को अव्यवस्थित कर दिया है।

(iv) **कीटनाशक दवाइयाँ एवं प्रदूषण—** कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग एवं वायुमण्डल का प्रदूषण सम्पूर्ण विश्व में अनेक जीव-जन्तुओं के लिए खतरा बना हुआ है।

पादप प्रजातियाँ— भारत में बहुत बड़ी संख्या में पादप प्रजातियाँ निम्नलिखित कारणों से संकटग्रस्त हैं—

(i) **विकास कार्य—** नगरीय विकास, सड़क, बाँध निर्माण एवं अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए जंगलों की निरन्तर कटाई हो रही है।

(ii) **जलावन की लकड़ी—** घरेलू आवश्यकता हेतु जलावन की लकड़ी के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पेड़ों की निरन्तर कटाई भी इसका एक प्रमुख कारण है।

(iii) **बढ़ती जनसंख्या—** बढ़ती जनसंख्या के आवास गृह बनाने एवं अधिक कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए भी जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है।

(iv) **चिकित्सा शोधकार्य—** फर, खाल, अलंकार का सामान बनाने (हाथी दाँत, सींग, मृगश्रृंग) एवं ऊनी वस्त्रों आदि के लिए जन्तुओं का वध किया जाता है।

6. **भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है?**

उत्तर— भारत में वनस्पति और वन्य जीवन की समृद्ध धरोहर पाई जाती है, क्योंकि—

पर्वतीय प्रदेश से लेकर पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व में लंबी तट रेखा तक, भारत का विस्तार बहुत वृहद है। रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडे हिमालय प्रदेश तक भारत की जलवायु की स्थिति बहुत विविधतापूर्ण है। भारत में अल्पतम वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं, वहीं संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। अत: देश की समृद्ध वनस्पति और वन्य जीव परिसंपदा के लिए जलवायु और क्षेत्रों की विविधतापूर्ण स्थितियाँ जिम्मेदार हैं।

तापमान, धूप, वर्षण, मृदा और भू-आकृति भी भारत में वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता के कारण हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **भारतीय वनस्पति के नियंत्रक कारकों का उल्लेख करें।**

उत्तर— भारतीय वनस्पति को मुख्य रूप से जलवायु (तापमान, वर्षा, प्रकाश अवधि), भू-आकृति (भूमि, मिट्टी) और मानवीय कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत की विशाल भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ सदाबहार वनों से लेकर मरुस्थलीय झाड़ियों तक भिन्न-भिन्न वनस्पतियाँ पायी जाती हैं।

भारतीय वनस्पति के प्रमुख नियंत्रक कारक- (i) **भू-आकृति-** भूमि का प्रकार (पर्वत, पठार, मैदान) वनस्पति को प्रभावित करता है। जैसे-पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन, जबकि मैदानी इलाकों में उपजाऊ मिट्टी के कारण पर्णपाती वन पाए जाते हैं।

(ii) **मृदा—** मिट्टी की प्रकृति (रेतीली, दलदली, जलोढ़) वनस्पति की किस्म निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, मरुस्थल में कंटीली झाड़ियाँ और तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाये जाते हैं।

(iii) **जलवायु-तापमान—** तापमान और आर्द्रता, वृद्धि की अवधि को प्रभावित करते हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन तक के वन बनते हैं।

(iv) **जलवायु-वर्षा—** भारत में वर्षा का वितरण असमान है (जून-सितंबर)। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने सदाबहार वन और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क या कंटीले वन पाये जाते हैं।

(v) **सूर्य का प्रकाश—** अक्षांश, ऊँचाई और ऋतु के अनुसार सूर्य के प्रकाश की अवधि वनों की वृद्धि को प्रभावित करती है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में वन तेजी से बढ़ते हैं।

(vi) **मानवीय कारक—** कृषि, शहरीकरण, औद्योगिक विकास और वनों की कटाई ने प्राकृतिक वनस्पति को काफी हद तक बदल या नष्ट कर दिया है।

ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान में कमी के कारण भी वनस्पति का प्रकार बदल जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्पष्ट दिखाई देता है।

2. **पर्वतीय वनों का वर्णन करें।**

उत्तर— पर्वतीय वन ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों (विशेषकर हिमालय) में ऊँचाई के साथ बदलते तापमान के कारण पाए जाते हैं। 1000–2000 मीटर पर सदाबहार ओक, चेस्ट नट और 1500–3000 मीटर पर शंकुधारी (चीड़, देवदार, कर) वृक्ष प्रमुख हैं। 3600 मीटर अधिक ऊँचाई पर अल्पाइन वनस्पतियाँ (बर्च, जूनिफर) उगती हैं, जबकि उच्चतर क्षेत्रों में काई और लाइकेन पाये जाते हैं।

पर्वतीय वनों की मुख्य विशेषताएँ- 1. **स्थान—** ये वन मुख्य रूप से हिमालय के दक्षिणी ढलानों, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

2. **ऊँचाई का प्रभाव—** जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, तापमान कम होता जाता है, जिससे वनस्पति का प्रकार भी बदल जाता है।

3. **वनस्पति के प्रकार—** ' (i) 1000–2000 मीटर तक नम शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिनमें ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं।

(ii) 1500–3000 मीटर तक शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे-चीड़, देवदार, स्प्रूस और सिल्वर फर के पेड़ पाये जाते हैं।

(iii) 3600 मीटर से अधिक ऊँचाई पर शीतोष्ण घास के मैदानों के बाद अल्पाइन वनस्पति पायी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बर्च और जूनिफर शामिल हैं।

(iv) **अत्यधिक ऊँचाई—** टुंड्रा वनस्पति, जैसे-काई और लाइकेन पाये जाते हैं।

4. **दक्षिण भारत वन—** दक्षिण भारत (नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों) के पर्वतीय वनों को स्थानीय रूप से 'शोला' कहा जाता है।

5. **जीव-जंतु—** इन वनों में कश्मीरी हिरण, याक, हिम तेंदुआ, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती मृग और दुर्लभ लाल पांडा जैसे जानवर पाये जाते हैं।

6. **महत्व—** ये वन न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले जनजातीय समुदायों और चरवाहों (जैसे-गुर्जर) के लिए चारा और लकड़ी के स्रोत भी हैं।

3. **ज्वारीय वन क्या है? इनके क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— ज्वारीय वन (मैंग्रोव वन) तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले घने वन हैं, जो खारे व मीठे मिश्रण (ज्वारीय दलदल) में उगते हैं। ये भारत के डेल्टा क्षेत्रों (सुंदरबन, महानदी) में स्थित हैं, जहाँ सुंदरी, कैसुरीना और अगर जैसे कठोर लकड़ी के वृक्ष पाये जाते हैं। ये वन तटीय कटाव को रोकते हैं और समुद्र के ज्वार-भाटे से प्रभावित क्षेत्रों में विकसित होते हैं।

ज्वारीय वन का विवरण— 1. **परिभाषा—** ज्वारीय वन, जिन्हें मैंग्रोव या डेल्टाई वन भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्णकटबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ मिट्टी नमकीन और जलमग्न होती है। 2. **क्षेत्र—** पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा ज्वारीय वन का मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र भी ज्वारीय वन से आच्छादित हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर भी ज्वारीय वन पाये जाते हैं। 3. **भौगोलिक दशाएँ—** खारे या नमकीन पानी में ज्वारीय वन विकसित होते हैं। इनके लिए दलदली, गीली और कीचड़युक्त मिट्टी उपयुक्त होती है। 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा में ये जल्दी बढ़ते हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि पेड़ों की जड़ों में स्टिल्ट जैसी सहायक जड़ें पायी जाती हैं, जो पानी में ऑक्सीजन ले सकती हैं। 4. **मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ—** सुंदरी (सबसे प्रसिद्ध), नारियल, अगर, ताड़, गोरजन, कैसुरीना, गोलपत्ता, होगला, हाथी घास, हेवल और रेकडसर नामक वृक्ष पाये जाते हैं। 5. **वन्यजीव—** इन वनों में रॉयल बंगाल टाइगर (सुंदरबन में), मगरमच्छ, साँप, कछुए और घड़ियाल नामक वन्यजीव पाये जाते हैं। ये वन तटीय कटाव को रोकते हैं और चक्रवात के दौरान सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।

4. **शुष्क पर्णपाती व आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना कीजिए।**

उत्तर— शुष्क पर्णपाती एवं आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना निम्न प्रकार से है—

शुष्क पर्णपाती वन	आर्द्र पर्णपाती वन
1. ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जहाँ वर्षा 70 सेमी से 100 सेमी के बीच होती है।	1. ये वन उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी के बीच होती है।
2. ये वन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाये जाते हैं।	2. ये वन देश के पूर्वी एवं उत्तरी-पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश, झारखण्ड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाये जाते हैं।
3. इन वनों के प्रमुख वृक्षों में सागौन, साल, पीपल एवं नीम आदि हैं।	3. इन वनों के प्रमुख वृक्षों में सागौन, बाँस, साल, शीशम, चन्दन, खैर, कुसुम, अर्जुन एवं शहतूत आदि हैं।

5. **भारत में वन्य जीवों के वितरण को समझाइए।**

उत्तर— भारत जैव विविधता में समृद्ध है, यहाँ लगभग 90,000 पशु प्रजातियाँ और 2000 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ हैं। इसके प्रमुख अधिवास क्षेत्र हिमालय (शीत), उष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव और मरुस्थल हैं। यहाँ बाघ (मध्य प्रदेश, सुंदरबन), एक सींगवाला गैंडा (असम), एशियाई हाथी (दक्षिण, पूर्वोत्तर) और शेर (गिर वन) जैसे प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। भारत के मुख्य वन्यजीव और उनके अधिवास क्षेत्र इस प्रकार हैं—

1. **हिमालयी क्षेत्र (उच्च पर्वतीय क्षेत्र)**—(i) प्रमुख जीव- हिम तेंदुआ, याक, जंगली भेड़, तिब्बती जंगली गधा और लाल पांडा पाये जाते हैं। (ii) **विशेषताएँ—** ये जानवर अत्यधिक ठंडी जलवायु में जीवित रहने के लिए मोटे फर और मजबूत शरीर रखते हैं।

2. **उष्णकटिबंधीय वन और तटीय क्षेत्र—** (i) **प्रमुख जीव—** एशियाई हाथी (असम, कर्नाटक, केरल), बाघ (सुंदरबन, मध्य प्रदेश), तेंदुए, ढोल (जंगली कुत्ता) जैसे जीव पाये जाते हैं। (ii) **विशेषताएँ—** यहाँ घने जंगल हैं। हाथी यहाँ नम जंगलों में रहना पसंद करते हैं।

3. **घास के मैदान और दलदली क्षेत्र—** (i) **प्रमुख जीव—** एक सींग वाला भारतीय गैंडा, जंगली भैंसा इत्यादि पाये जाते हैं। (ii) **विशेषताएँ—** यह दुनिया के सबसे दुर्लभ गैंडों का निवास स्थान है।

4. **शुष्क, मरुस्थलीय क्षेत्र (राजस्थान और कच्छ का रण)** —(i) **प्रमुख जीव—** ऊँट (थार रेगिस्तान), भारतीय जंगली गधा (कच्छ का रण) पाया जाता है।
(ii) **विशेषताएँ—** ऊँट को 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है। यहाँ के जीव कम पानी और गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित हैं।

5. **मैंग्रोव वन (सुंदरबन-पश्चिम बंगाल)**—(i) **प्रमुख जीव—** रॉयल बंगाल टाइगर। (ii) **विशेषताएँ—** ये बाघ खारे पानी में तैरने में सक्षम होते हैं।

6. **भारत के जलीय जीव**—(i) **प्रमुख जीव—** कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल (गांगेय घड़ियाल)।
(ii) **विशेषताएँ—** भारत में मगरमच्छ की कई प्रजातियाँ और घड़ियाल पाए जाते हैं, जो नदियों और झीलों में रहते हैं।

7. **प्रमुख पक्षी—** मोर, बत्तख, मैना, तोता, कबूतर, सारस प्रमुख हैं।

भारत के वन्य जीवन की प्रमुख विशेषताएँ— (i) भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। (ii) भारतीय शेर का प्राकृतिक घर गुजरात के गिर वन हैं। (iii) भारत में लगभग 13 प्रतिशत विश्व की पक्षी प्रजातियाँ और 5–8 प्रतिशत उभयचर, सरीसृप व स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

वन्य जीवन के संरक्षण के लिए भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जैसे कि असम में काजीरंगा, मध्य प्रदेश में कान्हा और उत्तराखंड में जिम कार्बेट।

6. **पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे के प्रमुख कारण क्या हैं?**

उत्तर— पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे के प्रमुख कारणों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक शिकार, औद्योगिकीकरण और कृषि विस्तार शामिल हैं। ये मानवीय गतिविधियाँ प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रही हैं, जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और संतुलन बिगड़ रहा है।

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे के प्रमुख कारण— (i) **वनों की अविवेकपूर्ण कटाई—** कृषि, निवास स्थान और औद्योगिक विकास के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।

(ii) **शिकार और अवैध व्यापार—** व्यापारिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत लाभ के लिए वन्य जीवों का अत्यधिक शिकार किया जाता है, जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

(iii) **औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण—** कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट, जहरीले रसायन और अम्लीय जमाव जल, वायु और मृदा को प्रदूषित करते हैं, जो खाद्य शृंखला को बाधित करते हैं।

(iv) **कृषि क्षेत्र में विस्तार—** भोजन की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए वनों को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सिमट रहे हैं।

(v) **प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन—** जल, खनिज और वन संसाधनों का तेजी से उपयोग उनकी पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक हो रहा है, जिससे संसाधनों की कमी हो रही है।

इन कारणों के परिणामस्वरूप, पृथ्वी पर खाद्य शृंखला बाधित हो रही है और पर्यावरणीय स्थिरता पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है।

7. **प्रवासी पक्षी क्या है? समझाइए।**

उत्तर— प्रवासी पक्षी, वे प्रजातियाँ हैं, जो भोजन, प्रजनन या अनुकूल मौसम की तलाश में मौसमी आधार पर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती हैं। ये पक्षी भीषण ठंड से बचने के लिए गर्म स्थानों पर प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए, साइबेरियन क्रेन, जो सर्दी में भारत के जल क्षेत्रों में आती है।

भारत : प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव—

1. **परिभाषा—** वे पक्षी जो मौसम बदलने पर अपना निवास स्थान (ज्यादातर उत्तरी भाग) छोड़कर गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं और मौसम अनुकूल होने पर वापस लौट आते हैं।

2. **कारण—** प्रवास का मुख्य कारण अत्यधिक ठंड, भोजन की कमी और प्रजनन के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश है।

3. **प्रक्रिया—** ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और नेविगेशन के लिए सूर्य, तारों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं।

4. **भारत में आगमन—** भारत में सर्दी के मौसम में कई प्रवासी पक्षी (जैसे-साइबेरियन क्रेन, पेंटेल, रोजी पेलिकन) आते हैं, विशेषकर उत्तर भारत के नम भूमि क्षेत्रों में।

5. **महत्व—** ये जैव विविधता का हिस्सा हैं और इनके संरक्षण के लिए विशेष कानून (जैसे- प्रवासी पक्षी संधि अधिनियम, 1918) हैं।

प्रवासी पक्षियों के उदाहरण— (i) **साइबेरियन क्रेन—** रूस के साइबेरिया से भारत की यात्रा करती है।

(ii) **पिन्टेल (पूँछ वाली बतख)—** यह उत्तर से आकर भारत की झीलों और नदियों में प्रवास करती है।

(iii) **फ्लेमिंगो—** यह भी प्रवासी प्रजातियों में से एक है।

प्रवास का उद्देश्य— (i) **भोजन की उपलब्धता—** ठंडे प्रदेशों में बर्फ जमने पर भोजन खोजना मुश्किल होता है।

(ii) **सुरक्षित प्रजनन—** अपने बच्चों के पालन—पोषण के लिए अनुकूल मौसम और भोजन। ये पक्षी वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं और इनकी यात्रा प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है।

8. **भारत में मिलने वाली औषधीय वनस्पतियों का उल्लेख करें।**

उत्तर— भारत में निम्नलिखित औषधीय वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से पायी जाती हैं—

(i) **सर्पगंधा—** इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार में होता है। यह केवल भारत में ही पायी जाती है।

(ii) **जामुन—** जामुन के बीज से बनाया गया पाउडर मधुमेह रोग में काम आता है। इसके फल से सिरका बनाया जाता है जो वायुसारी एवं मूत्रवर्धक है।

(iii) **अर्जुन—** इसके पत्तों से निकाला गया रस कान के दर्द को ठीक करता है। यह रक्तचाप के इलाज में भी काम आता है।

(iv) **बबूल—** इससे प्राप्त गोंद शारीरिक शक्ति में वृद्धि करता है।

(v) **नीम—** यह प्रतिजैविक एवं बैक्टीरियारोधी होता है।

(vi) **तुलसी—** इसका उपयोग जुकाम और खाँसी की दवाई के निर्माण में होता है।

(vii) **कचनार—** इसका उपयोग दमा और अल्सर के निदान में होता है।

निबंधात्मक प्रश्न-

1. **भारतीय वनस्पति का वर्णन करें।**

उत्तर— भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) **उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन—** ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों एवं तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। इन वनों के वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है इसलिए ये सदैव हरित रहते हैं जिसके कारण इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये वन 200 सेमी से

अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों की ऊँचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। इन वनों के मुख्य वृक्ष ताड़, जामुन, महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बेंत, नारियल, सिनकोना इत्यादि हैं। इन वनों में हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण आदि जानवर पाये जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं।

(ii) **उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन**— इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन 100 से 200 सेमी वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में छह से आठ सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जिसके कारण इन वनों को पर्णपाती वन कहते हैं, ये वन भारत के सर्वाधिक भाग पर पाये जाते हैं। ये वन कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। साल और सागौन इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। आर्थिक महत्व के अन्य वृक्ष चंदन, शीशम, रोजवुड, महुआ, नीम, खैर तथा आम हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर प्राय: शेर, सूअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, साँप और कछुए भी पाए जाते हैं।

(iii) **कंटीले वन तथा झाड़ियाँ**— ये वन 70 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं इसलिए इनको शुष्क वन भी कहते हैं। भारत में ये वन मुख्यत: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में उगते हैं। अकासिया, खजूर (पाम), यूफोरबिया तथा नागफनी (कैक्टाई) यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की जड़ें लम्बी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियाँ प्राय: छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। इन वनों में प्राय: चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा तथा ऊँट पाए जाते हैं।

(iv) **पर्वतीय वन**— यह वनस्पति अत्यन्त ऊँचे स्थानों, जैसे— समुद्र तल से 3,600 मीटर से भी अधिक ऊँचे स्थानों में उगती है। इस क्षेत्र की वनस्पति में ऊँचाई के अनुसार अन्तर आता जाता है। चीड़, देवदार तथा जुनिफर, सिल्वर फर, बर्च इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों में प्राय: कश्मीरी महामृग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, याक, हिम तेंदुआ, घने बालों वाली भेड़ें तथा बकरियाँ आदि पाई जाती हैं।

(v) **मैंग्रोव वन (ज्वारीय वन)**— ये वन तटीय प्रदेशों में नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको डेल्टाई वन भी कहते हैं। समुद्र में ज्वार उठने के समय इन क्षेत्रों में समुद्र का खारा पानी भर जाता है। जो इन वनों के वृक्षों के लिए उपयुक्त होता है। इन वनों का प्रमुख क्षेत्र गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में भी ये वन पाए जाते हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुन्दरी वृक्ष पाए जाते हैं, नारियल, ताड़, क्योड़ा एवं ऐंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जानवर भी इन वनों में पाए जाते हैं।

2. **सरकार द्वारा वनस्पति व पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिए किये गये प्रयासों का विवेचन करें।**

उत्तर— भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए व्यापक उपाय किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जैवमंडल निचयों की स्थापना, प्रोजेक्ट टाइगर जैसी विशेष परियोजनाएँ तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार व व्यापार पर सख्त कानूनी रोक (अनुसूची vi के तहत पौधे) शामिल हैं।

वनस्पति सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास

1. **वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,** 1972— इस कानून ने वन्यजीवों, पक्षियों और पौधों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। इसने लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार और शिकार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया।

2. **राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना**— (i) **राष्ट्रीय उद्यान**— सरकार ने पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, जहाँ मानव गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित या विनियमित होती हैं। (ii) **वन्य जीव अभ्यारण्य**— इन क्षेत्रों में वन्यजीवों को उनके आवासों में सुरक्षित रखा जाता है और विशेष प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

3. **जैवमंडल निचय**— भारत सरकार ने वन्यजीवों और वनस्पतियों के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जैवमंडल निचय स्थापित किए हैं (जैसे-नीलगिरी, सुंदरबन), जो विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4. **टाइगर योजना,** 1973— वन्यजीव संरक्षण के तहत इस योजना का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के साथ-साथ उनके पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र (पेड़-पौधों और आवास) को सुरक्षित करना है।

5. **वित्तीय और तकनीकी सहायता**— (i) **सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच योजना**— वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास योजना के तहत राज्यों को संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 100 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।
(ii) **तकनीकी सहायता**— भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और अन्य संस्थान लुप्तप्राय पौधों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

6. **विशिष्ट पादप संरक्षण**— लुप्तप्राय पौधों जैसे पिचर प्लांट, ब्लू वेंडा और लेडी स्लिपर आर्किड के संरक्षण के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

7. **वनरोपण और सामुदायिक भागीदारी**— 'राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम' और 'वन महोत्सव' जैसे अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और स्थानीय समुदायों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ❍❍

6 जनसंख्या

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न–

1. **नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।**

(i) **निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास, आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है?**
(क) प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में
(ख) आगमन वाले क्षेत्र में
(ग) प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर– (ग) प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में

(ii) **जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है?**
(क) उच्च जन्म दर (ख) उच्च मृत्यु दर
(ग) उच्च जीवन दर (घ) अधिक विवाहित जोड़े
उत्तर– (क) उच्च जन्म दर

(iii) **निम्नलिखित में से कौन-सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है?**
(क) एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या
(ख) प्रत्येक वर्ष जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या
(ग) जनसंख्या वृद्धि की दर
(घ) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
उत्तर– (ख) प्रत्येक वर्ष जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या

(iv) **2011 की जनगणना के अनुसार एक 'साक्षर' व्यक्ति–**
(क) जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है।
(ख) जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है।
(ग) जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है।
(घ) जो पढ़ना-लिखना एवं अंकगणित, तीनों जानता है।
उत्तर– (ग) जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है।

2. **निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए:**

(i) **जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें।**
उत्तर– जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक तीन हैं– (क) जन्म-दर, (ख) मृत्यु-दर और (ग) प्रवास।
(क) जन्म-दर– एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म-दर कहलाती है। यह जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि भारत में जन्म-दर हमेशा मृत्यु-दर से अधिक रही है।
(ख) मृत्यु-दर– एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु-दर कहा जाता है। मृत्यु-दर में तीव्र गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है।
(ग) प्रवास– लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है।

(ii) **1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है?**
उत्तर– 1981 से जनसंख्या वृद्धि की दर निम्नलिखित कारणों से घट रही है–
(1) **जन्म-दर नियंत्रण–** सन् 1981 से जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। इसका प्रमुख कारण जन्म-दर में कमी आना है। सामाजिक जागरूकता के कारण जन्म दर नियंत्रित हुई है।
(2) **परिवार नियोजन–** परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आयी है।
(3) **साक्षरता–** शिक्षा के प्रसार के कारण लोग अब समझने लगे हैं कि अधिक जनसंख्या देश एवं समाज के विकास में बाधक है।
(4) **स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार–** स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण लोगों में अच्छे भविष्य के प्रति विश्वास बना है जिससे जन्म-दर में कमी आयी है।

(iii) **आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें।**
उत्तर– आयु संरचना– आयु संरचना से तात्पर्य किसी देश के लोगों के विभिन्न वर्गों के अनुसार जनसंख्या को कई आयु समूहों में बाँटना है। भारत की जनसंख्या को तीन आयु वर्गों में बाँटा जाता है– (क) बच्चे (15 वर्ष से कम), (ख) वयस्क (15–59 वर्ष), (ग) वृद्ध (59 वर्ष से अधिक)।
जन्म दर– प्रति वर्ष प्रति एक हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं।
मृत्यु दर–प्रति वर्ष प्रति एक हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।

(iv) **प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक।**
उत्तर– प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवास का अर्थ है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना। प्रवास दो प्रकार का होता है–
(क) आन्तरिक प्रवास, (ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास। आन्तरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है किन्तु यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। वास्तव में प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही

प्रभावित नहीं करता, अपितु उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। प्रवास की इस प्रक्रिया के कारण भारत के नगरों की जनसंख्या स्थायी रूप से बढ़ती रहती है। भारत में लोग रोजगार के अवसरों एवं बेहतर सुविधाओं से आकर्षित होकर नगरों की ओर स्थानान्तरित होते रहते हैं। भारत में इसी प्रवृत्ति के कारण शहरों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। सन् 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी जो 2011 में बढ़कर 31.80 प्रतिशत हो गई। सन् 2001 से 2011 के मध्य दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या भी बढ़कर 35 से 53 हो गई। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रवास के कारण नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है।

3. **जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें।**

उत्तर— जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में अन्तर—

जनसंख्या वृद्धि	जनसंख्या परिवर्तन
1. दो समय बिन्दुओं के मध्य किसी देश अथवा राज्य की जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।	1. जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन से है।
2. इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है—(i) सापेक्ष वृद्धि, (ii) प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा।	2. जनसंख्या परिवर्तन को तीन कारक निर्धारित करते हैं— (i) जन्म-दर, (ii) मृत्यु-दर, (iii) प्रवास।
3. इस प्रक्रिया में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है।	3. इस प्रक्रिया में जनसंख्या के वितरण एवं व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन आता है।

4. **व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या सम्बन्ध है?**

उत्तर— व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच गहरा सम्बन्ध होता है। व्यवसायों को मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है— प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं खनन आदि से, द्वितीयक व्यवसाय निर्माण उद्योगों से एवं तृतीयक व्यवसाय परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाओं से सम्बन्धित होते हैं। जिस देश के अधिक लोग प्राथमिक व्यवसायों में लगे होते हैं वह देश अपनी जनसंख्या के विकास के निम्न स्तर पर होता है और विकासशील देश कहलाता है, जैसे— भारत। इसके विपरीत जिस देश के लोग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगे होते हैं तो उनकी आय का स्तर भी अधिक होता है एवं विकास का स्तर भी ऊँचा होता है। ऐसे देश विकसित देश कहलाते हैं, जैसे— संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान आदि। भारत में कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 13 एवं 20 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि में लगा होने के कारण हमारी जनसंख्या का विकास का स्तर नीचा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक संरचना का विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

5. **स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है?**

उत्तर— किसी भी देश के विकास में स्वस्थ जनसंख्या, मानव शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वस्थ जनसंख्या के निम्नलिखित लाभ हैं— (i) स्वस्थ जनसंख्या की कार्यक्षमता अधिक होती है। फलस्वरूप देश का उत्पादन बढ़ता है जिससे राष्ट्रीय आय में स्वतः ही वृद्धि हो जायेगी। (ii) स्वस्थ जनसंख्या से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। (iii) स्वस्थ जनसंख्या से देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। (iv) स्वस्थ जनसंख्या से देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। (v) स्वस्थ जनसंख्या स्वयं में किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। (vi) स्वस्थ जनसंख्या आश्रित अनुपात को कम करके राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायक होती है।

6. **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?**

उत्तर— राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं— (i) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। (ii) शिशु मृत्यु-दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना। (iii) व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। (iv) लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। (v) परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जनकेन्द्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढाँचा प्रदान करना।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **घनत्व के अनुसार भारत का जनसंख्या वितरण बताइए।**

उत्तर— 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो अत्यधिक असमान है। सबसे अधिक घनत्व बिहार (1106) और पश्चिम बंगाल में है, जबकि सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश (17) में है। उत्तर भारत और तटीय मैदानों में उच्च घनत्व, वहीं हिमालयी व मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम घनत्व पाया जाता है।

घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)।

1. **उच्च घनत्व वाले क्षेत्र (500 व्यक्ति/वर्ग किमी)—**जनघनत्व उत्तरी मैदान (बिहार-1,106, पश्चिम बंगाल-1,028, उत्तर प्रदेश-829, केरल-860 और तमिलनाडु-555 में अधिक पाया जाता है।

2. **मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र** (250 **से** 500 **व्यक्ति / वर्ग किमी)** — गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं।

3. **निम्न घनत्व वाले क्षेत्र** (250 **व्यक्ति / वर्ग किमी से कम)** — अरुणाचल प्रदेश (17), मिजोरम, अंडमान-निकोबार और हिमालयी राज्य निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं।

4. **केन्द्रशासित प्रदेश—** देश में दिल्ली का जनघनत्व सबसे अधिक (11,297 प्रति वर्ग किमी) है।

वितरण के मुख्य कारण—

1. **भौतिक कारक—** समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी (गंगा का मैदान) और पानी की उपलब्धता उच्च घनत्व को बढ़ावा देती है।

2. **सामाजिक-आर्थिक स्थिति—** उद्योग, शहरीकरण और विकसित कृषि (केरल) के कारण अधिक घनत्व होता है।

3. **भौगोलिक सीमाएँ—** पहाड़ी, रेगिस्तानी (थार) या घने वन क्षेत्र (पूर्वोत्तर) कम घनत्व का कारण बनते हैं।

2. **जनसंख्या में परिवर्तन की तीन प्रमुख प्रक्रियाएँ कौन–कौनसी हैं?**

उत्तर— जनसंख्या में परिवर्तन की तीन प्रमुख प्रक्रियाएँ जन्म-दर, मृत्यु-दर और प्रवास हैं। ये तीनों कारक किसी क्षेत्र की आबादी के आकार, वितरण और संरचना में लगातार बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। इन तीन प्रक्रियाओं का विवरण इस प्रकार है—

1. **जन्म-दर—** यह एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या है। यदि जन्म-दर अधिक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी।

2. **मृत्यु-दर—** यह प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या है। यदि मृत्यु-दर अधिक है, तो जनसंख्या कम हो सकती है, जबकि मृत्यु-दर में गिरावट जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है।

3. **प्रवास—** जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसते हैं (उत्प्रवास-बाहर जाना) या दूसरे स्थान से आते हैं (आप्रवास-अंदर आना)। यह जनसंख्या के भौगोलिक वितरण को सीधे प्रभावित करता है।

प्राकृतिक वृद्धि (जन्म-मृत्यु) और शुद्ध प्रवास (आप्रवास-उत्प्रवास) के संयोजन से ही कुल जनसंख्या परिवर्तन निर्धारित होता है।

3. **किशोर जनसंख्या क्या है? इसकी प्रमुख समस्याएँ बताइए।**

उत्तर— किशोर जनसंख्या का तात्पर्य 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों से है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 20–22 प्रतिशत (पाँचवाँ भाग) हिस्सा हैं। यह बचपन और वयस्कता के बीच का एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है, जिसे भविष्य का सबसे बड़ा मानव संसाधन माना जाता है।

किशोरों की प्रमुख समस्याएँ—

1. **कुपोषण और एनीमिया—** किशोरों में पोषक तत्वों की कमी और विशेषकर किशोरियों में रक्तहीनता (एनीमिया) एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है।

2. **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ—** अवसाद, चिंता, तनाव और खुद को नुकसान पहुँचाने जैसी मानसिक समस्याएँ, जो अक्सर दूसरे दशक में उभरती हैं।

3. **प्रजनन स्वास्थ्य और बाल विवाह—** कम उम्र में गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपात, यौन संचारित रोग (HIV/AIDS) और बाल विवाह का उच्च जोखिम, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

4. **नशीले पदार्थों का सेवन और अनैतिक व्यवहार—** धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं की लत और गलत व्यवहार (आपराधिक कार्यों में लिप्तता) की समस्या अधिक पायी जाती है।

5. **शिक्षा और रोजगार की कमी—** उच्च ड्रापआउट दर (विशेषकर लड़कियों में), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और करियर को लेकर भी अनिश्चितता पायी जाती है।

6. **निष्क्रिय जीवन-शैली—** शारीरिक गतिविधियों की कमी और असंतुलित आहार के कारण गैर-संक्रामक रोगों (मधुमेह आदि) का खतरा बढ़ गया है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए, सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की, जो पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य और हिंसा जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **भारतीय जनसंख्या के वितरण का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे शीर्ष पाँच राज्यों में 30 प्रतिशत से कम क्षेत्रफल पर केंद्रित है। जनसंख्या की संख्या व फैलाव के आधार पर भारत को उच्च, मध्यम और कम घनत्व वाले राज्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जनसंख्या फैलाव व संख्या के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण (2011 **जनगणना के अनुसार)**

1. **अत्यधिक उच्च जनसंख्या वाले राज्य (100 मिलियन से अधिक)**— उत्तर प्रदेश (सबसे अधिक आबादी), महाराष्ट्र और बिहार अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं।

2. **उच्च जनसंख्या वाले राज्य (50 से 100 मिलियन)**— पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में उच्च जनघनत्व पाया जाता है।

3. **मध्यम जनसंख्या वाले राज्य (10 से 50 मिलियन)**— मध्यम जनघनत्व वाले राज्यों में असम, झारखंड, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि शामिल हैं।

4. **कम जनसंख्या वाले राज्य (10 मिलियन से कम)** — हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्य (असम को छोड़कर) और सिक्किम (सबसे कम आबादी) में कम जनसंख्या पायी जाती है।

भारतीय जनसंख्या वितरण का विवरण

1. **गंगा के मैदान भाग (उच्च वितरण)**— बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता और समतल मैदान के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है।

2. **तटीय मैदान व औद्योगिक क्षेत्र**— केरल का मालाबार तट, तमिलनाडु के तटीय मैदान और महाराष्ट्र (मुंबई), गुजरात के तटीय व शहरी क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या निवास करती है।

3. **हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्य (निम्न वितरण)**— जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जनसंख्या बहुत विरल है।

4. **मरुस्थलीय और पठारी क्षेत्र**— राजस्थान के शुष्क, गुजरात में कच्छ का प्रायद्वीप और मध्य प्रदेश, ओडिशा के पठारी भागों में पानी की कमी व ऊबड़-खाबड़ जमीन के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम है।

5. **महानगरीय क्षेत्रों में पलायन**— महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में रोजगार के कारणों से प्रवासियों का जमाव अधिक है।

निष्कर्ष— भारत का जनसंख्या वितरण प्राकृतिक संसाधनों, जैसे—पानी व उपजाऊ मिट्टी और आर्थिक विकास (औद्योगिकीकरण) द्वारा निर्धारित होता है, जो बिहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश जैसे विरल क्षेत्रों तक भिन्न है।

2. भारतीय जनघनत्व पर लेख लिखिए।

उत्तर— जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल (प्रायः प्रति वर्ग किलोमीटर) में रहने वाले लोगों की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाता है। यह असमान वितरण देश के विभिन्न हिस्सों में भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के कारण है।

मुख्य विशेषताएँ और वितरण—

1. **क्षेत्रीय असमानता**— भारत में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। उत्तरी मैदानी इलाकों (जैसे गंगा का मैदान) और केरल में उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर वर्षा और समतल भूमि के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व है।

2. **उच्च घनत्व वाले क्षेत्र**— बिहार (1102 व्यक्ति/वर्ग किमी) भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है।

3. **कम घनत्व वाले क्षेत्र**— ऊबड़-खाबड़ भू-भाग, प्रतिकूल जलवायु और सीमित कृषि संसाधनों के कारण अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम जैसे हिमालयी राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है।

4. **शहरों की स्थिति**— दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे केन्द्रशासित प्रदेशों और मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में अत्यधिक उच्च घनत्व है।

जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक—

(i) **भौगोलिक कारक**— समतल मैदान और पर्याप्त जल स्रोत (नदियाँ) सघन बस्तियों को बढ़ावा देते हैं।

(ii) **आर्थिक कारक**— औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के कारण शहरों में घनत्व ज्यादा है।

निष्कर्ष— भारत का जनसंख्या घनत्व, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डालता है। यह उच्च घनत्व एक ओर श्रम शक्ति प्रदान करता है, तो दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं की कमी और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है।

3. भारत में जनसंख्या वृद्धि पर एक लेख लिखिए।

उत्तर— भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौती है, जहाँ 1.4 अरब से अधिक आबादी सीमित संसाधनों पर दबाव डाल रही है। उन्नत चिकित्सा से मृत्यु दर में कमी, उच्च जन्म दर, निरक्षरता और कम उम्र में विवाह इसके मुख्य कारण हैं। यह वृद्धि बेरोजगारी, गरीबी, वनों की कटाई और पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे रही है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि—कारण और प्रभाव

भारत में जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है देश के निवासियों की संख्या में बहुत तेजी से होने वाली बढ़ोत्तरी। भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर विषय है।

जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण—

(i) **निम्न मृत्यु-दर—** विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति के कारण मृत्यु-दर में भारी कमी आई है।

(ii) **उच्च जन्म-दर—** शिक्षा का अभाव और सामाजिक रूढ़ियों के कारण जन्म-दर अभी भी अधिक है।

(iii) **कम उम्र में विवाह—** बाल विवाह के कारण महिलाओं के प्रजनन का समय बढ़ जाता है।

(iv) **परिवार नियोजन की कमी—** जागरूकता और परिवार नियोजन के साधनों के प्रति उदासीनता भी जनसंख्या वृद्धि करती है।

जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव—

(i) **संसाधनों पर दबाव—** जमीन, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है।

(ii) **बेरोजगारी और गरीबी—** तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए नौकरियाँ कम पड़ जाती हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है।

(iii) **पर्यावरण प्रदूषण—** शहरी और औद्योगिकीकरण के कारणों प्रदूषण और वनों की कटाई हो रही है।

(iv) **बुनियादी सुविधाओं की कमी—** स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों और आवास पर अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है।

समाधान और सुझाव—

(i) **शिक्षा का प्रसार—** लोगों को जनसंख्या वृद्धि के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

(ii) **परिवार नियोजन—** छोटे परिवार के मापदंड को अपनाना और परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करना आवश्यक है।

(iii) **विवाह की उम्र—** विवाह की उम्र (विशेषकर लड़कियों की) कम से कम 18–21 वर्ष होनी चाहिए।

(iv) **सरकारी नीतियाँ—** सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त उपाय और कार्यक्रम लागू करने चाहिए।

निष्कर्ष— जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास में एक बड़ी बाधा है। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह हमारे पर्यावरण और भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। एक सुखी और समृद्ध राष्ट्र के लिए जागरूक नागरिक और छोटे परिवार का होना आवश्यक है।

4. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का वर्णन करें।

उत्तर— राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) का मुख्य उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण, शिशु मृत्यु-दर को 30 से कम करना, अनिवार्य शिक्षा व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह 15 फरवरी, 2000 को घोषित की गई, जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और संसाधनों पर दबाव के कारण अनिवार्य थी, ताकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000): एक विवरण

1. **प्रतिपादन वर्ष—** राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का केन्द्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। यह पिछली नीतियों (1976) की कमियों को दूर करने के लिए तैयार की गई थी।

2. **नीति की आवश्यकता—** (i) **जनसंख्या विस्फोट—** भारत की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक अवसंरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य) पर अत्यधिक दबाव डाल रही थी।

(ii) **बेरोजगारी व गरीबी—** अत्यधिक जनसंख्या के कारण गरीबी और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही थी।

(iii) **उच्च मृत्यु-दर—** शिशु मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर को कम करने के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता थी।

(iv) **स्वास्थ्य व साक्षरता—** महिलाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा (विशेषकर माध्यमिक शिक्षा) के प्रति जागरूकता की कमी पायी गयी।

3. **नीति के मुख्य उद्देश्य—** (i) **तात्कालिक उद्देश्य—** गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य कर्मियों की अधूरी जरूरतों को पूरा करना।

(ii) **मध्यम अवधि (2010 तक)—** कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर (2.1 बच्चों प्रति महिला) तक लाना।

(iii) **दीर्घकालिक लक्ष्य (2045 तक)—** वर्ष 2045 तक जनसंख्या के स्थिर स्तर को प्राप्त करना, जो सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के अनुकूल हो।

(iv) **गुणवत्तापूर्ण जीवन—** शिशु मृत्यु-दर को 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना, बाल विवाह रोकना और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ावा देना।

(v) **शिक्षा—** 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना। यह नीति स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार नियोजन को एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में देखती है, जो स्वैच्छिक रूप से छोटे परिवार के मानदंड को प्रोत्साहित करती है।

निष्कर्ष— राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य केवल जनसंख्या कम करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत विकास को सुनिश्चित करना है। यह नीति किशोरों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। ❍❍

1 लोकतन्त्र क्या? लोकतन्त्र क्यों?

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न–

1. **यहाँ चार देशों के बारे में कुछ सूचनाएँ हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने 'लोकतान्त्रिक', 'अलोकतान्त्रिक' और 'पक्का नहीं' लिखें।**

(i) **देश क: जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है।**

(ii) **देश ख : एक ही पार्टी बीते बीस वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है।**

(iii) **देश ग : पिछले तीन चुनावों में शासक दल को पराजय का मुँह देखना पड़ा।**

(iv) **देश घ : यहाँ स्वतन्त्र चुनाव आयोग नहीं है।**

उत्तर–

देश	सूचना	वर्गीकरण
(क)	जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है।	अलोकतान्त्रिक
(ख)	एक ही पार्टी बीते बीस वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है।	पक्का नहीं
(ग)	पिछले तीन चुनावों में शासक दल को पराजय का मुँह देखना पड़ा।	लोकतान्त्रिक
(घ)	यहाँ स्वतन्त्र चुनाव आयोग नहीं है।	अलोकतान्त्रिक

2. **यहाँ चार अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएँ दी गई हैं, इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे 'लोकतान्त्रिक', 'अलोकतान्त्रिक' और 'पक्का नहीं' लिखें।**

(i) **देश च: संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती।**

(ii) **देश छ: संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती।**

(iii) **देश ज: देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते।**

(iv) **देश झ: देश के सारे आर्थिक फैसले केन्द्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते।**

उत्तर–

देश	सूचना	वर्गीकरण
(च)	संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती।	अलोकतान्त्रिक
(छ)	संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती।	अलोकतान्त्रिक
(ज)	देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते।	पक्का नहीं
(झ)	देश के सारे आर्थिक फैसले केन्द्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते।	अलोकतान्त्रिक

3. **इनमें से कौन-सा तर्क लोकतन्त्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों?**

(i) **लोकतन्त्र में लोग खुद को स्वतन्त्र और समान मानते हैं।**

(ii) **लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएँ दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं।**

(iii) **लोकतान्त्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं।**

(iv) **लोकतान्त्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं।**

उत्तर– इनमें से (क), (ख) तथा (ग) लोकतन्त्र के पक्ष में अच्छे तर्क माने जा सकते हैं, क्योंकि ये लोकतन्त्र की विशेषताओं से सम्बन्धित हैं, लेकिन तर्क (घ) लोकतन्त्र के पक्ष में उचित तर्क नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोकतान्त्रिक देश दूसरों से समृद्ध हो। किसी देश का समृद्ध होना उसके संसाधनों पर निर्भर होता है। जो देश आर्थिक रूप से जितना सम्पन्न होता है उतना ही समृद्ध माना जाता है। एक अलोकतान्त्रिक देश भी समृद्ध हो सकता है। चीन एक अलोकतान्त्रिक देश है, किन्तु अपने संसाधनों तथा नीतियों के बल पर वह विश्व के समृद्ध देशों में गिना जाता है। लोकतान्त्रिक देश गरीब भी हो सकते हैं, यदि उनके पास संसाधनों की कमी है, जैसे–बांग्लादेश। यह

देश संसाधनों की कमी तथा गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज भी गरीब है।

4. इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतान्त्रिक हैं तो कुछ अलोकतान्त्रिक। हर कथन में इन चीजों को अलग–अलग करके लिखें।

(i) **एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके।**

उत्तर— 'लोकतान्त्रिक तत्व— संसद द्वारा कानून पास किया जाना।

अलोकतान्त्रिक तत्व— विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों के अनुसार कानून पास किया जाना।

(ii) **चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहाँ बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी।**

उत्तर— लोकतान्त्रिक तत्व— गड़बड़ी की स्थिति में निष्पक्ष चुनाव के लिए दोबारा मतदान का आदेश देना।

अलोकतान्त्रिक तत्व— चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किया जाना।

(iii) **संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व** 10 **प्रतिशत तक ही पहुँचा है। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में एक-तिहाई आरक्षण की माँग की है।**

उत्तर— अलोकतान्त्रिक तत्व— संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10 प्रतिशत से ऊपर नहीं पहुँचा है।

लोकतान्त्रिक तत्व— इसी कारण महिला संगठनों ने एक-तिहाई आरक्षण की माँग की है।

5. लोकतन्त्र में अकाल और भुखमरी की सम्भावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन–सा कारण सही नहीं है?

(i) **विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं।**

(ii) **स्वतन्त्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं।**

(iii) **सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है।**

(iv) **लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतन्त्रता है।**

उत्तर— (iv) लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतन्त्रता है।

6. किसी जिले में 40 ऐसे गाँव हैं जहाँ सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गाँवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन–सा तरीका लोकतान्त्रिक नहीं है?

(i) **अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना।**

(ii) **अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना।**

(iii) **सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएँ करना।**

(iv) **सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना।**

उत्तर— (iv) सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना।

7. लोकतन्त्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए—

(i) **सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए।**

उत्तर— अनुशासित तथा भ्रष्टाचार मुक्त होने पर भी सेना को देश का शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह देश की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

(ii) **बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो।**

उत्तर— लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का सम्बन्ध केवल होशियारों से नहीं होता। लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है— समानता का सिद्धान्त। इस शासन व्यवस्था में सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं। बहुमत के विरुद्ध थोड़े से होशियार लोगों को सत्ता सौंपना लोकतन्त्र के विरुद्ध है।

(iii) **अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म- गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म-गुरुओं का शासन होना चाहिए।**

उत्तर— धर्म लोगों का व्यक्तिगत विषय है इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लोकतन्त्र का हमारी भौतिक समस्याओं से सम्बन्ध है जो सभी लोगों की लगभग समान होती हैं। धर्म–गुरु अपने धर्म विशेष से प्रभावित हो सकते हैं अत: वे किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। उनके बीच हमेशा एक वैचारिक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, जो धर्म तथा आस्था से प्रेरित होती है। धर्म और राजनीति दो अलग–अलग बातें हैं।

अत: धर्म–गुरुओं को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

8. इनमें से किन कथनों को आप लोकतान्त्रिक समझते हैं? क्यों?

(i) **बेटी से बाप: मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहाँ माँ-बाप तय कर देते हैं।**

उत्तर— इस कथन में लोकतान्त्रिक मूल्यों का विरोध प्रकट किया गया है क्योंकि, इसमें दूसरों के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है जो लोकतन्त्र की एक प्रमुख विशेषता है।

(ii) **छात्र से शिक्षक : कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बँटाओ।**

उत्तर— शिक्षक का इस प्रकार कहना लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुसार नहीं है क्योंकि, छात्रों का यह अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं को शिक्षकों के सामने रखें तथा शिक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी समस्याओं का समाधान करें।

(iii) **अधिकारियों से कर्मचारी : हमारे काम करने के घण्टे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए।**

उत्तर— निश्चित अधिक घंटों तक काम लेना कानून का उल्लंघन तथा शोषण है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना लोकतान्त्रिक मौलिक अधिकार होता है। अत: यह माँग लोकतन्त्र के अनुसार उचित है।

9. **एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतन्त्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएँ।**

(i) **देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं।**

(ii) **देश ने अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी।**

(iii) **लोग सात से ज्यादा भाषाएँ बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है, जिसे देश के 52 फीसदी लोग बोलते हैं।**

(iv) **सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है।**

उत्तर— (घ) तथा (ङ) सरकार के अलोकतान्त्रिक व्यवहार को दर्शाते हैं। (ख) सरकार की आर्थिक कमजोरी के कारण मजबूरी में उठाए गए एक गलत फैसले की ओर संकेत करता है। किंतु, (क) तथा (ग) सरकार के मौलिक रूप से लोकतान्त्रिक होने को दिखाते हैं। ये विशेषताएँ लोकतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास के प्रतीक हैं। अत: कहा जा सकता है कि यह देश एक लोकतान्त्रिक देश है।

10. **अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने–बढ़ने के रूप में भी सामने आई। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थीं—**

● सन् 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी 100 डालर थी जबकि गोरे परिवार की आमदनी 162 डालर। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा सम्पत्ति थी।

● राष्ट्रपति चुनाव में 75,000 डालर से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे। यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20 फीसदी में आते हैं। दूसरी ओर 15,000 डालर से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20 फीसदी हिस्से में आते हैं।

● राजनीतिक दलों का करीब 95 फीसदी चंदा अमीर परिवारों से ही आता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिन्ताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।

● जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिन्ताओं पर कम ध्यान देती है—गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिन्ताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं।

● इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर और भारत के उदाहरण देते हुए 'लोकतन्त्र और गरीबी' पर एक लेख लिखें।

उत्तर— लोकतन्त्र और गरीबी

सामान्य लोगों की भलाई के लिए लोकतन्त्र लोगों के बहुमत का शासन है। किन्तु, आज-कल इसका उपयोग योग कुछ मुट्ठीभर लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा है, जिनके पास धन, संसाधन एवं शिक्षा है। भारत में अमीरों तथा गरीबों के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं जबकि अमीर और तेजी से अमीर होते जा रहे हैं। सक्षम लोगों द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाया जा रहा है तथा गरीब इनसे वंचित होते जा रहे हैं।

हमारे देश में लोकतान्त्रिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है। आज लोगों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है।

लोग अब जनता की समस्याओं का हल निकालने के लिए राजनीति में नहीं जाते, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए राजनीति में आते हैं। राजनीति में धन तथा बल के उपयोग ने इसके लोकतान्त्रिक स्वरूप को बिगाड़ दिया है। भारत की आबादी गाँवों में बसती है। उनके लिए कागजों पर

बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई जाती हैं तथा आए दिन होने वाले घोटालों के द्वारा विकास की राशि को नेताओं, व्यापारियों, ठेकेदारों तथा अन्य सक्षम वर्गों द्वारा आपस में बाँट लिया जाता है। इस कारण गरीबी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आज हमें जनप्रतिनिधियों से जवाब माँगने की आवश्यकता है। जनता के पास यह शक्ति होनी चाहिए कि वह जब चाहे अपने प्रतिनिधि को वापस बुला ले। यह उन्हें जवाबदेह बना देगा, साथ ही चुनावों में धन के अत्यधिक प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। तभी लोकतन्त्र का सही रूप सामने आएगा तथा आम जनता की समस्या की ओर ध्यान दिया जा सकेगा।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **लोकतन्त्र क्या है?**

उत्तर— लोकतन्त्र शासन का एक ऐसा रूप है, जिसमें शासकों का चुनाव जनता स्वयं करती है। यह जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, जहाँ अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास शासन की सर्वोच्च सत्ता होती है।

लोकतन्त्र की मुख्य विशेषताएँ— (i) **प्रमुख फैसले जनता द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा—** शासन की सर्वोच्च सत्ता उन्हीं के पास होती है जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। (जैसे भारत में संसद) (ii) **स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव—** चुनाव में हर नागरिक को अपनी पसंद बदलने का अवसर और विकल्प मिलता है। (iii) **एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य—** हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है। (iv) **कानून का शासन—** सरकार को संविधान और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है।

लोकतन्त्र क्यों महत्वपूर्ण है?— (i) यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और समानता को बढ़ावा देता है।

(ii) यह शासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित करता है।

(iii) यह मतभेदों और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का तरीका प्रदान करता है।

लोकतन्त्र *बनाम* गैर-लोकतान्त्रिक देश— लोकतन्त्र में, शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि तानाशाही में फैसले सेना या अन्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के समय हुआ था।

संक्षेप में, लोकतन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता की इच्छा और समानता के सिद्धांत पर टिकी है।

2. **लोकतन्त्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) जनता द्वारा चुनी हुई सरकार।

(ii) जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय करने की शक्ति।

(iii) स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

(iv) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।

(v) प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान।

(vi) कानून द्वारा शासन का संचालन।

3. **लोकतन्त्र, राजतन्त्र व सैन्य शासन में अन्तर स्पष्ट करें।**

उत्तर— लोकतन्त्र— यह सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता पर उसके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, जैसे-भारत।

राजतन्त्र— यह सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें राज्य के प्रमुख या शासक को शासन का अधिकार जन्म के आधार पर (वंशानुगत परम्परा) अपने पूर्ववर्ती शासक से प्राप्त होता है। इसमें जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, जैसे—सऊदी अरब।

सैन्य शासन— सैनिक शासन में एक तानाशाह जनता की अनुमति के स्थान पर अपनी शक्ति के बल पर राज्य पर शासन करता है। यह शासन सेना पर नियंत्रण वाले लोगों द्वारा संचालित होता है, जैसे-म्यांमार।

4. **लोकतन्त्र के विपक्ष में तर्कों को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— लोकतन्त्र के विपक्ष में चार तर्क निम्नलिखित हैं—

(i) लोकतन्त्र में नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है जिससे अस्थिरता पैदा होती है।

(ii) लोकतन्त्र में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है।

(iii) जनता द्वारा चुने हुए नेताओं को लोगों के हित की जानकारी नहीं होती है जिस कारण उनके द्वारा गलत फैसले लिए जाते हैं।

(iv) लोकतन्त्र मूलत: चुनावी प्रतियोगिता पर आधारित होता है अत: इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

5. **लोकतन्त्र के पक्ष में तर्क लिखिए।**

उत्तर— लोकतन्त्र के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं—

(i) लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है।

(ii) लोकतन्त्र बेहतर निर्णय लेने की सम्भावना बढ़ाता है।

(iii) लोकतन्त्र मतभेदों और टकरावों को सम्भालने का तरीका उपलब्ध कराता है।

(iv) लोकतन्त्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है।

(v) लोकतन्त्र में गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है।

6. **जिम्बाब्वे की घटनाओं का वर्णन करें।**

उत्तर— जिम्बाब्वे की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि लोकप्रिय सरकार भी कैसे निरंकुश हो सकती है। 1980 में आजादी के बाद, रॉबर्ट मुगाबे (जानु-पीएफ पार्टी) के नेतृत्व में, संविधान में बदलाव, चुनावों में धाँधली, विपक्ष को दबाने और मीडिया पर नियंत्रण जैसे कदमों से लोकतन्त्र का दम घुट गया, जिससे देश गहरे आर्थिक संकट में फँस गया।

जिम्बाब्वे की प्रमुख घटनाएँ (लोकतन्त्र के संदर्भ में)

1. **स्वतंत्रता और मुगाबे का उदय—** 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से मुक्ति के बाद रॉबर्ट मुगाबे ने सत्ता संभाली और वे देश के लोकप्रिय नेता बने।

2. **संविधान में बदलाव—** मुगाबे ने धीरे-धीरे संविधान में बदलाव करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया और राष्ट्रपति को अधिक कार्यकारी अधिकार प्रदान किए।

3. **विपक्ष का दमन—** जानु-पीएफ सरकार ने विपक्ष (जैसे-एमडीसी) की गतिविधियों को अवैध बनाने और समर्थकों पर हमला करने के लिए जबरन कार्यवाही की।

4. **चुनावों में धाँधली—** 1980 के बाद के चुनावों में धाँधली, हिंसा और अनुचित साधनों का उपयोग करके मुगाबे सत्ता में बने रहे।

5. **अलोकतान्त्रिक कदम—** सरकार ने स्वतंत्र प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, न्यायपालिका पर दबाव डाला और कानून बदलकर अपनी सत्ता मजबूत की।

6. **भूमि सुधार (2000 के बाद)—** सरकार ने श्वेत किसानों की जमीन छीनकर समर्थकों को बाँटी, जिससे उत्पादन गिरा, महँगाई बढ़ी और अर्थव्यवस्था ठप हो गई।

7. **तानाशाही की प्रवृत्ति—** चुनाव में हिंसा, फर्जीवाड़ा और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन ने जिम्बाब्वे में लोकतान्त्रिक सरकार के दावों को झूठा साबित किया।

निष्कर्ष— जिम्बाब्वे का उदाहरण दिखाता है कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाह बन सकते हैं और केवल चुनाव होना ही लोकतन्त्र की गारंटी नहीं, यदि उसमें निष्पक्षता नहीं।

7. व्यापक अर्थ में लोकतन्त्र का अर्थ बताइए।

उत्तर— लोकतन्त्र का व्यापक अर्थ केवल एक शासन प्रणाली (वोट डालने, सरकार चुनने) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने का एक ऐसा तरीका है, जो समानता, आपसी सहमति और भागीदारी पर आधारित है। यह परिवार, कक्षा या देश, कहीं भी लोकतान्त्रिक फैसलों को लागू करने का आदर्श है।

व्यापक अर्थ में लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताएँ

1. **निर्णय में सबकी भागीदारी—** किसी भी फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों की राय या सहमति शामिल होनी चाहिए।

2. **सामाजिक और आर्थिक समानता—** केवल राजनीतिक समानता नहीं, बल्कि नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलना तथा समाज में भेदभाव का न होना।

3. **सहमति का शासन—** लोकतन्त्र में तानाशाही के विपरीत, कानून और निर्णय लोगों की सहमति से कानून बनते हैं।

4. **व्यक्ति की गरिमा—** प्रत्येक व्यक्ति (वोट या राय) का मूल्य समान माना जाता है।

उदाहरण के लिए, एक परिवार में, जहाँ कोई भी फैसला लेने से पहले बच्चों और बड़ों, सबकी राय ली जाती है, वहाँ लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया काम कर रही है, चाहे वह देश का चुनाव न हो।

निष्कर्ष— व्यापक लोकतन्त्र का मतलब है कि शासन के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी 'लोकतान्त्रिक' सिद्धांतों का पालन करना, ताकि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. लोकतन्त्र क्या है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— लोकतन्त्र से आशय— जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था लोकतन्त्र कहलाती है। इसमें शासन के सभी निर्णयों में जनता के बहुमत की राय को ही सर्वोपरि माना जाता है। लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ—** लोकतन्त्र में सभी प्रमुख निर्णय जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं द्वारा किये जाते हैं। ये नेता जनता की राय को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेते हैं। अतः नेताओं के सभी फैसलों में उनको वोट देने वाली जनता का हित शामिल होता है।

2. **एक व्यक्ति-एक वोट-एक मोल—** लोकतन्त्र के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने तथा चुनाव में खड़े होने एवं जीतकर सत्ता में शामिल होने के समान अवसर दिये जायें। इसमें किसी विशेष आधार पर नागरिकों को कम या अधिक महत्व देकर विभाजन नहीं किया जा सकता है।

3. **स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला—** चीन में प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं लेकिन वहाँ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अनुमति के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है अतः इसे लोकतन्त्र नहीं कह सकते। लोकतन्त्र में सत्ता में बैठे लोगों तथा अन्य शेष लोगों को जीत-हार के समान अवसर मिलने चाहिए। यदि सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग करके पुनः सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति को लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता है।

4. **कानून का राज और अधिकारों का आदर—** जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति मुगाबे स्वतन्त्रता के बाद से सन् 2017 तक गलत तरीके अपनाकर तथा अपने पक्ष में बार-बार संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति बने रहे, यह स्वस्थ लोकतन्त्र नहीं है। एक लोकतान्त्रिक सरकार को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही कार्य करना चाहिए तथा राष्ट्र के सभी लोगों को न्याय प्रदान करना चाहिए। लोकतान्त्रिक सरकार को अपनी आलोचना सुननी चाहिए तथा लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

2. शासन व्यवस्थाओं के विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर— शासन व्यवस्थाएँ मुख्य रूप से सत्ता के स्रोत (जनता या शासक) और निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकृत हैं। मुख्य प्रकार लोकतन्त्र (जनता का शासन), राजतन्त्र (वंशानुगत), तानाशाही (निरंकुश), अभिजात तन्त्र (कुलीन वर्ग), धर्मतन्त्र (धार्मिक), नौकरशाही (अधिकारी) और अराजक तन्त्र (अराजकता) हैं।

शासन व्यवस्थाओं का विवरण—

1. **लोकतन्त्र—** इसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो उनके हित में शासन करते हैं।

2. **राजतन्त्र—** यह व्यवस्था राजा या रानी के शासन पर आधारित है, जो आमतौर पर वंशानुगत होता है। राजा का निर्णय ही अंतिम होता है, हालाँकि संवैधानिक राजतन्त्र में शक्तियाँ सीमित हो सकती हैं।

3. **तानाशाही—** सत्ता एक व्यक्ति या समूह के पास केन्द्रीकृत होती है, जो संवैधानिक अधिकारों या जनता की राय की परवाह किए बिना शासन करते हैं। इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विपक्ष की कोई जगह नहीं होती।

4. **अभिजात तन्त्र—** शासन की बागडोर समाज के कुछ उच्च-कुल या संपन्न (कुलीन) लोगों के हाथ में होती है। यह 'सबसे योग्य' लोगों द्वारा शासन का दावा करता है, लेकिन अक्सर स्वार्थी होता है।

5. **धर्मतन्त्र—** सत्ता किसी धार्मिक समूह या नेता के हाथों में होती है। निर्णय धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार लिए जाते हैं, न कि आधुनिक संवैधानिक कानूनों के आधार पर।

6. **नौकरशाही—** यह शासन का वह रूप है, जिसमें मुख्य रूप से सरकार के नियुक्त अधिकारी नीतियाँ बनाते और लागू करते हैं। लोकतन्त्र में भी यह नीतियाँ लागू करने का प्रमुख माध्यम है।

7. **अराजक तन्त्र—** यह वास्तव में कोई औपचारिक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई केन्द्रीय सरकार या कानून व्यवस्था नहीं होती। समाज में पूर्ण अव्यवस्था होती है।

3. भारत में लोकतन्त्र की स्थापना का वर्णन करें।

उत्तर— भारत में लोकतन्त्र की स्थापना 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता के साथ शुरू हुई और 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ एक संप्रभु लोकतान्त्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुई। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें 600 से अधिक रियासतों का विलय, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और 1951–52 के पहले आम चुनाव शामिल थे।

भारत में लोकतन्त्र की स्थापना — मुख्य चरण

1. **स्वतंत्रता और संविधान (1947–50)—** ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद, भारत ने खुद को लोकतांत्रिक घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता से पहले ही इसे 'पूर्ण लोकतंत्र' का लक्ष्य रखा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, जिसमें नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार दिए गए।

2. **रियासतों का एकीकरण—** स्वतंत्रता के समय भारत खंडित था। सरकार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में 600 से अधिक रियासतों को एक लोकतांत्रिक भारत में शामिल किया गया।

3. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार—** भारत ने बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को वोट का अधिकार दिया। यह उस के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।

4. **पहले आम चुनाव (1951–52)—** लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा पहले आम चुनाव थे। विशाल जनसंख्या और अशिक्षा के बावजूद, चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक मतदान कराया, जिससे सरकार की वैधता स्थापित हुई।

5. **लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाना—** भारत ने धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढाँचा (केंद्र और राज्य सरकारें) और स्वतंत्र चुनाव आयोग जैसे सिद्धांतों को अपनाया ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके।

निष्कर्ष— भारत का लोकतंत्र स्वतंत्रता संघर्ष से जन्मा, जो समानता, बहुलवाद और जनता की भागीदारी पर आधारित है। इसे अक्सर 'लोकतंत्र की जननी' (प्राचीन गणराज्यों के संदर्भ में) और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। ○○

2 संविधान निर्माण

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें।

(i) **स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था।**

(ii) **भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमत थे।**

(iii) **जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी।**

(iv) **संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।**

उत्तर— (क) स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की इस बारे में स्पष्ट धारणा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में लोकतन्त्र होना चाहिए।

(ख) भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्यों की संविधान के सभी उप-बन्धों को लेकर अलग-अलग धारणाएँ थीं।

(ग) जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का होना जरूरी नहीं है।

(घ) यह सत्य है कि संविधान देश का सर्वोत्तम कानून होता है परन्तु संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है, क्योंकि इसे लोगों की इच्छाओं तथा समाज में आए परिवर्तन के अनुसार होना चाहिए।

2. दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में, इनमें से कौन–सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था—

(i) **दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का**

(ii) **स्त्रियों और पुरुषों का**

(iii) **गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का**

(iv) **रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का**

उत्तर— (iv) रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का।

3. लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन–सा प्रावधान नहीं रहता?

(i) शासन प्रमुख के अधिकार (ii) शासन प्रमुख का नाम

(iii) विधायिका के अधिकार (iv) देश का नाम

उत्तर— (ii) शासन प्रमुख का नाम।

4. संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएँ—

(i)	मोतीलाल नेहरू	1.	संविधान सभा के अध्यक्ष
(ii)	बी.आर.अंबेडकर	2.	संविधान सभा के सदस्य
(iii)	राजेंद्र प्रसाद	3.	प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष
(iv)	सरोजिनी नायडू	4.	1928 में भारत का संविधान बनाया

उत्तर— (क)–4, (ख)–3, (ग) –1, (घ) –2.

5. जवाहर लाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें— (i) **नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है?** (ii) **नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं?** (iii) **वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे?** (iv) **'हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख से आँसू पोंछने की है।' वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे?**

उत्तर— 'क' नेहरू ने यह बात 'भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है' इसलिए कहा था कि भारत के लोग अपने वायदों को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहें।

(ख) नये भारत के सपने दरिद्रता का, अज्ञान का, बीमारियों का और अवसर की असमानता का अन्त करना है। विश्व शान्ति और समृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है।

(ग) वह संविधान के निर्माताओं से यह शपथ लेना चाहते थे कि वे भारत के संसाधनों तथा जनता के हित में अपने आपको समर्पित कर दें।

(घ) वह इस कथन में महात्मा गांधी की ओर संकेत कर रहे थे।

6. हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए।

(i) सम्प्रभु	1. सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी।
(ii) गणतंत्र	2. फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है।
(iii) बंधुत्व	3. शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।
(iv) धर्मनिरपेक्ष	4. लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।

उत्तर—

(i) सम्प्रभु	1. फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है।
(ii) गणतंत्र	2. शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।
(iii) बंधुत्व	3. लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।
(iv) धर्मनिरपेक्ष	4. सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी।

7. कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनैतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनैतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियाँ नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की माँग कर रही थीं। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें।

उत्तर— प्रिय मित्र,

आपने अपने पत्र में जिन मुद्दों की चर्चा की है। उनके विषय में मैं अपनी राय को निम्न रूप में प्रेषित कर रहा हूँ—नेपाल में लोगों के विचार अलग–अलग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजा ने जो संविधान बनाया है, उसी में थोड़ा सुधार करके चुने हुए लोगों को अधिक शक्ति दे दी जाये, लेकिन दूसरी पार्टियाँ चाहती हैं कि नई संविधान सभा का गठन किया जाये। मेरी राय में मौजूदा संविधान में संशोधन कर जन प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार दे देना उचित है। कुछ सालों के बाद स्वतन्त्र चुनाव कराने चाहिए। तब राजा के पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, राजा सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभायेगा। अतः वर्तमान संविधान में उपयुक्त संशोधन ही नेपाल के हित में उपयुक्त फैसला होगा।

8. भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग–अलग विचार इस प्रकार हैं।

आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्त्वपूर्ण कारण मानते हैं?

(i) **अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया।**

(ii) **हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह-तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था।**

(iii) **हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र-राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।**

उत्तर— (क) अंग्रेजी शासकों के योगदान को कुछ सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि इसे अंग्रेजों की देन नहीं माना जा सकता है। यदि हमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता तो भारत जैसे विशाल देश में आरम्भिक दौर में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना बहुत ही मुश्किल कार्य होता।

(ख) इस तथ्य का भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। चूँकि हमारे संघर्ष का तरीका लोकतान्त्रिक था, हमारे राजनीतिक दलों की संरचना भी लोकतान्त्रिक थी, अत: प्रजातन्त्र की अच्छाइयों को हम अनुभव कर रहे थे। दूसरी ओर, चूँकि लोगों को विभिन्न स्वतन्त्रताएँ नहीं मिली थीं, अत: प्रजातन्त्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी जो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकती थी।

(ग) स्वतन्त्रता प्राप्ति के दौरान यह बहुत आवश्यक था कि सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए लोकतान्त्रिक विचारों वाले नेता हों, जिससे इन मूल्यों की स्थापना के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। अत: इस कारण का योगदान भी महत्वपूर्ण था।

9. **1912 में प्रकाशित 'विवाहित महिलाओं के लिए आचरण' पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें—**

''ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्म रक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है— कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुगृहीत होना चाहिए कि वे अपने आपको पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं।''

क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं?

उत्तर— इस पाठ्यांश में व्यक्त मूल्य हमारे संविधान के मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि हमारा संविधान पुरुष तथा महिला को प्रत्येक दृष्टि से समान मानता है। भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए गए हैं।

10. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए।**

(i) संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है।

(ii) संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा।

(iii) नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है।

(iv) संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना-देना नहीं है।

उत्तर— (क) यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक नियम मौलिक नियम हैं, जबकि दूसरे अन्य नियमों की वैधानिकता इस आधार पर तय होती है कि वे संवैधानिक नियमों के अनुरूप हैं अथवा नहीं हैं।

(ख) यह कथन ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के तीनों अंगों—विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के गठन तथा शक्ति की चर्चा की गई है।

(ग) यह कथन सही है, क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों को दिये गये विभिन्न अधिकारों और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से है।

(घ) यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी चर्चा संविधान की प्रस्तावना में की गई है तथा प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? अपने विचार लिखिए।**

उत्तर— (i) संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय किया जाता है।

(ii) संविधान लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक होता है।

(iii) संविधान सरकार की शक्ति व सत्ता का स्रोत है।

(iv) संविधान सरकार और नागरिकों के आपसी सम्बन्धों को निर्धारित करता है।

(v) संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है।

2. **संविधान निर्माण किस प्रकार किया जाता है?**

उत्तर— संविधान निर्माण एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, जो संविधान सभा द्वारा की जाती है। भारत का संविधान 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में बना, जिसमें 114 दिनों तक चर्चा हुई। इसमें मूल सिद्धांतों पर सहमति, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में मसौदा समिति द्वारा ड्राफ्टिंग और संविधान सभा में

गहन बहस (165 दिन में 11 सत्र) शामिल थी।

संविधान निर्माण की मुख्य प्रक्रिया

1. **संविधान सभा का गठन—** संविधान बनाने का कार्य एक ऐसी सभा द्वारा किया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गये, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन यह सभा काफी समावेशी थी।

2. **मूल सिद्धांतों पर सहमति—** विधानसभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इससे पहले, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने भी किया था।

3. **मसौदा समिति—** डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति ने संविधान प्रारूप तैयार किया, जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों के अच्छे प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार शामिल किया गया।

4. **गहन चर्चा और बहस—** मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए हर अनुच्छेद पर संविधान सभा में कई दिनों तक बहस हुई। इसमें 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया गया और सभी बहसों को रिकॉर्ड किया गया।

5. **अंतिम स्वीकृति—** 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

संविधान निर्माण की विशेषताएँ— (i) यह एक लिखित संविधान है, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित करता है।
(ii) इसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है।
(iii) यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा करता है।

3. **दक्षिण अफ्रीका के शासकों के पृथक्करण इंतजाम क्या थे?**

उत्तर— रंगभेद की शासकीय नीति दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले तथा भारत से गये लोगों के लिए दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाजत नहीं थी। वहाँ काम के लिए जाने हेतु उन्हें परमिट लेना पड़ता था। रेलगाड़ी, बस, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्रतट, शौचालय, तरणताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर गोरों एवं काले लोगों के लिए अलग-अलग इंतजाम थे, इसी को पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था।

4. **दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना व उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना 26 अप्रैल, 1994 को रंगभेद नीति के अंत और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में पहले बहुजातीय चुनावों के बाद हुई। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी 'इंद्रधनुषी राष्ट्र' बनाना था।

दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना और उद्देश्य

1. **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (रंगभेद का अंत)—** 1948 से 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में श्वेत सरकार द्वारा 'रंगभेद' की दमनकारी नीति अपनाई गई थी, जहाँ अश्वेतों को वोट देने और समान अधिकार से वंचित रखा गया था। नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC) के लंबे संघर्ष के बाद 1994 में लोकतंत्र स्थापित हुआ।

2. **लोकतंत्र की स्थापना—** (i) **1994 के चुनाव—** अप्रैल 1994 में पहली सभी नस्लों (श्वेत, अश्वेत, रंगीन) ने एक साथ मतदान किया और नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने।
(ii) **नया संविधान (1996)—** दुनिया के सबसे लोकतान्त्रिक संविधानों में से एक को अपनाया गया, जो समानता, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन पर जोर देता है।

3. **लोकतान्त्रिक उद्देश्य और मूल्य—** (i) **रंगभेद का खात्मा—** नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव को पूर्णत: समाप्त करना।
(ii) **मानवाधिकार और स्वतंत्रता—** अभिव्यक्ति, धर्म और समानता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
(ii) **समावेशी समाज—** श्वेत और अश्वेत नागरिकों के बीच की खाई को पाटकर एक साझा राष्ट्र का निर्माण करना।
(iv) **न्यायिक स्वतंत्रता—** एक स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना।
(v) **बहुदलीय प्रणाली—** सभी वर्गों की भागीदारी के साथ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव।

निष्कर्ष— दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र एक दमनकारी इतिहास से निकलकर 'संविधान निर्माण' के माध्यम से स्वतंत्रता और समानता के एक नए युग की शुरुआत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

5. **संविधान क्या है? इसे संशोधित क्यों किया जाना चाहिए?**

उत्तर— संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसमें देश में राजनीति और समाज को व्यवस्थित करने वाले मौलिक नियम होते हैं।
संविधान एक लम्बा एवं विस्तृत दस्तावेज होता है इसलिए जनता की इच्छा एवं बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित करते रहने की आवश्यकता होती है।

6. **भारतीय संविधान में प्रयुक्त निम्न शब्दों का वर्णन कीजिए—**

(i) लोकतंत्रात्मक (ii) स्वतंत्रता (iii) न्याय।

उत्तर— (i) **लोकतंत्रात्मक—** यह सरकार के एक ऐसे स्वरूप का सूचक है जिसमें जनता को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, वे अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार को कुछ मौलिक नियमों के अनुसार चलाया जाता है।

(ii) **न्याय—** न्याय से तात्पर्य जनता के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(iii) **स्वतंत्रता—** इसका अभिप्राय है कि जनता की सोच, उनके विचार व्यक्त करने के तरीके एवं वह विचार को किस तरह कार्य रूप देती है। इस पर सरकार अकारण कोई अनुचित पाबन्दी नहीं लगायेगी।

7. **भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न शब्दों का उल्लेख करें—**

(i) समाजवादी (ii) समानता (iii) बंधुता।

उत्तर— (i) **समाजवादी—** समाजवादी शब्द से अभिप्राय समाज की सामूहिक सम्पत्ति का बँटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार इस तरह के नियम बनाए जिससे कि देश में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ कम हों।

(ii) **क्षमता—** इसका अभिप्राय है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना है। सरकार को सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना होगा।

(iii) **बंधुता—** इसका अभिप्राय है कि हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हों। किसी को भी अपने साथी नागरिक के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

8. **भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ है? समझाइए।**

उत्तर— भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने वोट देकर संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इस सभा का गठन डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसम्बर 1946 में हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा, वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी, 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को यह सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया।

9. **भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कैसे? समझाइए।**

उत्तर— पंथ निरपेक्ष वह देश होता है, जहाँ नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतन्त्रता हो एवं उस देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होता।

भारत में सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतन्त्रता है एवं यहाँ कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों के विश्वासों एवं रीति-रिवाजों को समान महत्व देती है। भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है जो देश में रहने वाले हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **लोकतांत्रिक देश में संविधान को आकार देने वाले प्रमुख मूल्य कौन—से हैं?**

उत्तर— भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र प्रमुख मूल्य हैं, जो संविधान की आत्मा हैं। ये मूल्य भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश बनाते हैं, जो नागरिकों की गरिमा, सामाजिक-आर्थिक न्याय, भाईचारे और कानून के शासन को सुनिश्चित करते हैं।

संविधान को आकार देने वाले प्रमुख मूल्य

1. **प्रस्तावना—** यह संविधान के उद्देश्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) को स्पष्ट करती है, जो नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज का आधार है।

2. **समानता—** जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और अवसर की समानता (अनुच्छेद 14–18) प्रदान करना।

3. **स्वतंत्रता—** अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, जो नागरिकों को पूर्ण विकास का अवसर देती है।

4. **न्याय—** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

5. **धर्मनिरपेक्षता—** राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।

6. **गणतंत्र—** देश का प्रमुख (राष्ट्रपति) जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

7. **बंधुता और गरिमा—** देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नागरिकों में आपसी भाईचारे और व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना।

8. **लोकतांत्रिक मूल्य—** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनी हुई सरकार के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ती है। ये मूल्य स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित हैं और भारत के संविधान को एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आकार देते हैं।

2. **भारतीय संविधान के मौलिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— भारतीय संविधान के मौलिक मूल्य—स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र—इसके मूल आधार हैं। ये मूल्य भारत को एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना है। ये मूल्य 'लोकतांत्रिक राजनीति' के अंतर्गत संवैधानिक ढाँचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय संविधान के मुख्य संवैधानिक मूल्य

1. **संप्रभुता—** भारत एक स्वतंत्र देश है, यह बाहरी या आंतरिक दबाव के बिना अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है।

2. **समाजवादी—** इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक असमानता को कम करना और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।

3. **धर्मनिरपेक्षता—** भारत का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान व स्वतंत्रता देता है।
4. **लोकतंत्र—** सरकार का चयन जनता द्वारा वोट के माध्यम से किया जाता है, जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है।
5. **गणराज्य—** देश का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं, बल्कि निर्वाचित होता है।
6. **न्याय—** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें भेदभाव रहित व्यवहार शामिल है।
7. **स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—** ये जीवन की त्रिमूर्ति हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष बराबरी (अनुच्छेद 14–18) और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं।
ये मूल्य नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक हैं और मौलिक अधिकारों का कर्तव्य के रूप में संविधान में निहित हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनाए गए आदर्शों के रूप में पढ़ाए जाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण को दर्शाते हैं।

3. हाल में ही तैयार संविधान का एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर— हाल ही में तैयार संविधान का सबसे सटीक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का संविधान (1994–1996) है। रंगभेद नीति की समाप्ति के बाद, श्वेत और अश्वेत नेताओं ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जो समानता, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था, जिसे दुनिया के सबसे व्यापक संविधानों में से एक माना जाता है।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान की मुख्य बातें
1. **स्थापना—** रंगभेद की समाप्ति के बाद 1994 में लोकतांत्रिक सरकार और 1996 में नया संविधान लागू हुआ।
2. **आधार—** यह संविधान 'संयम, समझौते और नए शासकों द्वारा पूर्व विरोधियों को माफ' के सिद्धांत पर बना।
3. **विशेषता—** इसने नागरिकों को विश्व के सबसे व्यापक अधिकार (जैसे-समानता, निजता, श्रम, शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन) प्रदान किए।
4. **उद्देश्य—** जाति, लिंग या पूर्व के भेदभाव को भुलाकर एक ऐसा समाज बनाना, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों पर आधारित हो।
दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक संघर्षपूर्ण इतिहास के बाद भी आपसी सहमति से एक प्रगतिशील संविधान तैयार किया जा सकता है।

3 चुनावी राजनीति

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन-सा वाक्य ठीक नहीं है?
(i) चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं।
(ii) लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं।
(iii) चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं।
(iv) लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं।
उत्तर— (iii) चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं।

2. भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन-सा वाक्य सही कारण नहीं देता?
(i) भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं।
(ii) भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है।
(iii) भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है।
(iv) चुनाव हारने वाली पार्टियाँ जनादेश स्वीकार कर लेती हैं।
उत्तर— (i) भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं।

3. निम्नलिखित का मिलान करें—

(i) समय-समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि	(1) समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके।
(ii) कुछ निर्वाचन-क्षेत्र अनु. जाति और अनु.जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि	(2) हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले।
(iii) प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि	(3) हर उम्मीदवार को चुनावों में लड़ने का समान अवसर मिले।
(iv) सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि	(4) संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहाँ उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था।

उत्तर— (क) —4, (ख)—1, (ग)—2, (घ)—3.

4. इस अध्याय में वर्णित चुनाव सम्बन्धी सभी गतिविधियों की सूची बनाएँ और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएँ। इनमें से कुछ मामले हैं—चुनाव घोषणा-पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना।
उत्तर—

(i) मतदाता सूची बनाना	(ii) चुनाव प्रक्रिया की घोषणा

(iii) नामांकन दाखिल करना	(iv) चुनाव घोषणा-पत्र जारी करना
(v) चुनाव अभियान	(vi) मतदान
(vii) पुनर्मतदान के आदेश	(viii) वोटों की गिनती
(ix) चुनाव नतीजों की घोषणा।	

5. **सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन–किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?**
(i) **चुनाव प्रचार** (ii) **मतदान के दिन**
(iii) **मतगणना के दिन**

उत्तर— (क) चुनाव प्रचार— एक प्रभारी अधिकारी के रूप में सुरेखा को चाहिए कि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह सुनिश्चित करे कि कोई भी उम्मीदवार अथवा अन्य व्यक्ति मतदाताओं को बहका अथवा धमका तो नहीं रहा है अथवा उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहा है। उम्मीदवारों द्वारा धर्म अथवा जाति के नाम पर मतदाताओं से समर्थन तो नहीं माँगा जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। ये सभी उम्मीदवार चुनाव अभियान के दौरान तय सीमा में खर्च कर रहे हैं या इनका खर्च निर्धारित सीमा से अधिक है।

(ख) मतदान के दिन— सुरेखा को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मतदाताओं को किसी भी तरह से मतदान करने से रोका तो नहीं जा रहा है। किसी तरह की धाँधली तो नहीं की जा रही है? उसे मतपेटियाँ छीनने, जबरन बूथ पर कब्जा करने जैसी घटना की रिपोर्ट तुरन्त आयोग को करनी चाहिए। कहीं कोई अवैध मतदान तो नहीं कर/करा रहा है।

(ग) मतगणना के दिन— मतों की स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष गिनती के लिए उसे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मतगणना में किसी भी प्रकार की धाँधली न हो एवं जो उम्मीदवार जीता हो उसी को विजयी घोषित किया जाए। पार्टियों के समर्थकों द्वारा कोई भी घटना हो सकती है। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखनी चाहिए।

6. **नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं, तो क्यों?**

समुदाय का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)

	अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में	अमेरिकी समाज में
अश्वेतों	8	13
हिस्पैनिक्स	5	13
श्वेत	86	74

उत्तर— हाँ, अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधित्व पद्धति लागू की जानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधि सभा में बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। जनसंख्या में अश्वेत लोगों तथा हिस्पैनिक का कुल प्रतिशत 26 होने के बावजूद, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में केवल उन्हें 13 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और श्वेत लोगों को उनकी जनसंख्या से 12 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

7. **क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत कीजिए।**

(i) **भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।**

उत्तर— भारत में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं—चुनाव सम्बन्धी सरकार की किसी भी सलाह को मानने के लिए आयोग बाध्य नहीं है। आयोग सत्ताधारी पार्टी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से रोक सकता है। यदि वे इसका दुरुपयोग करते हुए पाये जाते हैं।

(ii) **हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है।**

उत्तर— यह स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव का प्रतीक है। यदि चुनावों में धाँधली होती तो मतदाताओं की संख्या निरन्तर घटती जाती।

(iii) **सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है।**

उत्तर— नहीं, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना अपेक्षाकृत कठिन है। पिछले 50 वर्ष में सत्ताधारी पार्टी प्रत्येक 3 में से 2 चुनाव हारी हैं। मतदाता चुनाव के दौरान किये गये वादों को पूरा नहीं किये जाने के कारण प्राय: इनसे नाराज रहते हैं। विरोधी पार्टियों द्वारा नये तथा आकर्षक वादे करने के कारण माहौल उनके पक्ष में चला जाता है।

(iv) **अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं।**

उत्तर— (i) भारत की 16वीं लोकसभा के 440 से अधिक सदस्य करोड़पति हैं। इससे पता चलता है कि चुनाव धन से प्रभावित किये जाते हैं। अत: सुधार की आवश्यकता है जिससे कि आम आदमी भी चुनकर आ सके। (ii) 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 12 फीसदी ही है। इससे सिद्ध

होता है कि यहाँ महिलाएँ चुनाव लड़ने के लिए स्वतन्त्र एवं सक्षम नहीं हैं। अत: उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता है।

8. **चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।**

उत्तर— न्यायालय का यह निर्णय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है। आयोग के निर्देशानुसार गम्भीर आपराधिक मामले जिन व्यक्तियों पर साबित हुए हैं, उन्हें वह चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे सकता। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान के तहत छुआछूत का व्यवहार एक दण्डनीय अपराध है। इसलिए न्यायालय का चिनप्पा और सतबीर के मामले में फैसला बिल्कुल सही है।

9. **यहाँ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टें दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे?**

(i) **नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जान-बूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले पाँच लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था।**

उत्तर— हाँ, यह देश भारतीय मतगणना पद्धति से सीख ले सकता है। नाइजीरिया को मतगणना का भारतीय तरीका अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ मतगणना के समय चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों के एजेंट उपस्थित होते हैं तथा उनके सामने मतों की गणना की जाती है। जिससे किसी भी तरह का संदेह होने पर मतगणना दोबारा करायी जा सके। इसके अतिरिक्त नाइजीरिया सरकार को मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भी करना चाहिए।

(ii) **फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक परचा बाँटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून-खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल मतदाताओं को दी गई थी।**

उत्तर— हाँ, फिजी के लोग भारतीय चुनाव पद्धति से सीख ले सकते हैं, इस तरह की धमकियों से निबटने के लिए ऐसी शक्तिशाली एजेंसी होनी चाहिए जो तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही कर सके और मतदाता निष्पक्ष मतदान कर सकें। यह प्रावधान भी होना चाहिए कि जो कोई पार्टी इस तरह के कार्यों में लिप्त पाई जायेगी, उसको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा।

(iii) **अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी-अपनी प्रणालियाँ हैं। सन् 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका।**

उत्तर— अमेरिका, भारतीय चुनाव पद्धति से सीख ले सकता है। चुनाव में आयोजन के लिए भारत में एकीकृत व्यवस्था है जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के रूप में काम करती है। इसके नियम और आदेश का सम्पूर्ण देश में समान रूप से पालन होता है। यह संस्था स्वतन्त्र तथा सरकारी प्रभाव से मुक्त होती है। यह चुनाव के समय सरकार के फैसलों पर रोक लगा सकती है, यदि वे स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में न हों।

10. **भारत में चुनावी गड़बड़ियों से सम्बन्धित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?**

(i) **चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।**

उत्तर— चुनाव की घोषणा के बाद मन्त्री द्वारा की गई यह घोषणा जनमत को प्रभावित करने वाला कदम है जो निष्पक्ष चुनाव में बाधा डाल सकता है। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसके लिए चुनाव आयोग मन्त्री को कारण बताओ नोटिस जारी करे तथा अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर उसकी इस घोषणा को अवैध घोषित करके उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करे।

(ii) **विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली।**

उत्तर— विपक्षी दलों का यह आरोप कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली, यह निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करने में बाधक है। इससे उन पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुँचाने का समान अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अत: मतदान प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग इसकी जाँच करवाए तथा सही पाये जाने पर उन पार्टियों की भी दूरदर्शन तथा रेडियो तक बात पहुँचाने की व्यवस्था करे।

(iii) **चुनाव आयोग की जाँच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले।**

उत्तर— इस तरह से स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये सभी मतदाता किसी एक पार्टी के पक्ष में मत डाल सकते हैं। इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे। चुनाव आयोग इस मतदाता सूची को खारिज करके सही मतदाता सूची तैयार करने का आदेश जारी करे। इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को दण्डित करने के आदेश भी जारी किये जाएँ।

(iv) **एक राजनैतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे।**

उत्तर— राजनीति के इस अपराधीकरण से स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। लोग इनके डर से चुनाव में भाग लेने के लिए नहीं जाएँगे और ये अवैध मतदान करके विजयी हो जाएँगे। आयोग को चाहिए कि ऐसे लोगों तथा सम्बन्धित पार्टी का पता लगाकर उन पर उचित कार्यवाही करे। सभी उम्मीदवारों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए एवं जनता को निडर होकर मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

11. **जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है?**

(i) **औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है।**

उत्तर— मतदान के अधिकार का सम्बन्ध इस बात से बिल्कुल नहीं होता है कि व्यक्ति अपने उस अधिकार का किस प्रकार प्रयोग करता है। अत: इस बात का विचार किये बिना कि कोई पुरुष है या स्त्री प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। वे जिसे चाहें उसे वोट दें।

(ii) **पार्टी-पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्व ंद्विता नहीं होनी चाहिए।**

उत्तर— पार्टी-पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है, लेकिन चुनावों में प्राय: सहमति सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार विजयी होना चाहता है तथा इस मुद्दे पर सहमति बनने की कोई सम्भावना ही नहीं है।

(iii) **सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए।**

उत्तर— नहीं, यह लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। खासकर हमारे देश में, जहाँ अशिक्षा बहुत अधिक है, यह लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और अधिकांश लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएँगे।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न-

1. **हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों है?**

उत्तर— चुनाव लोकतंत्र का आधार हैं क्योंकि ये जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने, सरकार बदलने और नीतियाँ निर्धारित करने का अवसर देते हैं। चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि शासक जनता की इच्छा के अनुसार काम करें, जवाबदेही तय हो, और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण हो।

चुनावों की आवश्यकता के प्रमुख कारण—

1. **प्रतिनिधियों का चुनाव**— चुनाव के माध्यम से ही हम उन लोगों को चुनते हैं जो संसद या विधानसभाओं में बैठकर कानून बनाते हैं और जनता की आवाज उठाते हैं।

2. **सरकार पर नियंत्रण**— मतदाता चुनाव के जरिए सरकार को बदल सकते हैं या उसे काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे अपनी पसंद की पार्टी को सरकार बनाने का मौका देते हैं।

3. **नीति निर्धारण**— चुनाव के दौरान पार्टियाँ अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी नीतियाँ और योजनाएँ जनता के सामने रखती हैं, जिन पर जनता मुहर लगाती है।

4. **जवाबदेही**— यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह रहें, अन्यथा अगले चुनाव में उन्हें हटाया जा सकता है।

5. **शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन**— चुनाव लोकतंत्र में सत्ता बदलने का एक संवैधानिक, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीका प्रदान करते हैं, जिससे हिंसा नहीं होती।

निष्कर्ष— चुनावों के बिना लोकतंत्र अपूर्ण है, क्योंकि यह 'जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा' शासन के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देते हैं।

2. **लोकतांत्रिक चुनावों की विशेषता बताइए।**

उत्तर— लोकतांत्रिक चुनाव वे प्रक्रियाएँ हैं, जिनमें सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, जो निष्पक्ष, नियमित और पारदर्शी होते हैं। मुख्य विशेषताएँ— एक व्यक्ति-एक वोट, 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र चुनाव आयोग, गुप्त मतदान और चुनाव में समान अवसर (विपक्ष सहित) शामिल हैं।

लोकतांत्रिक चुनाव की प्रमुख विशेषताएँ—

1. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार**— प्रत्येक नागरिक (18 वर्ष से ऊपर) को वोट देने का समान अधिकार है, बिना किसी भेदभाव (लिंग, जाति, धर्म) के।

2. **एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य**— हर मतदाता का एक ही वोट होता है और हर वोट का मूल्य बराबर होता है।

3. **नियमित चुनाव**— चुनाव एक निश्चित अंतराल (जैसे 5 वर्ष) पर अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिससे प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह रहें।

4. **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव**— चुनाव एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जहाँ सत्ताधारी दल के पास अनुचित लाभ नहीं होता।

5. **विकल्पों की उपलब्धता**— मतदाताओं के पास विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों में से चुनने का वास्तविक विकल्प होता है।

6. **स्वतंत्र उम्मीदवारी**— कोई भी योग्य नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है।

7. **गुप्त मतदान**— मतदान गोपनीय होता है ताकि निर्भीकता से वोट दिया जा सके।

8. **आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र—** कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति) के प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, जो लोकतंत्र को समावेशी बनाती हैं।
ये विशेषताएँ सुनिश्चित करती हैं कि सरकार सही मायने में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे।

3. **निर्वाचन क्षेत्र क्या है?**

उत्तर— निर्वाचन क्षेत्र या सीट से तात्पर्य लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र विशेष से होता है, जिसका प्रतिनिधित्व देश की लोकसभा में अथवा राज्य की विधानसभा में किया जाता है। इसी क्षेत्र को जनसंख्या और अन्य परिस्थितियों के आधार पर एक विशेष दायरे में समेट दिया जाता है। यह भौगोलिक क्षेत्र लोकसभा की दृष्टि से बड़ा होता है और विधानसभा की दृष्टि से छोटा होता है।
एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनेक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का चुना गया प्रतिनिधि संबंधित सदन में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि सांसद कहलाता है जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि विधायक कहलाता है।

4. **आरक्षित क्षेत्र बनाने की आवश्यकता क्यों है?**

उत्तर— हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा तथा विधानसभाओं में नहीं पहुँच पायेंगे। उनके पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा व सम्पर्क हैं ही नहीं। अत: विधायी निकायों में उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया जिससे केवल उन्हीं वर्गों के लोग चुनाव लड़ सकते हैं।

5. **नामांकन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी जाने वाली सूचनाओं का विवरण लिखिए।**

उत्तर— अपने नामांकन पत्र में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ अनिवार्य रूप से दी जाती हैं—
(i) उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर आपराधिक मामले।
(ii) उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति और देनदारियों का विवरण।
(iii) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता।
इन सूचनाओं के सार्वजनिक होने से मतदाताओं को उम्मीदवारों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अपना निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

6. **आदर्श चुनाव संहिता क्या है? इसके लक्षण बताइए।**

उत्तर— आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराना है। यह चुनाव की तारीख की घोषणा से शुरू होकर चुनाव परिणाम आने तक प्रभावी रहती है।

आचार संहिता की विशेषताएँ—
1. **नियमों का पालन—** सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।
2. **प्रतिबंध—** चुनावी सभाओं, रैलियों, भाषणों और विज्ञापनों में धर्म या जाति के आधार पर वोट माँगने पर रोक है।
3. **सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं—** सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों, भवनों या सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
4. **घोषणा से परिणाम तक—** यह चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे देश (लोकसभा के लिए) या राज्य (विधानसभा के लिए) में लागू हो जाती है।
5. **उल्लंघन पर कार्रवाई—** नियम तोड़ने पर उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी दल गलत तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित न करे और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

7. **मतदाता सूची क्या है?**

उत्तर— मतदाता सूची एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी योग्य मतदाताओं के नाम और विवरण होते हैं। इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। यह सूची चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाती है और इसमें वे सभी लोग शामिल होते हैं जो चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होते हैं।

8. **चुनाव कौन लड़ सकता है?**

उत्तर— भारत में चुनाव लड़ने की पात्रता संविधान और विभिन्न चुनावी कानूनों द्वारा निर्धारित होती है। भारत में चुनाव लड़ने के लिए पात्रता इस प्रकार हैं—
(i) उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
(ii) लोकसभा के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।
(iii) उम्मीदवार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए (उदाहरण के लिए, किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, दिवालिया घोषित किया गया हो, आदि)।
(iv) उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करना होगा और सुरक्षा जमा के रूप में एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी।
संक्षेप में, कोई भी भारतीय नागरिक जो आयु और योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, और कानून के तहत अयोग्य नहीं है, भारत में चुनाव लड़ सकता है।

9. **चुनाव अभियान से आप क्या समझते हैं?**

उत्तर— चुनाव अभियान— चुनाव अभियान वह प्रक्रिया है जिसमें किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा चुनाव जीतने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं—

1. **जनता से संपर्क—** उम्मीदवार या दल के नेता जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बताते हैं।
2. **रैलियाँ और सभाएँ—** उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए बड़ी-बड़ी जनसभाएँ, रैलियाँ और रोड शो आयोजित किए जाते हैं।
3. **प्रचार सामग्री—** पोस्टर, बैनर, पर्चे, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार किया जाता है।
4. **घोषणा-पत्र—** दल अपनी योजनाओं और वादों को घोषणा पत्र के रूप में जारी करते हैं।
5. **डोर-टू-डोर कैंपेन—** कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोट माँगते हैं।

उद्देश्य— चुनाव अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना होता है। इस प्रकार, चुनाव अभियान लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे जनता को उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है।

10. **चुनावी आचार संहिता के दौरान उम्मीदवार क्या-क्या नहीं कर सकता है?**

उत्तर— चुनाव कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकती है—

(i) मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना अथवा डराना-धमकाना।
(ii) उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट माँगना।
(iii) चुनाव अभियान में राजकीय संसाधनों का उपयोग करना।
(iv) लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख अथवा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से अधिक खर्च करना।

11. **चुनाव अभियान के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को बताएँ।**

उत्तर— चुनाव अभियान लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो मतदाताओं को उम्मीदवारों की नीतियों, विचारधाराओं और वादों के बारे में सूचित करते हैं। इसके सकारात्मक पहलू जनता को जागरूक करना और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना हैं, जबकि नकारात्मक पहलुओं में गलत सूचना, व्यक्तिगत हमले और अत्यधिक खर्च शामिल हैं।

चुनाव अभियान के सकारात्मक पहलू— (i) **जागरूकता और शिक्षा—** चुनाव अभियान आम जनता को विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा, विकास एजेंडे और नीतियों के बारे में शिक्षित करते हैं।

(ii) **नागरिक भागीदारी—** यह मतदाताओं, विशेषकर युवाओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

(iii) **जवाबदेही—** उम्मीदवारों के भाषण और वाद-विवाद सरकार को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराने में मदद करते हैं।

(iv) **मुद्दों पर बहस—** विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता के सामने चर्चा होती है।

चुनाव अभियान के नकारात्मक पहलू— (i) **नकारात्मक प्रचार—** उम्मीदवार अक्सर अपनी नीतियों के बजाय प्रतिद्वंद्वी पर व्यक्तिगत हमले करते हैं और भय पैदा करने वाले अभियानों का उपयोग करते हैं। (ii) **गलत सूचना और दुष्प्रचार—** मतदाताओं को गुमराह करने के लिए गलत खबरें या झूठ फैलाया जा सकता है। (iii) **अत्यधिक खर्च—** चुनाव में भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है, जो अक्सर अनुचित लाभ या धन के अनुचित उपयोग से संबंधित हो सकता है। (iv) **सामाजिक विभाजन—** कभी-कभी चुनाव अभियान जाति या धर्म के आधार पर समाज को विभाजित कर सकते हैं।

इन सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझना एक जागरूक नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **चुनावी अभियान क्या है? भारत में चुनावी अभियान व प्रमुख नारों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— चुनाव अभियान— चुनाव अभियान वह प्रक्रिया है जिसमें किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा चुनाव जीतने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं।

(i) 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था।
(ii) 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा दिया था।
(iii) 1977 में पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनावों में वामपंथी दलों ने 'जमीन जोतने वाले की' का नारा दिया था।
(iv) 1983 के आन्ध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एन.टी. रामाराव के नेतृत्व में तेलुगू देशम पार्टी ने 'तेलुगू स्वाभिमान' का नारा दिया था।

2. **हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक हैं? तर्क लिखिए।**

उत्तर— भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं क्योंकि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (18 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को वोट का अधिकार) पर आधारित हैं और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर वोट का मूल्य बराबर होता है और जनता अपनी मर्जी से सरकार चुन या बदल सकती है।

भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होने के मुख्य कारण—

एक वोट, एक मूल्य— भारतीय संविधान के अनुसार, हर वयस्क नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। हर वोट का मूल्य एक है।

स्वतंत्र निर्वाचन आयोग— भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। यह चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्षता से सम्पन्न कराता है।

नियमित चुनाव— भारत में एक निश्चित समय सीमा (आम तौर पर 5 वर्ष) के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं।

विकल्प की स्वतंत्रता— चुनाव में मतदाताओं के पास विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनने का वास्तविक विकल्प होता है।

खुला और निष्पक्ष मुकाबला— कोई भी योग्य नागरिक खड़ा हो सकता है, और सत्ताधारी दल के पास अनुचित लाभ लेने की शक्ति नहीं होती।

इन कारणों से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है।

3. **भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था है, जो भारत में चुनाव कराती है। इसे न्यायपालिका जैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद वह राष्ट्रपति या सरकार के प्रति भी जवाबदेह नहीं होता।

भारत के चुनाव आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं—

1. चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा, चुनावों का संचालन और नियंत्रण हर पहलू पर निर्णय लेता है।

2. यह आचार संहिता निर्धारित करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है।

3. चुनाव अवधि के दौरान, चुनाव आयोग सरकार को दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दे सकता है—जैसे सरकारी शक्ति का दुरुपयोग रोकना, चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाना, या कुछ सरकारी अधिकारियों का स्थानान्तरण करना।

4. चुनाव ड्यूटी के दौरान सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सरकार के अधीन नहीं चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं।

विश्व में केवल कुछ ही चुनाव आयोगों के पास हमारे देश के चुनाव आयोग जितनी व्यापक शक्तियाँ हैं।

4. **स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के मार्ग में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ— स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। हालाँकि, इसे प्रभावित करने वाली अनेक चुनौतियाँ होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं—

1. **मतदाता दबाव और धमकी—** कई बार मतदाताओं को राजनीतिक दबाव, धमकियाँ या वित्तीय प्रलोभन देकर उनका मतदान प्रभावित किया जाता है।

2. **मतदाता पंजीकरण की समस्याएँ—** गलत या अधूरा मतदाता सूचीकरण कुछ लोगों को वोट देने से रोकता है।

3. **धोखाधड़ी और गड़बड़ी—** चुनाव प्रक्रिया में मतपत्रों की फर्जी प्रिंटिंग, मतपत्रों की चोरी या मतगणना में हेरफेर होना।

4. **धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक दंगा-फसाद—** चुनाव के समय समाज में फैलने वाले सांप्रदायिक तनाव चुनाव को प्रभावित करते हैं।

5. **संसाधनों की असमान उपलब्धता—** कुछ राजनीतिक दल अधिक धन-संपदा और साधनों का उपयोग कर चुनावों में असमान प्रतिस्पर्धा करते हैं।

6. **मीडिया का पक्षपात—** चुनाव प्रचार में मीडिया का किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में झुकाव प्रदर्शित किया जाता है।

7. **चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सशक्तता का अभाव—** यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है।

8. **अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था—** चुनाव के दौरान सुरक्षा कमजोर होने से हिंसा या भय का माहौल बनता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कड़े कानून, पूर्ण मतदाता जागरूकता, स्वतंत्र चुनाव आयोग और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था आवश्यक है।

5. **राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण एक संवैधानिक या राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति, निर्णयों और जिम्मेदारियों को एक प्रशासन से दूसरे (या केन्द्र से स्थानीय सरकारों को) शांतिपूर्वक सौंपा जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों, संवैधानिक प्रावधानों, या जनमत संग्रह के माध्यम से होती है, जिसमें नई सरकार को वैध उत्तराधिकारी माना जाता है।

सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के मुख्य चरण—

(i) **वर्तमान चुनाव और जनादेश—** लोकतांत्रिक देशों में सत्ता परिवर्तन का मुख्य तरीका चुनाव है। निर्वाचित प्रतिनिधि या पार्टी को कानूनी रूप से सत्ता ग्रहण करने का अधिकार मिलता है।

(ii) **शांतिपूर्ण संक्रमण—** नीतियाँ समझाते हुए कार्यभार सौंपती है।

(iii) **शपथ ग्रहण समारोह—** एक औपचारिक कार्यक्रम जिसमें नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार पद या गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

(iv) **कानूनी और नीतिगत हस्तांतरण—** पुराने कानूनों को बदलना या नए कानून लागू करना। भारत में 1947 में ब्रिटिश शासन द्वारा माउंटबेटन योजना के तहत सत्ता हस्तांतरित की गई थी।

(v) **संवैधानिक प्रक्रिया—** यदि यह विकेंद्रीकरण के रूप में है, तो केन्द्र सरकार कानून बनाकर प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ (जैसे कराधान, कानून व्यवस्था) सौंपती है।

यह प्रक्रिया सरकार में निरंतरता बनाए रखने और हिंसा को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ○○

4 संस्थाओं का कामकाज

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन-सा फैसला खुद कर सकते हैं?
(i) अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं।
(ii) लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं।
(iii) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।
(iv) मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं।

उत्तर— (iii) दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?
(i) जिलाधिकारी **(ii) गृह मंत्रालय का सचिव**
(iii) गृह मंत्री **(iv) पुलिस महानिदेशक**

उत्तर—(iii) गृह मंत्री

3. न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा बयान गलत है?
(i) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूर की जरूरत होती है।
(ii) अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।
(iii) न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।
(iv) अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।

उत्तर— (i) संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूर की जरूरत होती है।

4. निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में कौन-सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?
(i) सर्वोच्च न्यायालय **(ii) राष्ट्रपति**
(iii) प्रधानमंत्री **(iv) संसद**

उत्तर—(iv) संसद

5. उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा—

(क) देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। (i) रक्षा मंत्रालय
(ख) ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएँ सुलभ करायी जाएँगी। (ii) कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूँ की कीमतें कम की जाएँगी। (iii) स्वास्थ्य मंत्रालय
(घ) पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। (iv) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(ङ) ऊँची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएँगे। (v) संचार और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय

उत्तर—(क)—4, (ख)—5, (ग)—2, (घ)—3, (ङ)—1.

6. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है।

(i) सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। (ii) स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने सम्बन्धी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार-विमर्श करती है। (iii) दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। (iv) भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना माँगती है।

उत्तर—(क) विधायिका (संसद) (ख) विधायिका (संसद) (ग) न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) (घ) स्थायी कार्यपालिका।

7. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए—

(i) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।
(ii) लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है।
(iii) चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है।
(iv) प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा।

उत्तर— (i) संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।

कारण— भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

8. **तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इस चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है। कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है?**

उत्तर— यह फिल्म आदर्शवाद तथा वास्तविक स्थिति दोनों ही पर आधारित फिल्म है। फिल्म में दिखाई गई समस्याएँ तो वास्तविक हैं, लेकिन जो हल बताए गए हैं वे आदर्श पर आधारित हैं। किन्तु मुख्यमन्त्री की भूमिका निभा रहे नायक द्वारा किये गये सभी कार्य संस्था की सीमा के अन्तर्गत हैं। मुख्यमन्त्री के रूप में नायक को अव्यावहारिक रूप से कार्य करते हुए दिखाया गया है। लेकिन, यदि ऐसा वास्तव में हो सकता है तो सही है कि इस समय हमारे देश को ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है।

9. **एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं से अलग–अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थीं और अगर चाहें तो राज्यसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों?**

उत्तर— यदि ऐसा विकल्प मेरे सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो मैं लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता के विकल्प को स्वीकार करूँगा क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। सभी निर्णय लोकसभा के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही अपने सदन के नेता का चुनाव किया जाता है तथा जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और उसी की सरकार बनती है।

10. **आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग–अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन–सी प्रतिक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है?**

(i) **श्रीनिवास का तर्क है कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है।**

(ii) **अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।**

(iii) **विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन–सा विचार सबसे सही है?**

उत्तर— इन तीनों प्रतिक्रियाओं में से अंजैया (ख) का विचार न्यायपालिका की भूमिका को सही रूप में प्रकट करता है। क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय सरकार के निर्णय को भी रद्द कर सकता है अथवा उसे बदलने का आदेश भी दे सकता है।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. **संसदीय लोकतंत्र की तीन संस्थाएँ कौन–सी हैं?**

उत्तर— संसदीय लोकतंत्र की तीन मुख्य संस्थाएँ (अंग) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। ये संस्थाएँ मिलकर देश का शासन चलाती हैं, कानून बनाती हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं।

1. **विधायिका (संसद)—** कानून बनाने वाली संस्था, जिसमें लोकसभा (जनता का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) शामिल हैं।

2. **कार्यपालिका (सरकार)—** कानूनों को लागू करने वाली संस्था, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) शामिल होते हैं, जो सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं।

3. **न्यायपालिका (अदालतें)—** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ, यह कानूनों की व्याख्या करने, न्याय सुनिश्चित करने और संविधान की रक्षा करने का कार्य करती है।

मूलभूत कार्य— विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है।

2. **भारतीय संसद के सदनों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसके दो सदन और एक अभिन्न अंग (राष्ट्रपति) हैं। ये सदन लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हैं, लेकिन किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं।

सदनों का विवरण—1. **लोकसभा—** इसे 'जनता का सदन' या 'निचला सदन' कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है। सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। यह सदन अधिक शक्तिशाली है क्योंकि धन विधेयक केवल यहाँ पेश होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाती है।

2. **राज्यसभा—** इसे 'राज्यों की परिषद' या 'उच्च सदन' कहते हैं। यह भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सदस्यों का

चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। यह एक स्थायी सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होता, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।

संक्षेप में, कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, लेकिन धन संबंधी मामलों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है।

3. भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव को समझाइए।

उत्तर— भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, जिसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि (सांसद और विधायक) मतदान करते हैं। यह चुनाव 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' के तहत 'एकल संक्रमणीय मत' द्वारा गुप्त मतदान से होता है।

राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के मुख्य बिंदु—

1. **निर्वाचक मंडल—** राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष समूह करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते।
2. **वोटों का मूल्य—** सभी विधायकों और सांसदों के वोट का मूल्य बराबर नहीं होता। यह राज्यों की जनसंख्या पर आधारित होता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों और संसद के सदस्यों के मतों के मूल्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है।
3. **एकल संक्रमणीय मत प्रणाली—** मतदाता (सांसद/विधायक) मतपत्र पर उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार चुनते हैं (जैसे-1, 2, 3)।
4. **जीत के लिए आवश्यक—** उम्मीदवार को जीत के लिए कुल पड़े वोटों का एक निश्चित भाग (कुल वोटों का आधा से एक अधिक) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
5. **कार्यकाल—** राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है।

सरल शब्दों में, यह चुनाव राज्यों और केन्द्र के बीच संतुलन बनाता है। चूँकि भारत में राष्ट्रपति शासन का नाममात्र का मुखिया होता है (वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं) इसलिए उनका चुनाव सीधे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

4. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए तीन प्रकार की विशेष आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

1. **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)—** जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तो राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसके बाद केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है और लोगों के कुछ मौलिक अधिकार भी सीमित किए जा सकते हैं।
2. **राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) —** यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही हो या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और राज्य का शासन राज्यपाल (केन्द्र) के माध्यम से चलता है।
3. **वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)—** यदि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, तो राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम कर सकते हैं और राज्य के धन संबंधी मामलों पर नियंत्रण कर सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें— (i) इन शक्तियों का उद्देश्य संकट के समय में केंद्र सरकार को मजबूत बनाना है। (ii) 44वें संशोधन के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ा गया (पहले 'आंतरिक अशांति' था) और इसे संसद मंजूरी अनिवार्य की गई। (iii) अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) कभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार और राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया जा चुका है।

5. भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करें।

उत्तर— भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल या गठबन्धन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उसकी नजर में लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है।

6. प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं विभिन्न विभागों के मध्य कार्य का समन्वय करता है।

(ii) वह विभिन्न विभागों के कामकाज का निरीक्षण करता है एवं विभागों के मतभेद सम्बन्धी मामलों में उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है।

(iii) वह मन्त्रियों के कार्यों का वितरण एवं पुनर्वितरण करता है। सभी मन्त्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं।

(iv) वह मन्त्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो साथ में सभी मन्त्रियों को अपना पद त्यागना पड़ता है।

7. मन्त्रिपरिषद क्या है? इसके प्रमुख वर्गों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— मन्त्रिपरिषद भारत में कार्यकारी शक्ति का सर्वोच्च निकाय है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। यह एक बड़ा संवैधानिक निकाय (60–80 मंत्री) है, जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है, उन्हें लागू करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है।

मन्त्रिपरिषद के प्रमुख वर्ग (श्रेणियाँ)— मन्त्रिपरिषद में मन्त्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं—

1. **कैबिनेट मंत्री—** ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं जो मुख्य विभागों (जैसे- रक्षा, वित्त, गृह) के प्रमुख होते हैं। वे प्रमुख निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हैं।
2. **स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री—** ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और कैबिनेट बैठक में तभी भाग लेते हैं जब विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इनके पास स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है।
3. **राज्यमंत्री—** ये कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं और उन्हें उनके कार्यों में सहायता करते हैं।

मन्त्रिपरिषद के मुख्य कार्य— (i) **नीति निर्धारण—** देश के विकास के लिए नीतियाँ बनाना। (ii) **कार्यान्वयन—** कानूनों और सरकारी योजनाओं को लागू करना (iii) **सामूहिक उत्तरदायित्व—** लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना, एक की गलती, सबकी गलती मानी जाती है।

8. **न्यायपालिका किन मुद्दों का निस्तारण करती है?**

उत्तर— न्यायपालिका मुख्य रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सरकार की शक्तियों पर अंकुश और कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निस्तारण करती है। यह स्वतंत्र संस्था विवादों (नागरिक-नागरिक, नागरिक-सरकार, राज्य-केन्द्र) को सुलझाती है, संवैधानिक व्याख्या करती है और सरकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है।

न्यायपालिका द्वारा सुलझाए जाने वाले मुद्दे—

1. **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन—** नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उल्लंघन होने पर राहत प्रदान करना (जैसे—रिट जारी करना)। 2. **विवादों का निपटारा— (i) नागरिक और सरकार के बीच—** सरकारी नीतियों या कार्यों के विरुद्ध। (ii) **दो राज्यों के बीच—** पानी, सीमा या संपत्ति जैसे मुद्दे (जैसे— पंजाब-हरियाणा का जल विवाद)। (iii) **केन्द्र और राज्य के बीच—** संवैधानिक शक्तियों के बँटवारे से संबंधित विवाद। 3. **कानून की व्याख्या और संविधान की रक्षा—** यह सुनिश्चित करना कि विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी कानून, कार्य संविधान के विपरीत न हो। 4. **न्यायिक समीक्षा—** किसी भी कानून या सरकारी आदेश की संवैधानिकता की जाँच करना और उसे अवैध घोषित करना यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो। 5. **फौजदारी और दीवानी मामले—** हत्या, चोरी, मारपीट और दहेज से संबंधित आपराधिक मामलों और भूमि विवाद, अनुबंध, तलाक और किराएदार से जुड़े मामलों का निस्तारण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।

जनहित याचिका— जनहित से जुड़े मुद्दों; जैसे—अमानवीय स्थितियाँ, पर्यावरणीय मुद्दे या कमजोर वर्ग के अधिकारों के उल्लंघन की सुनवाई न्यायपालिका ही करती है।

न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका— यह सुनिश्चित करती है कि कोई एक व्यक्ति या समूह तानाशाही न करे। सरकारी सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना।

9. **क्या हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है?**

उत्तर— हाँ, भारत में एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, जो भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। इसका अर्थ है कि अदालतें विधायिका (संसद) या कार्यपालिका (सरकार) के नियंत्रण में नहीं हैं और न्यायाधीश सरकार के निर्देश पर काम नहीं करते। यह निष्पक्ष होकर काम करती हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं।

स्वतंत्र न्यायपालिका की मुख्य बातें—

1. **अर्थ—** स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका, सरकार के अनुचित प्रभाव, राजनीतिक दबाव और निजी हितों से मुक्त है।
2. **नियुक्ति—** सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप सीमित है, जो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
3. **सुरक्षा—** न्यायाधीशों को सरकार आसानी से नहीं हटा सकती (महाभियोग प्रक्रिया), जो उन्हें निडर होकर निर्णय लेने की शक्ति देता है।
4. **महत्व—** यह संविधान के संरक्षक के रूप में काम करती है और सरकार द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है।
5. **एकल एकीकृत प्रणाली—** भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, जिसके फैसले सभी निचली अदालतों को मानने पड़ते हैं, जो एक एकीकृत संरचना सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को न्याय बिना किसी पक्षपात के मिले।

10. **हमारी न्यायपालिका कौन–कौन से विवादों के निपटारा करती है?**

उत्तर— भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत व्यवस्था है जो मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए विवादों का निपटारा करती है। यह नागरिकों के बीच, नागरिक-सरकार, राज्य-राज्य और केन्द्र-राज्य के विवाद सुलझाती है।

1. **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन—** यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार (जैसे—समानता, स्वतंत्रता) का हनन सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा होता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रिट के माध्यम से न्याय करते हैं।

2. **नागरिक और सरकार के बीच विवाद—** सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों या कानूनों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों को सुनना।

3. **संघीय विवाद—** केन्द्र और राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संसाधनों (जैसे—नदी जल) या शक्तियों के बँटवारे संबंधी विवाद।

4. **दीवानी मामले—** संपत्ति, विवाह, अनुबंध का उल्लंघन, किराया और अन्य व्यक्तिगत या व्यावसायिक विवाद।

5. **अपराधिक मामले—** समाज के विरुद्ध अपराध जैसे चोरी, मारपीट, हत्या और पुलिस द्वारा कैदियों के साथ दुर्व्यवहार।

6. **न्यायिक समीक्षा—** विधायिका (संसद, विधानसभा) द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करना।

न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका— (i) **जनहित याचिका—** न्यायालय अब जनहित में गरीबों और शोषितों के अधिकारों के लिए भी सक्रियता से काम करता है। (ii) **संविधान का संरक्षक—** न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि देश का शासन संविधान के दायरे में चले और कोई तानाशाही न हो।

11. **भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। यह निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट है—

(i) भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है।

(ii) ये कार्यपालिका द्वारा किये गए किसी कार्य एवं विधायिका द्वारा पारित किसी कानून की वैधानिकता की जाँच कर सकते हैं।

(iii) राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विधायिका द्वारा पारित किसी ऐसे कानून अथवा कार्यपालिका के किसी भी ऐसे कार्य को ये अवैध घोषित कर सकते हैं जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो।

(iv) भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी कार्य करती है। यदि जनता को सरकार के किसी कार्य द्वारा नुकसान पहुँचता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है और जनहित याचिका प्रस्तुत कर न्याय प्राप्त कर सकता है।

(v) न्यायालय सरकार के निर्णय लेने की शक्ति के दुरुपयोग होने पर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।

(vi) न्यायालय सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण को रोकता है।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **लोकसभा के गठन या संगठन का वर्णन करें।**

उत्तर— लोकसभा भारतीय संसद का निचला और लोकप्रिय सदन है, जिसका गठन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। अधिकतम 550 सीटों (वर्तमान में 543) वाली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 25 वर्ष से ऊपर आयु के भारतीय नागरिक 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख अधिकारी होते हैं।

लोकसभा के गठन का विस्तृत विवरण—

1. **सदस्य संख्या—** संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं (530 राज्यों से + 20 केन्द्रशासित प्रदेशों से)। वर्तमान में सदन की संख्या 543 है।

2. **चुनाव प्रक्रिया—** सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' प्रणाली (जिसके पास सबसे अधिक वोट हों, वह विजयी) के आधार पर होता है।

3. **उम्मीदवार की योग्यताएँ—** (i) भारत का नागरिक हो। (ii) आयु कम से कम 25 वर्ष हो। (iii) किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। (iv) मानसिक रूप से स्वस्थ हो और अपराधी न हो।

4. **शर्तें (कार्यकाल व सदस्यता)—** (i) सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पहले भी भंग कर सकते हैं। (ii) आपातकाल में संसद कानून द्वारा कार्यकाल एक बार में एक वर्ष बढ़ा सकती है। (iii) सदस्य बनने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है।

5. **बैठक—** सदन की कार्यवाही के लिए कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों का दसवाँ (1/10) होना अनिवार्य है। बैठक का आयोजन और संचालन अध्यक्ष करते हैं।

6. **लोकसभा अधिकारी (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष)—** (i) सदन के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। (ii) अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं, और यदि वोट बराबर हों तो निर्णायक मत देते हैं। (iii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम संभालते हैं।

2. **लोकसभा की शक्तियों व अधिकारों का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारतीय संविधान के तहत, लोकसभा (लोकप्रिय सदन) के पास अत्यन्त महत्वपूर्ण और व्यापक शक्तियाँ हैं, जो उसे सरकार की धुरी बनाती हैं। लोकसभा वित्तीय मामलों में सर्वोच्च है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) को नियंत्रित करती है, संविधान संशोधन में अहम भूमिका निभाती है और चुनाव आयोग की सिफारिशों के साथ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।

लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ और अधिकार निम्नलिखित हैं—

1. **वित्तीय शक्तियाँ—** वित्तीय मामलों में लोकसभा सर्वोच्च है— (i) **धन विधेयक—** धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 109)। लोकसभा से पारित होने के बाद ही यह राज्यसभा में जाता है, जो इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है या सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। (ii) **बजट पारित करना—** देश का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) लोकसभा

द्वारा पारित किया जाता है। (iii) **आकस्मिकता निधि—** राज्य आकस्मिकता निधि पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है।

2. **कार्यपालिका नियंत्रण शक्ति—** लोकसभा संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है– (i) **सामूहिक उत्तरदायित्व—** मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनुच्छेद 75)। (ii) **अविश्वास प्रस्ताव—** लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को समय से पहले बर्खास्त कर सकती है। यदि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। (iii) **नियंत्रण के तरीके—** प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा मंत्रियों की जवाबदेही तय करती है।

3. **संविधान संशोधन शक्ति—** लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति आवश्यक है।

4. **न्यायिक शक्तियाँ (महाभियोग व प्रक्रिया) —** (i) लोकसभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव (अनुच्छेद 61) ला सकती है, जो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
(ii) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया में भी लोकसभा की अहम भूमिका होती है। (iii) उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति आवश्यक है।

5. **चुनाव आयोग और चुनावी शक्तियाँ—** (i) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं (अनुच्छेद 54)। (ii) लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करते हैं। (iii) लोकसभा का गठन चुनाव आयोग द्वारा संचालित स्वतंत्र चुनावों के माध्यम से होता है, जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं।

निष्कर्ष— लोकसभा, जनप्रतिनिधि होने के नाते, अपनी वित्तीय और कार्यपालिका नियंत्रण शक्तियों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।

3. राज्यसभा के कार्य व शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च और स्थायी सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य कार्य कानून निर्माण में भाग लेना, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना और विशेष परिस्थितियों (अनुच्छेद 249, 312) में संघीय हितों की रक्षा करना है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर दो साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

राज्यसभा के मुख्य कार्य और शक्तियाँ

1. **विधायी शक्तियाँ (कानून बनाना)—** कोई भी साधारण विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) कानून बनने के लिए दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

2. **संशोधन और समीक्षा—** यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करता है और आवश्यक संशोधन का सुझाव दे सकता है।

3. **विशेष शक्तियाँ (अनन्य अधिकार)—** (i) अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना। (ii) अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। (iii) उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है।

4. **वित्तीय शक्ति—** धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास सीमित अधिकार हैं। यह केवल 14 दिनों तक इसे रोक सकती है या सिफारिशें भेज सकती है, लेकिन उन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है।

5. **नियंत्रण और महाभियोग—** यह मंत्रियों से सवाल पूछ सकती है, लेकिन सरकार को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा नहीं सकती (क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह है)। राष्ट्रपति पर महाभियोग और सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में इसकी बराबर की भूमिका है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से संबंधित होते हैं।

4. राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों का वर्णन करें।

उत्तर— भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के सर्वोच्च प्रमुख, प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत कार्य करते हैं। उनकी मुख्य शक्तियों में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, संसद के सत्र बुलाना, कानून पर हस्ताक्षर करना, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन प्रावधान (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल) शामिल हैं। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका हैं, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं।

राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ—

1. **कार्यकारी शक्तियाँ—** (i) भारत सरकार के सभी निर्णय व कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। (ii) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। (iii) सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति करते हैं।

2. **विधायी शक्तियाँ—** (i) संसद (लोकसभा और राज्यसभा) का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। (ii) संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। (iii) संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाषण देते हैं। (iv) यदि सत्र न चल रहा हो, तो वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

3. **वित्तीय शक्तियाँ—** (i) केन्द्रीय बजट को संसद के सामने रखवाते हैं। (ii) धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

4. **न्यायिक शक्तियाँ—** किसी अपराधी की सजा को कम, माफ या निलंबित कर सकते हैं, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल है।

5. **आपातकालीन शक्तियाँ—** (i) देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लगा सकते हैं। (ii) राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगा सकते हैं। (iii) वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) लगा सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन वे संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं।

5. मन्त्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

उत्तर— भारत में मन्त्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जो अपने सहयोगियों (मंत्री पद) का चयन करते हैं। मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

मन्त्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया—

1. **प्रधानमंत्री की नियुक्ति—** सबसे पहले, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. **मंत्रियों का चयन—** प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के लिए सहयोगियों के नामों की एक सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

3. **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति—** राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों (कैबिनेट, राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार) को नियुक्त करते हैं।

4. **संसद सदस्य होना अनिवार्य—** मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह सदस्य नहीं है, तो उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन में निर्वाचित होना पड़ता है।

5. **सामूहिक जिम्मेदारी—** मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है।

6. **आकार की सीमा—** 91वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, मन्त्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

मन्त्रिपरिषद की संरचना (श्रेणियाँ)—

1. **कैबिनेट मंत्री—** प्रमुख विभागों के प्रभारी मंत्री।
2. **स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री—** छोटे विभागों के प्रभारी मंत्री।
3. **राज्यमंत्री—** कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने वाले मंत्री।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, प्रधानमंत्री को अपना प्रशासन चलाने के लिए एक टीम मिलती है।

6. मंत्रिमंडल की शक्तियों का उल्लेख करें।

उत्तर— भारतीय मंत्रिमंडल केंद्र सरकार की सर्वोच्च नीति-निर्माता और निर्णय लेने वाली संस्था है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। यह रक्षा, विदेश-नीति, आर्थिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर फैसले लेती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है, और बजट तैयार कर कानून पारित करती है।

मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य

1. **सर्वोच्च नीति-निर्माण—** मंत्रिमंडल देश के लिए आंतरिक और बाहरी नीति तैयार करता है। रक्षा, आर्थिक, औद्योगिक और सुरक्षा नीतियों पर निर्णय लेता है।

2. **प्रशासनिक नियंत्रण—** यह सभी सरकारी विभागों का समन्वय और नियंत्रण करता है, जिससे प्रशासन सुचारु रूप से चल सके।

3. **विधायी शक्ति (कानून बनाना)—** मंत्रिमंडल संसद में प्रमुख विधेयक पेश करता है, उन पर चर्चा कराता है और उन्हें पारित करवाता है।

4. **वित्तीय नियंत्रण—** केन्द्रीय बजट तैयार करना और संसद में पेश करना मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है।

5. **नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ—** संवैधानिक अधिकारियों (जैसे-राज्यपाल, राजदूत) और वरिष्ठ प्रशासकों की उच्चस्तरीय नियुक्तियों पर निर्णय लेता है।

6. **आपातकालीन शक्तियाँ—** संकट के समय या आपातकाल की स्थिति में फैसले लेता है और राष्ट्रपति के माध्यम से उन्हें लागू करवाता है।

7. **राष्ट्रपति को सलाह—** मन्त्रिपरिषद (जिसका हिस्सा मंत्रिमंडल है) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है, जो उन पर बाध्यकारी होती है।

संक्षेप में, मंत्रिमंडल सरकार का केन्द्रीय बिंदु है जो नीतियों को निर्धारित करता है और उन्हें लागू भी करता है।

7. सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख करें।

उत्तर— भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली (वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह) की सिफारिश पर की जाती है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं और उन्हें केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया—

1. **स्थापना—** भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ।

2. **न्यायाधीशों की संख्या—** मूल संविधान में 8 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य) थे। संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, और वर्तमान में (जून 2026 से) इसमें 38 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य) हैं।

3. **नियुक्ति प्रक्रिया—** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मुख्य

न्यायाधीश की अनिवार्य परामर्श (कॉलेजियम) से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

4. **योग्यता (अनुच्छेद** 124 (3)— (i) व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। (iii) उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) रहा हो, या (iv) राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रतिष्ठित कानूनविद् हो।

5. **कार्यकाल और निष्कासन—** न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उन्हें सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।

6. **स्थान—** संविधान के अनुसार दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है।

यह संस्था भारत की एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है, जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करती है। ○○

5 लोकतांत्रिक अधिकार

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

2. **समानता का अधिकार क्या है? समझाइए।**

उत्तर—समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)— भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं। यह जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है और सभी को समान अवसर प्रदान करता है।

समानता के अधिकार के प्रमुख तथ्य (अनुच्छेद 14–18)

1. **कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)—** देश का कानून सभी नागरिकों, अमीर हो या गरीब, पर समान रूप से लागू होता है।

2. **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)—** सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है।

3. **अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)—** सरकारी नौकरी या सार्वजनिक रोजगार में सभी को आवेदन करने के समान अवसर प्राप्त हैं।

4. **अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत (अनुच्छेद 17)—** छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, यह एक सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है।

5. **उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)—** शिक्षा और सेना के अलावा, अन्य सभी तरह की पुरानी उपाधियों को खत्म कर दिया गया है ताकि सभी को समान माना जा सके।

अपवाद- समानता का अर्थ यह नहीं है कि समान और असमान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। कमजोर वर्गों (महिलाओं, बच्चों, एससी/एसटी) के उत्थान के लिए सरकार विशेष प्रावधान या आरक्षण कर सकती है, जिसे समानता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाता।

3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करें।**

उत्तर- भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो मानव गरिमा की रक्षा करता है। यह मानव तस्करी, बेगार (बिना मजदूरी के काम) और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों में खतरनाक काम कराने पर रोक लगाता है। यह अधिकार समाज के कमजोर वर्गों को जबरन श्रम से बचाकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार के मुख्य बिंदु—

1. **मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक (अनुच्छेद 23)** — इसके तहत मनुष्यों की खरीद-बिक्री (तस्करी), महिलाओं/बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेलना, और बेगार या बंधुआ मजदूरी (बिना पारिश्रमिक काम) गैर कानूनी है। यह निजी और राज्य दोनों के शोषण से सुरक्षा देता है।

2. **बाल श्रम का निषेध (अनुच्छेद 24)—** 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक व्यवसायों में काम पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह शिक्षा के अधिकार और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है।

3. **उद्देश्य और महत्त्व**- इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दासता, शारीरिक, मानसिक शोषण से बचाना और सभी व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना है।

4. **उल्लंघन पर दण्ड—** इस अधिकार का उल्लंघन एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

संक्षेप में, यह अधिकार भारत में सामाजिक शोषण को समाप्त कर समानता और मानवीय गरिमा को स्थापित करता है।

4. **संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर—संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है। यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है

और न्यायपालिका को रिट जारी करने का निर्देश देता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा है।

मूल अधिकारों का रक्षक— यदि सरकार किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह नागरिक इस अधिकार के तहत न्याय माँग सकता है।

न्यायालय की भूमिका— सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष आदेश या 'रिट' जारी कर सकते हैं।

रिट के प्रकार— (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) परमादेश (iii) प्रतिषेध और उत्प्रेषण और (iv) अधिकार पृच्छा।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार गारंटी देता है कि न्याय प्रणाली हर नागरिक के साथ है जो अधिकारों की रक्षा का अंतिम उपाय है।

5. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाइए।**

उत्तर— अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने, लिखने एवं कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना सम्मिलित है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार-विमर्श और संवाद स्थापित करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है।

हमें अलग तरीके से सोचने तथा उसके अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। हम सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने के लिए स्वतन्त्र हैं। हम अपने विचारों को जनता में प्रेषित कर सकते हैं। इसे हम पेंटिंग, कविता या गीत के माध्यम से भी फैला सकते हैं।

6. **मिलोशेविक कौन था? अल्बानियाई लोगों के प्रति उसकी नीति कैसी थी? वह सर्बो से क्या चाहता था?**

उत्तर— मिलोशेविक एक संकीर्ण मानसिकता का उग्र सर्ब राष्ट्रवादी नेता था जो यूगोस्लाविया में चुनाव जीता था। उसकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी किन्तु सम्पूर्ण देश में सर्ब लोगों का बाहुल्य था। वह चाहता था कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूर्ण नियन्त्रण हो।

7. **हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है?**

उत्तर— हमें अधिकारों की आवश्यकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए होती है। अधिकार सरकार की मनमानी या बहुमत के अत्याचार से नागरिकों की रक्षा करते हैं और समान अवसर प्रदान करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास (बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) को सुनिश्चित करते हैं।

भारत में, संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 32) के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो राज्य के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करते हैं।

8. **भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, कैसे?**

उत्तर— भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। उक्त कथन की पुष्टि हेतु निम्न प्रमाण प्रस्तुत हैं—

(i) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसन्द के धर्म को मानने, उसका प्रबन्धन करने एवं उसके प्रचार-प्रसार का अधिकार है।

(ii) भारत में सरकार किसी धर्म विशेष को किसी भी तरह से समर्थन नहीं देती है न ही यह किसी भी व्यक्ति को धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा देती है या उसके साथ भेदभाव करती है।

(iii) सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए 'कर' देने हेतु किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं करती।

(iv) सरकार शैक्षिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं देती है।

निबंधात्मक प्रश्न-

1. **स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) एक मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भ्रमण, निवास और व्यवसाय की छः स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण- अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण— अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

गिरफ्तारी से संरक्षण— अनुच्छेद 22 नागरिक को मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा देता है।

स्वतंत्रता का अधिकार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि एक जीवंत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है।

2. **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए।**

उत्तर— भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25–28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह भारत के सभी नागरिकों को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है।

(i) अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

(ii) अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसी भी धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने और संपत्ति रखने का अधिकार है।

(iii) अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

(iv) अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी निधि से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।

संक्षेप में, यह अधिकार हर भारतीय को बिना किसी डर या भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और दूसरे के धर्म का सम्मान करने की गारंटी देता है, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3. **सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार देते हैं।

(i) भारत के किसी भी वर्ग के नागरिक, जिनके पास अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे सुरक्षित करने का प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है।

(ii) धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 30 में है।

सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्राप्त करते समय नागरिक अपनी सांस्कृतिक पहचान न खोयें। यह शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

4. **हम अधिकारों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं?**

उत्तर— हम अपने अधिकारों को संवैधानिक उपचारों के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं, जो नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायालय (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय) जाने की अनुमति देता है।

(1) **संवैधानिक उपचार—** यदि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32/226 के तहत न्याय के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।

(2) **कानूनी संरक्षण-** न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए 'हैबियस कॉर्पस', 'मेंडमस', प्रतिषेध जैसी पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

(3) **संविधान सर्वोच्च-** विधायिका या कार्यपालिका का कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनता है, वह असंवैधानिक माना जाता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक है। नागरिकों का अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक रहना ही उनका सुरक्षा का मूल आधार है।

5. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करने वाली एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह देता है।

यह एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। आयोग को किसी भी मामले की जाँच करने का अधिकार है, लेकिन यह सीधे दंड नहीं दे सकता। यह घटना के एक साल के भीतर ही शिकायत ले सकता है।

6. **सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण संधि है, जिसे 16 दिसंबर 1966 को अपनाया गया और 3 जनवरी, 1976 को लागू किया गया। यह मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और उचित जीवन स्तर जैसे बुनियादी अधिकार प्रदान करती है।

प्रतिज्ञापत्र की प्रमुख बातें—

(1) **मूल उद्देश्य—** यह प्रतिज्ञापत्र हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

(2) **प्रमुख अधिकार—** (i) **काम करने के अधिकार—** उचित मजदूरी और सुरक्षित काम के माहौल का अधिकार।

(ii) **शिक्षा का अधिकार—** यह सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।

(iii) **स्वास्थ्य का अधिकार—** उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार।

(iv) **सामाजिक सुरक्षा—** उचित जीवन स्तर और भोजन, पानी व आवास का अधिकार।

यह प्रसंविदा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य (देश) अपने नागरिकों को केवल नागरिक अधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर भी प्रदान करें।

○○

1 पालमपुर गाँव की कहानी

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **भारत में जनगणना के दौरान दस वर्ष में एक बार प्रत्येक गाँव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए :**
(क) अवस्थिति क्षेत्र
(ख) गाँव का कुल क्षेत्र
(ग) भूमि का उपयोग (हेक्टेयर में)

कृषि भूमि		भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है (निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चरागाहों आदि के क्षेत्र)
(सिंचित)	(असिंचित)	
		26 हेक्टेयर

(घ) सुविधाएँ—

शैक्षिक	
चिकित्सा	
बाजार	
बिजली पूर्ति	
संचार	
निकटतम कस्बा	

उत्तर— (क) अवस्थिति क्षेत्र— पालमपुर, रायगंज से तीन किमी. की दूरी पर सड़क से जुड़ा हुआ गाँव है।
(ख) गाँव का कुल क्षेत्र— 226 हेक्टेयर।
(ग) भूमि का उपयोग (हेक्टेयर में)

कृषि भूमि		भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है (निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चरागाहों आदि के क्षेत्र)
(सिंचित)	(असिंचित)	
200 हेक्टेयर		26 हेक्टेयर।

(घ) सुविधाएँ—

शैक्षिक	दो प्राथमिक विद्यालय व एक हाईस्कूल है।
चिकित्सा	एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक निजी औषधालय है।
बाजार	रायगंज और शाहपुर के बाजार।
बिजली पूर्ति	अधिकांश घरों में उपलब्ध।
संचार	उपलब्ध नहीं।
निकटतम कस्बा	शाहपुर।

2. **खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं?**
उत्तर— हम इस बात से पूर्णत: सहमत हैं क्योंकि खेती की आधुनिक विधियों में उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद (उर्वरक), कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि उद्योगों (फैक्टरियों) में विनिर्मित किए जाते हैं तथा सिंचाई में काम आने वाले पम्प सैट, जुताई के काम आने वाला ट्रैक्टर तथा उपजों से खाद्यान्न व दूसरे उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो भी यन्त्र काम आते हैं, सभी किसी न किसी उद्योग में विनिर्मित होते हैं।

3. **पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की?**
उत्तर— पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की बहुत अधिक मदद की। वर्तमान में पालमपुर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि असिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो। बिजली के प्रसार से न केवल सम्पूर्ण क्षेत्र सिंचित है, बल्कि बहुत कम समय में एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई आसानी से पूर्ण हो जाती है।

4. **क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है? क्यों?**
उत्तर— सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि देश की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती खाद्यान्न की माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है। क्योंकि जितना ज्यादा सिंचित क्षेत्र उपलब्ध होगा, हम उतना ही अधिक कृषि उत्पादन कर सकते हैं।

5. **पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए।**
उत्तर— पालमपुर के कुल 450 परिवारों में भूमि का वितरण इस प्रकार है—

क्र. सं.	परिवारों की संख्या	भूमि का क्षेत्रफल
1.	150 परिवार	भूमिहीन

2.	240 परिवार	2 हेक्टेयर से कम
3.	60 परिवार	2 हेक्टेयर से अधिक

6. **पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है?**

उत्तर— पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से भी कम है क्योंकि पालमपुर में लगभग आधे परिवार ऐसे हैं जो या तो भूमिहीन हैं या बहुत छोटे क्षेत्र पर कृषि कार्य करते हैं। ये लोग हमेशा ही कोई न कोई कार्य ढूँढ़ते रहते हैं। पालमपुर में काम करने वाले ज्यादा तथा काम कम है। इस कारण वे सरकार द्वारा निर्धारित 300 रु. दैनिक मजदूरी से भी कम 160 रु. दैनिक मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं।

7. **अपने क्षेत्र में दो श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु–रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं?**

उत्तर— मैंने अपने क्षेत्र के दो श्रमिकों 'रामसिंह' और 'भगवत' से बात की— ये दोनों खेतिहर श्रमिक हैं। इन्हें 100 रु. दैनिक मजदूरी के रूप में मिलते हैं। इन्हें मजदूरी के रूप में नकद पैसा ही मिलता है न कि वस्तु रूप में। इनको नियमित रूप से कार्य नहीं मिल पाता है और ये आस-पास के गाँवों या छोटे कस्बों में भी काम तलाशते रहते हैं। काम पर्याप्त न मिल पाने की वजह से ये दोनों कर्ज में हैं।

8. **एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग–अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए।**

उत्तर— एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग-अलग तरीकों में बहुविधि फसल प्रणाली और आधुनिक फसल प्रणालियाँ हैं। बहुविधि फसल प्रणाली के अन्तर्गत किसान सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर एक वर्ष में एक फसल के स्थान पर दो या तीन फसलें प्राप्त करके उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करता है, जैसे खरीफ के मौसम में ज्वार, बाजरा, मक्काय, रबी के मौसम में गेहूँ, चना, मटर एवं जायद के मौसम में तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। जबकि आधुनिक फसल प्रणाली के अन्तर्गत किसान सिंचाई के लिए नलकूपों, एच.वाई.वी. बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में बढ़ोतरी करने लगे हैं। कृषि में हुए इन आधुनिक प्रयोगों का ही परिणाम है कि अब हमें अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे देश का मुँह ताकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि हरित क्रान्ति को लोग गेहूँ की क्रान्ति भी कहने लग गए हैं।

9. **एक हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए।**

उत्तर— एक हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान को अपनी भूमि के समस्त कार्यों के साथ-साथ दूसरे बड़े किसानों की भूमि में खेतिहर मजदूर के रूप में मजदूरी करने की विवशता है और जब खेतों में काम नहीं होता तब वे आस-पास के गाँवों, कस्बों में काम तलाश कर उस पर लग जाते हैं ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण होता रहे। कई बार इतना करने के बाद भी ये किसान कर्ज में डूब जाते हैं।

10. **मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूँजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं?**

उत्तर— मझोले और बड़े किसान परिवार के उपभोग हेतु कुछ उपज रख लेने के बाद अधिशेष गेहूँ को बाजार में बेचकर पूँजी प्राप्त कर लेते हैं। ये छोटे किसानों से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि छोटे किसान के पास बहुत कम उत्पादन होता है। इस उत्पादन से उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी बहुत मुश्किल से होती है। अधिशेष के बारे में ये छोटे किसान सोच भी नहीं पाते हैं। अत: इनके पास कृषि उत्पादन से किसी प्रकार की पूँजी एकत्रित नहीं होती है।

11. **सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती?**

उत्तर— सविता को तेजपाल सिंह से चार महीने के लिए 24% वार्षिक की ब्याज दर पर कर्ज मिला है। साथ में सविता को फसल कटाई के समय में 35 रु. प्रति दिन की मजदूरी पर उसके खेत में काम करने का वचन भी देना पड़ा है। यदि सविता को कम ब्याज दर पर बैंक से कर्ज मिल जाता तो सविता को अधिक ब्याज व कम मजदूरी में व्यस्त दिनों में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

12. **अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए (वैकल्पिक)।**

उत्तर— हम यहाँ पर पालमपुर ग्राम में हुए परिवर्तनों की वैकल्पिक रिपोर्ट लिख रहे हैं। (विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की इसी प्रकार रिपोर्ट बनाकर विषयाध्यापक जी से जाँच कराएँ।) हमें पालमपुर में कुछ बुजुर्ग कृषकों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि आज से लगभग 40–50 वर्ष पहले सिंचाई वर्तमान की भाँति नलकूपों से नहीं होती थी बल्कि कुछ कच्चे और कुछ पक्के कुओं पर परम्परागत सिंचाई के साधनों जैसे-चरस, रहट, ढेंकुली आदि से बहुत परिश्रम करके फसलों की सिंचाई की जाती थी। इसी प्रकार कृषि उत्पादन हेतु खेतों को हल और बैलों के माध्यम से पाटा फेर कर, जोत कर तैयार किया जाता था। उसके बाद घर के सदस्य बीज बोते थे वह भी पिछली फसल का अधिशेष होता था। खाद भी वर्तमान की जैसी नहीं थी, गोबर की प्राकृतिक खाद दी जाती थी। फसल तैयार होने पर हाथों से कटाई करके बैलों के माध्यम से उपज को प्राप्त किया जाता था। सब कुछ जानने के बाद निष्कर्ष यह निकला कि पुराने समय में कृषि कार्य में मानवीय श्रम की अधिकता थी जबकि वर्तमान समय में यांत्रिक श्रम अधिक काम आता है।

13. **आपके क्षेत्र में कौन से गैर–कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए।**

उत्तर– हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित गैर-कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं–

(1) डेयरी कार्य।

(2) गुड़ बनाने का कार्य।

(3) वस्तु विनिमय से सम्बन्धित कार्य।

(4) कम्प्यूटर केन्द्र खोलकर प्रशिक्षण का कार्य।

(5) परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराने के कार्य।

(6) मिट्टी के बर्तन बनाने सम्बन्धी कार्य।

(7) बान, रस्सी, ढकोले आदि विनिर्माण सम्बन्धी कार्य।

नोट– उक्त सारणी में ज्यादातर पालमपुर ग्राम में होने वाले गैर-कृषि कार्यों को लिया गया है विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यों की सूची बनायें।

14. गाँवों में और अधिक गैर–कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है?

उत्तर– गाँव में आज भी लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो गैर-कृषि कार्यों में लगे रहते हैं चाहे इन कार्यों से इनके परिवार का भरण-पोषण हो या न हो। अगर गाँव के लोगों को गैर-कृषि कार्यों की आधुनिक माँग के अनुरूप करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये तो इन लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सकता है। अत: लोगों में जागरूकता पैदा करके शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए उन्हें तैयार किया जाये और वर्तमान माँग के अनुरूप कुटीर उद्योग-धन्धों की शुरुआत करने के लिये लोगों को तैयार किया जाये। अगर किसी कार्य में पूँजी की आवश्यकता पड़े तो हमें ग्रामीण या व्यापारिक बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था भी करनी होगी, तभी गाँवों की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। इन कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों व निर्मित माल के उपयुक्त बाजारों की जानकारी भी उस प्रशिक्षण का हिस्सा होना आवश्यक है ताकि ग्रामीण परिवेश के लोगों को यह विश्वास हो सके कि हम इस प्रशिक्षण के बाद अपने उद्योग को आसानी से चला पायेंगे।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. **पालमपुर की प्रमुख गैर कृषि गतिविधियों के नाम लिखिए?**

उत्तर– पालमपुर की प्रमुख गैर कृषि गतिविधियाँ–(i) दुग्ध उत्पादन, (ii) लघु-स्तरीय विनिर्माण, (iii) दुकानदारी और (iv) परिवहन हैं।

2. **एक ही भूमि क्षेत्र में फसल के उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?**

उत्तर– एक ही भूखंड से फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख तरीके बहुफसली खेती, उन्नत बीजों का उपयोग, आधुनिक सिंचाई प्रणाली और रसायनों का संतुलित उपयोग, फसल चक्रण, आधुनिक मशीनरी का प्रयोग हैं।

3. **आधुनिक कृषि के सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें।**

उत्तर– आधुनिक कृषि (जैसे हरित क्रांति) के सकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय में सुधार, कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई में सुधार, कृषि आधारित उद्योगों का विकास, विविधीकरण हैं। आधुनिक कृषि ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पारंपरिक खेती से वैज्ञानिक खेती की ओर मोड़ा है, जिससे उत्पादकता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है।

4. **आधुनिक कृषि के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें।**

उत्तर– आधुनिक कृषि, जिसमें उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और मशीनीकरण शामिल है, ने उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी हैं। मुख्य प्रभावों में मृदा की उर्वरता में कमी, भूजल स्तर का गिरना, जल प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान शामिल हैं। यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख खतरा बनता जा रहा है।

आधुनिक कृषि के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं– (i) मिट्टी की उर्वरता में कमी, (ii) भूजल का अत्यधिक दोहन, (iii) जल प्रदूषण, (iv) पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान, (v) स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, (vi) सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इसके अतिरिक्त रसायनों के उपयोग से प्रतिरोधी कीटों का विकास हो रहा है, जो फसल को और अधिक नुकसान पहुँचा रहे हैं।

5. **भारतीय किसानों में भूमि के वितरण का उल्लेख करें।**

उत्तर– भारतीय कृषि में भूमि का वितरण अत्यंत असमान है। लगभग 80 प्रतिशत छोटे किसान हैं जो देश की कुल भूमि के मात्र 36 प्रतिशत हिस्से पर खेती करते हैं, जबकि 20 प्रतिशत मध्यम और बड़े किसान 64 प्रतिशत भूमि के मालिक हैं। बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं।

भारतीय कृषि में भूमि वितरण की प्रमुख विशेषताएँ– (i) अत्यधिक असमानता (ii) छोटे और सीमांत किसान, (iii) मध्यम और बड़े किसान (iv) भूमिहीन किसान, (v) भूमि का विभाजन प्रमुख हैं, जिससे खेती की उत्पादकता प्रभावित होती है।

संक्षेप में, यह असमान वितरण छोटे किसानों को साहूकारों या बड़े किसानों से कर्ज लेने के लिए मजबूर करता है और उनके जीवन स्तर को कम रखता है।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. **पालमपुर की विविध दशाओं का वर्णन करें।**

उत्तर– पालमपुर एक काल्पनिक, विकसित ग्रामीण गाँव है जो कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों का मिश्रण प्रस्तुत करता

है। यहाँ लगभग 450 परिवारों में कृषि, आधुनिक सिंचाई (बिजली-नलकूप), बहु-फसली पद्धति और छोटे-बड़े उद्योगों (डेयरी, परिवहन) के साथ अच्छी सड़कों व स्कूलों की सुविधा है। यह गाँव सामाजिक-आर्थिक विविधता का एक आदर्श उदाहरण है।

पालमपुर की मुख्य विशेषताएँ— (1) कृषि आधारित अर्थव्यवस्था— गाँव में लगभग 75 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। यहाँ रबी (गेहूँ) और खरीफ (ज्वार, बाजरा) फसलें उगाई जाती हैं।

(2) **आधुनिक कृषि—** बिजली की उपलब्धता के कारण किसान नलकूपों से सिंचाई करते हैं और उच्च पैदावार वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं।

(3) **भूमि वितरण में असमानता—** 450 परिवारों में से लगभग एक-तिहाई (150 परिवार) भूमिहीन हैं, जिनमें अधिकांश दलित हैं, जबकि कुछ बड़े किसानों के पास काफी भूमि है।

(4) **गैर-कृषि गतिविधियाँ—** खेती के अलावा, लोग डेयरी, लघु-स्तरीय विनिर्माण (जैसे- गुड़ बनाना), दुकानदारी और परिवहन (रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रक) के माध्यम से आय अर्जित करते हैं।

(5) **आधारभूत संरचना—** पालमपुर की मुख्य सड़क शहर से जुड़ी है जो इसे पड़ोसी गाँव 'रायगंज' से भी जोड़ती है। यहाँ दो प्राथमिक स्कूल, एक हाईस्कूल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, और एक निजी औषधालय है।

(6) **सामाजिक-आर्थिक स्थिति—** यद्यपि यह गाँव विकसित है, लेकिन यहाँ भूमिहीन मजदूर (जैसे-डाला और रामकली) काफी कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

पालमपुर का उदाहरण स्पष्ट करता है कि कैसे बेहतर सिंचाई, प्रौद्योगिकी (तकनीक) और विविध कार्य (गैर-कृषि) मिलकर ग्रामीण जीवन स्तर को उन्नत बना सकते हैं, साथ ही यह ग्रामीण समाज में असमानता की चुनौती को भी उजागर करता है।

2. पालमपुर की गैर–कृषि गतिविधियों का वर्णन करें।

उत्तर— पालमपुर गाँव में लगभग 25 प्रतिशत आबादी गैर-कृषि गतिविधियों में शामिल है। इन गतिविधियों में प्रमुख हैं— डेयरी (दुग्ध उत्पादन), लघु विनिर्माण, दुकानदारी और परिवहन। ये कार्य मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम का उपयोग करते हैं और स्थानीय स्तर पर आय का साधन प्रदान करते हैं, जो गाँव की अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं।

पालमपुर में प्रमुख गैर-कृषि गतिविधियाँ— (1) **डेयरी—** यह सबसे आम गतिविधि है। लोग अपनी भैंसों को ज्वार-बाजरा खिलाते हैं और दूध को पास के गाँव रायगंज में बेचते हैं।

(2) **लघु विनिर्माण—** यहाँ बड़े कारखानों के विपरीत, घरों में या खेतों में ही सरल तरीकों से विनिर्माण होता है। उदाहरण के लिए, मिश्रीलाल द्वारा गन्ने से गुड़ बनाना। (3) **दुकानदारी—** पालमपुर के दुकानदार शहर (शाहपुर) से थोक में सामान (चावल, गेहूँ, चाय, साबुन, नोटबुक, पेन आदि) खरीदते हैं और उसे गाँव में बेचते हैं। (4) **परिवहन—** पालमपुर और रायगंज के बीच की सड़क पर कई लोग परिवहन में लगे हैं। वे रिक्शा, ताँगा, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक चलाते हैं। (5) **अन्य कार्य—** इसमें शामिल हैं—करीम की कम्प्यूटर क्लास, कुम्हार का काम और छोटे स्तर पर शिल्प बनाना। ये गतिविधियाँ गाँव में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं।

3. पालमपुर के किसानों की विविध समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर— 'पालमपुर गाँव की कहानी' के अनुसार, डाला, रामकली, सविता और तेजपाल की स्थितियाँ पालमपुर के किसानों की गहरी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को दर्शाती हैं। मुख्य समस्याओं में भूमिहीनता (डाला/रामकली), अत्यधिक कर्ज (सविता), काम की कमी, कम मजदूरी और बड़े किसानों (तेजपाल) द्वारा शोषण शामिल हैं। पालमपुर के किसानों की समस्याएँ इस प्रकार हैं—

1. **भूमिहीनता और भूमि का असमान वितरण—** लगभग 150 परिवारों (अधिकांश दलित) के पास खेती के लिए भूमि नहीं है।

2. **छोटे और बिखरे हुए भूखंड—** अधिकांश किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं, जिससे उत्पादन पर्याप्त नहीं होता।

3. **खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा (डाला, रामकली)—** सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के मुकाबले बहुत कम मजदूरी मिलती है, क्योंकि काम के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

4. **कर्ज का जाल और उच्च ब्याज दर (सविता)—** सविता जैसे छोटे किसानों को बीज, खाद के लिए बड़े किसानों (तेजपाल) से 24 प्रतिशत जैसे उच्च ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है।

5. **मौसमी रोजगार—** कृषि कार्य वर्ष के कुछ ही समय के लिए होता है, जिससे बाकी समय श्रमिक बेरोजगार रहते हैं।

6. **शोषणकारी शर्तें (सविता)—** ऋण के बदले बड़े किसानों के खेतों में कम दर पर जबरन काम करने की शर्त लगायी जाती है।

संक्षेप में, पालमपुर में विकास (जैसे-बिजली, ट्यूबवेल) के बावजूद, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, बड़े किसानों (तेजपाल) पर निर्भर हैं, जो उनके शोषण और निर्धनता का कारण है। ❍❍

2 संसाधन के रूप में लोग

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. 'संसाधन के रूप में लोग' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर— 'संसाधन के रूप में लोग' से तात्पर्य देश की कार्यशील जनसंख्या के कौशल एवं योग्यताओं से है। संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान देते हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि वहाँ रहने वाले निवासियों के कौशल, तकनीकी दक्षता एवं स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। इस संसाधन को मानव संसाधन कहा जाता है।

2. मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूँजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है?

उत्तर— मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूँजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न है क्योंकि मानव संसाधन ही उत्पादन के अन्य संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन की क्रिया को सरल बनाते हैं। मानवीय संसाधन के अभाव में उत्पादन के दूसरे संसाधन अनुपयोगी हैं।

3. मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है?

उत्तर— शिक्षा के द्वारा मनुष्य की कुल उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है जिससे उसकी आय बढ़ती है। जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो मानव पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है जिससे न केवल जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आता है बल्कि देश की कुल आय में भी वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा की अहम् भूमिका है।

4. मानव पूँजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?

उत्तर— जिस प्रकार शिक्षा के द्वारा जनसंख्या की उत्पादकता में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा जनसंख्या की उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने पूर्ण मनोयोग से उत्पादन कार्यों को रुचि के साथ पूरा कर सकता है। यदि व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसका मन कार्य में नहीं लग पाता है और इसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है।

5. किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?

उत्तर— किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य व ज्ञान के आधार पर ही सफलता प्राप्त करता है। वह किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसे सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि हर नियोक्ता अपने यहाँ स्वस्थ लोगों की ही नियुक्ति करता है, अस्वस्थ व्यक्ति की नहीं और कहा भी जाता है कि 'एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'

6. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं?

उत्तर— मानवीय क्रियाकलापों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इन क्षेत्रों में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं—

(1) प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत वानिकी, कृषि, मत्स्य-पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन और खनन जैसी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है।

(2) द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्खनन और विनिर्माण से सम्बन्धित क्रियाएँ होती हैं।

(3) तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं, जैसे-व्यापार, संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को शामिल किया गया है।

7. आर्थिक और गैर-आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है?

उत्तर— आर्थिक क्रियाओं में मानव द्वारा लाभ या वेतन के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे-मानव द्वारा पारिश्रमिक भुगतान के लिए सरकारी या प्राइवेट सेवाएँ प्रदान करना अथवा उत्पादन से सम्बन्धित क्रियाएँ करना। जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में मानव की वे समस्त क्रियाएँ शामिल होती हैं जिन्हें वह स्व-उपभोग के लिए करता है अथवा जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, जैसे-एक गृहिणी द्वारा घर में सभी कार्यों को पूरा करना।

8. महिलाएँ क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं?

उत्तर— महिलाएँ समाज में आज भी उपेक्षित हैं उन्हें न तो पुरुष वर्ग की भाँति शिक्षा और प्रशिक्षण और न ही स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हैं तथा नियोक्ताओं का भी यह मानना है कि महिलाएँ शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं। अत: वे उत्पादन में पुरुषों की बराबरी नहीं कर पातीं इसीलिए उन्हें निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजन प्राप्त होता है, लेकिन जैसे-जैसे महिलाएँ शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं उन्हें उच्च वेतन वाले कार्यों पर भी नियोजन प्राप्त होने लगा है।

9. 'बेरोजगारी' शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे?

उत्तर— 'बेरोजगारी' का आशय उस स्थिति से है जब व्यक्ति प्रचलित पारिश्रमिक पर काम करने को तैयार होता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है। अर्थात् वह निठल्ला (बेरोजगार)

रहता है या उसके द्वारा किए गए कार्य से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है।

10. **प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है?**

उत्तर— प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जबकि व्यक्ति काम में लगा हुआ तो प्रतीत होता है लेकिन उसके कार्य से उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती अर्थात् आय में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में अधिक पायी जाती है। इसके विपरीत मौसमी बेरोजगारी वह होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में तो काम मिलता है और शेष महीनों में वे कोई कार्य नहीं करते। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों व मौसम के आधार पर व्यापार करने वाले लोगों में अधिक दिखाई देती है।

11. **शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है?**

उत्तर— शिक्षित बेरोजगारी आज भारत के लिए एक विशेष समस्या बन गई है क्योंकि शिक्षा पूरी करने के बाद या तो लोग प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाने के कारण बेरोजगार हैं या फिर किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हैं तथा दूसरे क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की कमी है। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी एक समस्या है क्योंकि जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस तेजी से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं।

12. **आप के विचार से भारत किस क्षेत्रक में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है?**

उत्तर— हमारे विचार से भारत में तृतीयक क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ लोगों को प्रदान की जाती हैं, उसमें रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है।

13. **क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं?**

उत्तर— शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए विभिन्न व्यवसायों के संचालन और कुछ उत्पादन प्रणालियों की जानकारी को पाठ्यक्रमों में शामिल करके इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। दूसरे, एक निश्चित शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद इस प्रकार की व्यवस्था हो जहाँ से जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की कमी या अधिकता है इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त हो तब शिक्षित लोग कमी वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करें तब ही इस समस्या से कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता है।

14. **क्या आप किसी ऐसे गाँवों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया?**

उत्तर— हाँ, ऐसे एक नहीं बहुत से गाँव भारत में देखने को मिल जायेंगे जहाँ पहले रोजगार के कोई अवसर नहीं थे लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों से कुछ ने अपने बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएँ दिलायीं और इन शिक्षित-प्रशिक्षित व हृष्ट-पुष्ट नौजवानों ने अपने गाँव की काया पलट करने के लिए गाँव में ही अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर सृजित किए। जैसे कम्प्यूटर केन्द्र में विभिन्न लोगों को रोजगार मिला, सिलाई कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में व एग्रो-इंजीनियरिंग क्षेत्रों के तहत नये-नये रोजगार के अवसर सृजित हुए।

15. **किस पूँजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं—भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी और मानव पूँजी? क्यों?**

उत्तर— मानव पूँजी को हम सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि मानव पूँजी के माध्यम से ही भूमि, श्रम एवं भौतिक पूँजी का कुशलतम उपयोग किया जाता है। परन्तु भूमि और भौतिक पूँजी स्वयं कुछ नहीं कर सकती।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **जनसंख्या एक अभिशाप कैसे सिद्ध होती है?**

उत्तर— तीव्र जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप के रूप में सामने आती है क्योंकि यह सीमित प्राकृतिक संसाधनों (जल, भूमि, वन) पर अत्यधिक दबाव डालती है, जो राष्ट्रीय विकास की गति को धीमा कर देती है।

जनसंख्या एक अभिशाप कैसे सिद्ध होती है— (1) **संसाधनों की कमी—** खाद्य, पानी और आवास जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। प्रति व्यक्ति उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं।

(2) **बेरोजगारी में वृद्धि—** जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते, जिससे युवा शक्ति व्यर्थ हो जाती है।

(3) **पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण—** वन कटाई, शहरीकरण और कचरे के कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण बढ़ता है।

(4) **स्वास्थ्य और शिक्षा पर दबाव—** बढ़ती आबादी के कारण स्कूलों और अस्पतालों पर बोझ पड़ता है, जिससे सुविधाओं का स्तर गिरता है।

(5) **आर्थिक विकास में बाधक—** राष्ट्र की आय का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय बुनियादी जरूरतों (भोजन, आवास) को पूरा करने में खर्च हो जाता है।

अत: अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक बोझ बन जाती है।

2. **हमें मानव संसाधन में निवेश क्यों करना चाहिए?**

उत्तर— मानव संसाधन (शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण) में निवेश करने से लोग कुशल, स्वस्थ और उत्पादक बनते हैं, जो अंततः देश की आर्थिक प्रगति, उच्च आय, नवाचार और जीवन स्तर में सुधार लाता है। यह निवेश अन्य संसाधनों (भूमि, भौतिक, पूँजी) का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है।

संक्षेप में, मानव संसाधन में निवेश राष्ट्र के लिए एक संपत्ति तैयार करता है, जो उसे समृद्ध बनाता है।

3. **शिक्षित व अशिक्षित माता–पिता का क्या प्रभाव पड़ता है?**

उत्तर— शिक्षित माता–पिता का सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो बेहतर मार्गदर्शन, अध्ययन के प्रति अनुकूल वातावरण और उच्च शैक्षणिक आकांक्षाओं के माध्यम से उनके ग्रेड और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, अशिक्षित माता– पिता के बच्चे अक्सर कम संसाधनों, कम प्रेरणा और अध्ययन में कम सहयोग के कारण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करते हैं।

संक्षेप में, शिक्षित अभिभावक शिक्षण सहायता प्रदान कर सकते हैं, जबकि अशिक्षित अभिभावकों के बच्चों को आत्म–अनुशासन और बाहरी प्रेरणा पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है।

4. **आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र का उल्लेख करें।**

उत्तर— प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का वह भाग है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करके कच्चे माल का उत्पादन करता है। इसे 'कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र' भी कहा जाता है, जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं।

संक्षेप में, प्राथमिक क्षेत्र 'जनसंसाधन के रूप में' कृषि और ग्रामीण रोजगार की समझ के लिए महत्वपूर्ण है।

5. **आर्थिक गतिविधियों के उपक्षेत्रों का वर्णन करें।**

उत्तर— आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं—

(i) **प्राथमिक क्षेत्र—** कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन,

(ii) **द्वितीयक क्षेत्र—** विनिर्माण और उद्योग–धंधे

(iii) **तृतीयक क्षेत्र—** सेवाएँ (बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य)।

आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत पुरुष और महिलाओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों (जैसे— खेत में काम करना, फैक्ट्री में काम करना या सेवाएँ देना) के उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है।

6. **जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण लिखें।**

उत्तर— जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण मुख्यतः साक्षरता दर, स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा) और कौशल निर्माण (कौशल विकास/प्रशिक्षण) द्वारा होता है। ये कारक किसी भी जनसंख्या को देश के लिए 'दायित्व' (बोझ) से 'संपत्ति' (पूँजी) में बदलते हैं।

संक्षेप में, एक साक्षर, शिक्षित, स्वस्थ और कुशल जनसंख्या ही राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनती है, जबकि अशिक्षित, अस्वस्थ और अप्रशिक्षित लोग देश पर बोझ माने जाते हैं।

7. **बेरोजगारी क्या है?**

उत्तर— बेरोजगारी वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो सक्रिय रूप से काम ढूँढ़ रहे हैं, लेकिन असफल हैं। यह देश के मानव संसाधन के अपव्यय और निराशा का कारण बनता है। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या है।

8. **बेरोजगारी के प्रतिकूल प्रभावों को समझाइए।**

उत्तर— बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो विकास को रोकती है और देश की मानव पूँजी को बर्बाद करती है। यह युवा शक्ति को उत्पादक संपत्ति से दायित्व में बदल देती है, जिससे समाज में हताशा, आर्थिक बोझ, गरीबी और स्वास्थ्य व शिक्षा का निम्न स्तर जैसी विकट स्थितियाँ पैदा होती हैं। अंततः बेरोजगारी न केवल व्यक्ति को, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है।

10. **बेरोजगारी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में व्यावहारिक कौशल का अभाव, तेजी से बदलती आधुनिक तकनीक और आर्थिक नियोजन में खामियाँ शामिल हैं। सैद्धांतिक शिक्षा के कारण युवाओं में उद्योग–अनुकूल कौशल की कमी है, जबकि स्वचालन पारंपरिक नौकरियाँ छीन रहा है, और शिक्षा–व्यवसाय में बेमेल के कारण रोजगार के अवसरों का सही सृजन नहीं हो पा रहा है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित न रखकर उसे कौशल आधारित बनाने की आवश्यकता है ताकि युवा रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण के रूप में शिक्षा की भूमिका व इसके स्तरों का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— शिक्षा जनसंख्या की गुणवत्ता का सबसे प्रमुख निर्धारक है, जो साक्षरता दर, कौशल और तकनीकी ज्ञान बढ़ाकर नागरिकों को एक 'परिसंपत्ति' में बदलती है। यह जीवनस्तर, स्वास्थ्य और आय में वृद्धि कर आर्थिक विकास को तेज करती है।

जनसंख्या गुणवत्ता के रूप में शिक्षा की भूमिका—

(1) **उत्पादकता में वृद्धि—** शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल होते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है।

(2) **बेहतर निर्णय—** शिक्षा जागरूकता लाती है, जिससे लोग स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर निर्णय ले पाते हैं।

(3) **तकनीकी विकास—** यह तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाकर देश की कार्यक्षमता को मजबूत करती है।

(4) **सामाजिक उत्थान—** शिक्षा से सामाजिक असमानता कम होती है और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आता है।

शिक्षा के स्तर—(1) **प्राथमिक स्तर—** यह आधारभूत शिक्षा है, जिस पर सरकार विशेष जोर देती है (जैसे-सर्व शिक्षा अभियान) ताकि साक्षरता दर बढ़े।

(2) **माध्यमिक शिक्षा—** यह कौशल विकास का चरण है, जहाँ व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का समावेश किया जाता है।

(3) **उच्च शिक्षा—** इसके अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालयों की शिक्षा आती है, जो विशेषज्ञता प्रदान करती है।

(4) **दूरस्थ/अनौपचारिक शिक्षा—** यह उन लोगों के लिए है जो पारंपरिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो जीवनभर सीखने को बढ़ावा देती है।

शिक्षा संबंधी अन्य बिंदु—

(i) **साक्षरता दर—** 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत है, जिसे 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है।

(ii) **लैंगिक समानता—** साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर है, जिसे दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) **केरल का उदाहरण—** भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक (93.91 प्रतिशत-2011) है।

(iv) **शिक्षा पर निवेश—** शिक्षा पर किया गया निवेश, स्वास्थ्य की तरह ही, भविष्य में उच्च रिटर्न देने वाला माना जाता है।

संक्षेप में, शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है, बल्कि यह एक कुशल, आत्म-विश्वास और बेहतर जीवन की कुंजी है। जो जनसंख्या को बोझ से उठाकर देश के विकास का आधार बनाती है।

2. स्वास्थ्य व रोजगार जनसंख्या की गुणवत्ता को किस प्रकार निर्धारित करते हैं? समझाए।

उत्तर— स्वास्थ्य और रोजगार जनसंख्या की गुणवत्ता के मुख्य निर्धारक हैं, जो एक साधारण जनसंख्या को 'मानव संसाधन' या 'परिसंपत्ति' में बदलते हैं। स्वस्थ और कुशल (रोजगार योग्य) जनसंख्या उत्पादकता, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर को बढ़ाकर देश की आर्थिक प्रगति को निर्धारित करती है।

(1) **स्वास्थ्य का प्रभाव—** (i) **उत्पादकता में वृद्धि—** एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलता और उत्पादकता से काम कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है।

(ii) **परिसंपत्ति के रूप में—** अच्छा स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वातावरण जनसंख्या की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

(iii) **संसाधनों का सही उपयोग—** स्वस्थ जनसंख्या स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर कम बोझ डालती है, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है।

(2) **रोजगार का प्रभाव—** (i) **आय और जीवन स्तर—** रोजगार, विशेषकर उच्च आय वाला काम, व्यक्ति के जीवन स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाता है।

(ii) **कौशल का विकास—** रोजगार के अवसर के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।

(iii) **आर्थिक विकास—** एक साक्षर और कुशल कार्यबल के पास यदि रोजगार के अवसर हों, तो वह सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान देता है।

संक्षेप में, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसके पास कौशल व रोजगार है, तो वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्पादक संसाधन है। इसके विपरीत, अस्वस्थ और बेरोजगार जनसंख्या देश पर बोझ बन जाती है, जो देश के विकास को धीमा करती है।

3. बेरोजगारी के अर्थ व प्रकारों का भारतीय संदर्भ में वर्णन कीजिए।

उत्तर— बेरोजगारी से आशय— बेरोजगारी का आशय उस स्थिति से है जब व्यक्ति प्रचलित पारिश्रमिक पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है अर्थात् वह बेरोजगार रहता है या उसके द्वारा किए गए कार्य से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। भारत में बेरोजगारी के प्रकार— भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रमुख प्रकार पाये जाते हैं—

(i) **मौसमी बेरोजगारी—** मौसमी बेरोजगारी वह होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में तो काम मिलता है और शेष महीनों में वे कोई कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों व मौसम के आधार पर व्यापार करने वाले लोगों में अधिक दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र में वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुवाई, कटाई, निराई और गुड़ाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है।

(ii) **प्रच्छन्न बेरोजगारी—** प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है, जबकि व्यक्ति काम में लगा हुआ तो प्रतीत होता है लेकिन उसके कार्य से उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती अर्थात् आय में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में अधिक पायी जाती है।

(iii) **शिक्षित बेरोजगारी—** शिक्षित बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरों में पायी जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में विभिन्न शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी का यह प्रकार अधिक पाया जाता है। ❍❍

3 निर्धनता : एक चुनौती

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?**

उत्तर— भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण मानव के लिए आवश्यक प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे-खाद्य आवश्यकता, कपड़े, ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा आदि की भौतिक मात्रा को रुपये में उनकी कीमतों से गुणा करके किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा देने वाले भोजन से है।

2. **क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?**

उत्तर— हम यह मानते हैं कि वर्तमान में निर्धनता आकलन के तरीके में व्यक्ति की आय और उपभोग को आधार बनाया गया है। वर्तमान में केवल व्यक्ति की मूल आवश्यकता उदर-पूर्ति नहीं है। इसलिए, यदि मानव की दूसरी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ मनोरंजन को भी शामिल किया जाए तो निर्धनता का आकलन अधिक प्रभावी रहेगा तथा जीवन स्तर सुधार हेतु किए गए प्रयासों में अधिक सफलता प्राप्त होगी।

3. **भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।**

उत्तर— भारत में 1973 में लगभग 55% निर्धन लोग थे, जिनमें शहरी क्षेत्र में 49% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 56.4% निर्धन लोग थे। इनकी देश में कुल संख्या 32 करोड़ के आसपास थी। दो दशक बाद निर्धनता के प्रतिशत में तो कमी आई क्योंकि यह प्रतिशत केवल 36 रह गया। लेकिन कुल संख्या में कोई खास कमी नहीं आई, इसका प्रमुख कारण देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि रहा। लेकिन अगले 5 वर्षों में न केवल निर्धनता का प्रतिशत घटकर 26 रहा बल्कि कुल निर्धनों की संख्या भी घटकर 26 करोड़ रह गई। निर्धनों की संख्या में कमी का यह क्रम शीघ्र ही टूट गया तथा 2009–10 में यह संख्या पुन: बढ़कर 35 करोड़ के लगभग हो गई जो कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत थी, परन्तु सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2011–12 में निर्धनों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, तब यह संख्या 27 करोड़ हो गई थी।

4. **भारत में निर्धनता में अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।**

उत्तर— भारतीय निर्धनता का एक पहलू यह भी है कि यहाँ सभी राज्यों में निर्धनता का अनुपात समान नहीं है। राज्यों में निर्धनता को कम करने की सफलता दर विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता का अनुपात राष्ट्रीय निर्धनता औसत से कम है, तथा शेष राज्यों, जैसे-उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा व उत्तर प्रदेश में यह एक गंभीर समस्या है। देश के बिहार और उड़ीसा में क्रमश: 33.7 और 32.6% निर्धनता का औसत है तथा ये दोनों राज्य सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ-साथ नगरीय निर्धनता का प्रतिशत भी अधिक है। उक्त राज्यों की तुलना में केरल, आन्ध्र-प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिमी बंगाल में उल्लेखनीय कमी आई है। पंजाब, हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, केरल में मानव संसाधन विकास से, पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार कार्यक्रमों से, आंध्र-प्रदेश व तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार से निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

5. **उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।**

उत्तर— भारत में निम्नलिखित सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।

(i) **सामाजिक समूह—** यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34 प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गम्भीरता को दिखाता है। 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियत श्रमिक परिवार की निर्धनता में कमी आई है।

(ii) **आर्थिक समूह—** इस समूह के अंतर्गत ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार तथा शहरी अनियत श्रमिक परिवार आते हैं।

6. **भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।**

उत्तर— भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) राज्यों में जनसंख्या घनत्व की असमानता का पाया जाना।

(ii) राज्यों में लोगों की शिक्षा के प्रतिशत की असमानता का विद्यमान होना।

(iii) प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में भी असमानता की विद्यमानता।
(iv) धरातल की असमानता भी राज्यों में निर्धनता की विभिन्नता को दर्शाती है।
(v) औपनिवेशिक राज्य की अवधि भी राज्यों में निर्धनता की विभिन्नता का एक कारण है।
(vi) राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों ने भी राज्यों की निर्धनता में विभिन्नताएँ पैदा की हैं।

7. **वैश्विक निर्धनता प्रवृत्तियों की चर्चा करें।**

उत्तर— वैश्विक निर्धनता पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि विकासशील देशों में अधिक आर्थिक निर्धनता व्याप्त है। हालाँकि निर्धनता (विश्व बैंक की परिभाषा के अनुपात प्रतिदिन + 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 35% से गिरकर 2013 में 10.68 प्रतिशत हो गया है, जो महत्त्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है। फिर भी वैश्विक निर्धनता में बहुत क्षेत्रीय विभिन्नताएँ विद्यमान हैं। चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश से विशेष कमी हुई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3 प्रतिशत से घटकर 2008 में 14.7 प्रतिशत और वर्ष 2013 में 1.9 प्रतिशत रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे—भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। यह 54 प्रतिशत से गिरकर 15 प्रतिशत हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में भी कमी आई जो 1990 में 44 प्रतिशत से घटकर 2013 में 17 प्रतिशत रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। सब-सहारा अफ्रीकी देशों में निर्धनता वास्तव में 1991 के 54 प्रतिशत से घटकर 2013 में 41 प्रतिशत हो गई है। लैटिन अमेरिका निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 1990 में 16 प्रतिशत से गिरकर 2013 में 5.4 प्रतिशत रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुन: समाप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र के नये सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है।

8. **निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।**

उत्तर— निर्धनता उन्मूलन भारतीय सरकारी रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता उन्मूलन रणनीति प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर है—
(i) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन, और
(ii) लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को पूरा करना।

भारत में 1980 के अन्त तक 30 वर्ष की योजना अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई जिससे निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1980–90 के दशक में भारतीय आर्थिक संवृद्धि दर विश्व में सबसे ज्यादा 6% के आसपास रही। इस आर्थिक संवृद्धि दर ने देश में व्याप्त निर्धनता को कम करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इससे एक बात यह स्पष्ट हुई कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता-उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि आर्थिक संवृद्धि अवसरों की व्यापकता को बढ़ाकर मानवीय विकास में निवेश हेतु आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराती है। इसके बाद भी यह सम्भव है कि आर्थिक विकास से उपलब्ध अवसरों के द्वारा निर्धन लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में संवृद्धि की दर बहुत कम होने का सीधा प्रभाव निर्धनता पर पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों की बड़ी संख्या गाँवों में निवास करती है जो कृषि पर निर्भर है। उक्त परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगी। देश में ऐसी अनेक योजनाएँ हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने हेतु तैयार किया गया है इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) सितम्बर 2005 में पारित किया गया। इस विधेयक द्वारा देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य सतत् विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के अन्तर्गत एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिये सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रतिव्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमश: 23 प्रतिशत, 17 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत हैं। औसतन रोजगार वर्ष 2006–07 में 65 रुपये से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 132 रुपये कर दिया गया है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन शत-प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार एन.आर. ई.जी.ए. लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज (एन.एफ. डब्ल्यू.पी.) का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगा।

इन्हीं कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक और योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार

योजना' सन् 1993 में प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' का श्रीगणेश सन् 1999 में सहायता-प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित करके बैंक व सरकारी सहायिकी संयोजन के द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर उठाना है। उक्त योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-2000, अन्त्योदय अन्न योजना आदि निर्धनता निवारण हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

9. **मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?**

उत्तर— मानव निर्धनता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे लोग उनसे अधिक करते हैं।

10. **निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन कौन है?**

उत्तर— महिलाएँ, बच्चे विशेषकर लड़कियाँ तथा वृद्ध व्यक्ति निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन हैं।

11. **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं?**

उत्तर— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताओं में प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करना है। योजना में प्रस्तावित रोजगारों में से एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। केन्द्र में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना के साथ राज्यों में 'राज्य रोजगार गारंटी कोषों' की स्थापना की जायेगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि आवेदक को 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो वह बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा। इस योजना के नाम में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अब इसका नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना हो गया है। यह योजना अब 600 जिलों में लागू है।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **निर्धनता क्या है? इसके लक्षणों को लिखिए।**

उत्तर— निर्धनता (गरीबी) वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति (परिवार) भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जहाँ आय और उपभोग का स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे होता है, जिससे व्यक्ति के पास जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है।

निर्धनता में भूख और कुपोषण, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आश्रयहीनता, बेरोजगारी और कम आय, स्वच्छ पेयजल की कमी, ऋणग्रस्तता और सामाजिक अपवर्जन जैसे लक्षण पाए जाते हैं।

भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और ऋणग्रस्तता हैं।

2. **निर्धनता के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर— निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोगों के पास जीवन की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएँ (भोजन, वस्त्र, आवास) भी नहीं होती।

निर्धनता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है—

(1) **निरपेक्ष निर्धनता—** भारत में यह निर्धनता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जो कैलोरी उपभोग (ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी में 2100 कैलोरी प्रतिदिन) या प्रति व्यक्ति मासिक आय पर निर्भर है।

(2) **सापेक्ष निर्धनता—** यह आय की असमानता को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति समाज के औसत जीवन स्तर की तुलना में गरीब होता है। यह बताती है कि आय का वितरण समाज में किस प्रकार है।

3. **निर्धनता मापन के तरीके लिखिए।**

उत्तर— निर्धनता का मापन केवल आय या उपभोग के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक संकेतकों द्वारा भी किया जाता है। प्रमुख तरीके हैं— निरक्षरता दर (शिक्षा की कमी), कुपोषण (कैलोरी की कमी व रोग प्रतिरोधक क्षमता), स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच न होना तथा स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं (शौचालय, आवास) का अभाव।

इन संकेतों के आधार पर, जो लोग भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है।

4. **भेद्यता क्या है? समझाइए।**

उत्तर— भेद्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति, समुदाय या व्यवस्था की वह स्थिति, जो उसे आपदा, गरीबी या संकट के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील या असुरक्षित बनाती है। यह सामाजिक, आर्थिक या भौतिक कारणों (जैसे-कमजोर घर, गरीबी) से उत्पन्न होती है, जिसके कारण आपदा आने पर इन लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान होता है।

संक्षेप में, भेद्यता का अर्थ है— संकट के समय सबसे पहले और सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना।

5. **निर्धनता रेखा क्या है? इसे कैसे निर्धारित करते हैं?**

उत्तर— निर्धनता रेखा आय या उपभोग के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास) को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भारत में इसका निर्धारण मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और कैलोरी की आवश्यकता (ग्रामीण 2400, शहरी 2100) के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है।

निर्धनता रेखा क्या है?

(i) **परिभाषा—** यह एक काल्पनिक सीमा रेखा है, जो यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं। यदि आय या उपभोग का स्तर इस न्यूनतम स्तर से कम है तो उसे 'गरीबी रेखा

के नीचे' (BPL—Below Poverty Line) माना जाता है।

(ii) **मूलभूत आवश्यकताएँ—** इसमें केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कपड़ों पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाता है।

निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं?

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण इन प्रमुख तरीकों से होता है—

(1) **उपभोग व्यय विधि—** कैलोरी के बजाय अब उपभोग व्यय को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि यह बताता है कि व्यक्ति वास्तव में कितना खर्च कर रहा है।

(2) **कैलोरी आवश्यकता—** ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक परिश्रम अधिक होने कारण 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का मानदंड है।

(3) **मुद्रा के रूप में मूल्य—** 2011–12 के आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना गया था।

(4) **सर्वेक्षण संस्था—** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन समय-समय पर (आमतौर पर हर 5 साल में) सर्वेक्षण कर इन आँकड़ों को अपडेट करता है।

स्थान के अनुसार भिन्नता— निर्धनता रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती है, क्योंकि शहरों में वस्तुओं की कीमतें (जैसे-आवास और परिवहन) अधिक होती हैं।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. **भारत में निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण हैं—

(i) **ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा शोषण—** भारत एक लम्बे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। औपनिवेशिक सरकार ने अपनी नीतियों से भारत का शोषण किया तथा यहाँ के पारम्परिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया व वस्त्र उद्योग के विकास को हतोत्साहित किया जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी व निर्धनता में भी वृद्धि हुई।

(ii) **जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि—** हमारे देश में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हो रही है, जबकि रोजगार उस गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं। फलस्वरूप बेरोजगारी व निर्धनता की समस्या बढ़ रही है।

(iii) **बेरोजगारी—** भारत में बेरोजगारी के कारण निर्धनता बहुत बढ़ी है। यद्यपि सिंचाई एवं हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है।

(iv) **आय असमानता—** देश में भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता में वृद्धि हुई है। आय की असमानता निर्धनता को और बढ़ाती है।

(v) **भूमि संसाधनों की कमी—** भारत में भूमि संसाधनों की कमी ने निर्धनता में वृद्धि की है। सरकार ने भूमि सुधार को ढंग से लागू नहीं किया है।

(vi) **सामाजिक रीति-रिवाज—** भारत में सामाजिक दायित्वों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों में निर्धन लोगों द्वारा बहुत अधिक खर्च किया जाता है जिससे वे ऋणग्रस्त होकर निर्धनता के कुचक्र में फँसे रह जाते हैं।

(vii) **कृषि का पिछड़ापन—** देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि के क्षेत्र में हमारा देश अत्यंत पिछड़ा हुआ है। जिस कारण निर्धनता को बढ़ावा मिलता है।

2. **निर्धनता उन्मूलन के उपाय लिखिए।**

उत्तर— भारत सरकार द्वारा संचालित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं—

(i) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम—** भारत सरकार ने सितम्बर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित रोजगारों में से एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये हैं। इस योजना में यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। वर्तमान में इस योजना को 'मनरेगा' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) के नाम से जाना जाता है।

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमश: 23 प्रतिशत, 17 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत है।

(ii) **राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम—** यह कार्यक्रम सन् 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है तथा जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं।

(iii) **प्रधानमंत्री रोजगार योजना—** सन् 1993 से प्रारम्भ इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत युवकों को लघु व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है।

(iv) **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम—** इस कार्यक्रम का प्रारम्भ सन् 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

(v) **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना—** सन् 1999 में प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण व सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है।

(vi) **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना—** यह योजना सन् 2000 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल एवं ग्रामीण

विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। इस हेतु सरकार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती है।

3. **निर्धनता निवारण की राह में प्रमुख चुनौतियाँ कौनसी हैं?**

उत्तर— भारत में निर्धनता को कम करने की अनेक योजनाओं के बावजूद इस पर पूरी तरह सफलता न मिलने का मुख्य कारण कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारण की कमी है। अच्छी नीयत के बाद भी योजनाओं का लाभ पात्र निर्धनों को पूरा नहीं मिल पाया। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन से निर्धनता में कमी तो आई है, लेकिन निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बड़ी समस्या आज भी मुँह खोले हमारे सामने खड़ी है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों की निर्धनता में व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। सरकार द्वारा क्रियान्वित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के आधार पर आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में भावी 10–15 वर्षों में अधिक सुधार होगा। इसका मुख्य आधार उच्च आर्थिक-संवृद्धि, सभी को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, तथा महिलाओं व समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बढ़ते सशक्तीकरण के परिणामस्वरूप यह संभव हो पायेगा।

लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल कुछ सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर आधारित है। अनेक बुद्धिजीवियों ने अपना मत दिया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार 'मानव निर्धनता' तक बढ़ा दिया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अनेक लोग अपना भोजन जुटा पाने में समर्थ हों लेकिन आज या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास आदि उपलब्ध हैं। क्या वे जाति, लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं, क्या वे बालश्रम से दूर हैं? विश्वव्यापी अनुभव यह प्रमाणित करते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषाएँ बदल जाती हैं। निर्धनता उन्मूलन सदैव एक गतिशील लक्ष्य है इसीलिए यह उम्मीद की जा रही है कि हम अगले दशक के अंत तक देश के सभी लोगों को केवल आय के सन्दर्भ में, न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार सुरक्षा के साथ लैंगिक समता तथा निर्धनों को सम्मान दिलाने जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना हमारा लक्ष्य होगा। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गाँधी हमेशा इस पर बल देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतन्त्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। OO

4 भारत में खाद्य सुरक्षा

पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न

1. **भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?**

उत्तर— भारत में खाद्य सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक बनाकर एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

2. **कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं?**

उत्तर— समाज के निर्धनता रेखा के नीचे के लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन जब देश में प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे— भूकम्प, बाढ़, सुनामी आदि के कारण फसलों के खराब होने से अकाल पैदा होता है तब निर्धनता रेखा के ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं।

3. **भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं?**

उत्तर— भारत के वे राज्य जहाँ अधिक पिछड़ेपन के कारण निर्धनता अधिक व्याप्त है तथा आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं।

4. **क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे?**

उत्तर— हाँ, हम यह मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्रदान की है। क्योंकि 1960–1970 के दशक में भारत ने कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत की जिसके कारण 2018–19 में अनाजों का उत्पादन 281.37 करोड़ टन पहुँच गया तथा मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई और भारत पिछले 60 वर्षों के दौरान हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। सरकार द्वारा तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

5. **भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है? व्याख्या कीजिए।**

उत्तर— भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से वंचित है, परन्तु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्ग हैं— भूमिहीन जो थोड़ी बहुत भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार व

पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा-मोटा काम करने वाले दस्तकार, निराश्रित व भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम-बाजार में काम करते हैं। इनके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग भी शामिल हैं। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है क्योंकि उनकी आय के स्रोत बहुत ही कम हैं। सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति हेतु लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनेक खामियाँ हैं जैसे कि इन दुकानों से घटिया किस्म का अनाज मिलना, दुकानों का कभी-कभार खुलना, अधिक आय के लालच में डीलरों द्वारा राशन के अनाज को खुले बाजार में बेचना आदि। इन सबके कारण निर्धन वर्ग आज भी खाद्य से वंचित है।

6. **जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है?**

उत्तर— किसी क्षेत्र में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो फसलें सर्वाधिक प्रभावित होती हैं अर्थात् प्राकृतिक आपदा; जैसे— भूकम्प, बाढ़, सूखा या सुनामी के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं और लोग रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर पलायन करते हैं। इन्हें इन जगहों पर भी नियमित रोजगार नहीं मिल पाने के कारण इनकी खाद्य आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती तथा इन प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के बर्बाद हो जाने के कारण खुले बाजारों में कीमतें बढ़ जाती हैं। इन बढ़ी हुई कीमतों और अनियमित काम के कारण खाद्य-पूर्ति में कठिनाई पैदा होती है।

7. **मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए?**

उत्तर— मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में निम्नलिखित अंतर पाये जाते हैं—

(1) दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। जबकि मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से सम्बन्धित है।

(2) निर्धन लोग अपनी निम्न आय और जीविका के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम की उपलब्धता के कारण मौसमी भुखमरी पायी जाती है।

8. **निर्धनों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए।**

उत्तर— भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु भारतीय कृषि में एक नवीन रणनीति को अपनाया, जिसकी परिणति हरित क्रांति के रूप में हुई और इसके चलते भारत ने पिछले तीस वर्षों में खाद्यान्न आपूर्ति में केवल आत्मनिर्भरता ही प्राप्त नहीं की, बल्कि सभी को खाद्यान्न उपलब्धता भी सुनिश्चित की। इस खाद्यान्न सुनिश्चितता के दो प्रमुख घटक हैं— बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

बफर स्टॉक— भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल के भंडारों को बफर स्टॉक कहते हैं। एफ. सी. आई. अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थित मूल्य पर गेहूँ और चावल को खरीदती है। इस खरीदे हुए अनाज को भंडारों में सुरक्षित रखती है तथा अनाज की कमी वाले क्षेत्रों और समाज के निर्धन वर्गों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक के माध्यम से खराब मौसम व आपत्ति के समय में अनाज की समस्या को हल किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली— भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिशेष उपजों के माध्यम से जो बफर स्टॉक किया जाता है उसे सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के निर्धन व गरीब लोगों को बाजार से कम मूल्य पर वितरित करवाती है, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। राशन कार्डधारक कोई भी परिवार प्रतिमाह एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध खाद्य पदार्थ अपनी निकटवर्ती राशन दुकान से क्रय कर सकता है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा देने के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई हैं—

(i) **काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम—** यह कार्यक्रम 1977–78 में प्रारम्भ किया गया, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त मजदूरी व रोजगार का निर्माण करना था।

(ii) **अन्त्योदय अन्न योजना—** निर्धनों में निर्धनतम लोगों के लिए दिसम्बर 2000 में यह योजना प्रारम्भ की गई।

9. **सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है?**

उत्तर— देश के सभी नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार बफर स्टॉक का निर्माण भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करती है। बफर स्टॉक के माध्यम से सरकार अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से खाद्यान्न न्यूनतम समर्थित मूल्य पर खरीद कर कमी वाले क्षेत्रों में पूर्ति के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय खाद्यान्न की आपूर्ति को निश्चित करने के लिए भी सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है।

10. **टिप्पणी लिखें—**

(क) न्यूनतम समर्थित कीमत (ख) बफर स्टॉक (ग) निर्गम कीमत (घ) उचित दर की दुकान

उत्तर— (क) न्यूनतम समर्थित कीमत— न्यूनतम समर्थित मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदती है।

(ख) बफर स्टॉक— सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) के माध्यम से अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से अनाज, गेहूँ, चावल आदि पूर्व घोषित न्यूनतम समर्थित मूल्य पर क्रय करके भण्डारण करती है। इसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। इस

बफर स्टॉक का उद्देश्य देश के सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना होता है चाहे कोई भी समस्या सामने आई हो। यह योजना अपने उद्देश्यों में सफल भी हुई है क्योंकि बफर स्टॉक प्रणाली के बाद देश के किसी क्षेत्र में अकाल के कारण खाद्य समस्या पैदा नहीं हुई है।

(ग) निर्गम कीमत— सरकार बफर स्टॉक का खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के निर्धन वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करती है। इस कीमत को 'निर्गम कीमत' कहते हैं।

(घ) उचित दर की दुकान— सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के निर्धन वर्ग के परिवारों को खाद्यान्न वितरित कराने की व्यवस्था करती है। वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में इन राशन की दुकानों का एक जाल है। इन्हीं राशन की दुकानों को उचित दर की दुकानें कहते हैं। इन दुकानों पर खाद्यान्न सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

11. **राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएँ हैं?**

उत्तर— राशन की दुकानों के संचालन में निम्नांकित समस्याएँ देखने को मिलती हैं— पी. डी. एस. डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजारों में अधिक कीमतों पर चोरी छुपे बेच देते हैं। राशन की दुकानों पर जो अनाज एफ. सी. आई. से आता है उसकी किस्म घटिया होती है। राशन की दुकानें निश्चित समय पर नहीं खुलतीं और कभी-कभार ही खुलती हैं, जिससे ज्यादातर निर्धन उपभोक्ता परेशान रहते हैं और कम कीमत का खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाते हैं। राशन की दुकानों पर घटिया किस्म का अनाज पड़ा रहना एक आम बात है। इन समस्याओं के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता में कमी आई है। वर्तमान में तीन भिन्न कीमतों वाले पी. डी. एस. की व्यवस्था के कारण निर्धनता रेखा से ऊपर वाले ए. पी. एल. परिवारों को न के बराबर छूट के कारण राशन की दुकानों से खाद्यान्न खरीदने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

12. **खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें।**

उत्तर— भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली राशन की दुकानें खोलकर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए; तमिलनाडु राज्य में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से 94% दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध व सब्जियाँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी प्रकार गुजरात में अमूल एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध कराने में अहम् भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस (ए.डी.एस.) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। यह ए. डी. एस. इन गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। ए. डी. एस. अनाज बैंक कार्यक्रम को सफल और नवीन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न—

1. **खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयामों का वर्णन करें।**

उत्तर— खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं—

(क) खाद्य उपलब्धता का अभिप्राय देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक के योग से है।

(ख) खाद्य पहुँच का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य की निर्बाध आपूर्ति होती रहे।

(ग) खाद्य सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास आवश्यक पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।

2. **खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?**

उत्तर— खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना है। इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि निर्धन वर्ग भुखमरी से बच सके, प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़) के दौरान भोजन की कमी न हो, और बढ़ती कीमतों के बावजूद पौष्टिक भोजन सबको मिल सके।

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?

(i) **गरीबी और कुपोषण को दूर करना—** समाज के गरीब और जरूरत मंद वर्गों के लिए, जिन्हें हर समय पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, खाद्य सुरक्षा जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

(ii) **प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए—** सूखा, बाढ़, सुनामी या भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान अनाज का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे सरकार खाद्य सुरक्षा (बफर स्टॉक) सुनिश्चित करती है कि भोजन की कमी से अकाल न पड़े।

(iii) **खाद्य कीमतों में स्थिरता के लिए—** जब उत्पादन कम होता है, तो भोजन के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार की सुरक्षा प्रणाली द्वारा कम दामों पर अनाज उपलब्ध कराकर महँगाई को नियंत्रित किया जाता है।

(iv) **स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए—** शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हर व्यक्ति को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जो खाद्य सुरक्षा के माध्यम से ही संभव है।

(v) **आत्मनिर्भरता के लिए—** भारत में बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर नागरिक को, विशेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे

हैं, सम्मानजनक भोजन मिल सके। संक्षेप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, खाद्य सुरक्षा अनिवार्य है।

3. **खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त समूहों का विवरण लिखें?**

उत्तर— भारत में खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित समूह वे हैं, जिनकी क्रय क्षमता कम है, जैसे- भूमिहीन कृषि मजदूर, पारंपरिक कारीगर, भिखारी, दिहाड़ी मजदूर, मलिन बस्तियों के निवासी तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग। इसके अलावा, गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी कुपोषण के कारण उच्च जोखिम में हैं। इन समूहों को कम आय, मौसमी रोजगार और भोजन की अनुपलब्धता के कारण पोषण संबंधी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

4. **भारत द्वारा खाद्य उत्पादन हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रमुखता से हरित क्रांति (1960 के दशक) अपनायी, जिसमें उच्च उपज वाले बीज, आधुनिक कृषि तकनीक और उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार, किसानों को ऋण सुधार, किसानों को ऋण सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाज भंडारण व वितरण जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप, भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, बल्कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सफल रहा है।

5. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?**

उत्तर— सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज (गेहूँ, चावल) और अन्य आवश्यक वस्तुएँ (चीनी, मिट्टी का तेल) उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) के माध्यम से गरीब कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर वितरित की जाती है। यह गरीबी उन्मूलन में मदद करती है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कमजोर परिवारों को सस्ती दरों पर भोजन सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली में मुख्य चुनौतियाँ भ्रष्टाचार, अनाज चोरी, खराब गुणवत्ता और कार्ड वितरण में अनियमितता जैसी समस्याएँ हैं। यह प्रणाली भारत में 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में काम कर रही है, जो विशेष रूप से गरीबों पर ध्यान केंद्रित करती है।

6. **भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लेख कीजिए।**

उत्तर— भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है जिससे खाद्य एवं पोषण सम्बन्धी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि सभी लोग गरिमामय जीवन निर्वाह कर सकें। इस अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन योग्य परिवारों को 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज उपलब्ध कराया जाता है जिसमें गेहूँ 2 रु. प्रति कि.ग्रा. तथा चावल 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर दिया जाता है।

7. **अन्त्योदय अन्न योजना का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— अन्त्योदय अन्न योजना का शुभारम्भ दिसम्बर-2000 में हुआ। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे एक करोड़ लोगों की पहचान की गई जो कि लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। इस योजना के लिए सम्बन्धित राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों ने सर्वेक्षण के माध्यम से इन लोगों की पहचान की। इन चिह्नित परिवारों के लिए प्रतिमाह 25 किग्रा. गेहूँ 2 रु. प्रति किलो की आर्थिक सहायता पर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाने लगा। साथ में 3 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर चावल भी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई। गेहूँ की मात्रा को अप्रैल 2002 में 25 किग्रा. से बढ़ाकर 35 किग्रा. कर दिया गया। जून 2003 और अगस्त 2004 में इन परिवारों की संख्या में 50–50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवारों को जोड़ दिया गया। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

निबंधात्मक प्रश्न—

1. **निम्न पर टिप्पणी लिखिए—**

(i) **सुरक्षित भंडार**

उत्तर— सुरक्षित भंडार से तात्पर्य अनाज को नमी, चूहों, कीटों और सूक्ष्म जीवों से बचाकर वैज्ञानिक तरीके से गोदामों में रखना है। भारत में लगभग 9.3 प्रतिशत खाद्यान्न अनुचित भंडारण के कारण नष्ट हो जाता है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और बफर स्टॉक (एफ.सी.आई. द्वारा) के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। सुरक्षित भंडारण के मुख्य उपाय— (i) **सफाई—** अनाज भंडारण से पहले उसे धूप में और फिर छाया में अच्छी तरह सुखाना आवश्यक है। (ii) **नियंत्रण—**चूहों और कीड़ों से बचाने के लिए गोदामों में रसायनों का धूमन किया जाता है। (iii) **संरचना—** भंडारण स्थान नमी-मुक्त और अच्छा हवादार होना चाहिए। (iv) **नमी की मात्रा—** अनाज में नमी की मात्रा 10 प्रतिशत या उससे कम होनी चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल अनाज को सड़ने से बचाती है, बल्कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों तक खाद्यान्न पहुँचाने में मदद करती है।

(ii) **न्यूनतम समर्थन मूल्य**

उत्तर— न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह गारंटीकृत मूल्य है जिस पर भारत सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर, बुवाई के मौसम से पहले फसलों की खरीद के

लिए पूर्व-निर्धारित करती है। यह किसानों को बाजार में कीमतों की अचानक गिरावट से बचाने के लिए एक 'सुरक्षा कवच' है। न्यूनतम समर्थन से जुड़ी मुख्य बातें— (i) **उद्देश्य—** किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य (लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक) सुनिश्चित करना और उन्हें नुकसान से बचाना। (ii) **प्रक्रिया—** यह आमतौर पर 24 फसलों के लिए घोषित किया जाता है (जैसे-गेहूँ, चावल, दालें आदि)। (iii) **फायदा—** सरकार इस मूल्य पर फसल खरीदकर अपना 'बफर स्टॉक' बनाती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।

संक्षेप में, एमएसपी किसानों की आय को स्थिर और देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. **खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका बताइए।**

उत्तर— भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियाँ विशेष रूप से ग्रामीण और निर्धन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएँ कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर, राशन दुकानों का संचालन कर और दूध व सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके सरकार की सहायता करती हैं। खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका इस प्रकार है—

(1) **उचित मूल्य दुकानें—** सहकारी समितियाँ गरीबों को कम कीमत पर अनाज और आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए दुकानें संचालित करती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 94 प्रतिशत से अधिक राशन दुकानें सहकारी समितियों द्वारा ही चलाई जा रही हैं।

(2) **दूध और सब्जी की आपूर्ति—** 'अमूल' जैसे सहकारी संगठन ने दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में श्वेत क्रांति पैदा की है। दिल्ली में 'मदर डेयरी' सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराती है।

(3) **अनाज बैंक और ग्रामीण सुरक्षा—** महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जैसे संगठन गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर अनाज बैंक स्थापित करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

(4) **बिचौलियों से बचाव—** सहकारी समितियाँ उत्पादकों 'किसानों' को सही मूल्य दिलाती हैं और उपभोक्ताओं को उचित दर पर सामान प्रदान करती हैं, जिससे बिचौलियों द्वारा शोषण कम होता है। ये समितियाँ खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक किफायती और विश्वसनीय वितरण प्रणाली का निर्माण करती हैं।

3. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं का वर्णन कीजिए।**

उत्तर— सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण सरकारी व्यवस्था है, जिसके तहत उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के माध्यम से गरीब परिवारों को रियायती दरों पर गेहूँ, चावल, चीनी और कैरोसिन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्त्योदय अन्न योजना (एवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) प्रमुख हैं।

खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएँ—

1. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस-1997)** — इसके अंतर्गत गरीबों में भी सबसे गरीब (बीपीएल) और सामान्य गरीब (एपीएल) परिवारों की पहचान कर उनके लिए अलग-अलग राशन की मात्रा निर्धारित की गई है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

2. **अन्त्योदय अन्न योजना (एवाई-2000)—** यह योजना सबसे निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई। इसके तहत लाभार्थियों को बहुत कम कीमत पर प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

3. **अन्नपूर्णा योजना (एआई-2000)—** इस योजना का उद्देश्य उन गरीब नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए-2013)** — यह अधिनियम कानूनी रूप से 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न का हकदार बनाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज मिलने का प्रावधान है।

5. **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड—** यह हालिया सुधार है, जो प्रवासी श्रमिकों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की सुविधा देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।

पीडीएस का महत्व— (i) **किफायती भोजन—** गरीब परिवारों को बाजार दर से बहुत कम कीमत पर राशन मिलता है।

(ii) **भूख और अकाल की रोकथाम—** यह देश में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखता है।

(iii) **मूल्य स्थिरता—** यह खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है।

(iv) **किसानों को लाभ—** न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद से किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता है। यह प्रणाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से काम करती है, जो खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण की जिम्मेदारी संभालता है। ❍❍